लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र / Fifth Session]

[खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol.XIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16–मंगलवार, 13 अगस्त, 1968/22 श्रावण, 1890 (शक)

No. 16—Tuesday, August 13, 1968/Sravana 22, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
451	पटसन की खेती वाला क्षेत्र	Area under Jute Cultivation	953-960
453	पाकिस्तान द्वारा जहाजों का लौटाना	Release of Vessels By Pakistan	960-961
454	मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा नियंत्रित उद्योग	Government Controlled Industries in Madhya Pradesh	962-966
455	भारतीय आयातक संघ	Importers' Association of India	966-968
456	हथकरघा उत्पादों का निर्यात	Export of Handloom Products	968-971

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
452	एक बिड़ला सार्थ द्वारा रुई की गांठों के गैर-कानूनी सौदे	Illegal Transactions of Cotton bales by a Birla Concern	971-973
457	दुर्गापुर में कोक भट्टी (ओवन) का बेकार हो जाना	Collapse of Coke OSen Unit at Durgapur ...	973-974
458	निषिद्ध वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंस के बारे में विशेष पुलिस संस्थान की जांच	S.P.E. Investigations into Import Licences for Prohibited Items	974-975
459	महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर	Maheshwari Devi Jute Mills, Kanpur...	975
460	ऊन की रद्दी का आंवटन	Allotment of Shoddy Wool	975-976
461	पाकिस्तानी पटसन खरीदना	Purchases of Pakistani Jute .. —	976-977

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

462	रेलवे में गेंग मैनों की भर्ती	Recruitment of Gangmen in Railways... ...	977
463	माल डिब्बों के लिये बकाया किराया भाड़ा	Outstanding Freight Charges Wagons... ...	977
464	कच्चे पटसन का आयात	Import of Raw Jute	978
465	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को हानि	Loss to Heavy Engineering Corporation, Ranchi	978-979
466	राज्य व्यापार निगम द्वारा पूर्वी यूरोपीय देशों से टायरों का आयात	Import of tyres by State Trading Corporation from East European Countries	979
467	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना, बंगलौर में तालाबन्दी	Lock-out at H.M.T. Factory, Banglore ...	979-980
468	सलाहकार संगठन	Consultancy Organisations ...	981
469	बर्मा तथा अन्य देशों को धागे का निर्यात	Export of Yarn to Burma and other Countries	981
470	मशीनी औजार कारखाने	Machine Tool Factories	981-982
471	इंजीनियरी उद्योग	Engineering Industry	982
472	लोहे तथा टीन की चादरों का निर्माण	Manufacture of Iron and Tin Sheets	982-983
473	मैसर्स डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड	Mrs. Dodsal Private Limited	983
474	दक्षिण अफ्रिका, रोडेशिया तथा पुर्तगाल के साथ भारत का व्यापार–सम्बन्ध	India's Trade relations with South Africa, Rhodesia and Portugal	983-984
475	स्टेनलैस स्टील की चादरों की मांग	Requirements of Stainless Steel Sheets... ..	984
476	रेलों को कोयले की सप्लाई करने के लिये टेंडरों का मांगना	Calling of Tenders for Coal Supply to Railways	985

तां.प्र.संख्या / S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी, WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
477 गोहाटी तक बड़ी लाईन (ब्राडगेज) बिछाना	Extension of B.G. Railway line upto Gauhati	985
478 गोआ रेलवे का हस्तांतरण	Taking over of Railway in Goa ..	986
479 दुर्गापुर उद्योग समूह	Durgapur Group of Industries	986
480 इस्पात कारखानों की स्थापना	Setting up of Steel Plants	986-987
अतां. प्र. सं/U.S.Q. Nos.		
3762 भारतीय पक्षियों का निर्यात	Export of Indian Birds ...	987
3763 बिड़ला उद्योग समूह की औद्योगिक परियोजना	Industrial Projects for Birla Group of Industries	987-988
3764 तेज रेलगाड़ियां चलाना	Running of Fast Trains	988
3765 खाद्यान्नों के लाने ले जाने के लिये विशेष रेलगाड़ियों का चलाया जाना	Running of Special Trains for Movement of Foodgrains	938
3766 तुगंभद्रा इस्पात परियोजना का उत्पादन	Production at Tungabhadra Steel Project ...	988-989
3767 तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco ...	989 990
3768 कपड़े का निर्यात	Export of cloth ..	990
3769 मध्य - पूर्व के देशों को चप्पलों का निर्यात	Export of Chappals to Middle East Countries	990-991
3770 पटसन के निर्यात के मामले में पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा	Competition from Pakistan in Jute Exports ...	991
3771 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा उत्पादित कच्ची फिल्में	Raw Films Produced by Hindustan Photo Films	991-992
3772 जालसाजों के एक गिरोह द्वारा रेलवे को धोखा	Cheating of Railways by a Gang of Swindlers	992
3773 क्षेत्रीय रेलों पर हिन्दी निदेशों की क्रियान्विति सम्बन्धी कार्य का अधीक्षण	Supervision of Work in Zonal Railways regarding implementation of Directions on Hindi ...	992-993

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3774 राजस्थान में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Rajasthan	993
3775 रेलवे कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूल, उदयपुर	Railway Employees Training School, Udaipur	994
3776 आयात लाइसेंस	Import Licences	994
3777 सोडियम नाइट्रेट का आयात	Import of Sodium Nitrate	994
3778 कच्ची फिल्मों का आवंटन	Allotment of Raw Films	994-995
3779 पश्चिमी बंगाल में रेलवे लाइनों का निर्माण	Construction of Railway lines in West Bengal	995
3780 सरकार तथा संसद् द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के काम में हस्तक्षेप	Interference by Government and Parliament in the working of Public Sector Undertakings	995-996
3781 स्कूटरों के क्रय और विक्रय	Purchase and Sale of Scooters	996
3782 स्कूटरों के क्रय एवं विक्रय की जांच	Enquiry into Purchase and Sale of Scooters...	996-997
3783 आयात नियंत्रण अनुसूची	Import Control Schedule	997
3784 नेपा कागज के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Nepa Paper	997-998
3785 कच्चे माल की चोर बाजारी	Black-marketing in Raw Materials ...	998
3786 तालचेर उद्योग समूह	Talcher Industrial Complex ...	998 999
3787 उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज परियोजना	Newsprint Projects in U.P. ...	999
3788 कीनिया को चलचित्रों का निर्यात	Export of Films to Kenya	999-1000
3789 मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Madhya Pradesh ...	1000
3790 टेलिवजन सेटों का आयात	Import of T.V. Sets	1000-1001

अता.प्र.संख्या / U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3791	निर्यात पूर्व वस्तु विनिमय के सौदों के लिए बैंक गारन्टी	Bank Guarantee for Pre-import Barter Deals	1001
3793	सिलघाट (आसाम) में सहकारी पटसन मिल	Co-operative Jute Mill at Silghat (Assam)	1001-1002
3794	अन-उपनगरीय यात्री आय	Non-suburban Passenger earnings	1002
3795	प्रतिनिधि मंडलों की विदेश यात्रा	Delegations to Foreign Countries	1002-1003
3796	इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के कर्मचारियों का सर्वेक्षण	Survey of Staff in Ministry of Steel, Mines and Metals	1003-1004
3797	आद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार, घूस आदि के मामले	Cases of Corruption, Bribery etc. in Ministry of Industrial Development and Company Affairs	1004
3798	रेलवे मंत्रालय में कर्मचारियों का सर्वेक्षण	Survey of Staff in Ministry of Railways ...	1005-1006
3799	कोयले की उत्पादन लागत	Cost of Production of Coal	1006
3800	कपड़े के संकटग्रस्त मिल	Sick Textile Mills	1006
3801	गुलरभोज स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of goods train near Gularbhoj Station (N.E.Rly.)	1007
3802	सूडान के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Sudan	1007-1008
3803	सूती धागे का आपात कालीन भंडार	Buffer Stock of Cotton Yarn	1008
3804	सफाई वालों के लिये गर्म वर्दियां	Winter Uniforms for Safaiwalas ...	1008-1009

3805	उत्तर प्रदेश में पौड़ी गढ़वाल जिले में उद्योगों की स्थापना	Industrialisation of Pauri Garhwal (U.P.) ...	1009
3806	मैसर्स साराभाई मर्क आफ बड़ौदा	Messrs. Sarabhai-Merck of Baroda.. ...	1009
3807	रेलवे लेखा कर्मचारियों की सेवा-निवृति	Retirement of Railway Accounts Staff	1009–1010
3808	मैसर्स तारा जूट मिल, गुन्टूर (आन्ध्र प्रदेश) को लाइसेंस का दिया जाना	Grant of a licence to M/S. Tara Jute Mill, Guntur (Andhra Pradesh)...	1010
3809	राजस्थान में बाढ़ के कारण रेलवे को हानि	Loss of Railways due to floods in Rajasthan	1010–1011
3810	उत्तर भारत में नमक का अभाव	Salt crisis in Northern India ...	1011
3811	स्टेशन मास्टरों द्वारा, "नियमानुसार ही कार्य करने की" धमकी	"Work to Rule" agitation by Station Masters ...	1011
3812	राजनैतिक दलों को चन्दे देना	Donations to Political Parties	1011–1012
3813	निर्यात नीति सम्बन्धी संकल्प	Export Policy Resolution	1012
3814	पटसन मिलों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Jute Mill	1012–1013
3815	थाईलैंड से पटसन के आयात कर्ताओं के विरुद्ध सी० बी० आई० के आरोप	C. B. I. charges against Importers of Jute from Thailand	1013
3816	भिलाई इस्पात कारखाने में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment in the Bhilai Steel Plant	1013–1014
3817	रेलवे के तकनीकी पर्यवेक्षक कर्मचारियों के वेतन-मान	Pay Scales of Railway Technical Supervisory Staff	1014

3818	इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	India Electric Works Ltd. Calcutta... ...	1014–1015
3819	हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के लिये अर्जित अप्रयुक्त भूमि	Unutilised land acquired for Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1015
3820	हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	1015–1016
3821	यातायात लेखा शाखाओं में कर्मचारियों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या	Sanctioned and Working Strength in Traffic Accounts Branches	1016–1017
3822	साराभाई कैमिकल्स और करमचन्द प्रेमचन्द प्राईवेट लिमिटेड	Sarabhai Chemicals and Karamchand Premchand (P.) Lrd. ...	1017
3823	खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई	Khadi and Village Industries Commission, Bombay.	1017
3824	औरंगाबाद मिल्स लिमिटेड के बारे में पारिख समिति का प्रतिबेदन	Report of the Parikh Committee on Aurangabad Mills Ltd.	1017–1018
3825	डिब्बों में बन्द खाद्य-सामग्री का निर्यात	Export of Tinned Food-stuffs ...	1018
3826	निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम	Export Credit and Guarantee Corporation	1018–1019
3827	रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों से आयात	Imports from U. S. S- R. and East European Countries	1019
3828	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम सम्बन्धी जांच समिति	National Coal Development Corporation Enquiry Committee	1019–1020
3829	रेलवे लेखा कार्यालयों में अनर्ह कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Unqualified Staff in the Railway Accounts Offices	1020

3830 ग्रामीण ओद्योगीकरण के लिये प्रोत्साहन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Incentives for Rural Industrialisation	1020
3831 सराय रोहिला लोको शैड के पास बिना चालक के रेलवे इन्जन का पटरी से उतरना	Derailment of Unmanned Railway Engine near Sarai Rohila Loco Shed ...	1021
3832 फैजाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी का रद्द किया जाना	Cancellation of Passenger Train between Faizabad and Delhi	1021
3833 कपड़े की नियंत्रित किस्मों का उत्पादन	Production of Controlled Varieties of Cloth	1021-1022
3834 औद्योगिक बस्तियों का कार्य संचालन	Working of Industrial Estates	1022
3835 रासायनिक तथा इन्जीनियरी उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Export of Products of Chemical and Engineering Industries	1022-1023
3836 लातीनी अमरीका के देशों को निर्यात	Export to Latin American countries... ...	1023
3837 छोटी कार परियोजना	Small Car Project	1024
3838 नेफा में खनिज	Minerals in NEFA	1024
3839 चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में कताई मिल	Spinning Mills in Public Sector during Fourth Plan	1025
3840 भारत-संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार करार	Indo-U.A.R. Trade agreement	1025
3841 ट्रैफिक एकाउंट्स आफिस में स्वीकृत तथा कार्यवाही कर्मचारियों की संख्या	Sanctioned and working strength of Staff in Traffic Accounts Offices	1026

3842 पश्चिमी रेलवे लेखा कार्यालय में अनर्ह कर्मचारियों को शेष राशि का भुगतान — Payment of Arears to Unqualified Staff in Western Railway Accounts Office — 1026

3843 बोकारो इस्पात कारखाने को उपकरणों की सप्लाई — Supply of Equipment to Bokaro Steel Plant — 1026–1027

3844 कृत्रिम रेशा उद्योग — Man-made Fibre Industry — 1027

3845 पूर्व यूरोपीय देशों से टायरों का आयात — Import of Tyres from East European Countries — 1028

3846 कपास का रक्षित भंडार — Reserve Stock of Cotton — 1028

3847 कोरबा अल्यूमिनियम कारखाना — Korba Aluminium Factory — 1028

3848 इलाहाबाद कम्प्रैसर प्लांट — Allahabad Compressor Plant — 1028–1029

3849 वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण केले के व्यापार को हानि — Loss to Banana Trade due to Non availability of Wagons — 1029

3850 अनुपातिक निर्वाचन द्वारा निदेशकों का चुनाव — Election of Directors through proportional representation — 1029

3851 नये ग्रामीण औद्योगिक कारखानों की स्थापना — Setting up of New Rural Industrial Units — 1029–1030

3852 एस्सो कम्पनी के लिये टिन प्लेटें — Tin Plates for Esso Company — 1030

3853 गुड़गांव जिले में रेलवे लाइन का सर्वेक्षण — Survey of Railway lines in Gurgaon Distt... — 1030

3854 लोहे की चादरों का निर्माण — Production of Iron Sheets — 1031

3855 कठुआ-जम्मू रेलवे लाइन — Kathua-Jammu Rail Link — 1031–1032

3856 कांग्रेस दल को हिन्दुस्तान मोटर्स से मिला धन — Funds received by Congress Party from Hindustan Motors — 1032

3857 छोटी स्कर्टों का आयात — Import of Mini-Skirts — 1032

अता.प्र.संख्या./U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
3858 टाटा तथा बिड़ला उद्योग-गृह	Tata and Birla Industrial Houses	1032-1033
3859 झंझरपुर के निकट रेलवे पुल (पूर्वोत्तर रेलवे)	Railway Bridg near Jhanjharpur (N.E. Railway)	1033
3860 इस्पात के कारखानों की स्थापना	Establishment of Steel Plants ...	1033-1034
3861 औद्योगिक विकास	Industrial Growth	1034-1035
3862 प्रशुल्क समिति का प्रतिवेदन	Report of Tariff Committee	1035
3863 इतर यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) में ग्रेड 2 के क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of Clerks Grade II in F.T.A. Office Delhi (Western Railway)... ...	1035-1036
3864 पटना नगर गुलजार बाग स्टेशन के निकट रेलवे लाइन पर पुल	Bridges over Railway Line near Patna City and Gulzarbagh Stations ...	1036
3865 साहिबगंज लोको शैड के मैकेनिकल स्टाफ के कर्मचारियों की मागें	Demands of Loco Mechanical Staff, Sahibganj	1036
3866 डीजल लोको मोटिव वर्कशाप वाराणसी के रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Diesel Locomotive Workshop, Varanasi	1036-1037
3867 पटना और वाराणसी के बीच के क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Industrialisation of area between Patna and Varanasi	1037
3868 मध्य रेलवे के ग्रेड दो के लेखा लिपिकों की दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबादस्थित वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में पदोन्नति	Promotion of Central Railway Accounts Clerks Grade II in F.A. and C.A.O's. Office, South Central Railway. Secunderabad	1037-1038
3869 मध्य रेलवे के कार्यालयों का बम्बई स्थानान्तरण	Shifting of Offices of Central Railway to Bombay	1038

3870	मुरारपुर फ्लैग स्टेशन पर टिकटों का उपलब्ध न होना	Non-Availability of Tickets at Murarpur Flag Station	1038–1039
3871	इस्पात का उत्पादन तथा आयात	Production and Import of Steel ...	1039
3873	इन्जीनियरी उत्पादों का निर्यात	Export of Engineering Products	1039
3874	रेलवे लेखा विभाग में ग्रेड एक तथा दो के क्लर्क तथा सब-हैड	Clerks Grade I and II and Sub-heads in the Railway Accounts Department ...	1040
3875	रूस के साथ व्यापार	Trade with U.S.S.R.	1040
3876	मलयेशिया से व्यापार प्रतिनिधिमंडल	Trade Delegation from Malaysia	1040
3877	अबुधाबी (अरब की-खाड़ी) को निर्यात	Export to Abudhabi (Arabian Gulf) ..	1041
3878	ऊनी होजरी के निर्यात के लिये राज सहायता	Subsidy for Export of Woolen Hosiery ...	1041
3879	रेलों में राडार प्रणाली	Radar System on Railways	1041–1042
3880	कपड़ा मिलों के मामलों की जांच के लिये समितियों की नियुक्ति	Appointment of Committees to look into the affairs of Textile Mills	1042
3881	रेलवे में भोजन व्यवस्था में खराबी	Deterioration in Railway Catering	1042–1043
3882	दक्षिण मध्य रेलवे वर्कशाप में एक माल डिब्बे के 'एक्सिल बक्सों' का तोड़ा जाना	Breaking of Axle Boxes of a Wagon in South Central Railway Workshop ..	1043
3883	रेलवे अधिकारियों द्वारा सैलूनों तथा इन्स्पैक्शन कैरिज का प्रयोग	Use of Saloons and Inspection Carriage by Railway Officers	1043–1044

3884	पश्चिम रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या	Sanctioned strength of Traffic Accounts Office, Western Railway	1044
3885	उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे के लेखा कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता	T.A. to Northern and Western Railway Accounts Staff	1045
3886	ट्रैक्टर कारखाने	Tractor Factories	1045-1046
3887	उत्तर प्रदेश में सिंगरौली कोयला खानें	Singrauli Collieries in U.P.	1046
3888	सहायक उद्योग	Ancillary Industries	1046-1048
3889	रेशम उद्योग का विकास	Development of Silk Industry ...	1048-1049
3890	गुजरात में कपड़े के मिल	Textile Mills in Gujarat	1049
3891	ब्रिटेन तथा श्रीलंका की मुद्रा के अवमूल्यन से भारतीय चाय निर्यात व्यापार पर प्रभाव	Impact of Devaluation of U.K. and Ceylonese currencies on India's Tea Exports ...	1049-1050
3892	नमक की चोर बाजारी	Black-marketing in Salt ...	1050
3893	विदेशी पूंजी विनियोजन बोर्ड	Foreign investment Board	1050-1051
3894	पश्चिम रेलवे के इतर (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली में क्लर्कों का तबादला	Transfer of Clerks in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi. ...	1051
3895	लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries ...	1051-1052
3896	मध्य प्रदेश में बेलाडीला खानों में कच्चे लोहे का उत्पादन	Production of Pig Iron in Bailadilla Mines, Madhya Pradesh	1052
3897	न्यू विक्टोरिया मिल्स कानपुर	New Victoria Mills, Kanpur ..	1052-1053

3898	उत्तर प्रदेश में टायर का कारखाना	Tyre Factory in U.P.	1053
3899	रेलवे के परिचालक कर्मचारियों की मांगें	Demands of Railway Running Staff ...	1053–1054
3900	367-अप लालगोला सवारी गाड़ी में डकैती	Robbery in 367–Up Lalgola Passenger Train	1054
3901	चाय के सम्बन्ध में भारत-लंका करार	Indo–Ceylon Agreement on Tea	1054-1055
3903	मध्य रेलवे पर जनता गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of JantaTrain on Central Railway ...	1055
3904	खिरकिया स्टेशन के प्लेटफार्म पर शेड	Shed over Platform on Khirkiya Station ...	1055–1056
3905	खिरकिया रेलवे स्टेशन, मध्य रेलवे	Khirkiya Railway Station, Central Railway	1056
3906	देहरादून एक्सप्रेस से नकदी के बक्से को लूटने का प्रयत्न	Attempt to loot Cash Box from Dehradun Express	1056–1057
3907	गुजरात के पोरबन्दर क्षेत्र में माल डिब्बों की कमी	Shortage of Wagons in Porbandar Area of Gujarat ..	1057
3908	रूरकेला इस्पात कारखाने के कर्मचारी	Persons employed in the Rourkela Steel Plant ..	1057
3909	रेलगाड़ियों से रेल के सामान की चोरी	Theft of Railway Goods from trains ..	1058
3910	गाड़ियों में सफाई तथा पानी सप्लाई करने की कुव्यवस्था	Defective Arrangements regarding cleanliness and water supply in Trains... ...	1058
3911	उद्योग न होने के कारण बेरोजगारी	Unemployment due to lack of Industries ...	1058
3912	वाडाकाचेरी के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train near Wadakancheri	1058–1059

3913	माल डिब्बों का निर्यात	Export of Wagons ...	1059
3914	'गोशन' नामक जहाज को क्षति	Damage to Ship "Goshan"	1060
3915	चीनी उद्योग के लिये प्राथमिकतायें	Priorities for Sugar Industries ..	1060
3916	कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal-based Fertilizer Plant -- ...	1061
3917	समवायों द्वारा लाइसेंसों का वापिस किया जाना	Surrender of Licences by Companies ...	1061–1062
3918	पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक एकक	Industrial Units in West Bengal ... --	1062
3919	तालचेर-विमलागढ़ और तालचेर-सम्बलपुर रेलवे लाइन	Talchar–Bimlagarh and Talchar–Sambalpur Rail link	1062
3920	औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी	Grant of Industrial Licence	1063
3921	रेलवे कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token Strike by Railway Employees --	1063–1064
3922	रेलवे स्टेशनों पर हिन्दी में अभिलेख रखना	Maintenance of Records in Hindi at Railway Stations ... --	1064
3923	क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति	Zonal Railway Users' Consultative Committee -- ...	1064
3924	राज्यों में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings in States ... --	1064–1065
3925	रेलवे सुरक्षा विशेष बल में जवानों की भर्ती	Recruitment of Jawans in Railway Protection Special Force	1065
3926	हिन्दी शिक्षक	Hindi Instructors -- ...	1065–1066
3927	रेलों पर ठेके	Contracts on Railways	1066
3928	मुगलसराय रेलवे लोको शैड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Mughalsarai Railway Loco–Shed	1067

3929 दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर गाड़ियों का देर से आना	Late arrival of Trains at Delhi and New Delhi Stations ...	1067
3930 कपास का समर्थन मूल्य	Support price of Cotton	1068
3931 1968-69 के लिये कपास के मूल्य सम्बन्धी नीति	Price Policy for Kapas for 1868-69 ..	1068
3932 रूरकेला इस्पात संयत्र के लिये अर्जित भूमि	Land Acquired for Rourkela Steel Plant ..	1068–1069
3933 मराको को हरी चाय का निर्यात	Export of Green Tea to Morocoo	1069
3934 मध्य रेलवे को ग्वालियर-भिण्ड, ग्वालियर-शिवपुरी छोटी लाइनों पर नये इन्जन, माल डिब्बे तथा सवारी-डिब्बे	New Engines, Goods Wagons and Coaches on Gwalior–Bhind, Gwalior-Sheopuri and Narrow Gauge Lines of Central Railway.	1069
3935 कोरबा में एल्यूमीनियम कारखाना	Aluminium Factory at Kobra	1070
3936 पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय वक्फ अधिनियम लागू करना	Application of Central Wakf Act to West Bengal	1070
3937 कपड़ा उद्योग में उत्पादन	Production in Textile Industry	1070–1071
3938 कपड़े का निर्यात	Export of Textiles	1071
3939 पटसन की वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Goods	1071–1072
3940 हौजरी उद्योग	Hosiery Industry ...	1072
3941 बेलाडिला खानों के कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था	Housing Arrangements for Workers of Bailadila Mines	1072
3942 बेलाडिला और जगदलपुर के बीच मालगाड़ियां	Goods Trains between Bailadila and Jagdalpur	1073

3943 आओंला और रेवती-बहाड़ा-खेड़ा स्टेशनों के बीच यात्रियों का लूटा जाना	Looting of Passengers between Aonla and Reoti Bahara-Khera Stations	1073
3944 केरल में मैगनेटाइट के निक्षेपों का निकाला जाना	Exploitation of Magnette Deposit in Kerala ...	1074
3945 सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी टेकनीशियन	Foreign Technicians in Government and Public Sector Organisations	1074-1075
3946 उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey in Orissa	1075
3947 औद्योगिक विकास बैंक	Industrial Development Bank	1075-1076
3948 दक्षिण-पूर्व रेलवे में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति	Employment of Class III and Class IV Employees in South Eastern Railway ..	1076
3951 भारी इन्जीनियरी निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	1076-1077
3952 भारी इन्जीनियरी निगम लिमिटेड, रांची	Heavy Engineering Corporation Ltd; Ranchi ...	1077
3953 हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ...	1077
3954 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारी	Employees of the Hindustan Steel Ltd. ...	1078
3955 विद्युत चालित करघे	Powerlooms	1078-1079
3956 पूर्वोत्तर रेलवे का जहाजी प्रतिष्ठान	Marine Establishment of North Eastern Railway	1079
3957 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा स्थापित कोयला धोने का कारखाना	Coal Washery Set-up by N C.D.C.	1079-1080
3958 ऐथाल रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे क्वार्टरों में बिजली	Electricity in Railway Quarters Near Aithal Railway Station ...	1080

3959	देशी तकनीकी जानकारी विकास	Development of Indigenous Technical know-how	1080
3960	प्राकृतिक रबड़ का अधिकतम मूल्य	Celling price of Natural Rubber	1080–1081
3961	मोटरगाड़ियों के टायरों के मूल्यों में वृद्धि किये जाने की मांग	Demand for increase in prices of Auto Tyres	1081
3962	मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड	M/S. Dodsal (Private) Limited	1081–1082
3963	रूस को जूतों का निर्यात	Export of Shoes to Russia	1082
3964	दुर्गापुर में मिश्रित (एलाय) इस्पात कारखाना	Alloy Steel plant at Durgapur	1083
3965	पूर्वोत्तर रेलवे की अधीनस्थ लेखा सेवा की कर्मचारी संस्था	N.E. Railway S.A.S. Staff Association ...	1083
3966	विद्यार्थियों को रेलवे माड़े में छूट	Railway Concession to students	1083–1084
3967	चाय क्षेत्र सलाहकार अधिकारी	Tea-field advisory officer	1084
3968	मेघदूत नामक नये माडल की एम्बेसेडर कारों का निर्माण	Manufacture of new Meghdoot model of Ambassador Cars	1084–1085
3969	फिएट कारों का निर्माण	Manufacture of Fiat Cars	1085
3971	यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साउथ इण्डिया	United Planters Association of South India	1085–1086
3972	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	Hindustan Photo Films Manufacturing Co.	1086–1087
3973	ट्रावनकोर सीमेंट्स लिमिटेड, नट्टकोम (कोट्टयम)	Travancore Cement Ltd; Nattakom (Koyyatam)	1087–1088

तारांकित प्र. सं./U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
3974 रूरकेला में अधिक शक्ति-वाले विस्फोटक पदार्थ बनाने वाला कारखाना स्थापित करना	High Explosives Factory, Rourkela	1088
3975 अम्बाला नगर स्टेशन पर ऊपरी पुल	Overbridge at Ambala City station ..	1088-1089
3976 चिली से सोडियम नाइट्रेट का आयात	Import of Sodium Nitrate from Chile ...	1089
3977 राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये कच्चे माल का मूल्य	Prices of Raw Materials Imported by S.T.C.	1089-1090
3978 मऊ-उज्जैन रेलगाड़ी में जंजीर खींचने की घटनायें	Pulling of Chains in Mhow-Ujjain Train	1090
3979 रेलवे बोर्ड आशुलिपिकों का अभ्यावेदन	Representations from Stenographers in the Railway Board	1091
3980 उत्तर रेलवे में काम करने वाले अशुलिपिकों के लिये प्रोत्साहन परीक्षायें	Incentive tests for serving Stenographers in Northern Railway	1091
3981 उत्तर रेलवे के मुख्यालय में आशुलिपिक	Stenographers in Northern Railway Headquarters' Office	1092
3982 उत्तर रेलवे के सेवा में लगे हुए स्टेनोग्राफरों के लिये प्रोत्साहन परीक्षायें	Incentive Tests for Serving Stenographers on Northern Railway	1092
3983 रत्नगिरि में कोयना एल्यू-मीनियम परियोजना	Koyna Aluminium Project at Ratnagiri ...	1092–1093
3984 उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के लिए अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों का आरक्षण	Reservations of U.D.Cs'. Posts for Scheduled Castes Persons in Northern Railway	1093
3985 रेलवे संगचल कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime to Railway Running Staff ...	1093–1094

3986	रेलवे ब्रेक्समैन	Railway Brakesmen	1094
3987	उत्तर रेलवे सिगनल वर्कशाप गाजियाबाद	Northern Railway Singal Workshops, Ghaziabad ...	1094–1095
3988	वाराणसी से गोरखपुर तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad-gauge Line from Varanasi to Gorakhpur	1095
3989	मनीपुर का खनिज सवक्षण	Mineral Survey in Manipur	1095
3990	उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास	Industrial Development of U.P.	1095–1096
3991	पश्चिम रेलवे के डिवीजनल कार्यालयों में हिन्दी अनुवादक	Hindi Translators in Divisional Offices of Western Railway	1096
3992	कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया गया चन्दा	Contributions given by companies to Political parties	1096–1097
3993	मैसर्स नेपको बीवल गियर आफ इण्डिया, लिमिटेड बल्लभगढ़,	M/S. Napco Beval Gear of India Ltd; Balabgarh	1097
3994	दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों से रेलगाड़ियों का देर से रवाना होना	Late Depature of Trains from Delhi/ New Delhi Railway Stations ...	1098
3995	झांसी से दिल्ली जनता एक्सप्रेस का देर से चलना	Late departure of Delhi Janta Express from Jhansi	1098–1099
3996	रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति	Reversion of Class III staff in Railway Electrification Project	1099–1100
3997	भवानी मंडी में फ्रंटियर मेल का रुकना	Stoppage of Frontier Mail at Bhawani Mandi	1100

3998 सवाई माधोपुर और भरतपुर जंकशनों पर डी-लक्स और वेस्टर्न एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना	Stoppage of De-lux and Western Express Trains of Sawai Madhopur and Bharatpur Junctions ..	1100-1101
3999 कोटा डिवीजन में सीमेंट तथा खाद्यान्नों की ढुलाई के लिये माल डिब्बे	Wagons for cement and grain movement in Kota Division	1101-1102
4000 मिश्रित धातुओं तथा विशेष इस्पात का निर्यात करने के बारे में समिति	Committee on export of Alloys and special Steel	1102
4001 अमरीका के साथ व्यापार	Trade with U.S.A. ...	1102-1103
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-	Calling attention to Matter of urgent Public Importance	1103
नई दिल्ली नगर पालिका के लिए वित्त सदस्य के नामनिर्देशन पर केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच प्रशासनिक विवाद का समाचार	Reported administrative dispute between the Central Government and the Delhi Administration over nomination of Finance Member to NDMC	1103
चण्डीगढ़ स्थित इन्डो-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 12-8-68 को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर प्रश्न	Questions on statement laid on the table on 12.8.68 by the Minister of State for Education Re. Indo-Swiss training Centre at Chandigarh	1106
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1107-1109
गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and	
पैंतीसवां प्रतिवेदन	Resolution-thirty fifth report	1109
स्वर्ण नियंत्रण विधेयक	Gold Control Bill ...	1109-1110
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)- 1965-66	Demands for Excess grants (Railway) 1965-66 ..	1110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) -1968-69	Supplementary Demands for grants (Railways) 1968–69	1110
भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन (संशोधन) अध्यादेश/भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन (संशोधन) विधेयक तथा पेटेंट विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प-जारी	Statutory Resolution Re. Indian Patents and Designs (Amendment) Ordinance, Indian Patents and Designs (Amendment) Bill and Patents Bill. (Contd)	1110–1114
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F.A Ahmed	1110
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandekar	1113
भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन (संशोधन) विधेयक	Indian Patents & Designs (Amendment) Bill	1114
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	1114
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed	1115
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu ...	1115
पेटेन्ट विधेयक संयुक्त समिति को सौपने के लिये प्रस्ताव	Patents Bill Motion to refer to Joint Committee	1117–1118
विदेश विवाह विधेयक	Foreign Marriage Bill	1118–1119
सहमति के लिये प्रस्ताव	Motion to Concur	
बीमा (संशोधन) विधेयक के बारे में नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव	Motion under rule 388 Re. Insurance (Amendment) Bill	1119–1124
बीमा (संशोधन) विधेयक	Insurance (Amendment) Bill	1124
संयुक्त समिति को सौपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committee ..	1124
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	1124
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	1125
न्यायाधीश (जांच) विधेयक	Judges (Inquiry) Bill ... —	1127
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider — —	1127

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	1127
श्री रंगा	Shri Ranga ...	1128
श्री के नारायण राव	Shri K. Narayan Rao	1129
श्री बृज भूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal ...	1129
श्री रा.ढो. भण्डारे	Shri R.D. Bhandare	1130
श्री वी.कृष्णमूर्ती	Shri V. Krishnamoorthi ..	1131
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha ...	1131
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	1132
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में चर्चा	Discussion Re: Hindustan Steel Limited ...	1132
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया	Shri D.N. Patodia	1132
श्री एस. आर, दमानी	Shri S.R. Damani	1134
श्री वृजभूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal	1135
श्री एस. कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	1135
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	1135
श्री स. मो, बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	1136
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	1136
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	1136
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh	1137
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	1137
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P.C. Sethi	1137

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार 13 अगस्त, 1968/22 श्रावण, 1890 (शक)
Tuesday, August 13, 1968/Sravana 22, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पटसन की खेती वाला क्षेत्र

451. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा पटसन की खेती काफी कम भूमि में की जायेगी;

(ख) इस तथ्य को तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मई में जो वर्षा हुई थी वह आवश्यकता से काफी कम थी, क्या पटसन की फसल कम होने का अनुमान है; और

(ग) इस कमी को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि सबसे बड़े निर्यात व्यापार वाले इस उद्योग पर बुरा असर न पड़े, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार ने हाल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी किस्म की कच्ची जूट की 75,000 गाठों के आयात की अनुमति दे दी है। आगे आयात करने के मामले पर विचार किया जा रहा है। ऐसे प्रयत्न किये जायेंगे कि कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन तथा निर्यात पर बुरा प्रभाव न पड़े

श्री सु० कु० तापड़िया : इस मंत्रालय के अन्तर्गत कपड़ा उद्योग के अलावा जूट उद्योग भी है जोकि अब संकट-ग्रस्त हैं। अन्य उद्योगों की तरह इस उद्योग के मामले में भी मंत्रालय अपने काम में विफल रहा है और साथ ही मौसम अनुकूल न रहने के कारण इस विफलता का और अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है और समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। इस वर्ष 55 लाख गांठ कच्ची जूट की पैदावार होने की आशा है जबकि हमारी वार्षिक आवश्यकता 75 लाख गांठों की है। इस तरह 20 लाख गांठ कच्ची जूट की कमी है। इसमें से आप 3 या 4 लाख गांठ जूट की कमी को घटा सकते हैं क्योंकि जूट मिलों ने अपने उत्पादन में कटौती कर दी है। पर इसके बावजूद भी कम से कम 15 लाख गांठ जूट की कमी अवश्य ही रहेगी, लेकिन सरकार ने केवल 75,000 लाख गांठ जूट आयात करने का निश्चय किया है। यह देखते हुए इस वर्ष संसार भर में कच्ची जूट की कमी रहेगी, सरकार क्या अन्य कदम उठायेगी ? अनुमान है कि भारत, पाकिस्तान और थाइलैंड में मिला कर कच्ची जूट की पैदावार 110 लाख गांठ होगी जबकि संसार भर में 170 लाख गांठ जूट की कुल आवश्यकता है। शीघ्र क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ताकि इस बारे में बाद में निर्णय लेने के कारण हमें अधिक कीमतें न देनी पड़ें ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मौसम अनुकूल न रहने की वजह से हमारे यहां जूट की कम पैदावार है। पर माननीय सदस्य को यह मानना पड़ेगा कि हम पहले ही कदम उठा चुके हैं और केवल 75,000 गांठ जूट का आयात कर रहे हैं। इसके अलावा आवश्यक आयात तब किया जायेगा जब जूट की कमी के बारे में अनुमान लगा लिया जायेगा। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि जूट की कमी को दूर करने के लिए हम शीघ्र ही 3.55 लाख जूट का आयात करेंगे।

श्री सु० कु० तापड़िया : श्रीमन्, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो अनुमान लगाये है वे बहुत ही गलत हैं। पिछले साल भी सरकार यही कहती रही कि हमारे यहां जूट की पैदावार इतनी अच्छी होगी कि हम जूट का निर्यात करने लगेंगे। पर सरकार द्वारा लगाये अनुमानों की तुलना में 35 लाख गांठ जूट की कमी रह गई ? चूंकि पिछले साल के उसके अनुमान गलत सिद्ध हुए हैं इसलिए क्या वह इस बार दूसरे लोगों की बात सुनेगी ? हम अप्रैल के महीने से ही मंत्री महोदय को चेतावनी देते रहे हैं कि जूट की कमी हो जायेगी। क्या सरकार इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेगी कि इस महीने या अगले छः सप्ताह के अन्दर ही कम से कम 10 लाख गांठ जूट का आयात किया जाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : माननीय सदस्य को अधिक जानकारी है और जब कभी हमें कोई जानकारी देते हैं हम उस पर विचार करते हैं। वह यह मानेंगे कि हमें इस देश में उत्पादित जूट की स्थिति को देखना पड़ता है और जूट की उपयुक्त कीमत सुनिश्चित करनी पड़ती है। यदि हम आज 10 लाख गांठ जूट आयात कर लें तो देश के अन्दर जूट की पैदावार पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? इन सभी बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा। जब कभी जरूरी होगा हम जूट का आयात करने का निश्चय ही प्रयत्न करेंगे, पर इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि देश में उत्पादित जूट की कीमत कृत्रिम ढंग से नीचे न चली जाये। माननीय सदस्य ने बताया है कि संसार भर जूट की कमी है, इस लिए हम इन सभी

बातों को ध्यान में रखेंगे और इस दिशा में पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे, लेकिन अन्य देशों में जूट की कमी के बारे में हम क्या कर सकते हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, there has been less cultivation of jute since its price is very uncertain. The capitalist class exercise pressure on the Government and as such the Government import jute and the price of jute produced in the country decline and we loose interest in growing jute. In these circumstances I would like to know whether Government propose to fix a remunerative price of jute for cultivators and to ban the import of jute.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Just now the hon. Minister has replied that the support price of jute has been fixed. Previously the support price was fixed at Rs 30 in 1965-66 and now it has been raised to Rs 40 and at present it is more than Rs 40. Besides this jute will be imported in such a manner that it may not affect the local price.

Shri Bibhuti Mishra : When Dr. Ram Subhag Singh was the Minister in charge the price of jute was fixed at Rs 30 which has now become Rs 40 but how far it is an equitable price.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जूट उत्पादन के लिए बार बार समर्थक मूल्य निश्चित करने की नीति अपनाने से किसानों को वस्तुतः फायदा नहीं पहुंचा है । क्या यह सच है कि कलकत्ते में जूट का समर्थक मूल्य यद्यपि 40 रुपये निर्धारित किया गया है, पर वास्तव में उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर जूट 20 रुपये और 25 रुपये के भाव बिक रही है और किसानों को 40 रुपये मूल्य नहीं मिलता है, जिसके परिणाम जूट की खेती करने के लिए उनमें अधिक उत्साह नहीं है ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इस स्थिति पर पुनः विचार किया है और क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करेगी ताकि किसानों को अपनी जगहों पर प्रतिमास 45 रुपये मिल सकें ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ये कीमतें हमने कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन मिलने पर निर्धारित की हैं । इस आयोग ने जूट तथा अन्य फसलों के उत्पादन की समूची प्रणाली का विस्तार के साथ अध्ययन किया था । उनकी सिफारिश के आधार पर निम्नतम मूल्य 40 रुपये निर्धारित किया गया था । इस समय चालू कीमत इस निम्नतम मूल्य से काफी अधिक है और इसलिए इस स्थिति में मामले पर पुनः विचार करना जरूरी नहीं है । यदि मूल्य घटे तो इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

श्री लोलाधर कटकी : जूट के निर्मित माल के निर्यात के कारण सरकार द्वारा जूट आयात करने की नीति ठीक नहीं है । इसके अलावा जूट के सम्बन्ध में निर्धारित समर्थक मूल्य जूट उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप में उत्साहवर्धक सिद्ध नहीं हुआ है और दूसरी ओर जूट का उत्पादन कम होता जा रहा है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार है कि इस मामले के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री से लिखापढ़ी की जाये और अनाज, गन्ने तथा जूट की फसलों के लिए तुलनात्मक मूल्य निश्चित किये जायें ताकि जट की पैदावार पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस सुझाव पर समुचित विचार किया जायेगा ।

Shri Shiv Chandra Jha : Mr. Speaker, I want to know the reasons for which Government are not doing the cultivation of jute and the time by which Government propose to buy jute in Uttar Pradesh with a view to ensure remunerative price of jute to farmers.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Government have chalked out a policy for safeguarding the interests of farmers and for ensuring remunerative price of farmers. This policy is meant not only for a particular state but for the whole country. Whenever we see the tendency of the jute price going down below Rs. 40, we begin to purchase jute through different agencies :(Interruptions). At present there is no question of extending assistance to the farmers since jute is being sold at the price which is higher than the ceiling price by Rs 10 to Rs 12.

Shri Chandrika Prasad : I want to know the acreage of land under jute cultivation and the extent to which jute crop is affected by the current monsoon.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Just now I do not have the said information but it requires some notice.

श्री म० कु० सोमानी : श्रीमान, हैसियन के बने माल से निर्यात के मामले में भारत पाकिस्तान की प्रतियोगिता में विश्व बाजार में अपना महत्व खो रहा है। मुझे आशा है कि माननीय महोदय को मालूम होगा कि जनवरी से मई, 1968 तक की अवधि में अमरीका को पाकिस्तान की 1.5 करोड़ गज हैसियन अधिक बिकी है जब कि हमारे देश की हैसियन की बिक्री 2.1 करोड़ गज कम हुई है। जूट उद्योग के महत्त्व को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि जूट की कीमतों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है और महत्वपूर्ण वस्तु है, क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि थाईलैंड और अन्य देशों की तरह भारत में भी पाकिस्तान के अलावा अन्य सभी स्त्रोतों से कच्ची जूट खरीद कर एक बफर स्टाक बनाया जाये ताकि विश्व बाजार में हमारा स्थान बना रहे और हमारे पास इस उद्योग को मजबूत बनाने के लिए साधन बना रहे।

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें जूट का बफर स्टाक बनाना चाहिये और इसलिए हमने पिछले वर्ष कच्ची जूट और जूट के बने माल का भी बफर स्टाक बनाना पिछले साल आरम्भ किया था। बफर स्टाक बनाने का उद्देश्य यह है कि जब कीमतें घटती हों तो कच्चा माल खरीद कर उसका भण्डार किया जाये और कीमतें बढ़ने के समय उसे उपयोग में लाया जाये।

Shri K. N. Tiwari: The hon. Minister has stated the bottom price of jute has been fixed and the purchases are made at that price but it is not so. The hon. Minister has also stated that jute is being sold at Rs. 10-15 higher than the fixed price of Rs. 40 but this statement is also not correct. We are agriculturists and we ourselves sell the jute but we know that we are able to sell the jute at the price of Rs 25 to 28 and not more than that. In view of the policy that jute should be purchased from cultivators when the prices fall below the bottom price, I would like to know the quantity of jute purchased by Government during 1967-68 either through Cooperatives or other Government agencies. I also want to know the quantity of jute required by the country as well as the quantity of jute likely to be produced within the country during this year.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As I have already stated Government have fixed Rs 40 as the price of jute and whenever the prices went down or it was feared that they would go down below it, Government had set up a machinery.....(Interruptions)

An hon. Member : It is not correct.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As far I remember I have given the information to the House. We have a responsible Jute Commissioner who has given the report.....(Interruptions).

An hon. Member : The said officer has given wrong information.

Shri Atal Behari Vajpayee : He is not a Jute Commissioner but lies commissioner.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : At present the bottom price of Jute of Assam variety is ranging between Rs 50 and Rs 53.....(Interruptions).

Shri K. N. Tiwari : I have asked about the quantity of Jute purchased by Government either through Cooperatives or Government agency and the quantity of Jute likely to be produced during this year and that quantity of Jute which was produced last year within the country.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We estimate that this year Jute production would be a bit less than 65 lakh bales. We do not have information regarding the quantity of Jute purchased through Cooperatives and State Trading Corporation.

Shri Bibhuti Mishra : In Calcutta the bottom price of Jute of Assam variety is Rs 40 while that price is not even Rs 40 in other places.

Shri Lakhan Lal Kapoor : I hail from the area from where a large quantity of Jute is supplied to Calcutta every year. The hon. Minister has Stated that Government agency makes purchases of Jute when its price goes down below Rs 40. But I would say that this statement is completely wrong and it is as for from the truth as earth from the sky. The hon. Minister has been given a wrong report. I want to know the names of agencies through which Jute was purchased in those areas of Bihar and Assam where Jute cultivation is made and the value thereof.

I also want to know the prices at which local traders purchased Jute from its producers in that areas during 1966-67 while its price has been fixed at Rs 40. Therdly, I want to know whether you are getting any method devised by your scientists for producing synthetic products with a view to remove the shortage of Jute in India.

Shri Dinesh Singh : This bottom price of Rs 40 was fixed for Assam variety of Jute for Calcutta. I do not understand why the hon. Member is so much surprised at it (Interruptions).

Shri Samar Guha : The matter of surprise is this that Jute is being sold not at the said rate.

Shri Dinesh Singh : The hon. Member might not be here when I had said that the price in Calcutta might be Rs 40 but at other places it might be less. Hence it is not a matter of surprise. It is true that in Calcatta jute price declined from Rs 40 during the last few weeks. For some weeks it had been Rs 39.50 but we tried to fill up the gap.

The farmers can get fair price for their jute only when cooepratives are set up for selling their produce. The hon. Member can really help the farmers in case he assists in setting up such cooperatives. (Interruption) The hon. Member has asked whether Government would propose to get the synthetic products of jute manufactured. In this

connection I would request the hon. Member to consider himself whether it would be really in the interests of farmers.

Shri Madhu Limaye : The country has been suffering a loss of Rs 8 lakhs every day on account of inaction of the Ministers of Commerce and Finance. I want to know whether the attention of the hon. Minister has been drawn to the fact that the jute produced in India is smuggled to Nepal and then to other foreign countries and many goods such as teryline and stainless steel utencils are purchased with the foreign exchange so earned and these goods are brought to India through Nepal and whether such trade is in contravention of the Notifications issued by the Ministry of Commerce on 14th February, 1967 1st February, 1966 and the agreement signed between India and Nepal, In view of the fact that there is a jute shortage in India and jute is being smuggled to foreign countries and we have been suffering a loss of foreign exchange worth Rs 8 lakhs every day and the lose of customs as well, I want to know whether the hon. Minister would propose to make modifications, in the two Notifications referred to above since they are not in accordance with the agreement, It was mentioned in the agreement that only those goods which were manufactured in Nepal with the indigenous raw material could be exported to India but these people are importing goods from abroad and shifting them to India and India has been suffering a loss of Rs 8 lakhs per day in foreign exchange. I would request the hon Minister to state the factual position.

Shri Dinesh Singh : Our attention has also been drawn to the points mentioned by the hon. Member. We are taking up this matter with the Nepal Government. We have a trade agreement with Nepal and there is an open trade between Nepal and our country. But still there are certain difficulties which we will brought to the notice of the Nepal Government so that these difficulties can be removed. It would not be proper that steps are taken from our side. We are taking up this matter with the Nepal Government.

Shsi madhu Limaye : There is no provision for smuggling in the trade agreement but it is due to these notifications that goods are being smuggled.

Shri Nawal Kishore Sharma : Mr. Speaker, I want to know from the hon. Minister whether it is not a fact that our earnings from jute export to USA has been declining due to the jute policy of Pakistan and there is an increase of 15 to 20 percent in jute export to USA by Pakistan. I want to know what steps Government have proposed to take to increase our jute exports and earnings therefrom.

Shri Dinesh singh : I have mentioned many times in the House about the steps being taken to increase our export trade. As regards Pakistans' export policy, it is nat a hidden fact that it contains many tricks. It will not be proper to say that we should also adopt at once the methods of Pakistan for increasing exports, vouchers or incentives since these methods would not be conducive to our economy. The hon. Members are already aware of the results of the incentives given recently. While adopting any measure we have to see the circumstances in our country. We are making efforts to protect and promote our jute trade.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मन्त्री के इस वक्तव्य के संदर्भ से कि भारत शीघ्र ही 3,55,000 गांठ जूट का आयात करेगा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं, आयात के लिए क्या व्यवस्था बनाई है और यह जूट किस समय तथा कहां से आयात की जायेगी ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

Shri S ardanand : May I know that farmars have ceased the cultivation of jute since they are not earning any profit on account of fall in jute price as it has happened in case of sugarcane, the production of which has also declined since farmars do not get equitable price for their sugarcane produce. Secondly I want to know whether Government have chalked out any scheme for meeting the entire requirement of jute and if so what are the datails of the scheme and how many years it would take for us to become self-sufficient in jute.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We have been discussing this matter for the last 25 minutes that there is no question of fall in price of jute at present. If we face any shortage in the supply of jute, we will import it after making an assessment of the requirement.

Shri D. N. Tiwari : As the hon. Minister has just now stated that price of jute in Calcutta is Rs 40, I want to know what price has been fixed for jute in primary market in Bihar and at what price jute is purchased there from farmers.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Just now I do not have this information.

श्री समर गुह : चूंकि चावल की कीमत जूट की कीमत से कहीं तीन गुना ज्यादा है इसलिए जूट की खेती करने वाले किसानों ने चावल की खेती करना शुरू कर दिया है और हाल ही की बाढ़ों से 24 परगना क्षेत्र में जूट की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार के अनुमानों के अनुसार इस वर्ष जूट की पैदावार को कितनी हानि पहुँची है और इस हानि को देखते हुए सरकार ने यह हिसाब लगाया है कि आयात की गई जूट से यह हानि पूरी हो जायेगी और जूट की खेती के अन्तर्गत भूमि त्रिपुरा के धुबरी-गोलपारा क्षेत्र तक और कछार तक स्थायी रूप से बढ़ा दी जायेगी जहां कि जूट की अधिक पैदावार होने की आशा है।

श्री दिनेश सिंह : यदि अधिक भूमि पर जूट की खेती की जाय तो उसका हम निश्चय ही स्वागत करेंगे। हमने इस मामले पर कुछ समय तक विचार किया है। मैं आपके जरिये चाहूंगा कि सभा एक बात का ध्यान रखे। जूट की कीमत का प्रश्न अनेक बार उठाया गया है और इस बात को भी कई बार उठाया गया है कि शायद किसान को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है.....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : शायद नहीं। यह सत्य बात है।

श्री दिनेश सिंह : विचारणीय प्रश्न यह है कि न्यायोचित मूल्य क्या होना चाहिए। सदस्य महोदय अनुभव करते होंगे कि कोई भी मूल्य दिया जा सकता है पर जूट से निर्मित माल की उत्पादन लागत पर और उसकी बिक्री पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यदि हमारे देश में कच्ची जूट की कीमत अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा रहेगी, तो हम अन्तराष्ट्रीय बाजार में कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे ? जूट की कीमत निर्धारित करते समय सरकार को यह सभी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम जूट की कोई भी कीमत निर्धारित कर दें तो हम ऐसा कर सकते हैं। पर ऐसी स्थिति में जूट का बना हमारा माल कौन खरीदेगा और यह जूट मिलें कैसे चल सकेंगी ? अतः इन सभी बातों पर विचार करना पड़ेगा..... (अन्तर्बाधाएं)

श्री समर गुह : मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि जिस भूमि पर जूट की खेती की जाती है उस पर चावल की खेती शुरू हो जाने से अनुमानत: कितनी हानि हुई है और हाल ही की बाढ़ों से कितना हानि पहुँची है ?

श्री दिनेश सिंह : हमारे यहां चावल की भी कमी है और यदि चावल की अधिक पैदावार होने लगे तो उसमें क्या नुकसान है ।

Shri Deven Sen : Is it a fact that because of the fall in the production of jute, the mill owners are thretening that they would reduce the working hours and would retrench the workers also; and the jute workers have resorted to strike also as a result thereof ?

Shri Mohammad Shafi Qureshi : We would try to ensure that there is no shortage of the raw material.

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, I want your help. We have spent half an hour on this question but the information revealed by the Minister has not enlightened us. Why does not the Government itself purchase the commodities from the farmers when they do not receive reasonable price for their goods ? The hon. Minister informed that the rate is Rs. 40, or being asked time and again as to what he proposes to do in this connection, some other Minister got up and said that in Calcutta that was the rate and thereafter he said that a Cooperative society should be formed. We are asking as to what policy is being followed to help the farmers and to increase the area and to ensure that the farmers receiv reasonable price But no reply has been received thereto. I want that the hon. MInister should make a statement.

Shri Dinesh Singh : If the hon. Members listen carefully to what I am saying, their misunderstanding would be removed.

Shri Lakhan Lal Kapoor : The hon. Minister was beating about the bush so far.

Shri Dinesh Singh : I have told it time and again that the rate of jute is Rs. 40; I am surprised that the hon. Member is leaving it for the first time

Shri Yogendra Sharma : Let us please know as to what you pay to the primary producers.

Shri Dinesh Singh : The rate of the producer depends on the fact whether the price in Market is Rs, 40 or more. It fluetuate acoordingly. The present rate is more than Rs, 50 and their rate is also fixed accordingly. The rate at each Mandi and place is different because of the varying transport charges, storage charges etc. I cannot tell the rate which a farmar would receive unless you tell me the place (Intrruptions).

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति आप आरम्भ से शोर करते आए हैं । आपको मैंने अनुमति नहीं दी । अब बैठ जायें ।

Shri Yogendra Sharma : We do not want to shout. Half an hour has been spent but a satisfactory reply has not been recevied.

पाकिस्तान द्वारा जहाजों का लौटाना

*453. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पकड़े गये जहाजों और माल के लौटाये जाने के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद को हल करने के लिये गत 3 महीनों में कोई प्रयत्न किए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) ताशकंद समझौते को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सम्पत्तियों और आस्तियों के लौटाये जाने के प्रश्न पर शीघ्र चर्चा करने के लिये बार-बार बल दिया है और उनमें वह जहाज और माल भी शामिल है जो दोनों में से किसी भी सरकार ने पकड़े हों। माल के लौटाये जाने के बारे में पिछला पत्र वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त को 28-6-1968 को भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर कुछ ही दिन पहले दिया गया था।

श्री दिनेश सिंह : इस पर यहां कई बार चर्चा हो चुकी है।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या यह सच है कि इस वर्ष मई में सरकार कच्छ क्षेत्र में भारत द्वारा पकड़े गये पाकिस्तानी जहाजों को छोड़ने का निर्णय किया था और क्या यह भी सच है कि 1965 के युद्ध के दौरान भारत द्वारा पकड़े गये पाकिस्तानी जहाजों और सामान को छोड़ने के सरकार के इकतरफा निर्णय के बावजूद, पाकिस्तान ने हमारे जहाजों और सामान को छोड़ने के लिये कोई निर्णय नहीं किया है। इन परिस्थितियों में रूस अथवा किसी अन्य देश पर यह प्रभाव डालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, जिससे पाकिस्तान ताशकंद भावना का पालन करे।

श्री हिम्मतसिंहका : भारत द्वारा पाकिस्तान के कुछ पकड़े गये जहाज छोड़ दिये गये हैं, परन्तु पाकिस्तान ने हमारे जहाजों अथवा सामान को छोड़ने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। इसके विपरीत उन्होंने जो हमारा सामान पकड़ा था उसका अधिकतर भाग बेच दिया है। और जो जहाज उन्होंने पकड़े थे वह अपने प्रयोग में ला रहे हैं। इन परिस्थितियों में क्या सरकार यह पता लगाने का प्रयत्न करेगी कि क्या यह सच है और यदि हां, तो सरकार का उस राशि को प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री दिनेशसिंह : पिछले अवसर पर चर्चा के दौरान मैंने इन सब का उत्तर दिया था।

प्रश्न 454 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या मैं कुछ कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सदस्य का पत्र है। पहले मन्त्री महोदय को अपनी बात कहने दी जाये, क्योंकि केन्द्र और राज्यों के बीच कुछ बातें सांझी हैं।

मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा नियंत्रित उद्योग

*454. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 12 दिसम्बर, 1967 के एक आदेश द्वारा विभाग द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों तथा राज्य में सरकार द्वारा नियंत्रित उद्योगों के द्वारा निर्मित तथा तैयार किए गए 12 उत्पादनों को टेन्डर मंगाये बिना सरकारी खरीद के लिए रक्षित कर दिया है ।

(ख) भारत सरकार के विचार में ऐसी प्रथा से राष्ट्र कोष को हानि होती है क्योंकि खुले प्रतियोगी टेन्डर न होने के कारण सप्लायरों की अकार्यकुशलता तथा उत्पादन की ऊंची लागत को छिपाने के लिये अधिक मूल्य दिया जाता है ।

(ग) क्या सरकार को किसी दूसरे राज्य में किसी स्थान पर अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित परियोजनाओं में ऐसा भेद-भाव किये जाने का पता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भानुप्रकाश सिंह): (क) और (ख) फौडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्ज आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने हाल ही में भारत सरकार को बताया कि ऐसा आदेश मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है । मामला मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(ग) और (घ) सरकार को बताया गया है कि कतिपय राज्य सरकारों द्वारा मूल्य अधिमान की प्रक्रिया लागू की गई है जिसके द्वारा राज्य के भीतर निर्मित माल को, जो सरकारी क्षेत्र के एककों अथवा अन्यथा निर्मित हों, राज्य से बाहर निर्मित सामान के ऊपर सरकारी खरीद के लिये अधिमान दिया जायेगा, चाहे यह माल सस्ता हो । चूंकि यह नीति का बहुत बड़ा प्रश्न है । अतः इससे पहले कि कोई व्यवहार्य हल निकाला जाये यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्यों में अच्छी तरह परामर्श हो । राज्य सरकारों की सलाह के साथ मामले की जांच की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि यह राज्य का विषय है और संसद में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये । परन्तु उन्हें पहले सभा पटल पर रखे गये उत्तर को पढ़ना चाहिये ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : माननीय मन्त्री के उत्तर से मेरे प्रश्न का समाधान नहीं होता । क्या यह सच है कि केन्द्र और राज्यों में यह प्रवृति उत्तरोत्तर बढ़ रही है कि सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये और कई मामलों में बिना टेन्डर मांगे आर्डर सरकारी उपक्रमों को दिये गये हैं ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। जो भी राज्य कोई उद्योग स्थापित करता है तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये। हमारे लिये उनसे यह अनुरोध करना कठिन है कि वह अपनी आवश्यकताएं अपने उद्योगों से पूरी न करें। इसके साथ साथ कई लोगों ने आलोचनाएं की हैं और आपत्तियां भी उठाई हैं और मैंने राज्य सरकारों को बताया है कि ऐसे कार्य उद्योगों के विकेन्द्रीकरण और राष्ट्रीय एकता की नीति के विरूद्ध हैं और देश के औद्योगिक विकास के हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे विभेदकारी कार्य समाप्त किये जायें और मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। राज्यों से कुछ उत्तर प्राप्त हुए हैं परन्तु अन्य राज्यों से अभी उत्तर आने हैं और हम राज्य के मुख्य मन्त्रियों से इस विषय पर बातचीत करेंगे।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया। केन्द्र के अधीन परियोजनाओं की स्थिति क्या है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जहां तक मुझे पता है ऐसा कोई विभेद.....

श्री हेम बरूआ : यह प्रश्न यहां कैसे दिया गया ? यह प्रश्न कैसे स्वीकार किया गया। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं और लोग हमें कुछ प्रश्न पूछने के लिये कहते है, परन्तु हम उन्हें उत्तर दे रहे हैं कि यह सम्भव नहीं क्योंकि अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस वक्तव्य का वह भाग पढ़े जहां यह लिखा है कि :

> "क्योंके यह नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इससे कई राज्यों पर प्रभाव पड़ता है, अतः यह आवश्यक है कि किसी व्यावहारिक हल के निकाले जाने से पूर्व केन्द्र और राज्यों में पूर्ण तौर से परामर्श हो।'

यदि यह किसी एक राज्य के बारे में होता तो मैं उसे अस्वीकृत कर देता, चाहे यह गल्ती से छपा होता तो भी मैं इसे अस्वीकृत कर देता। परन्तु उत्तर बिलकुल स्पष्ट है। यह मामला न केवल एक राज्य से बल्कि कई राज्यों से सम्बन्धित है और यह नीति का विषय है जिसे सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है।

श्री हेम बरूआ : परन्तु आपने कई बार निर्णय दिया है कि प्रश्न काल से समय नीति के प्रश्न न पूछे जायें।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : इससे पहले कि माननीय मन्त्री कोई वचन दें मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। क्या यह सच नहीं कि बोकारो और अन्य इस्पात परियोजनाओं तथा रेलवे ने इस प्रकार आर्डर दिये हैं, जिससे टेन्डर बिल्कुल समाप्त कर दिये गये हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र को रास्ते से हटा दिया गया है और आर्डर केवल सरकारी उपक्रमों को दिये जा रहे हैं ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैंने पहले ही बता दिया है कि जहां सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकारी उपक्रम स्थापित किये गये हैं, वहां अधिमान दिया जाता है । हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और एम०ए०एम०सी० आदि ऐसे उपकरण बनाने के लिये स्थापित किये गये हैं जो वोकारों के लिये आवश्यक होंगे । अतः इन सरकारी उपक्रमों को अधिमान देने में कोई हानि नहीं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : उनको गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता । माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न का बिलकुल उत्तर नहीं दिया । क्यों न सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में प्रतियोगिता हो ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है, परन्तु जैसा कि मैंने कहा कुछ तरजीह दी जाती है, क्योंकि सरकार ने इन उपकरणों के निर्माण हेतु भारी राशि लगाई हुई है :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : वह गैर सरकारी क्षेत्र को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं । मैं उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं ।

श्री चिन्तामणी पाणीग्रही : केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है जब स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको उद्योग लगाने के लिये 3.02 करोड़ रुपये की भूमि दी गई है ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : हम यह पार्टी के आधार पर नहीं करते ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न में स्वतन्त्र पार्टी का उल्लेख क्यों किया गया ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अच्छा, तो मैं केवल एक निजी उद्योगपति कहूँगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री केवल सम्बद्ध भाग का उत्तर दें ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या हम यह समझें कि स्वतन्त्र दल के अलावा और कोई उद्योगपति है ही नहीं ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : हम यह पार्टी के आधार पर नहीं करते ।

श्री त्रिविव कुमार चौधरी : ऐसा प्रतीत होता है कि इतने समय तक खरीद के मामले में सरकारी क्षेत्र को तरजीह दिये जाने के बारे में मन्त्री महोदय शर्म महसूस कर रहे हैं । परन्तु मेरा निवेदन है कि खरीद के मामले में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को तरजीह देना सरकार की नीति है । क्या सरकार का का कोई ऐसा इरादा है अथवा कोई ऐसा निर्णय लिया गया है कि सरकार की इस नीति में परिवर्तन किया जाये कि सरकार अपनी खरीद सरकारी उद्योगों से ही करेगी ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या संविधान में अथवा अन्यथा कहीं और ऐसा उपबन्ध है कि राज्य सरकार अथवा उसके विभाग स्थानीय उत्पादकों से खरीद न करें ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्योग स्थापित किये हैं, उनको यह मना करना बहुत कठिन है कि वह इस प्रकार खरीद न करें ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या यह नीति का विषय नहीं कि जब सरकार सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करती है तो यह स्वभाविक है कि सरकार उनके उत्पादों को अन्य उत्पादों से अधिक तरजीह देगी, जब तक कि गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बेहतर सामान नहीं देते । अगर यह सही है तो मन्त्री महोदय यह कहने में क्यों हिचकिचा रहे हैं और कह रहे हैं कि वह सभी सरकारों से सलाह करेंगे ? सरकारी उपक्रम आरम्भ क्यों किये जाते हैं, उनको इसलिये आरम्भ नहीं किया जाता कि उनकी गैर सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता हो ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने पहले कहा इस प्रश्न को दो भागों में बांटा जा तकता है । जहां किसी राज्य विशेष ने अपनी आवश्यकताओं के लिये कोई एकक स्थापित किया हो, वहां हमें राज्य सरकार से यह अनुरोध करना बहुत कठिन होगा कि वह उसको तरजीह न दे । परन्तु जहां कोई एकक राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थापित नहीं किया गया परन्तु किन्हीं अन्य प्रयोजनों हेतु स्थापित किया गया है, उन मामलों में मैंने राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं और मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं । यदि आवश्यक हुआ तो मैं मुख्य मन्त्रियों से भी बात करूंगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: सरकार क्रमशः सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र से कुल कितनी खरीद कर रही है । क्या यह सच नहीं कि सरकार की अधिकतर खरीद गैर सरकारी क्षेत्र से है और सरकारी क्षेत्र से बहुत कम है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : गैर सरकारी क्षेत्र से हम काफी खरीद करते हैं परन्तु मेरे पास आंकड़े नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वह उन्हें बाद में दे सकते हैं ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जी हां ।

Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister state the names of those twelve products which the M. P. Government has decided to purchase from public undertakings ? Is it a fact that preference has been shown in purchasing those products as they had accumulated in large quantities ? Is it also a fact that complaint in this respect was received from those concerns whose products were being purchased in large numbers and now the purchase was considerably reduced?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : यह बहुत लम्बी सूची है । मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूँ ।

अगला प्रश्न 455

श्री सीता राम केसरी : 469 को भी इसके साथ ले लिया जाये; क्योंकि दोनों एक समान हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इतने समान नहीं । उसकी बारी आने पर उस पर विचार करेंगे ।

भारतीय आयातक संघ

+

455. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आयतक संघ ने राज्य व्यापार निगम की स्थिति की तुलना में अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं, और क्या इन पर इस बीच विचार किया जा चुका है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस निर्णय से आयात नीति पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :--

विवरण

(क) अखिल भारतीय आयातक संघ ने 10 जुलाई, 1968 को एस. टी. सी. की समीक्षा समिति के समक्ष एक ज्ञापन पेश किया था ।

(ख) संघ द्वारा ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

(एक) एस. टी. सी. के साथ व्यापर के अन्य क्षेत्रों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए । इसे कोई विशेष रियायतें, सुविधायें इत्यादि नहीं दी जानी चाहिए;

(दो) आयात-निर्यात व्यापार की वस्तुओं की एस. टी. सी. और गैर सरकारी व्यापारियों के लिए समता के आधार पर परिभाषा की जानी चाहिए, उनका अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए और निर्धारण किया जाना चाहिए;

(तीन) कच्चे माल और उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार गैर-सरकारी व्यापारियों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए और सरकार की ओर से किया जाने वाला आयात और भारती संयंत्रों तथा मशीनों का आयात एस. टी. सी. के जरिये किया जाय;

(चार) एस. टी. सी. द्वारा व्यापार के लिए पार्टियों का एक दूससे से परिचय कराने के लिए ली जाने वाली कमीशन नाममात्र होनी चाहिए;

(पांच) एस. टी. सी. का मुख्य कार्य व्यापार के अवसरों, मार्केट की स्थितियों, उपभोक्ताओं की पसन्द इत्यादि की उपयोगी जानकारी देकर निर्यात का संवर्धन करना होना चाहिए;

(छः) आयात तथा निर्यात व्यापार के बारे में एस. टी. सी. को सलाह देने के लिए सरकार को सलाहकार तालिकायें नियुक्त करनी चाहिए;

(सात) एस. टी. सी. को आन्तरिक वितरण का व्यापार करने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(आठ) लिंक डील और बार्टर डील प्रणाली को सामान्यतया निरुत्साहित किया जाना चाहिए ;

(नौ) सरकार और सरकारी अधिकारियों को व्यापारी समाज के प्रति द्वेष, सन्देह आदि का परित्याग करना चाहिए।

(ग) तथा (घ) ज्ञापन में जो बातें कही गई हैं वे समिति के विचाराधीन हैं, जिसने अभी सरकार को प्रतिवेदन नहीं दिया है।

Shri Prem Chand Verma : I want to know the names of the members of the Committee which is considering this memorandum.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : This is the composition of the Committee : Shri Prakash Tandon, Chairman, S. T. C. (Chairman), Shri Ravi Mathai, Director, Indian Institute of Management Bombay, Shri P. C. Alexander, Joint Secretary, Ministry of Commerce Shri K. S. Bhandari, Joint Secretary, Ministry of Finance, Shri M. L. Kala, Financial Adviser, Dr. Ashok Mitra, Chairman, Agricultural Prices Commission and Shri R. K. Balbir, Divisional Manager. S. T. C., New Delhi.

Shri Prem Chand Verma : Is it a fact that the Chairman of S. T. C., a public sector undertaking, is a retired officer of private sector and that he was a Director of a very big private concern ? Is it also a fact that since he left the private sector and joined the public sector undertaking, more and more facilities and incentives are being given to private sector in contravention of the policy of Government to expand public sector, if so, the reasons for this change in the policy ?

Shri Dinesh Singh : Though the new Chairman of S. T. C. came from private sector, he never said that there should be no expansion of public sector. He did good work in

private sector and now we hope that he will do equally well in public sector and will discharge well the responsibility fallen on his shoulders.

At present this question is being discussed at a number of places in the world as to whether only bureaucrats and Government servants should manage public sector or technicians should also be entrusted with this task. It has been brought out even in this House at a number of occasions that sufficient number of technicians have not been appointed in public sector. In view of all this we have appointed a technician. He has worked there hardly for two months. I will request hon. Members to judge persons on the basis of their performance and not by the fact that previously they were working somewhere. If allegations are made at such a stage it retards the initiative of the person concerned. Let us see the performance of a man and then judge.

श्री रा० बरुआ : क्या निर्यात के क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र और एस. टी. सी. के कार्य-चालन के बारे में मूल्यांकन किया गया है ? एस. टी. सी कुल निर्यात का कितना प्रतिशत निर्यात करती है ? क्या सरकार एस. टी. सी. के जरिये विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई सलाहकार तालिकायें गठित करना चाहती है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस समय एस. टी. सी. सौ अधिक वस्तुओं का निर्यात कर रही है । सरकार का विचार है कि समय समय पर एस. टी. सी की गतिविधियों की समीक्षा की जाय । एस. टी. सी. की निर्यात क्षमता के विकास का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ।

Shri Rabi Ray : I want to know whether only S. T. C. would be given preference and priority in so far as import and export trade is concerned ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I can express my views in this regard only after the receipt of the report of Review Committee appointed for this purpose.

Shri Chandrajeet Yadav : Devaluation was effected with a view to increase our exports, because our foreign exchange position was difficult. We can find markets for our manufactured goods in other countries, particularly in developing countries and socialist countries where we have already found markets for our goods. Have instructions been given to S. T. C. to see what goods can find markets, on a large scale, in the developing countries of Asia and Africa, if so, the steps taken in this regard during the recent past ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Efforts are made to increase our exports continuously and devaluation was just a step in that direction. To increase the possibilities of our exports in the world markets we have to keep in view quality and price-competitiveness. When S. T. C. started functioning in 1956 its transactions amounted to Rs. nine crores and now they have risen to 152 crores of rupees. This shows that S. T. C. transactions have increased. For increasing business in developing countries, S.T.C. and other Organisations are making contuinous efforts.

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

*456. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अम्बूचेजियान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में हथकरघा उत्पादनों का निर्यात करने के लिए भारत और यूरोपीय आर्थिक संगठन के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या नारियल की जटा तथा पटसन का निर्यात करने के बारे में बात-चीत पूरी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) यूरोपीय आर्थिक संगठन ने 1 जुलाई, 1968 से रेशम के हथकरघा उत्पादों, अथवा रद्दी रेशम के उत्पादों, और सूत के हथकरघा उत्पादों का दस-दस लाख डालर का निःशुल्क वार्षिक कोटा निर्धारित किया है ।

ये कोटे वर्ष 1968 के उत्तरार्ध (1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 1968 तक) के लिए प्रत्येक के 500,000 डालर निर्धारित किये गये हैं और ये 1 जनवरी, 1969 से पूर्ण रूप में लागू होंगे ।

निःशुल्क कोटे के अनुसार आयात प्रमाण-पत्र प्रक्रिया द्वारा किये जायेंगे जो यूरोपीय आर्थिक संगठन और भारत सरकार के बीच तय हुई है ।

(ग) तथा (घ) पटसन और नारियल जटा की वस्तुओं के भारत से यूरोपीय आर्थिक संगठन को अधिक निर्यात के बारे में बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है ।

श्री चेंगलराया नायडू : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने कुछ दिलचस्पी ली है । इस समय हथकरघा उद्योग देश में सब से अधिक प्रभावित है । यूरोप, अमरीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में हथकरघा उत्पादों की बहुत अच्छी मार्केट है, परन्तु वे चाहते हैं कि डिजाइन बदले जायें और हम भिन्न डिजाइन तैयार कर रहे हैं । क्या सरकार हथकरघा बोर्ड के सभापति को और हथकरघा उत्पादों के कुछ अन्य निर्माताओं को विदेशों में यह जानने के लिए भेजने का विचार रखती है कि कौन से डिजाइन आवश्यक हैं ताकि वे वापस आ कर वही डिजाइन तैयार करें ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सरकार को मालूम है कि हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बनाये रखने के लिए हमें आयात करने वाले देशों की इच्छानुसार डिजाइन तैयार करने हैं, हथकरघा उत्पादों के निर्यात की प्रवृत्ति बहुत उत्साहवर्धक है और इस वर्ष हमने 12 करोड रुपये के माल को निर्यात किया है । हमें आशा है कि 1967-68 में हम 20 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे । जहां तक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का प्रश्न है, सरकार ने हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिए विभिन्न मंडियों की जांच करने के हेतु एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने की मंजूरी दे दी है ।

श्री चेंगलराय नायडू : क्या सरकार निर्माताओं के प्रतिनिधियों को और हथकरघा बोर्ड के सभापति को अथवा कुछ अन्य अधिकारियों को भेज रही है ? अधिकारियों को भेजने से कोई

लाभ नहीं होगा । विदेशों में बिक्री बढ़ाने के लिए निर्माताओं के प्रतिनिधियों को भेजना बहुत जरूरी है । क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हथकरघा बोर्ड के उप-सभापति प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य हैं । दो निर्यातकर्ता हैं, एक निर्माता है और एक सरकारी अधिकारी है । एक संसद सदस्य भी है जो सम्भवतः प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व करेंगे ।

श्री एस० कन्डप्पन : हथकरघा उत्पादों के निर्यात के बारे में हमारी सरकार और यूरोपीय आर्थिक संगठन के बीच हुए करार का स्वागत करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय के इस पहलू का ध्यान रखने के लिए उनकी कोई स्थायी व्यवस्था है । आखिर जापान, चीन तथा अन्य देशों से स्पर्धा के कारण ही तो हमारे हथकरघा उत्पादों की मांग विदेशी मंडियों में समाप्त हुई है जिनके डिजाइन उन देशों के उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुकूल हैं और इस प्रकार हमारे निर्यात व्यापार को धक्का लगा है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसी स्थायी व्यवस्था है जिससे यह पता चल सके कि विदेशों में मांग कैसी वस्तुओं की है और हमारे हथकरघा उद्योग वही डिजाइन तैयार करें । जहां तक मुझे मालूम है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, हथकरघा तथा दस्तकारी निर्यात निगम और अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड-ये संवर्धनात्मक संगठन हैं और ये देश के अन्दर और देश से बाहर हथकरघा उत्पादों के विकास का ध्यान रखते हैं ।

श्री सोनावने : शोलापुर से जो धारीदार डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है, हाथकरघा उत्पादों, विशेषकर तौलिये और बिछाने की चादरों के निर्यात के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ये उत्पाद शोलापुर से निर्यात किये जा रहे हैं और इनका निर्यात बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Huge profits are earned by exporting handloom fabrics of silk. Big traders purchase such products from small weavers and keep them under heavy debts. Big traders earn huge profits and nothing reaches the hands of small weavers. What steps Government have taken to see that those small weavers also earn profit ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : This is matter with which States are concerned. But it is Central Governments' endeavour that some portion of earnings reach weavers as well All India Weavers Board is doing good work in this direction and sees to it that weavers' lot is improved.

Shri Sita Ram Kesri : Rs. 50 Crores have been invested on handlooms and five lakhs people are working on them. Is it a fact that the prices of fabrics coming from Nepal are lower than our fabrics, because of which we lag behind in competition and we are able to export lesser goods in comparison ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : About 30 lakhs persons are engaged in this field and not five lakhs. We are mindful about the prices prevalent in other countries and what

should be our prices, in order that we may be able to sustain our trade in export market.

श्री रंगा : हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिए क्या विशेष प्रोत्साहन और रियायतें दी जा रही हैं ताकि न केवल साझा बजार देशों में बल्कि अन्य देशों में भी इनकी बिक्री बढ़े ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हथकरघा निर्यात उद्योग को कुछ इस प्रकार की रियायतें दी जाती हैं जैसे 40 काउंट से कम सूत पर उत्पादन शुल्क न लगाना क्योंकि हथकरघों में इसी किस्म का प्रयोग होता है। मद्रास हथकरघा उद्योग में बहुत ज्यादा स्टाक जमा हो जाने के कारण सरकार ने उसे 50 लाख रुपये की राशि दी है ताकि मिलें सूत को इस्तेमाल करें और फिर उसका निर्यात किया जाय। इसके अतिरिक्त मंडी का नियमित रूप से अध्ययन किया जाता है। समय समय पर दल बाहर भेजे जाते हैं और हम विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं। इन उपायों से हम निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने कहा कि विदेशों में खरीदारों की मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन बदले जाते हैं। इसका अर्थ क्या लिया जाये ? क्या बदले हुए डिजाइन भारतीय ढांचें के अनुसार होंगे या हालीवुड के ढांचे के अनुसार ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमें खरीदारों की जरूरतों के अनुसार ही निर्यात करना है। यदि उनकी पसन्द बदलती है तो हमें अपने डिजाइन भी बदलने पड़ते हैं। हम अपने डिजाइन बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती इलापाल चौधरी : विदेशियों की पसन्द के अनुसार माल तैयार करने के लिए हमें कई बार रंगों का आयात भी करना पड़ता है। ऐसे रंगों के आयात के लिए क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रंगों और रसायनों का आयात प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। जो कोई हथकरघा उत्पाद निर्यात करता है उसे रंग और रसायन आयात करने की अनुमति दी जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESIONS

एक बिड़ला सार्थ द्वारा रूई की गांठों के गैर-कानूनी सौदे

452. श्री के० रमानी :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैक्नोलोजिकल इन्सटीच्यूट आफ टेक्सटाइल्स और बिड़ला जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी, मलौट और उनके चार कर्मचारियों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत रूई की गांठों के गैर-कानूनी सौदे करने पर आरोप-पत्र दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो आरोप-पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी गांठों के गैर कानूनी सौदे किये गये और उनकी कुल कितनी कीमत है;

(घ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या टेक्टनोलोजिकल इन्सटिट्यूट आफ टेक्सटाइल्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री बिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(घ) 3,87,000 रुपये के मूल्य की 645 गांठें ।

(ङ) जी हां ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विवरण

अभियुक्तों के नाम और अभियोग इस प्रकार हैं:—

1. टेक्नोलोजीकल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्सटाइलस, भिवानी ।

2. बिड़ला जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी, मलौट

3. श्री पुष्कर दत्त मुरवरिया, महा प्रबन्धक,
टेक्नोलोजीकल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्सटाइलस, भिवानी ।

4. श्री चम्पालाल राजगढ़िया, प्रबन्धक तथा अटार्नी
टेक्नोलोजीकल इन्स्टीटयूट आफ टेक्सटाइलस, भिवानी ।

5. श्री नारायण प्रसाद, मुख्य लेखापाल
टेक्नोलोजीकल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्सटाइल्स, भिवानी ।

6. श्री राम निवास बिड़ला, पर्यवेक्षक

मैसर्स बिड़ला मिल्स जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी, मलौट (पंजाब)

अभियोग ये थे कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने अथवा करवाने के लिए दाण्डिक षड्यन्त्र रचा, क्योंकि इन्होंने सूत नियंत्रण आदेश, 1955 के खण्ड 14 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 10 (1)/67-सी एल बी. II/79 दिनांक 20-2-1967 का उल्लंघन करते हुए फरवरी, 1967 से जुलाई, 1967 तक की अवधि में विधिमान्य परमिटों के बिना पंजाब राज्य से हरियाना राज्य में सूत की गांठें भेजीं ।

दुर्गापुर में कोक भट्ठी (ओवन) का बेकार हो जाना

*457. श्री भगवान दास :
श्री अब्राहम :
श्री ओंकार सिंह :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री गजाधर शर्मा :
श्री गणेश घोष :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने से सम्बद्ध एक कोक भट्ठी (ओवन) यूनिट हाल ही में पूरी तरह बेकार हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया गया था;

(ग) इतनी कम अवधि में इसके बेकार हो जाने के क्या कारण है;

(घ) इसके स्थान पर दूसरी भट्ठी बनाने पर कुल कितनी लागत आयेगी और इसके फलस्वरूप प्रति दिन कोक की कुल कितनी हानि हो रही है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि 'कोक ओवन' का इतनी कम अवधि में खराब होने का कारण यह है कि कुछ वर्ष पूर्व कारखाने के ब्रिटिश जनरल मैनेजर के आग्रह पर इससे अधिक काम लिया गया; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूरे मामले की जांच की है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) दस लाख मीट्री टन की अवस्था की तीन कोक भट्ठी बैटरियों में से एक बैटरी संख्या एक को बहुत क्षति पहुंची है और इसे फिर से बनाने का निश्चय किया गया है ।

(ख) कोक भट्ठी बैटरी संख्या एक दिसम्बर, 1959 में चालू की गई थी ।

(घ) बैटरी संख्या एक को फिर से बनाने के लिए टैंडरों की जांच हो रही है और ठेके को अन्तिम रूप दिये जाने पर लागत का पता चलेगा। निर्धारित क्षमता 4.35 लाख मीटरी टन की थी जबकि 1967-68 में वास्तविक उत्पादन कुल 1.79 लाख मीटरी टन कोक का हुआ अर्थात निर्धारित क्षमता का 41 प्रतिशत।

(ग), (ङ) तथा (च) : दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विशेष रुप से कोक भट्टियों और व्हील एण्ड एक्सल संयंत्र के कार्य निष्पादन कमियों की एक विशेषज्ञ समीक्षा करने के लिए सितम्बर, 1966 में एक सदस्यीय पाण्डे समिति नियुक्त की गई थी। समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां 19 जुलाई, 1967 को सभा-पटल पर रखी गई थी। प्रतिवेदन (अध्याय छः) में कोक भट्ठी संयंत्र में हुई क्षति के कारणों का ब्योरा दिया गया है, और सुधार के लिए कार्यवाही करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और सुधार के लिए कार्यवाही की जा रही है।

निषिद्ध वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंस के बारे में विशेष पुलिस संस्थान की जांच

*458. **श्री उमानाथ :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वाणिज्य मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8227 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निषिद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिये लाइसेंस देने के बारे से विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच पूरी करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है; और

(ग) उन व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम क्या हैं जिन के विरुद्ध जांच हो रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : विशेष पुलिस संस्थान द्वारा अभी जांच की जा रही है और चूंकि जांच देश के विभिन्न स्थानों पर की जानी हैं और दस्तावेज प्राप्त किये जाने हैं, और गवाहों की खोज की जानी है। अतः जांच पूरी होने में ज्यादा समय लगेगा।

(ग) एफ० आई० आर० में वर्णित व्यक्तियों तथा फार्मों के नाम, जिनके विरुद्ध विशेष पुलिस संस्थान ने मामले दर्ज किये हैं, बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता हैं।

विवरण

1. मैसर्स जयदेव प्रोडक्ट्स (इन्डिया), जयपुर
2. मैसर्स डागा इन्डस्ट्रीज, जयपुर
3. मैसर्स बेन्सन्स इन्डस्ट्रीज, गवालियर
4. मसर्स स्टीलविन मेटल वर्क्स, जयपुर

5. मैसर्स के० सी० मेटल इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली

6. मैसर्स कामदार रेयन्स, अहमदाबाद

7. मैसर्स न्यु इन्डिया प्लास्टिक एण्ड लेदर क्लाथ मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी, लखनऊ

8. मैसर्स इन्डिया मेटल वर्क्स, चण्डीगढ़

9. मैसर्स युनिवर्सल इन्डस्ट्रियल वर्क्स, गाजियाबाद

10. मैसर्स नेशनल इन्डस्ट्रियल वर्क्स, बम्बई

11. श्री ओ० पी० नन्दा, सैक्शन आफिसर, आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली ।

12. श्री एन० एल० शर्मा, अपर डिवीजन क्लर्क, आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक का कार्यालय नई दिल्ली ।

महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर

*459. **श्री शारदानन्द :**
श्री कवंर लाल गुप्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर को राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा बोर्ड की उचित मंजूरी के बिना ऋण दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी थी और बोर्ड से उचित मंजूरी न लेने के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऋण अभी तक वापिस नहीं किया गया है और उनसे दांडिक ब्याज भी नहीं लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने निदेशकों के बोर्ड की मंजूरी से मिल के लिए जुलाई, 1961 और जून, 1964 में क्रमश: 8 लाख रुपये और 9.5 लाख रुपये, के दो ऋण मंजूर किये थे मिल ने पहले ऋण में से 7.25 लाख रुपये और दूसरे ऋण में से 7.98 लाख रुपये लिये ।

(ग) पहले ऋण में से 1.92 लाख रुपये वापस दे दिये गये हैं । शेष के लिए चूक की दृष्टि से मिल छूट के लिए हकदार होगी ।

(घ) कम्पनी की आस्तियों में से पहले पैसा निगम को मिलेगा और इसके अलावा ऋणों की गारण्टी कम्पनी के निदेशक द्वारा दी गई हैं । जांच करने का विचार नहीं है ।

ऊन की रद्दी का आवंटन

*460. **श्री बल राज मधोक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऊन की रद्दी का कच्चा माल सीधे बुनकरों को देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लुधियाना की ऊन की रद्दी की बुनाई करने वाले कई कारखानों को ऊन की रद्दी का कोई कोटा नियत नहीं किया गया है;

(ग) क्या कताई कारखाने यह मांग करते हैं कि रद्दी के लिये आयात कोटा कताई मिलों के द्वारा दिये जाने की बजाय सीधे उन्हें दिया जाना चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार ने फैसला किया है कि ऊनी सेक्टर की तरह रद्दी सेक्टर के लिए कच्चे माल के आयात के लिए नियत राशि का 20 प्रतिशत, बुनाई वाले धागे के प्रयोग में लाने के लिए रद्दी की बुनाई करने वालों को सीधे आवंटित किया जाना चाहिए, जिसे वह अपनी इच्छानुसार बेच सकेंगे । शेष 80 प्रतिशत कताई क्षेत्र के लिए नियत है जो राज्य व्यापार निगम द्वारा बुनाई मिलों के उनकी स्पिडल क्षमता के अनुपात से इस शर्त पर दिया जायगा कि उनके द्वारा बुना गया धागा राज्य व्यापार निगम द्वारा तय शुदा शर्तों पर बेचा जायेगा । ये शर्तें निगम बुनाई मिलों और कताई एककों की सलाह के साथ तय करेगा । राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्धारित मूल्यों पर धागा के आवंटन का तरीका निश्चित करते समय सम्बद्ध राज्य के उद्योग निदेशक से भी सलाह ली जायगी । कच्चे माल के आयात के बारे में सलाह लेने के लिए निगम की एक समिति होगी । उस समिति में बुनकर तथा कताई करने वाले होंगे ।

लुधियाना के रद्दी कताई के किसी कारखाने को अभी आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि उनके उपयोग सम्बन्धी आंकड़े अभी सुनिश्चित किये जाने हैं ।

पाकिस्तानी पटसन खरीदना

***461 श्री यशपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य देशों जैसे थाईलैंड और सिंगापुर के माध्यम से पाकिस्तानी पटसन खरीदने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : इस मौसम में पटसन की प्रत्याशित कमी की दृष्टि से पटसन तथा पटसन की वस्तुओं के बफर स्टाक संघ के जरिये अच्छी किस्म के लम्बे रेशे वाले पटसन की 75,000 गांठें आयात करने की अनुमति दी गई है । अतिरिक्त पटसन तथा मेस्ता आयात करने की अनुमति के लिए अभ्यावेदन किये गये हैं ।

सरकार उन पर विचार कर रही है। पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर से प्रतिबन्ध नहीं हटाया है। अतः पाकिस्तान से सीधे आयात नहीं किया जा सकता।

रेलवे में गेंग-मेनों की भर्ती

***462. श्री प० गोपालन :**
श्री नम्बियार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963 तक रेलों में गेंगमैनों के रिक्त पद नैमितिक श्रमिकों में से केवल वरिष्ठता के आधार पर ही भरे जाते थे,

(ख) क्या यह भी सच है कि 1963 के पश्चात नियुक्ती का यह तरीका छोड़ दिया गया था,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और

(घ) भर्ती का वर्तमान नया तरीका क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

माल डिब्बों के लिये बकाया किराया भाड़ा

***463. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर डिविजन में, गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की साइडिंग में डिब्बे पड़े रहने के कारण किराये भाड़े के रूप में लाखों रुपये की धन राशि बकाया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से मुख्य उपक्रम हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितनी धन राशि बकाया है: और

(ग) उस धन राशि को शीघ्र वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) भिलाई इस्पात परियोजना, ओरिएंट पेपर मिल्स और ब्रजराजनगर एण्ड जामुल सीमेंट वर्क्स, भिलाई ये तीन मुख्य पार्टियां ऋन्तंग्रस्त हैं। पहली पार्टी से 1,53 978 रुपये और दूसरी पार्टी से 2,87,167 रुपये और तीसरी से 81,600 रुपये लेने हैं।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि इन शेष राशियों को वसूल करने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारियों ने निगरानी नहीं रखी और प्रभावी कार्यवाही नहीं की अब इस बारे में कार्यवाही की जायेगी और बकाया राशियां शीघ्र वसूल करने के लिए समुचित कार्यवाही की जायेगी।

कच्चे पटसन का आयात

*464. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिलों के मालिक विदेशों से कच्चे पटसन का आयात करने की अनुमति दिये जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मांग का कारण किसानों को अलाभकार मूल्य दिये जाने के परिणाम-स्वरूप किसानों द्वारा पटसन की कम खेती किया जाना है, और

(घ) क्या पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य देने की अपेक्षा कच्चे पटसन का आयात हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये लाभदायक है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्षा की कमी और बाद में बाढ़ों के कारण 1968-69 में कच्चे पटसन की प्रत्याशित कमी की दृष्टि से भारतीय पटसन मिल संघ ने अनुरोध किया है कि वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए इसके आयात की अनुमति दी जाय । यह प्रश्न विचाराधीन है । 1968-69 के मौसम में कमी के दो कारण हैं : पटसन की खेती कम क्षेत्र में होना और मौसम का खराब होना । सरकार की नीति पटसन के मूल्य निश्चित करने की है ताकि पटसन पैदा करने वालों को लाभकर मूल्य मिल सकें । यदि पटसन की कमी अधिक हो जाती है ताकि आयात करना ही होगा ताकि उत्पादन हो सके और पटसन की वस्तुओं का निर्यात हो सके जिनसे पर्याप्त विदेशी मुद्रा मिलती है ।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन को हानि

*465. **श्री क० अनिरुद्धन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समावाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने को उपकरण सप्लाई करने में हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को भारी हानि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि होने की संभावना है;

(ग) हानि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) हानि न हो, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित मशीनों और उपकरणों की बोकारो इस्पात संयंत्र को सप्लाई करने के लिए मूल्यों के बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है । अतः इस विषय में निगम द्वारा घाटा उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) से (घ) : प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

Import of tyres by State Trading Corporation from East European Countries

*466. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation did not invest even a single penny on the import of tyres from the East European countries and yet the Corporation earned substantial profits;

(b) the details of such other commodities as are imported by the State Trading Corporation without investing anything in this behalf;

(c) the total amount of profit earned by importing them during the last five years (ending in March, 1967); and

(d) the percentage increase in the prices of goods due to this additional profit ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (b) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

S.T.C. may import directly or through its associates/agents. When imports are made through associates/agents, S.T.C. does not invest its own money. Import of tyres from East European Countries was on this basis. Price of goods are fixed normally on the basis of landed costs, S.T.C. service charges and a reasonable margin for the agents/distributors. However, where internal prices are high and import costs low, S. T. C. may keep a higher margin of profits to maintain a parity with internal prices. In the case of tyres a higher price was fixed in order to maintain parity with the prices of indigenous tyres, and this margin became a part of the revenues of the Corporation.

A very large number of commodities of different types have been imported by the Corporation through its associates/agents in the past. It will not be in the business interests of S. T. C. to disclose their details, including the prices agreed to and the profits earned or loss suffered by the S. T. C. in individual transactions.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना, बंगलौर में तालाबन्दी

*467. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने के श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने पर कारखाने ने जुलाई के तृतीय सप्ताह में तालाबन्दी घोषित कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे; और

(ग) क्या विवाद इस बीच में निपटा दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

बंगलौर स्थित मशीन टूल्स फेक्टरी के बोरिंग सेक्शन के कर्मचारियों ने 12-7-1968 को 'हथियार रख दो' हड़ताल करे दी । बाद में कुछ अन्य विभागों में हड़ताल हुई और 17-7-1968 तक कुल 5100 कर्मचारियों में से 1700 से अधिक कर्मचारियों ने 'हथियार रख दो' हड़ताल कर दी । इस कारण कारखाने के काम पर बहुत बुरा असर पड़ा । राज्य के श्रम आयुक्त ने तुरन्त समझौते की कार्यवाही की परन्तु, उसका कुछ परिणाम नहीं निकला । स्थिति में सुधार नहीं हुआ और श्रमिकों के अनुशासन की हद यह हुई कि उन्होंने पर्यवेक्षण कर्मचारियों और वफादार श्रमिकों को दबाना धमकाना शुरू किया । जीवन तथा सम्पत्ति के लिए खतरा होने की आशंका हुई । बिगड़ती हुई स्थिति को देख कर बंगलौर स्थित मशीन टूल फैक्टरी में प्रबन्धकों ने 17 जुलाई, 1968 को 23.30 बजे तालाबन्दी घोषित की ।

श्रमिकों की मांगें ये थी कि (एक) बोरिंग सैक्शन में श्रमिकों को जो चेतावनी-पत्र जारी किये गये थे वे वापस लिये जायं; और (दो) श्रमिकों को रविवार (छुट्टियों में) रख-रखाव सम्बन्धी कार्य के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए ।

22 जुलाई 1968 को राज्य सरकार ने समझौते की कार्यवाही फिर शुरू की । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कार्मिक संघ तथा प्रबन्धकों के बीच खाद्य, सिविल सप्लाईज तथा श्रम विभाग, मैसूर सरकार, के सचिव और श्रम आयुक्त की उपस्थित में 23 जुलाई, 1968 को समझौता हुआ और 'हथियार रख दो' हड़ताल समाप्त कर दी गई । समझौते के अनुसार 27 जुलाई, 1968 से तालाबन्दी समाप्त कर दी गई ।

समझौते के अनुसार कर्मचारी प्रतिदिन की अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नही करेंगे । परन्तु जब कभी वे समझें कि दी गई चेतावनी या अनुशासन की कार्यवाही अनुचित है तब औद्योगिक विवाद उठाने का अधिकार उन्होंने सुरक्षित रखा है । यह भी तय हुआ है कि शिकायतों की प्रक्रिया प्रभावी हो । यह मान लिया गया है कि उन सेक्शनों में जहां सप्ताहिक, छुट्टियों में काम बन्द नहीं किया जा सकता वहां कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अनुसार बदले की छुट्टी देकर काम पर बुलाया जा सकता है । यह भी तय हुआ है कि छुट्टियों में काम करने वाले श्रमिकों को पहले की तरह तदर्थ भत्ता मिलता रहेगा और कि प्रबन्धक उस भत्ते में शीघ्र वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ।

सलाहकार संगठन

*468. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9863 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय-कार्य विभाग के अनुसंधान और सांख्यिकी प्रभाग ने सलाहकार संगठन और भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बीच सम्बन्धों का अध्ययन इस बीच पूर्ण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बर्मा तथा अन्य देशों को धागे का निर्यात

*469. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा ने धागा खरीदने के लिये कोई क्रयादेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या बर्मा तथा अन्य पड़ौसी देशों में भारतीय धागे की खपत की संभावनाओं का पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बर्मा ने भारत को 265 लाख रुपये के मूल्य की सूती धागे की 27,616 गांठों का आर्डर दिया है।

(ग) जी हां।

Machine Tool Factories

*470. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of machine tool factories is going down day by day whereas their capacity is increasing progressivey;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to improve the situation ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The overall production of machine tools had a slight set back in 1967 due to the slackening of demand for the machine tools. The production which was at the level of Rs. 28.4 crores during 1966 declined to Rs. 25.91 crores in 1967. The installed capacity in 1966 was Rs. 32.36 crores which increased to Rs. 38.07 crores in 1967. The increase in installed capacity in 1967 was mainly due to the installation of capital equipment and facilities ordered for earlier.

The current trend indicates a slightly improved position in respect of fresh orders for machine tools.

Concerted efforts are being made by the industry, with the encouragement and assistance of Government, to diversify the product range so that the types of machine tool which were hitherto being imported could be manufactured with the country.

Government have undertaken a Census of Machine Tools installed in the country. The data regarding categori of machine tools in age group and industry group collected through this Sensus will be a reliable basis for projecting the demand and will help the industry and Government chalk out future manufacturing programmes taking into account the actual requirements.

इंजीनियरी उद्योग

*471. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इंजीनियरी उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) उसमें से कितने प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी है;

(ग) क्या देश में इंजीनियरी उद्योग की 70 प्रतिशत क्षमता बेकार रहने के बावजूद इंजीनियरी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो 1967-68 में तथा 1968-69 के पहले तीन मास में आयात की गई इंजीनियरी वस्तुओं का मूल्य कितना था; और

(ङ) क्या उक्त वस्तुएं भारत में नहीं बनाई जा सकती थीं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

लोहे तथा टीन की चादरों का निर्माण

*472. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगपतियों, विशेषकर साइकिल पुर्जों के व्यापारियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये देश में लोहे तथा टीन की विभिन्न प्रकार की चादरें उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन चादरों की वार्षिक मांग क्या है और इसे कहां तक पूरा किया जाता है; और

(ग) क्या इन चादरों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और समा-पटल पर रखी जायेगी।

मैसर्स डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड

*473. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1968 को 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित मैसर्स डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड और उप-प्रधान मंत्री के पुत्र के बीच हुए करार की फोटो प्रतियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या फोटो प्रति उन दोनों के बीच हुए करार का सही प्रतिरूप है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उस पत्रिका के उसी अंक में प्रकाशित लोक सभा में उप-प्रधान मंत्री के भाषण के अंशों तथा पत्रिका द्वारा पूछे गये 15 प्रश्नों की ओर दिलाया गया है; और

(घ) उनमें से प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार का क्या उत्तर है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान उप-प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है जो उन्होंने विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में 24 जुलाई, 1968 को दिया था कि "दस्तावेजों के प्रश्न के बारे में उनको स्वीकार न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह वैधिक और स्टाम्प कागज पर पंजीकृत है। वह किसी भी प्रकार गोपनीय समझौते नहीं हैं।"

(ग) जी हां।

(घ) सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण अफ्रिका, रोडेशिया तथा पुर्तगाल के साथ भारत का व्यापार सम्बन्ध

*474. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया तथा पुर्तगाल के साथ अब भी भारत के व्यापार सम्बन्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय इन देशों के साथ होने वाले व्यापार के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उन देशों के साथ व्यापार तथा वाणिज्यिक सम्बन्ध कब तोड़े गये थे और किन कारणों से तोड़े गये थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महा सभा द्वारा अपने 20 वें सत्र (जनवरी, 1966 में हुआ) में पास किये संकल्प के, जिसके द्वारा सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध किया गया था कि वह पुर्तगाल के साथ व्यापार न करें, अनुसरण में पुर्तगाल के साथ व्यापार निषिद्ध है ।

दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया के साथ व्यापार क्रमश: 1946 और 1965 से निषिद्ध है ।

स्टेनलैस स्टील की चादरों की मांग

***475. श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेनलैस स्टील की चादरों की मांग दुर्गापुर इस्पात कारखाने की क्षमता से बहुत अधिक है;

(ख) क्या सरकार ने इन चादरों के लिये आयात परमिट जारी करने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र पेश करने की शर्त लगा दी है;

(ग) क्या ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सारे देश में उद्योगपतियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और यह भ्रष्टाचार का एक स्रोत बन गया है;

(घ) क्या सरकार चादरों की उपलब्धता का पता लगाने की जिम्मेदारी अनेक उद्योगपतियों की बजाये जो समूचे देश में फैले हुए हैं, लोहा तथा इस्पात नियन्त्रण को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) क्या उपरोक्त भाग (घ) में निर्दिष्ट सुझावों के बारे में सरकार को कुछ उद्योगपतियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) 1968–69 की आयात सम्बन्धी नीति में, चादरों की चार किस्में जो दुर्गापुर के अलाय स्टील प्लांट द्वारा बनाई जाती हैं, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अलाय स्टील डिवीजन से उपलब्धता न होने का प्रमाणपत्र नियमित किये गये हैं ।

(ग) जी नहीं । प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई है और तंग करने की कोई गुंजाइश नहीं ।

(घ) जी नहीं । जैसा कि स्टेनलैस स्टील के मामले में, एक ही उत्पादक है ।

(ङ) जी हां ।

रेलों को कोयले की सप्लाई करने के लिये टेन्डरों का मांगना

*476. **श्री चक्रपाणि :**
श्री बि० कु० मोडक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारी रेलवे को कोयले की सप्लाई करने के लिए टैंडर मांगने का विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम रेलवे की पूरी आवश्यकता के लिये उसे कोयला सप्लाई करने की स्थिति में है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे अधिकारियों ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कोयले की सीधे सप्लाई करने को कहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे ने हाल ही में रेलवे को जुलाई, 1968 से जून, 1969 तक कोयले की सप्लाई के लिये टेन्डर मांगे थे।

(ख) स्टोर की खरीद के लिये, जिसमें कोयला भी शामिल है, टेन्डर मांगना सामान्य प्रक्रिया है।

(ग) जी नहीं। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम रेलवे की मांग का थोड़ा सा अंश ही पूरा कर सकता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा दिये जाने वाले कोयले का अधिकतम भाग रेलवे द्वारा लिया जाता है।

गौहाटी तक बड़ी लाईन (ब्राडगेज) बिछाना

*477. **श्री बेदव्रत बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोहाटी तक बड़ी लाइन बिछाने के प्रश्न पर निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या आसाम में परिवहन की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए और आगे तक बड़ी लाईन बिछाने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ग) क्या आसाम सरकार से इस प्रकार की कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अभी नहीं। प्रश्न का अभी अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी हां।

गोआ रेलवे का हस्तान्तरण

*478. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9930 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय ने भारत सरकार को गोआ रेलवे के हस्तान्तरण के बारे में रेलवे बोर्ड और महमागोआ पत्तन-न्यास के बीच विद्यमान विवाद पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

दुर्गापुर उद्योग समूह

*479 **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन दुर्गापुर उद्योग समूह के प्रत्येक उद्योग में अब तक कितनी पूंजी (रुपयों में) लगाई गई है;

(ख) वर्ष 1960-61 से 1967-68 तक वर्षवार, दुर्गापुर उद्योग समूह के प्रत्येक उद्योग जो कुल कितना लाभ या हानि हुई; और

(ग) इन उद्योगों को लाभप्रद आधार पर चलाने के लिये यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

Setting up of Steel Plants

*480. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian engineers have become capable of setting up and running a steel plant successfully and efficiently; and

(b) if so, the reason why Government are taken assistance of the British, German and Russian Engineers in the expansion work of Durgapur and Rourkela Steel Plants and in setting up of Bokaro Steel Plant and thereby discouraging Indian engineers ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) For the current expansion of Rourkela and Durgapur Steel Plants under Hindustan Steel Limited, the detailed project reports were prepared by the Central Engineering and Design Bureau of HSL which also handled design and engineering. The assistance of foreign specialists in this work as also on the production side has been invo-

ked to the minimum extent necessary, as in certain new and highly sophisticated units like Skelp Mill at Durgapur and Five-Stand Tandem Mill, Electrolytic Tinning Line, Galvanising Line and Electrical Sheets Mill at Rourkela where we had no previous experience.

The detailed project report for Bokaro Steel Plant has been prepared by M/s Tiajzhpromexport of USSR. They are also responsible for design & engineering (except to the extent the work has been given to an Indian firm) and supply of plant & equipment other than that to be produced indigenously. As suppliers of equipment and as consultant and to guarantee integrated performance of the Steel Plant, it would be necessary for them to depute a limited number of foreign specialists.

भारतीय पक्षियों का निर्यात

3762. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रूपों और आकारों के उष्ण कटिबंधीय पक्षी अमरीका तथा यूरोप के बाजारों में धड़ाधड़ बिक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष तथा इस वर्ष कितनी प्रकार के भारतीय पक्षियों का निर्यात विदेशों को किया गया और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) सबसे कीमती पक्षी कौनसा है तथा यूरोप में उसका कितना मूल्य मिलता है; और

(घ) दिल्ली में और इसके आस-पास कितने प्राकृतिक पक्षी-घर खोले जा रहे हैं तथा कितने पक्षी-अस्पताल खोले गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) पश्चिम यूरोप एक महत्वपूर्ण बाजार है, जिसको वर्ष 1967–68 में भारतीय पक्षियों के 34.62 लाख रुपये के कुल निर्यात में से 26.00 लाख रु० के पक्षी भेजे गये, जबकि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग केवल 2.12 लाख रुपये हैं ।

(ख) तथा (ग) निर्यात आंकड़े किस्म वार नहीं रखे जाते क्योंकि संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में 'पक्षी' एक ही मद के रूप में वर्गीकृत हैं । अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि कौनसा पक्षी महंगा है और यूरोप में उसका कितना मूल्य मिलता है । फिर भी, वर्ष 1967–68 और 1968–69 (अप्रैल, 1968 तक ही) में क्रमशः 34.62 लाख रुपये के 1796 पक्षी और 4.45 लाख रुपये के 284 पक्षी निर्यात किये गये । अप्रैल, 1968 के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) दिल्ली के चिड़िया घर में प्राकृतिक पक्षी पर और पक्षियों के उपचार के लिये एक अस्पताल है । दिल्ली में और इसके आसपास दिल्ली प्रशासन तथा गैर-सरकारी समितियों एवं संगठनों द्वारा पक्षियों के उपचार के लिये चलाये जा रहे पक्षी-घरों तथा अस्पतालों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

बिड़ला उद्योग समूह की औद्योगिक परियोजना

3763. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला उद्योग समूह द्वारा अभ्यावेदित दिसम्बर, 1967 तथा जनवरी, 1968 के महीनों में कोई औद्योगिक परियोजना मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेज रेलगाड़ियां चलाना

3764. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड का विचार द्रुत गति वाली रेलगाड़ियों की गति को 160 किलोमीटर प्रति घन्टा तक बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय करते समय रेलवे बोर्ड ने "माननीय भूलों के कारण" होने वाली बड़ी संख्या में रेल दुर्घटनाओं को ध्यान में रखा है, और क्या तकनीकी दृष्टि से दोष रहित संचालन प्रणाली के बिना रेलगाड़ी की गति बढ़ाने से रेल यात्रा अधिक खतरनाक नहीं हो जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं, लेकिन गाड़ियों की अधिकतम अनुमत रफ्तार बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(ख) गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा ।

खाद्यान्नों के लाने ले जाने के लिये विशेष रेलगाड़ियों का चलाया जाना

3765. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्नों के लाने ले जाने के लिए फरवरी से जून, 1968 की अवधि में भारतीय रेलों द्वारा कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं; और

(ख) उक्त अवधि में भारतीय रेलों द्वारा कितना खाद्यान्न लाया तथा ले जाया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1413 स्पेशल गाड़ियां चलायी गयीं : 844 बड़ी लाइन पर और 569 मीटर लाइन पर ।

(ख) अनाज के 3,28,562 माल डिब्बे लादे गये । 2,21,093 बड़ी लाइन पर और 1,07,469 मीटर लाइन पर ।

तुंगभद्रा इस्पात-परियोजना का उत्पादन

3766. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुंगभद्रा इस्पात परियोजना का वर्ष 1966-67 का उत्पादन इससे पहले वर्ष की अपेक्षा कम था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या इस संस्था ने अब तक कोई लाभ कमाया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संस्था को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण भारी ढांचा निर्माण उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा आर्डरों का अभाव हैं ।

(ग) स्थिति में सुधार के लिए कई पग उठाए गए हैं जिनमें उद्धृत मूल्यों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए ऊपरी खर्चों में कमी, कार्य को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाने के लिए नई वस्तुओं के निर्माण को हाथ में लेना तथा समुचित प्रचार के लिए व्यवस्था करना सम्मिलित हैं ।

(घ) जी, हां; और

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तम्बाकू का निर्यात

3767. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में देशवार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया गया;

(ख) इसी अवधि में तम्बाकू के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) इस वर्ष में लगाये गये निर्यात शुल्क की दर क्या थी तथा इसी वर्ष कुल कितना निर्यात शुल्क इकट्ठा किया गया;

(घ) क्या तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई विशेष प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1716/68]**

(ग) अनिर्मित तम्बाकू पर निर्यात शुल्क की दर 75 पैसे प्रति किलोग्राम अथवा मूल्यानुसार 20 प्रतिशत है, जो भी कम हो । वर्ष 1967 में अनिर्मित तम्बाकू पर कुल 366 लाख रुपये निर्यात शुल्क मिला ।

(घ) तथा (ङ) अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये तम्बाकू के निर्यातों के जहाज पर मूल्य के 3 प्रतिशत की दर से आयात प्रतिपूर्ति दी जाती है जिसका उपयोग सुखाने की मशीनों, प्रयोगशाला उपकरण, नाशि कीट-नियंत्रण उपकरण और पत्ती तथा पत्ती के पैकिटों के सम्भालने के उपकरणों के आयात के लिये किया जायेगा। इसके अलावा तम्बाकू के निर्यातकों को वास्तविक आवश्यकता के बराबर जेराड तार तथा इस्पात हाग्सहैड आयात करने की अनुमति है।

कपड़े का निर्यात

3768. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में विभिन्न देशों को (देशवार) प्रति वर्ष कितना, कितने मूल्य का (रुपयों में) तथा किन-किन किस्मों का कपड़ा निर्यात किया गया;

(ख) इस अवधि में निर्यात शुल्क किस दर से लगाया गया तथा प्रति वर्ष कितना शुल्क वसूल किया गया; और

(ग) क्या निर्यात के लिए कोई राज-सहायता दी जाती है; और यदि हां, तो किस आधार पर ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1717/68**]

(ख) कपड़े पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है।

(ग) जी, हां। सूती कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा आन्तरिक मूल्यों में अन्तर इसका आधार है।

मध्य पूर्व के देशों को चप्पलों का निर्यात

3769. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष बहेरीन, सऊदी अरब, मिस्र तथा अन्य मध्य-पूर्व देशों को भारत में चमड़े से बनी हुई कितने जोड़े चप्पलों का देशवार निर्यात किया गया और उनका मूल्य कितना-कितना था;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष चीन ने सऊदी अरब को 20 लाख जोड़ों से अधिक चप्पलें बेची थीं, किन्तु हम 2,00,000 चप्पलों के जोड़े भी नहीं बेच पाये, क्योंकि हमारा औसत मूल्य 10 रुपये प्रति जोड़ा अधिक था जबकि किस्म और रंगरूप बहुत घटिया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार मध्य-पूर्व के देशों के बाजारों से चीन को, जिसकी आज इस बाजार में धाक जम गई है, हटाने और इस परम्परागत वस्तु के निर्यात कर पर जो उसे किसी समय एकाधिकार प्राप्त था, पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चप्पलों के निर्यात के आंकड़े, वाणिज्यिक संसूचना तथा सांख्यिकी के महानिदेशक द्वारा प्रकाशित 'मंथली स्टेटि-

स्टिक्स आफ दी फारेन ट्रेड आफ इंडिया' में अलग से नहीं दिये जाते। तथापि एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1718/68] जिसमें गत तीन वर्षों में मध्य-पूर्व के देशों को निर्यात किये गये जूतों का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) तथा (ग) यह बात सऊदी अरब के एक तीन सदस्यीय क्रेता दल द्वारा, जो अप्रेल-मई, 1968 में भारत आया था, तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् के ध्यान में लायी गयी थी। इस विषय पर तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्यात संवर्धन की सलाह से विचार किया जा रहा है।

पटसन के निर्यात के मामले में पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा

3770. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन के निर्यात के मामले में पाकिस्तान हमारा मुख्य प्रतिस्पर्धी है और उसने निर्यात होने वाले माल के मूल्य के 30 प्रतिशत तक बोनस वाउचर देकर पटसन के निर्यातकों को जो प्रोत्साहन दिया है उससे हमारे पटसन व्यापार पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इसके विपरीत हमने अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजना को वापिस ले लिया है और उससे नेपाल को चोरी छिपे पटसन ले जाने को प्रोत्साहन मिला है, जिसका परिणाम यह निकला है कि हमारे पटसन के समुचित निर्यात में भी कमी आई है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष हमने किस-किस देश को और कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने-कितने मूल्य के पटसन का निर्यात किया;

(घ) क्या पटसन के निर्यात को बढ़ाने, पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा करने और पटसन के तस्कर व्यापार को रोकने की दृष्टि से सरकार का विचार अपनी निर्यात नीति में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क), (ख), (घ) तथा (ङ) भारत बहुत सीमित मात्रा में कच्चे पटसन का निर्यात करता है और पाकिस्तान से कोई होड़ नहीं है। जहां तक सरकार को जानकारी है कच्चे पटसन के निर्यातों पर पाकिस्तान सरकार बोनस वाउचर नहीं देती है। पटसन के लिये कोई निर्यात प्रोत्साहन योजना नहीं थी। नेपाल को किये जाने वाले निर्यातों पर लाइसेन्स पद्धति लागू करने तथा सीमा शुल्क के विषय में रोक-थाम करने के फलस्वरूप तस्करी में उल्लेखनीय कमी हो गयी है। पटसन के निर्यात की नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1719/68]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा उत्पादित कच्ची फिल्में

3771. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उटकमंड स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा उत्पादित कच्ची फिल्मों की किस्म, मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने मूल्य की ऐसी फिल्में बेची गई हैं;

(ख) इस उत्पादन में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल का ब्यौरा, मूल्य और प्रतिशतता क्या है;

(ग) 30 जून, 1968 को बिना बिके जमा माल की मात्रा क्या थी और उसका मूल्य क्या था और माल के न बिकने के क्या कारण हैं;

(घ) उसे अभी तक कितना लाभ या हानि हुई;

(ङ) निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन अनुमानतः किस-किस तारीख से प्रारम्भ हो जायेगा :

(1) सभी प्रकार की निगेटिन सिनेमा फिल्में (2) अमेच्योर राल फिल्में (3) एक्सरे फिल्म, तथा (4) सेंसीटाइज्ड पेपर; और

(च) विदेशी सहयोग-कर्ताओं के नाम क्या हैं और सहयोग-समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जालसाजों के एक गिरोह द्वारा रेलवे को धोखा

3772. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री 2 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6032 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालसाजों के एक गिरोह द्वारा भारतीय रेलवे को 50 लाख रुपये से अधिक का तथाकथित धोखा देने के सम्बन्ध में जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है । लेकिन मामला 50,000 रुपये का था न कि 50 लाख रुपये का ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

क्षेत्रीय रेलों पर हिन्दी निदेशों की क्रियान्विति सम्बन्धी कार्य का अधीक्षण

3773. **डा० गोविन्द दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय रेलों को इस आशय के अनुदेश दे दिये गये हैं कि मुख्यालयों में हिन्दी के बारे में सरकारी आदेशों की क्रियान्विति के कार्य का सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से नीचे के पद का प्राधिकारी अधीक्षण नहीं करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे मुख्यालय में यह कार्य द्वितीय श्रेणी के पद को सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

New Railway Lines in Rajasthan

3774 **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of new Railway lines which the Rajasthan Government have proposed for inclusion in the Fourth Five Year Plan;

(b) the order of their priority;

(c) whether Government propose to lay new railway lines upto Sirmuttra, Karauli, Gangapur, Bamanvas, Lalsot and Sambhar, keeping in view the necessity of developing minerals and Sambhar salt of Karauli area; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d) Nine new lines and conversions were proposed by the Government of Rajasthan for consideration during the Fourth Five Year Plan. A list showing their names, in the order of priority, is attached as Annexure-A. One of the lines recommended by the Government of Rajasthan, viz., Pokaran-Jaisalmer, has already been constructed recently. Due to paucity of funds the other praposed lines are not likely to be taken up for consideration in the near future.

List of new lines and conversions in their order of priority, recommended by the Government of Rajasthan for consideration during the fourth five year plan, referred to in answer to parts (a), (b), (c) and (d) of the Unstarred Question No. 3774 to be answered in the Lok Sabha on 13-8-1968.

1. Conversion of the metre gauge line between Sawai Madhopur and Sambhar via Jaipur, into broad gauge.
2. New line from Kotah to Chittorgarh.
3. New line from Ratlam to Dungarpur via Banswara and Galiakot.
4. Conversion of the metre gauge line from Bikaner to Bhatinda via Hanumangarh into broad gauge.
5. New line from Jaisalmer to Pokaran. (already completed).
6. New lime from Toda Rai Singh to Kotah, via Deoli and Bundi.
7. New line from Mandal to Deoli. via Banera, Shahpura and Jahazpur,
8. New line from Sir Mathura to Gangapur via Karauli.
9. New line from Bari Sadri to Neemuch via Chhoti Sadri.

Railway Employees Training School, Udaipur

3775. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of employees who are receiving training at present in the Railway Employee's Training School at Udaipur (Western Railway);

(b) the number of Professors in the said Training School, who are imparting training to the employees;

(c) the average monthly expenditure of the Training School;

(d) the number of employees who received training there during the year 1967-68; and

(e) the number of other employees, besides Professors, who are working in that Training School, designation-wise ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

आयात लाइसेंस

3776. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1967 से जून, 1968 तक की अवधि में सरकार द्वारा जारी किये गये आयात लाइसेंसों के अनुसार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ख) इन आयातों से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1 जनवरी, 1967 से 29 जून, 1968 तक दिये गये आयात लाइसेंसों का कुल मूल्य 1856.08 करोड़ रु० है ।

(ख) इन आयातों की सहायता से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा विदेशी मुद्रा के सम्भावित उपार्जन की राशि बताना सम्भव नहीं है ।

सोडियम नाइट्रेट का आयात

3777. **श्री कृ० मा० कौशिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हम सोडियम नाइट्रेट आयात कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों से तथा किस मूल्य पर ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पोलैंड तथा बल्गारिया से । इस मद का आयात-मूल्य बताना राज्य व्यापार निगम के, जो इस मद का आयात कर रहा है, व्यावसायिक हित में नहीं होगा ।

कच्ची फिल्मों का आवंटन

3778. **श्री जुगल मंडल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (एक) श्री ओ० पी० रलहन (निर्माता), (दो) श्री राज कपूर, (तीन) श्री देवानन्द, (चार) पाछी (निर्माता), (पांच) श्री जे० ओम प्रकाश (निर्माता), (छः) श्री बी० के० आदर्श (निर्माता) (सात) श्री दलीप कुमार, (आठ) श्री देवेन दास गोयल, (निर्माता) (नौ) श्री बी० आर० चोपड़ा, (दस) श्री जी० पी० सिप्पी, (ग्यारह) श्री ए०आर० कारदार, (बारह) श्री के० आसिफ, (तेरह) श्री शिवाजी गणेशन, (निर्माता) (चौदह) श्री वसू मेनन, (पन्द्रह) श्री एल० वी० प्रसाद (निर्माता) और (सोलह) श्री सुनील दत्त (निर्माता) को कच्ची फिल्म का कितना कोटा दिया गया;

(ख) क्या ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि इन निर्माताओं ने उपरोक्त अवधि में उनको दी गई कच्ची फिल्म के कोटे का दुरुपयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल में रेलवे लाइनों का निर्माण

3779. **श्री जुगल मंडल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल में कोई नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

सरकार तथा संसद द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के काम में हस्तक्षेप

3780. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने एक शोध-पत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में सरकार तथा संसद द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप किये जाने का विरोध किया है ;

(ख) क्या इस शोध-पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य के बारे में संसद द्वारा जांच उपक्रमों के सुचारु रूप से कार्य करने में बाधा डाल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस शोध-पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य करने के ढंग तथा उनके सम्बन्ध में सरकार और

संसद के प्रति उत्तरदायी होने के प्रश्न पर योजना आयोग के विचार "एप्रोच टू दि फोर्थ फाइव इयर प्लान" के 'उद्योग' से सम्बन्धित अध्याय 3 के पैरा ग्राफ 6 में दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

"सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादिता तथा लाभ पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों को पहले करने तथा काम चलाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए जिससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नित्य प्रति के कार्यों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप न किया जा सके । सरकारी उपक्रम जहां एक ओर संसद के प्रति उत्तरदायी हैं वही दूसरी ओर उनमें कुशलतापूर्वक कार्य चलाने का सुनिश्चिय करने में उन्हें पूर्ण अधिकार देने हेतु कृष्ण मेनन समिति ने 1959 में ही कई सिफारिशें की थीं । प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन उपक्रमों का संसद के प्रति उत्तरदायी होने तथा उनके नित्य प्रति के कार्य में स्वतंत्रता देने में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता की अभिव्यक्ति की है । जहां सार्वजनिक हितों की अभिवृद्धि तथा सुरक्षा के लिए ससद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर निगाह रखे वही उनके कार्य-कलापों का पुनरीक्षण करे, किन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति इस ढंग से की जाय कि इससे प्रबन्धकों की पहल करने की भावना कमजोर न पड़े और उनकी कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये । संसदीय पुनरीक्षण की सीमा निर्धारित करने का सामान्य मापदण्ड यह होना चाहिए कि वह नित्य प्रति के प्रशासन सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप न करने लगे, संसद को नित्य प्रति के कार्यों की अपेक्षा मुख्यतया इन उपक्रमों की कार्य कुशलता तथा इनके समूचे कार्य-कलापों से सम्बन्ध रखना चाहिये न कि इस दृष्टि से संसद में इनसे सम्बद्ध जानकारी इत्यादि मांगने के बारे में स्वस्थ परम्पराओं के विकास की आवश्यकता है जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विशेष आवश्यकताओं के अनकूल हों ।"

Purchase and Sale of Scooters

3781. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Investigation Bureau have enquired into certain cases in which cars and Scooters were purchased and sold before the expiry of the specified period ;

(b) if so, the number of Gazetted Officers of the Central Government against whom such an inquiry is being instituted ; and

(c) if so, the number of Commissioned officers of the Indian Army among them?

The Minister of Industrial, Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) Three.

(c) Two.

Enquiry into Purchase and Sale of Scooters

3782. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons against whom the Central Investigation Bureau conducted open enquiries since January, 1967 till now, for their having purchased cars and Scooters and having sold them before the expiry of the specified period ;

(b) the number of those among them who were proescuted ; and

(c) the number of those who were fined by the Courts and the amount realised as fine by Government in this connection ?

The Minister of Industrial Development & Company affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) 258.

(b) 190.

(c) 72 and Rs. 1,40,250 -

आयात नियंत्रण अनुसूची

3783. श्री सीताराम केसरी :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क पुनरीक्षण आयोग ने आयात नियंत्रण अनुसूची के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति ने आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूचियों मे संशोधन तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

(ख) समिति ने 95 टिप्पणियां तथा सिफारिशें की हैं । ब्यौरे प्रतिवेदन में दिये गये हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) सरकार के विनिश्चय संकल्प संख्या 6/1/68 आई० एण्ड ई० सी० दिनांक 19 जून, 1968 में दिये गये हैं जिसकी प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 1720/68]**

Increase in price of Nepa Paper

3784. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian and Eastern Newspaper Society has protested against the increase of fifty rupees per tonne by Nepa Paper Mill on the price of its paper ;

(b) if so, the reasons for the increase in the price and how much yearly grant has been given by Government to this Paper Mill ; and

(c) the number of complaints received against this mill from the public and employees during the last two years and the action taken in this connection?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) There is no statutory price control on indigenous newsprints. There is only one Newsprint Mill in the country which is in the public sector. The price of newsprint produced by them is regulated in consultation with Government. The price was first fixed at Rs. 1,050 per tonne in 1958. In view of considerable increase in the cost of production since then, and to save the Mills from losses, Government agreed to allow an increase of Rs. 50 per tonne in May 1968. The price now fixed is lower than the C. I. F. prince of imported newsprint, by Rs. 60 to Rs. 100 per tonne.

No grants are given by Government to Nepa Mills.

(c) Certains complaints from the Newspapers about the quality grammage, packing etc. were received. A delegation of Newspapers visited the Mills with a view to carrying out improvements, wherever called far.

Certain complaints from the employees ventilating their grievances were received No intervention of the Government was required.

कच्चे माल की चोर बाजारी

3785. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों में ऊन, ऊनी धागा, इस्पात का तार, स्टेनलैस स्टील और नाइलोन का धागा आदि करोड़ों रुपये के मूल्य का कच्चा माल चोर बाजारी में बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेचा गया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को आयकर और बिक्री कर के रूप में राजस्व में करोड़ों रुपये की हानि हुई ;

(ख) क्या सरकार ने कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या किन्हीं फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज किये गये थे और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्हें कितने कितने समय के लिये काली सूची में दर्ज किया गया था ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि काली सूची में दर्ज फर्मों ने अधिकारियों से मिल कर अपने नाम बदल लिये और आयात लाइसेंस प्राप्त कर लिये ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : इस बात को रोकने के लिये कि देश में चोरी छिपे माल न लाया जाये हर सम्भव उपाय किये जा रहें हैं। यह बताना सम्भव नहीं कि कितना माल चोरी छिपे लाया जाता है और चोर बाजारी में बेचा जाता है।

(ग) और (घ) : जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

तालचेर उद्योग समूह

3786. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या इस्पात. खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तालचेर उद्योग-समूह के विकास-कार्य को चालू वर्ष में भी जारी रखने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार के हाल ही के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, तालचर परिसमूह की स्थापना का सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज परियोजना

3787. **श्री नि० रं० लास्कर**
श्री चेंगलराया नायडू
श्री अम्बुचेजियान :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जापान, अमरीका और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से एक अखबारी कागज परियोजना स्थापित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित की जायेगी ;

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी ; और

(घ) इन देशों द्वारा क्या सहायता की जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) : जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

कीनिया को चलचित्रों का निर्यात

3788. **श्री निहाल सिंह**
श्री सु० कु० तापड़िया

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्र निर्यात निगम तथा कीनिया चलचित्र निगम के बीच एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस करार को कब से लागू करेगी ;

(ग) इस करार की शर्तें क्या है ; और

(घ) चालू वर्ष में उस देश को कितने चलचित्रों का निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) दोनों निगमों ने करार को 1 जुलाई, 1968 से कार्यान्वित किया है ।

(ग) तथा (घ) : केनिया चलचित्र निगम भारत से 70 फिल्मों के आयात के लिये सहमत हो गया है जिनमें भारतीय चलचित्र निर्यात निगम से 30 फिल्में तथा केनिया को फिल्म के अन्य निर्यातकों की 40 फिल्में हैं ।

मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

3789. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश के सरकारी क्षेत्र में एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित किया जायेगा ;

(ख) क्या कारखाने के स्थान के बारे में सम्भाव्यता सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ग) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) यह कारखाना स्थापित होने से देश की आयात पर निर्भरता किस हद तक कम हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : दण्डकारण्य में अखबारी कागज का संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी इस क्षेत्र में 150 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाली लुग्दी/कागज परियोजना की सरकारी क्षेत्र में स्थापना करने के लिए एक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया है जो सरकार के विचाराधीन है । इस परियोजना पर अनुमानित व्यय 17.22 करोड़ रुपये होगा । अतः इस परियोजना को लागू किए जाने से अखबारी कागज के आयात को कम करने में कोई भी सहायता नहीं मिलेगी ।

टेलीविजन सेटों का आयात

3790. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों से बड़ी संख्या में टेलीविजन सेटों का आयात किया है या कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सेट पर कितनी लागत आयेगी और किन-किन देशों से ये सेट आयात किये गये हैं या करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) ये टेलीविजन सेट कितनी दूरी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रदर्शित कर सकेंगे और क्या टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित होने वाले स्थान से वे दिखाई देंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अब तक 5000 टेलीविजन सेट आयात किये गये हैं। इस समय पूरे टेलीविजन सेटों को आयात करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) सेटों की भारत पहुंचने पर लागत और आयात के देशों का नाम निम्न-लिखित हैं :-

देश का नाम	आयातित सेटों की संख्या	अवमूल्यन से पूर्व प्रति सेट मूल्य
हंगरी	2,000	1,227.13 रु०
युगोस्लाविया	2,000	1,073.81 रु०
जापान	600	679.63 रु०
आयरलैंण्ड	400	1,119.81 रु०

(ग) इस समय देश में एक ही टेलीविजन केन्द्र अर्थात दिल्ली है जिसकी प्रसारण सीमा लगभग 22 मील है।

निर्यात पूर्व वस्तु विनिमय के सौदों के लिए बैंक गारन्टी

3791. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में आयात-पूर्व वस्तु-विनिमय के सौदों के लिये प्राप्त की गई प्रत्येक बैंक गारन्टी का मूल्य क्या है ;

(ख) उनमें से अभी तक कितनी विधि मान्य हैं ;

(ग) क्या विधिमान्य गारंटियों को लागू कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने का क्या निष्कर्ष निकला ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) : 1963-64 से 1967-68 तक की अवधि में दो आयात-पूर्व वस्तु विनिमय सौदों के लिये एक फर्म से 7,92,030 और 3,02,000 रुपयों के मूल्य की दो बैंक प्रत्याभूतियां प्राप्त कर ली गई हैं। बैंक प्रत्याभूतियों को जब्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि फर्म ने सम्बद्ध बन्धों की शर्तें पूरी कर दी थीं।

सिलघाट (आसाम) में सहकारी पटसन मिल

3793. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने सहकारी क्षेत्र में सिलघाट में एक पटसन मिल चालू की है ;

(ख) क्या पटसन आयुक्त ने इस मिल पर इस आधार पर आपति की है कि यह लाभकारी नहीं होगी ; और

(ग) क्या इस मिल को कर से विशेष छूट तथा अन्य रियायतें देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है जिससे औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र की इस एकमात्र मिल की सहायता हो सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत सिलघाट के सहकारी क्षेत्र में पटसन मिल की स्थापना के लिये एक लाइसेंस दिया है और कुछ मशीनों का आयात किया गया है। पटसन आयुक्त द्वारा मिल के सम्बन्ध में आपत्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर में कोई विशेष छूट अथवा रियायत की कोई मांग नहीं की गई है।

अन उप-नगरीय यात्री आय

3794. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि रेलवे की अन उपनगरीय यात्री आय में से राज्यों के प्रतिकरात्मक अनुदान में वृद्धि की जाये ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजनाओं की जो राज्य योजना का एक भाग है सहायता प्रणाली सरल की जानी चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये हैं तथा सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेल मन्त्रालय में ऐसा कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

प्रतिनिधि मंडलों की विदेश यात्रा

3795. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 से 30 जून 1968 तक की अवधि में कितने व्यापार प्रतिनिधिमंडल मंत्री अधिकारी अथवा अन्य विशेषज्ञ सरकारी खर्च पर विदेश गये ;

(ख) वे, अलग-अलग किन-किन देशों में गये और कितनी-कितनी अवधि तक वहां ठहरे ;

(ग) प्रत्येक यात्रा पर कितनी राशि खर्च हुई और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा थी ;

(घ) प्रत्येक यात्रा के फलस्वरूप सरकार को वस्तुतः क्या लाभ हुआ और क्या कोई करार किये गये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ङ) : 1 अप्रैल, 1967 से 30 जून, 1968 की अवधि में 17 व्यापार प्रतिनिधिमंडल सरकारी खर्चे पर विदेश गये। एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1721/68**] जिसमें इन प्रतिनिधिमंडलों से संबन्धित ब्यौरे सविस्तार दिये गये हैं।

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय के कर्मचारियों का सर्वेक्षण

3796. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में उनके मन्त्रालय में नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया था ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार कितने-कितने कर्मचारी फालतू पाये गये ;

(ग) क्या सरकार का छंटनी करने का विचार है अथवा फालतू कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर काम पर लगाने का विचार है ;

(घ) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 तक मन्त्रालय ने श्रेणीवार कितने-कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये हैं ;

(ङ) इस अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने नये पद बनाये गये हैं ; और

(च) मंत्रियों, राज्य-स्तर के मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के साथ काम करने वाले उन फालतू कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये स्वीकृति भी नहीं ली गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) : इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय के दो भाग हैं : लोहा और इस्पात विभाग और खान तथा धातु मन्त्रालय।

लोहा और इस्पात विभाग के कर्मचारी निरीक्षण यूनिट ने कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं का मई-जुलाई, 1967 में अध्ययन किया। इस अध्ययन के फलस्वरुप, लोहा और इस्पात विभाग में अनुभाग अधिकारियों के 2 पद और अपर श्रेणी लिपिक के 5 पद फालतू पाये गये थे। तथापि, एक अवर सचिव का पद कम पाया गया था।

खान और धातु विभाग में कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। अतः इस विभाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक फालतू अनुभाग अधिकारी का गृह-कार्य मन्त्रालय में स्थानांतरण कर दिया गया है। दूसरे फालतू अनुभाग अधिकारी को एक नये अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार 5 अवर श्रेणी लिपिक, जो फालतू घोषित किये गये थे मन्त्रालय के नये तकनीकी प्रभाग में रख लिये गये थे।

(घ) लोहा और इस्पात विभाग में 3 स्टेनोग्राफर (I और II) 3 स्टेनोग्राफरों को 1.6.1968 से 3 महीने के लिए नियुक्त किया गया।

(ङ) लोहा और इस्पात विभाग में 16.68 से 3 महीने के लिये 3 स्टेनोग्राफर के 3 अतिरिक्त पद और बनाये गये थे ।

(च) ऐसे कोई मामले नहीं हैं ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार, घूस आदि के मामले

3797. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 के बीच भ्रष्टाचार, घूसखोरी चोरी तथा अन्य दंडात्मक अपराधों के कितने मामलों का पता चला है और इन अपराधों में कितने सरकारी कर्मचारियों (श्रेणीवार) और गैर-सरकारी लोगों का हाथ है ;

(ख) कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया था और कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये थे ;

(ग) वर्ष 1967-68 में इस प्रकार के कितने मामलों की रिपोर्टें मिली थी और कितने मामलों में दंड दिया गया था और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी नीचे दी गई है :-

(1) भ्रष्टाचार तथा घूस के मामलों जिनकी रिपोर्ट की गई है की संख्या निम्न प्रकार हैं :-

फंसे हुए	1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 तक	1 अप्रैल, 1967 से 30 मार्च, 1968 तक
राजपत्रित अधिकारी	5	13
अराजपत्रित अधिकारी	-	3
जो सरकारी कर्मचारी नहीं	-	2

(2) किसी भी मामले को अदालत में दायर नहीं किया गया है। 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 की अवधि के सभी पांचों मामलों में जिनकी रिपोर्ट की गई थी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है। 1 अप्रैल, 1967 से 30 मार्च, 1968 की अवधि के 18 मामलों में से 16 मामलों की अभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है और 2 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

(घ) रोकथाम के सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं । जो भी अधिकारी दोषी पाये जाते हैं उन्हें उपयुक्त दण्ड दिया जा रहा है ।

रेलवे मन्त्रालय में कर्मचारियों का सर्वेक्षण

3798. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में मन्त्रालय में नियुक्ति किये गये कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वर्गवार कितने कर्मचारी फालतू पाये गये और इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई गई है ;

(ग) क्या कर्मचारियों की छंटनी करने का प्रस्ताव है अथवा उन्हें अन्य काम देने का विचार है ;

(घ) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून 1968 की अवधि में मन्त्रालय ने वर्गवार कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया ;

(ङ) इस अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने नये पद बनाये गये ; और

(च) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के साथ कार्य कर रहे उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है कि जिनके बारे में आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) : जी हां। खर्च में किफायत करने के उद्देश्य से निदेशकों की एक समिति द्वारा 1967-68 में कर्मचारियों की संख्या की जो समीक्षा की गई थी, उसके अलावा इस मन्त्रालय में काम की मात्रा का भी अध्ययन किया गया था। काम की मात्रा के अध्ययन के फलस्वरूप निम्नलिखित पद फालतू पाये गये :–

1.	अनुभाग अधिकारी	-	3
2.	सहायक	-	19
3.	निम्न श्रेणी लिपिक	-	17
4.	उच्च श्रेणी लिपिक	-	16

काम का मात्रा के अध्ययन के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी की छटनी या परावर्त्तन नहीं किया गया। इस अध्ययन के फलस्वरूप जो कर्मचारी फालतू हुए, उन्हें समतुल्य पदों पर रखा जा रहा है।

(घ) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की अवधि में रेल मन्त्रालय में, रेल प्रशासनों से लिये गये कर्मचारियों को छोड़कर, अन्य जितने कर्मचारी नियुक्त किये गये उनका विवरण इस प्रकार हैं :–

(1)	श्रेणी I	–	3
(2)	सहायक	–	1
(3)	निम्न श्रेणी लिपिक–		7

(ङ) शाखा		राजपत्रित पदों की संख्या
रेल दुर्घटना जांच समिति		3
संगणक कक्ष		5
मितव्ययिता कक्ष	–	2
संरक्षा	–	2
स्थापना	–	1
		जोड़ 13

(घ) रेल मन्त्री, रेल राज्य-मन्त्री और रेल उप-मन्त्री के साथ ऐसा कोई फालतू कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है जिसके सम्बन्ध में उपयुक्त मन्जूरी न ली गई हो ।

कोयले की उत्पादन लागत

3799. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने के कारण कोयला उद्योग संकट में है ; और

(ख) इसे संकट से उबारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान और धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कपड़े के संकटग्रस्त मिल

3800. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या वाणिज्य मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो मिल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन ने अपने हाथ में ले लिये हैं उनकी आर्थिक दशा कैसी है ; और

(ख) ऐसे प्रत्येक मिल को सरकार ने सहायता के रूप में कितनी-कितनी राशि दी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अभी तक कोई मिल अपने हाथ में नहीं ली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुलरभोज स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

3801. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री अम्बुचेजियान :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जुलाई, 1968 को पूर्वोत्तर रेलवे के गुलरभोज स्टेशन के पास लालकोवा-काशीपुर सैक्शन पर एक मालगाड़ी के 23 मालडिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा इसके परिणामस्वरुप कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि एक सप्ताह के भीतर ही इस सैक्शन पर यह दूसरी दुर्घटना हुई है ; और

(घ) क्या इस दुर्घटना के बारे में कोई जांच कराई गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह दुर्घटना लालकुआ और गुलरभोज स्टेशनों के बीच हुई थी। इस दुर्घटना में 17 माल डिब्बे उलट गये और 2 पटरी से उतर गये।

(ख) और (घ) : रेल अधिकारियों द्वारा इस दुर्घटना की जाँच करायी गयी है। जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। प्रत्यक्षतः ऐसा जान पड़ता है कि एक खुले माल डिब्बे में भार खिसक जाने के कारण दुर्घटना हुई। रेल सम्पत्ति को लगभग 18,000 रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं।

सूडान के साथ व्यापार करार

3802. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री अम्बुचेजियान :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि भारत तथा सूडान के बीच हाल ही में एक व्यापार करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भारत इस करार के अन्तर्गत कौन सी वस्तुएं आयात करेगा तथा निर्यात करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं। भारत और सूडान के मध्य 22 अक्तूबर 1965 में हुआ व्यापार करार अब भी वैध है

और हाल ही में दोनों देशों के बीच कोई नया व्यापार करार नहीं किया गया है, फिर भी जुलाई, 1968 में दोनों देशों के बीच की चालू व्यापार योजना का पुनर्विलोकन किया गया और चालू व्यापार योजना की वैधता को छः महीने की अवधि अर्थात् जून, 1969 तक बढ़ा दिया गया। इस व्यापार योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1968 से 30 जून, 1969 की अवधि में दोनों देशों के मध्य 3.5 करोड़ पौंड मूल्य के माल के विनिमय की व्यवस्था है।

(ग) सूडान से आयात की जाने वाली मदें रुई तथा अरबी गोंद हैं। सूडान को किये जाने वाले हमारे निर्यातों में चाय, पटसन का माल, तम्बाकू और काफी जैसी परम्परागत मदों के अलावा विभिन्न किस्मों के इंजीनियरी और औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं।

सूती धागे का आपात कालीन भंडार

3803. **श्री नि० रं लास्कर :**
श्री अम्बुचेजियान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास के मुख्य मंत्री द्वारा सूत के आपात कालीन भंडार बनाये जाने सम्बन्धी सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(घ) इस प्रस्ताव से सरकार को कहां तक सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : मद्रास के मुख्य मंत्री ने ऐसा कोई सुझाव दिया है। परन्तु सरकार ने दक्षिण भारत की मिलों के लिये सूत की एक योजना का अनुमोदन किया है। एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल टी संख्या 1722/68**] जिसमें योजना की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं।

(ग) योजना के यथासम्भव शीघ्र ही क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना हैं।

(घ) योजना का उद्देश्य दक्षिण भारत की उन मिलों को राहत देना है जो सूत के स्टाक जमा होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही हैं. इसका उद्देश्य सरकार की सहायता करना नहीं है।

सफाई वालों के लिये गर्म वर्दिया

3804. श्री भगवान दास : क्या रेलवे मंत्री दिल्ली, किशनगंज स्थित उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय तथा पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय के सफाई वालों के लिये गर्म वर्दियों से सम्बन्धित 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी अब प्राप्त कर ली गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा): (क) जी हां, उत्तर रेलवे में उन्हे दो साल के बाद एक बल्यू जर्सी दी जाती है और चार साल के बाद एक ब्लेकेटिंग बल्यू ओवर कोट दिया जाता है। पश्चिम रेलवे में उन्हें जाड़े की वर्दिया नही दी जातीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Industrialisation of Pauri Garhwal (U.P.)

3805. Shri Ram Charan :
Shri Nardeo Snatak :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that District Pauri Garhwal of Uttar Pradesh is the most backward area from the point of view of industrial development;

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government for its industrial development; and

(c) if the reply to part (b) be in the negative; the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

मैसर्स साराभाई मर्क आफ बड़ौदा

3806. श्री उमानाथ : **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री क० अनिरुद्धन : **श्री सत्यनारायण सिंह**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 16 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने के लिये बड़ौदा के मेसर्स साराभाई मर्क के विरुद्ध आरोपों के बारे में इस बीच जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) फर्म के विरुद्ध आरोपों की जांच तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा की गई थी लेकिन फर्म के विरुद्ध कोई अभियोगात्मक बात नहीं पाई गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे लेखा कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति

3807. श्री के० एम० अब्राहम : क्या रेलवे मंत्री लेखा कर्मचारियों की सेवा निवृति के बारे में 10 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी इकट्ठा कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक मिल जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी कर ली गयी है और संलग्न विवरण में दी गयी है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल टी संख्या 1723/68]

मैसर्स तारा जूट मिल, गुन्टूर (आन्ध्र प्रदेश) को लाइसेंस का दिया जाना

3808. श्री शारदा नन्द :
श्री कंवरलाल गुप्ता:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स तारा जूट मिल, गुन्टूर (आन्ध्र प्रदेश) को नई जूट मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों में किसी अन्य जूट मिल को लाइसेंस जारी किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो मैसर्स तारा जूट मिल को लाइसेंस देने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पिछले दो वर्षों में नई पटसन मिलों की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Loss to Railways Due to Floods in Rajasthan

3809. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the railway track was submerged under water at many places and several Railway bridges collapsed in Rajasthan due to recent floods;

(b) whether it is also a fact that many passenger trains which had already started from the Stations got dislocated because of floods and consequently the passengers were stranded; and

(c) if so, the loss to the Railways as a result thereof and the scheme formulated to protect the railway tracks from floods in future ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes,

(c) The loss due to floods is being assessed as the work on restoration is yet to be carried out on certain sections. The information will be placed on the table of the Sabha in due course.

Suitable remedial measures are taken by the Railways after investigating the causes of such floods to minimise the possibility of breaches.

Salt crisis in Northern India

3810. Shri Bal Raj Madhok :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a salt crisis is imminent in the Northern India deu to a great set back to the Production of salt from Sambhar Lake on account of the recent heavey rains; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) No, Sir. Steps are already being taken to repair the damages to the condensers and crystillisers. In case it transpires that Sambhar Salts are not able to meet the demand of areas linked with the Sambhar sources, arrangements will be made to supply salt to those areas from other Northern India and Gujarat sources.

"Work to Rule" agitation by Station Masters

3811. Shri Bal Raj Madhok :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Station Masters have submitted certain demands to his Ministry and stated that if these are not conceded to they propose to start 'Work to rule' agitation; and

(b) if so, the details of the demands made and Government's reaction thereto ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) According to certain press reports which have recently appeared, the Station Masters have proposed to resort to a "workt-to-rule" agitation from 18.8.68 if their demands like reduction in working hrs, revision of wage structure, and promotion opportunities and other amenities are not conceded.

These demands have been examined in the past and action, as justified, has been taken from time to time.

राजनैतिक दलों को चन्दे देना

3812. श्री जे० मुहम्मद इमाम : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन पब्लिक कम्पनियों की संख्या तथा उनके नामों के बारे में पता लगाया है, जिन्होंने वर्ष 1950 से 1968 तक राजनैतिक दलों को चन्दे दिये हैं;

(घ) किन-किन राजनैतिक दलों ने इस तरह वित्तीय सहायता प्राप्त की है और कितनी कितनी; और

(ग) प्रत्येक कम्पनी ने कितनी-कितनी राशि दी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 ए. जिसमें प्रत्येक कम्पनी के लिये इसके लाभ-हानि के लेखे में, इसके द्वारा किसी राजनैतिक दल अथवा किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिये किसी व्यक्ति अथवा निकाय को, संबंधित आर्थिक वर्ष में दान दी गई कोई राशियां राशियों, को प्रकट करना अपेक्षित है, केवल 28 दिसम्बर, 1960 से लागू की गई थी। इस तिथी से पहले, कम्पनियों को अपने लाभ हानि के लेखे में, इस प्रकार का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं था। इस कारण, कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 293 ए के लागू होने से पहले दिये गये राजनैतिक अंशदानों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अधिनियम की ऊपर कथित, धारा 293 ए के लागू होने के पश्चात, कम्पनियों द्वारा राजनैतिक अंश दानों के ब्यौरे अब कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा नियंत्रित रूप से संग्रह किये जाते हैं व प्रत्येक त्रैमासिकी पर कम्पनी कार्य विभाग को भेजे जाते हैं। कम्पनियों द्वारा दिये गये राजनैतिक अंशदान, जैसाकि, 1 मार्च, 1962 से 28 फरवरी, 1968 तक की अवधि में, रजिस्ट्रारों के पास मिसिल किये गये लाभ हानि के लेखाओं में दिया गया है, वर्ष अनुसार एवं दलानुसार अंशदानों को, दिखाता हुआ, एक विवरण पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिए एल० टी० संख्या 1724/468]**।

(ग) संलग्न विवरण पत्र 28 फरवरी, 1968 तक, प्रत्येक दल के द्रव्य को भी बतायेगा।

निर्यात नीति सम्बन्धी संकल्प

3813. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात नीति सम्बन्धी प्रस्तावित संकल्प को लोक-सभा के चालू सत्र में अनुमोदित करा लिया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) निर्यात नीति संकल्प का मसौदा तैयार कर लिया गया है और दूसरे मन्त्रालयों के विचार जानने के लिये उनसे परामर्श भी किया गया है। इन परामर्शों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना है और चौथी योजना के लक्ष्यों के सन्दर्भ में मसौदे के कुछ तत्वों में संशोधन की अपेक्षा है। खेद है कि मसौदे का संशोधित रूप तैयार करके संसद के इस सत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

पटसन मिलों को वित्तीय सहायता

3814. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से पटसन मिलों को 5 करोड़ रुपये की सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, निकट भविष्य में पटसन के सामान की मांग कम होने वाली है, इस ऋण से कहां तक लाभ उठाया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) उन मदों के उत्पादन के विविधीकरण और प्रोत्साहन हेतु सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से पटसन उद्योग को ऋण सहायता देने के लिये 5 करोड़ रुपये रखे हैं जिनके निर्यात की तत्काल संभाव्यताएं विद्यमान हैं। आशा है कि मिलें सम्पूर्ण धन का उपयोग कर लेंगी।

थाईलैन्ड से पटसन के आयातकर्ताओं के विरुद्ध सी० बी० आई० के आरोप

3815. श्री प० गोपालन :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या वाणिज्य मन्त्री 23 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि थाईलैन्ड से पटसन के आयात के बारे में जिन लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले हैं, उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा क्या आरोप लगाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भिलाई इस्पात कारखाने में कर्मचारियों की छंटनी

3816. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भिलाई इस्पात कारखाने की डाली कोकन, चिकिली, अरीडोंगरी और झारण्डली लौह-अयस्क खानों के ठेकों के अन्तर्गत काम पर लगे हुए लगभग 10,000 मजदूरों की हाल ही में छंटनी कर दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि और लोगों की भी छंटनी करने की योजना बनाई जा रही है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के छत्तीस गढ़ क्षेत्र में घोर बेरोजगारी की स्थिति पहले से और गम्भीर हो जायगी अथवा नहीं; और

(घ) लौह अयस्क खानों के छंटनीकृत मजदूरों को रोजगार देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) इस छंटनी से पहले भिलाई इस्पात कारखाने के लौह अयस्क खानों के रझड़ा समूह के ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या 8,256 थी। इनमें से 4,200 कर्मचारियों की ठेकेदारों द्वारा छंटनी कर दी गई हैं।

(ख) यह पता चला है कि निकट भविष्य में इन ठेकेदारों द्वारा और छंटनी नहीं की जायेगी ।

(ग) और (घ) यह पता चला है कि अधिकतर कर्मचारी कृषक अथवा कृषि श्रमिक हैं जो आस पास के गांवों से मौजमी रोजगार के लिए इन खानों में आते हैं । फसल के अवसर पर वह अपने गांवों में चले जाते हैं ।

रेलवे के तकनीकी पर्यवेक्षक कर्मचारियों के वेतनमान

3817. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जानते हैं कि रेलवे के तकनीकी पर्यवेक्षक कर्मचारियों (फोरमैन चार्जमैन और ड्राफ्टसमैन) के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के इन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों से बहुत कम हैं;

(ख) क्या उनको यह भी मालूम है कि रेलवे (विभाग) के इस वर्ग के वर्तमान वेतनमान 1931 से पूर्व के वेतनमानों से भी कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो वेतनमानों में भेद और असंगतियों को हटाने की दृष्टि से क्या तकनीकी पर्यवेक्षकों के वेतन ढांचे का पुनर्निरीक्षण करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री वे० मु० पुनाचा) : (क) कुछ मामलों में वेतनमान कम, कुछ में समान और कुछ में ऊंचे हैं ।

(ख) वर्तमान वेतनमानों में से कुछ 1931 से पूर्व के वेतनमानों से कम हैं ।

(ग) जी नहीं । रेलों में तकनीकी पर्यवेक्षक कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये नियुक्त द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है । तदनुसार उनके वेतन मान उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अनुरूप हैं । सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों के वेतनमान और जितने कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना है, उनकी संख्या एक यूनिट से दूसरी यूनिट में भिन्न भिन्न हैं । रेल कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों के बीच इस प्रकार की तुलना उपयुक्त नहीं है क्योंकि कर्तव्य, अर्हताएं, भर्ती का ढंग, पदोन्नति सरणि, काम की किस्म, उत्तरदायित्व, कारखाने में उपलब्ध सुविधाएं आदि सदा समान नहीं होतीं ।

इन्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

3818. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के भावी प्रबन्ध तथा संचालन के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) क्या विशेषज्ञों की समिति तथा कर्मचारी संघ द्वारा दिये गए विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार का इरादा इस एकक को पुनर्गठित करने तथा सुस्थिर बनाने का है; और

(ग) वर्तमान स्थिति को अधिक समय तक बनाए रखने के क्या कारण हैं जिसमें उत्पादन की गति अवरुद्ध हो गई है और कर्मचारी बेकार बैठे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए इण्डिया इलेक्ट्रिक के विरुद्ध कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक अभियोग चलाया है। इस फर्म का भविष्य क्या होगा इसका निर्णय स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा चलाये गए अभियोग का क्या परिणाम निकलता है, इस पर निर्भर करेगा।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के लिये अर्जित अप्रयुक्त भूमि

3819. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के लिए अर्जित सैंकड़ों एकड़ भूमि इस समय बेकार पड़ी है क्योंकि इसमें निर्माण कार्य किया जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि कितने एकड़ है;

(ग) क्या पहले इसमें से अधिकांश भूमि आदिवासी किसानों की थी;

(घ) क्या ये आदिवासी किसान निर्माण कार्य आरम्भ होने तक खाद्य फसलें उगाने के लिए इस भूमि को पट्टे पर देने की मांग करते रहे हैं; और

(ङ) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धक इस भूमि को इसमें खेती करने के हेतु पट्टे पर देने के लिए तैयार हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने रांची में बस्ती बनाने के लिए लगभग 4,490 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली है। इसमें से 1,800 एकड़ भूमि का रिहायशी क्वार्टर बनाने के लिए उपयोग किया जा चुका है और 278 एकड़ भूमि राज्य सरकार, रेलवे और नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फाउन्ड्री, एण्ड फोर्ज टेक्नालोजी को हस्तान्तरित कर दी गई है। शेष में से केवल 1,200 एकड़ भूमि निर्माण तथा कृषि के उपयुक्त हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ) पिछली बोआई के समय भी इसी प्रकार की मांग की गई थी। स्थिति पर विचार किया गया था और यह पता चला था कि इस प्रकार के पट्टे में कई कानूनी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। निगम द्वारा जितनी अधिक भूमि में संभव हो सकता है खेती करने के लिये एक आदर्श कृषि फार्म की स्थापना की गई है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

3820. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष रांची में हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कितने कर्मचारी और उनके आश्रित व्यक्ति मारे गये ;

(ख) उनकी संख्या कितनी है और उनकी कितने मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई;

(ग) कर्मचारियों में से कितनों पर कत्ल और लूट के लिए अपराधी या सहायक और प्रोत्साहक होने का आरोप लगाया गया;

(घ) उपरोक्त कार्यों के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध प्रबन्धकों ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है;

(ङ) क्या मृतकों के आश्रितों को और लूटी हुई सम्पत्ति के लिए कोई मुआवजा दिया गया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी घटनाओं के दुबारा होने से रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

यातायात लेखा शाखाओं में कर्मचारियों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या

3821· श्री क० अनिरुद्धन : क्या रेलवे मन्त्री भारतीय रेलों की यातायात लेखा शाखाओं में कर्मचारियों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या के सम्बन्ध में 26 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5236 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं इसके कब तक इकट्ठी होने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) 8-12-67 के अतारांकित प्रश्न 3532 में पूछी गई सूचना इकट्ठी कर ली गई है और वह इस प्रकार है ।

(क) और ख) अनुबन्ध 'क' के रूप में एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 1725/68**] । जिसमें अपेक्षित आंकड़े दिये गये हैं ।

(ग) यातायात लेखा शाखाओं में सरलीकरण जैसी नयी प्रक्रियाएं शुरू किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में आम कमी हुई है । कुछ जगहों पर संगणक भी लगाये गये हैं, जिससे लिपिकवर्गीय कर्मचारियों का काम कम हो गया है । इन उपायों के फलस्वरुप प्रत्येक रेलवे पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खर्च में अलग अलग मात्रा में कमी हुई है ।

सामान्य शाखाओं में जहां कहीं कमी हुई है, वह पर्याप्त नहीं है और मध्य और दक्षिण रेलों में जो स्पष्ट अन्तर दिखाई देता है, वह 2-10-1966 से दक्षिण-मध्य रेलवे की स्थापना और उस रेलवे में कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण हैं ।

शुरू में ही यह विनिश्चय किया गया था कि 20-8-66 को कर्मचारियों की पदोन्नति की जो सम्भावनाएं थीं, उन्हें तथाकथित 'छाया पदों' को भर कर सुरक्षित रखा जाना चाहिये। हाल में यह विनिश्चय किया गया था कि लेखा विभाग के मामले में 'छाया पदों' की योजना 1-10-62 से लागू की जाये यद्यपि इन पदों पर पदोन्नति के लाभ केवल 1-4-68 से मिलगे।

Sarabhai Chemicals and Karamchand Premchand (P.) Ltd.

3822. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of firms owned by M/S. Sarabhai Chemicals add Karamchand Premchand (P) Ltd., the names under which they are running and the location thereof;

(b) the nature of goods being manufactured therein; and

(c) the amount invested in each of these firms ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Khadi and Village Industries Commission, Bombay.

3823. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to shift the Head Office of the Khadi and Village Industries Commission from Bombay to Delhi and, if not, the reasons therefor;

(b) whether Government have received complaints from some States during the last three years that the sub-offices of the Khadi and Village Industries Commission have not given full assistance intended to be provided to the people;

(c) if so, the action taken by Government in the matter; and

(d) the amount provided by the Khadi and Village Industries Commission to Uttar Pradesh during the last two years ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Shingh) : (a) to (d) The Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

औरंगाबाद मिल्स लिमिटेड के बारे में पारिख समिति का प्रतिवेदन

3824. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद मिल्स लिमिटेड के मामलों की जांच करने के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई पारिख समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उपर्युक्त मिल में कितने कर्मचारी हैं और पिछले दो वर्षों में इस मिल को कितने कच्चे माल के लिये लाइसेंस दिये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) जैसा कि महाराष्ट्र सरकार से मालूम हुआ है बम्बई की तत्कालीन सरकार ने औरंगाबाद मिल्स लिमिटेड के मामलों की जांच करने के लिये अगस्त, 1959 में, श्री रामनिक के० पारिख के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में सिफारिश की गई कि स्टेट बैंक आफ इंडिया राज्य सरकार के दायित्व पर उक्त मिल को वित्तीय सहायता दे। एक विकल्प यह है कि केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्ध 15 के अन्तर्गत जांच कराये। तदनुसार, जून, 1965 में नियुक्त की गई समिति ने जांच की। मिल के प्रबन्ध को हाथ में लेने के लिये मार्च, 1966 में एक प्राधिकृत नियंत्रक की नियुति की गई।

(ग) मिल बंद होने से पूर्व कर्मचारियों की संख्या लगभग 650 थी। गत दो वर्षों में इस मिल को कच्चे माल के लिये कोई लाइसैंस नहीं दिया गया।

Export of Tinned Foodstuffs

3825. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7273 on the 28th July, 1968 and state :

(a) the casues for the decline in export trade of tinned foodstuffs; and

(b) whether it is a fact that Indian goods do not compete in foreign markets as their prices are much higher ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Snafi Qureshi) : (a) Exports of tinned foodstuffs (excluding sea food) during the past few years have been as follows:–

	Value (Rs./Lakhs)
1964-65	66.94
1965-66	77.19
1966-67	84.57
1967-68	1,01.40

The above figures indicate that there is an increasing trend in exports:

(b) Does not arise.

Export Credit and Guarantee Corporation

3826. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7251 on the 28th July, 1967 and state :

(a) the reasons for which no Branch Office of the Export Credit and Guarantee Corporation has been opened in Uttar Pradesh;

(b) the value of goods exported from the Uttar Pradesh during the last five years;

(c) whether import licence were granted to tbe importers in the Uttar Padesh in production to the value of goods exported by them; and

(d) if not the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The exporters from Uttar Pradesh are at present being served by the Regional Officers of the Export Credit and Guarantee Coroporation located at Delhi and Calcutta. Branch Offices are opeened by the Export Cradit and Guarantee Corporation in particular areas with reference to the value of business, both existing and potential, available there

(b) Export statistics are not maintained State-wise

(c) and (d) Import licences are granted under the Import Trade Control Policy announced every year in respect of all categories of importers and the policy is applicable uniformally to all, inculding importers in Uttar Pradesh.

Imports from U. S. S. R. and East European Countries

3827. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the value of goods imported from the U. S. S. R. and other East European countries during the last five years ending March. 1967, year-wise;

(b) the total loss suffered by India due to inferior quality of goods imported from these countries; and

(c) the amount of compensation recevied by India for this loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The value of goods imported from U. S. S. R. and other East European countries during the last five years ending March, 1967, year-wise, are as stated below :-

Years	Rupees in Million
1962-63	1101.4
1963-64	1292.6
1964-65	I450.0
1965-66	1570.3
1966-67	2089.5 (Post-Dev)

(b) Government are not aware of any Commercial loss having been suffered on account of any inferior quality of goods supplied.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम सम्बन्धी जांच समिति

3828. श्री के० रमानी :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम सम्बन्धी जांच समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की है;

(ख) समिति अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब दे देगी; और

(ग) क्या इसका अन्तिम प्रतिवेदन दिये जाने के बारे में कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जांच समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में 34 निष्कर्ष/सिफारिशें दी जो विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) समिति को अनुरोध किया गया है कि यह अपनी अन्तिम रिपोर्ट 20 अगस्त, 1968, तक दे दे।

रेलवे लेखा कार्यालयों में अनर्ह कर्मचारियों की पदोन्नती

3829. **श्री रमानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के दिनांक 4 अप्रैल, 1968 के पत्र संख्या ई (एन० जी०) 66 आर० आर० 1/121 इकोनौमी/ई (जी) पी टी के अनुसार अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिमी रेलवे, दिल्ली, यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिमी रेलवे, अजमेर तथा यातायात लेखा कार्यालय, उत्तरी रेलवे दिल्ली में कितने अनर्ह कर्मचारियों की वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति की गई;

(ख) क्या ये सभी पदोन्नतियां 1 अप्रैल, 1968 से प्रभावी हुई;

(ग) यदि नहीं, तो बोर्ड के उक्त पत्र को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) अनर्ह कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) ; (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण औद्योगीकरण के लिये प्रोत्साहन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

3830. **श्री रा० रा० सिंह देव** :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण औद्योगीकरण के लिये प्रोत्साहन सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन के निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1726-68**]

सराय रोहिला लोको शैड के पास बिना चालक के रेलवे इंजन का पटरी से उतरना

3831. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जुलाई, 1968 को सराय रोहिला लोको शैड से एक रेलवे इंजन बिना चालक के चल पड़ा था और रेलवे लाइन के बन्द सिरे पर जाकर टकरा गया था और अन्त में पटरी से उतर गया था;

(ख) क्या इस घटना की जांच का कोई आदेश दिया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या इंजन से कोई व्यक्ति घायल हुआ था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 19.7.68 को दिल्ली के मीटर लाइन इंजन शैड में कोयला लेने की प्रतीक्षा में जो इंजन खड़ा था वह 23.20 बजे बिना ड्राइवर आदि के चल पड़ा और समपार के फाटक को तोड़ कर आगे निकल जाने के बाद बन्द सिरे वाली साइडिंग में घुस गया और साइडिंग के बन्द सिरे को तोड़ने के बाद पटरी से उतर गया ।

(ख) रेलवे अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई है जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली हैं ।

(ग) एक व्यक्ति को मामूली चोट पहुंची ।

फ़ैजाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली यात्री गाडी का रद्द किया जाना

3832. **श्री रा० कृ० सिंह ;** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैजाबाद और दिल्ली के बीच कुछ समय से चल रही एक तेज यात्री गाड़ी को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अयोध्या को जाने वाले तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार लखनऊ और कानपुर के रास्ते फैजाबाद और दिल्ली के बीच अथवा वाराणसी और दिल्ली के बीच एक तेज यात्री गाड़ी चलाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, 1-10-1956 से ।

(ख) यात्री कम होने के कारण ।

(ग) जी नहीं ।

कपड़े की नियंत्रित किस्मों का उत्पादन

3833. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी किस्म का कपड़ा बनाने वाली सूती कपड़े की कुछ मिलें संयुक्त रूप से यह प्रयास कर रही हैं कि कुछ मामूली जुर्माना अदा करके वे कपड़े की नियंत्रित किस्मों के उत्पादन के उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जायें;

(ख) यदि हां, तो इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन तथा उससे सम्बद्ध मिलों ने इस सम्बन्ध में कौन से विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और कपड़े की नियंत्रित किस्में बनाने के उत्तरदायित्वों को पूरा न कर सकने में इन मिलों की सही सही कठिनाइयां क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सरकार को ऐसे किसी प्रयास की जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

औद्योगिक बस्तियों का कार्य संचालन

3834. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लघु उद्योगों के संघों के महा-संघ ने हाल ही में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक बस्तियों के कार्य संचालन के बारे में एक सर्वेक्षण किया है तथा औद्योगिक बस्तियों के त्रुटिपूर्ण आयोजन को सुधारने के तरीके बताये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस महा-संघ ने क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये हैं;

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन सुझावों को देखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक बस्तियों का आयोजन करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं, किन्तु मई, 1968 में नासिक में हुए महाराष्ट्र लघु उद्योग सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में औद्योगिक बस्तियों की स्थिति को असन्तोषजनक बताया था ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते ।

(घ) इसी प्रकार के अन्य सुझावों पर सरकार ध्यान दे रही है और इन कठिनाइयों को दूर करने या उन्हें कम करने के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

रासायनिक तथा इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के लिये वित्तीय सहायता

3835. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रासायनिक तथा इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के लिये अतिरिक्त नकद सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस वर्ष मई में अतिरिक्त सहायता दी जाने के समय से प्रत्येक महीने में पिछले वर्ष के तत्समान महीनों की अपेक्षा रासायनिक तथा इंजीनियरी उद्योगों द्वारा निर्मित माल के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) रासायनिक तथा इंजीनियरी उद्योग के कुछ चुने हुए उत्पादों के पंजीकृत निर्यातक 1.3.68 से 28.2.69 तक किये गये संबद्ध उत्पादों के निर्यात के जहाज पर मूल्य की 5 से 10% तक की अतिरिक्त नकद सहायता के लिये पात्र हैं, बशर्ते कि 1.3.68 से 28.2.69 तक की अवधि में ऐसे उत्पादों के उनके निर्यात के मूल्य की वृद्धि 1.3.67 से 29.2.68 तक की अवधि में किये उन उत्पादों के निर्यात मूल्य के 10% से कम न हो।

(ग) मई, 1968 तक निर्यात के मदवार आंकड़े जहां तक उपलब्ध हैं, अनुबन्ध में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1727–68]

लातीनी अमरीका के देशों को निर्यात

3836. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने की दृष्टि से लातीनी अमरीका के देशों की मंडियों से लाभ उठाने के लिये प्राथमिकता के आधार पर कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) लातीनी अमरीका के देशों में भारतीय माल की खपत की यर्थाथ मात्रा का अनुमान लगाने के लिये कोई बाजार सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन देशों में किन-किन भारतीय वस्तुओं की बिक्री की गुंजाइश हैं; और

(घ) सरकार योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है। अन्य देशों की भांति लातीनी अमरीका देशों के साथ भी भारत के व्यापार में सुधार करने के प्रश्न पर लगातार विचार किया जाता रहता है।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1964 में एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने लातीनी अमरीका की यात्रा की और कतिपय भारतीय उत्पादों (सूची अंग्रेजी में संलग्न है) के बारे में सुझाव दिया जिनकी इस क्षेत्र में मांग हो सकती है।

(घ) इस क्षेत्र में अपने व्यापार को सुधारने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:– अर्जन्टीना तथा ब्राजील के साथ हुए व्यापार करार किये गये, प्रशान्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, लीमा (पेरू) में भाग लिया, रेलवे उपकरणों के संभरण हेतु बातचीत करने के लिये राज्य व्यापार निगम के एक प्रतिनिधि को उरुग्वे भेजा गया। सरकार एक भारतीय पटसन प्रतिनिधि मंडल को लातीनी अमरीका भेजने और इस क्षेत्र के लिये जहाजी सेवा की सुविधाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में भी विचार कर रही है।

छोटी कार परियोजना

3837. श्री एस० आर० दामानी : श्री लोबो प्रभु :
श्री मोहन स्वरूप : श्री जे० एच० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कार परियोजना की मंजूरी देने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार में निर्णायक स्तर पर पूर्ण सहमति है; और

(ख) 5,000 रुपये की कारखाना द्वारा लागत पर प्रति वर्ष 50,000 छोटी कारों का निर्माण करने के मैसूर सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जैसा कि लोक सभा में 23 जुलाई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर में बताया जा चुका है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी कार परियोजना के लिए उपलब्ध साधनों का पता योजना आयोग से लगाया जा रहा है। आयोग के विचार प्राप्त हो जाने पर सरकार निर्णय करने के लिए परियोजना पर और आगे विचार करेगी।

(ख) छोटी कार परियोजना को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय किए जाने के पश्चात मैसूर सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर इसी प्रकार की अन्य योजनाओं सहित विचार किया जायेगा।

नेफा में खनिज

3838. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा में सुबांसिरी जिले में हाल में गंधक के निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्य स्तर पर इन निक्षेपों को निकालने की संभावनाओं का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क), (ख) और (ग) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने नेफा के सुबनसिरी जिले में पोतनी के स्थान पर गन्धकयुक्त खनिजों के पाये जाने का पता लगाया है। निक्षेपों की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण करने के लिये भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा 1968-69 के दौरान विस्तृत अन्वेषणों का किया जाना प्रस्तावित है। अतः निक्षेपों की वाणिज्यिक सम्भाव्यता के सम्बन्ध में संकेत देने का अभी समय नहीं आया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में कताई मिल

3839. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9894 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित तीन निर्यात प्रधान कताई मिल स्थापित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार करार

3840. **श्री एस. आर. दामानी :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 26 जून, 1968 को भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच हस्ताक्षर किये गये व्यापार समझौते की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस समझौते के अन्तर्गत परम्परागत वस्तुओं के अतिरिक्त संयुक्त अरब गणराज्य को किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा तथा वहां से किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारत और सं. अ. गणराज्य के मध्य 8 जुलाई, 1953 को हुआ व्यापार करार अब भी वैध है और हाल ही में दोनों देशों के बीच कोई नया व्यापार करार नहीं हुआ है । फिर भी जून, 1968 में वर्ष 1968–69 के लिये दोनों देशों के बीच की व्यापार योजना को अन्तिम रूप दिया गया था । इस व्यापार योजना के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1968 से 30 जून, 1969 तक की अवधि में दोनों देशों के मध्य 64 करोड़ रुपये मूल्य के माल के विनिमय की व्यवस्था है ।

(ख) सं. अ. गणराज्य से आयात की जाने वाली मुख्य मदें हैं : रुई, चावल तथा रॉक फास्फेट । पारस्परिक समझौते द्वारा अन्य मदों का भी आयात किया जा सकता है । सं. अ. गणराज्य को किये जाने वाले हमारे निर्यातों में निर्यात की हमारी परम्परागत मदों (चाय, पटसन का माल, गर्म मसाले तथा तम्बाकू) के अलावा अपरम्परागत उत्पादों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। उदाहरणार्थ रसायन तथा रंगसामग्री, औषधें तथा भेषजें, कागज तथा कागज उत्पाद, टायर तथा ट्यूबें, हल्के पेय सांद्रण, प्रति दीप्त ट्यूबें तथा जुडनार, डीजल इंजन, ट्रक चेसिस, बसें तथा आटोमोटिव फालतू पुर्जे, कपड़ा मशीनें, बिजली के पंखे, सूखी बैटरियां आदि ।

ट्रेफिक एकाउंटस आफिस में स्वीकृत तथा कार्यवाही कर्मचारियों की संख्या

3841. श्री एस्थोस : क्या रेलवे मंत्री 26 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, तथा इसके कब तक मिल जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क)और (ख) 8.12.1967 के अतारांकित प्रश्न सं० 3540 से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा चुकी है और नीचे दी जा रही है ।

(क) अपेक्षित सूचना अनुबंध 'क' में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 1728/68**]

(ख) सरलीकरण आदि जैसी नयी प्रक्रियायें शुरू करने के कारण कर्मचारियों की संख्या में सामान्य कमी हुई है । संगणक भी लगाये गये हैं, जिनसे लिपिक कर्मचारियों के काम की मात्रा कम हो गयी है । इन उपायों के फलस्वरूप प्रत्येक रेलवे में यांत्रिकीकरण से पहले प्रचलित स्थानीय परिस्थितियों और परिपाटियों को देखते हुए विभिन्न मात्रा में खर्च में किफायत हुई है ।

पश्चिमी रेलवे लेखा कार्यालय में अनर्ह कर्मचारियों को शेष राशि का भुगतान

3842. श्री नम्बियार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 28 जनवरी, 1964 के पत्र संख्या पी. सी. 62/ पी. एस. 5/ ओ. एस. 17 के अनुसार प्रत्येक मामले में शेष राशि का भुगतान 1 अक्तूबर, 1962 से किया जाना चाहिये;

(ख) क्या अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिमी रेलवे, दिल्ली तथा यातायात लेखा कार्यालय. अजमेर में वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर 1 अक्तूबर, 1962 मे पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को शेष राशि का भुगतान 1 अक्तूबर, 1962 से किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात कारखाने को उपकरणों की सप्लाई

3843. श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारी इंजीनियरी निगम, रांची के भारी मशीन निर्माण संयंत्र द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने को कुल कितने मूल्य के उपकरण सप्लाई किये जायेंगे तथा कितनी अवधि में यह सप्लाई की जायेगी;

(ख) अब तक कितनी मात्रा में सप्लाई की गई है; और

(ग) क्या समूची मात्रा अनुसूची के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूदीन अली अहमद) : (क) भारी मशीन निर्माण संयंत्र द्वारा लगभग 71,950 मी० टन मशीनी उपकरणों तथा लगभग 26,500 मी० टन इस्पात के ढांचे बोकारो इस्पात संयंत्र को दिए जाने हैं। 1968 की दूसरी तिमाही से माल देना कम हो जायेगा और 1971 की तीसरी तिमाही तक पूरा हो जायेगा। उपकरणों के मूल्य अभी तय किए जाने हैं।

(ख) 876 मी० टन मशीनी उपकरण तथा 1,739 मी० टन ढांचे जुलाई, 1968 के अंत तक दिए जा चुके हैं।

(ग) निर्धारित समय तक सारा माल देने के लिए सभी प्रयत्न किए जायेंगे।

कृत्रिम रेशा-उद्योग

3844. श्री सीताराम केसरी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेपाल से प्रतिस्पर्धा होने के कारण देश में कृत्रिम रेशा वस्त्र उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तस्करी द्वारा लाया गया कपड़ा कम दामों पर बिक रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तस्करी को रोकने तथा इस उद्योग को संकट से उबारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) तथा (ख) नेपाल से आयातित नायलोन का कपड़ा कुछ स्वदेशी कपड़ों से प्रतिस्पर्द्धा कर रहा है। भारत तथा नेपाल के मध्य व्यापार तथा परिवहन संधि के अनुच्छेद दो में व्यवस्था है कि दोनों देशों के अद्भव का माल, जो दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में खपत के लिये भेजा जाये, सीमा शुल्क तथा अन्य समतुल्य प्रभारों के साथ-साथ मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों से भी मुक्त होगा, परन्तु ऐसे आयातों पर इसी तरह के भारतीय उत्पादों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा, जब तक कि उन्हें 1934 के भारतीय टेरिफ अधिनियम की धारा 2–क के अन्तर्गत विमुक्त न किया गया हो। ऐसे नेपाली उत्पादों के भारत में आयात के लिये, जो मुख्यतः नेपाली कच्चे माल पर आधारित न हों, नियम तथा शर्तें और क्रियाविधियों को भारत तथा नेपाल सरकार के प्रति-निधियों के बीच बातचीत द्वारा तय करना पड़ता है। मामला विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही नेपाल सरकार के साथ बातचीत आरम्भ करने का विचार है।

Import of tyres from East European Countries

3845. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation had not got examined the quality and specifications of the tyres imported from the East-European Countries as observed by the Inter-departmental Committee and the Public Accounts Committee and also complained of by the importers themselves; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government against the persons responsible therefor ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a)and(b) The Public Accounts Committee has pointed out certain lapses on the part of S. T. C. in ensuring that imported tyres were of proper quality and specifications. A Senior Officer was appointed to enquire into this. He has submitted his report which is at present, under consideration of the Government.

Reserve Stock of Cotton

3846. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Commerce be pleased to State:

(a) whether Government had recently called a meeting of the persons concerned to consider various aspects of building a reserve stock of cotton;

(b) if so, the decision taken in this regard; and

(c) the main features of the proposed scheme regarding reserve stock of cotton ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) The question of buffer stock of cotton is being examined by a Committee and its report is expected to be finalisled soon.

Korba Aluminium Factory

3847. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether an agreement has been reached regarding the terms of collaboration with the Soviet Union in respect of the Korba Aluminium Factory;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Steel, Mines and Metals (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c) Negotiations are in progress with M/s. Tjazhpromexport of USSR for finalising a Contract in connection with the preparation of a Detailed project Report for the smelter portion (including facilities for manufacture of aluminium semis) of the Korba (Madhya Pradesh) Aluminium Project.

इलाहाबाद कम्प्रेशर प्लांट

3848. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद कम्प्रैसर प्लांट के बारे में रूस के साथ सहयोग की शर्तों के सम्बन्ध में एक करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Loss to Banana Trade due to non availability of wagons

3849. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the bananas had perished due to delay in the despatch of railway wagons loaded with bananas to Delhi in the month of July, 1968.

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the extent of loss as a result thereof and the amount of compensation paid to the banana traders ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) Out of a total of 331 wagon-loads of bananas (containing about 5958 tonnes of bananas received at New Delhi during July 1968, 64 wagons containing about 1152 tonnes of bananas were delivered on assessment of damages. Approximately 241 tonnes of bananas were found to have been damaged. No claims for compensation have been received so far.

अनुपातिक निर्वाचन द्वारा निदेशकों का चुनाव

3850. श्री यशपाल सिंह : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक सौ से भी अधिक ससद सदस्यों ने कम्पनी विधि में यह संशोधन करने की मांग की है कि गैर सरकारी तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के निदेशकों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के आधार पर अनुपातिक निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) सुझाव अभी तक परीक्षान्तर्गत है।

Setting-up of New Rural Industrial Units

3851. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Rural Industries Planning Committee proposes to take up some new industrial units in the Fourth Five Year Plan period;

(b) if so, the areas where these new units would be set-up; and

(c) the basis on which they would be set-up ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : A proposal to take up new Rural Industries Projects in the Fourth Five Year Plan period is under consideration.

(b) and (c) The question relating to criteria for selection of areas, etc. would be considered only after the proposal and the outlay required for it are approved by Government.

एस्सो कम्पनी के लिये टिन प्लेटें

3852. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एस्सो कम्पनी को कम दर पर तथा टेंडर मंगाये बिना टिन प्लेटें बेची थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) सरकार द्वारा जरूरतमंद भारतीय उपभोक्ताओं की बजाय एक विदेशी कम्पनी को टिन प्लेटें बेचे जाने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस सौदे में सरकार को कई लाख रुपये की हानि हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुड़गांव जिले में रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

3853. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे लाइन खोलने के लिए गुड़गांव जिले में इस बीच कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब किये जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) रकम की कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में गुड़गांव जिले में किसी नयी रेलवे लाइन के निर्माण की सम्भावना नहीं है। यदि दूर भविष्य में कभी लाइन बनाने का विचार भी किया जाये, तो इस समय किया गया सर्वेक्षण पुराना पड़ जायेगा। इसलिये इस क्षेत्र में नयी लाइन का सर्वेक्षण फिलहाल नहीं किया जायेगा।

लोहे की चादरों का निर्माण

3854. श्री अब्दुल गनी दार : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लोहे की चादरों का निर्माण वास्तविक मांग से काफी कम है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इस्पात के निर्माण में कितनी वृद्धि हुई है तथा वर्षवार कितना इस्पात निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि टाटा के इस्पात की तुलना में सरकारी क्षेत्र का इस्पात बहुत घटिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) टाटा तथा इस्पात के अन्य निजि निर्माताओं के साथ सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने कितनी अवधि में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) इस्पात की चादरों के निर्माण की वर्तमान स्थिति मांग से बहुत कम है ।

(ख) पिछले पांच वर्षों में निर्मित इस्पात के उत्पादन तथा इस्पात के आयात के आंकड़े नीचे दी गई सारणी में दिये गये हैं ।

('000 टनों में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
1963–64	4347	33
1964–65	4508	63
1965–66	4604	150
1966–67	4489	264
1967–68	4013	600

(ग) जी, हां ।

(घ) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कठुआ-जम्मू रेलवे लाइन

3855. श्री मधु लिमये : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कठुआ से जम्मू तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना है;

(ख) यदि हां तो इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या इससे जम्मू तथा काश्मीर की अखण्डता कायम रखने में सहायता मिलेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) जम्मू और काश्मीर राज्य में रेल की सुविधा देने और इस क्षेत्र के सामान्य विकास के लिये लगभग 11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कठुआ-जम्मू रेल संपर्क (बड़ी लाइन, 77 किलोमीटर) का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है ।

Funds received by Congress Party from Hindustan Motors

3856. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Congress Party received funds for elections from the Hindustan Motors during the last General Election of 1967; and

(b) if so, whether a statement in this respect would be laid on the Table of the House. ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) The profit and loss account of Hindustan Motors Limited for the year ended 31st March, 1967 discloses that an amount of Rs. 5,50,175/- was contributed by the company to Congress Committees during the said year. No indication has been given therein whether the contribution was intended for use in the last general elections. Section 293A of the Companies Act, 1956 which imposes restrictions on the power of companies to make political contributions, does not also require disclosure of the purpose for which the contributions were made. It is therefore not possible to say whether the Congress Committees received these funds for elections or otherwise.

छोटी स्कर्टों का आयात

3857. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत छोटी स्कर्टों का आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो इनका आयात किन किन देशों से किया जाता है और पिछले दो वर्षों में इस पर कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय किस-किस प्रकार के स्त्रियों के वस्त्रों का आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिधान तथा हौजरी के आयात पर, जिनका अन्यथा उल्लेख नहीं होता, गत कई वर्षों से रोक लगा दी गई है ।

टाटा तथा बिड़ला उद्योग गृह

3858. श्री शिवचन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टाटा और बिड़ला औद्योगिक गृहों की कुल पूंजी, आस्तियों तथा उनके स्वामित्वाधीन कम्पनियों के सम्बन्ध में, अलग अलग वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात उनमें वृद्धि हुई है अथवा कमी तथा इस वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त से अब तक उन्हें कुल कितना लाभ हुआ है; और

(घ) उन्हें कितनी तथा किन-किन उद्योगों के लिये लाइसेंस दिये गये हैं और उन्होंने कितने तथा किन-किन उद्योगों के लिये लाइसेंस मांगे थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ़खरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) इच्छित सूचना सैकड़ों कम्पनियों से संग्रह की जायेगी। अतः इसमें अधिक समय तक विचारणीय श्रम करना पड़ेगा। यह अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

झंझरपुर के निकट रेलवे पुल (पूर्वोत्तर रेलवे)

3859. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से झंझरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट बांधों के बीच रेलवे पुल का विस्तार करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) नमूना अध्ययन करने के बाद ही पुल के नीचे अतिरिक्त जल-मार्ग की व्यवस्था करने के बारे में अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा। बिहार के सिंचाई विभाग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पूना द्वारा नमूना अध्ययन किये जा रहे हैं, और इनके परिणामों की प्रतीक्षा है। अध्ययन की समाप्ति पर ही निर्माण कार्य को हाथ में लिया जा सकता है।

इस्पात के कारखानों की स्थापना

3860. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केवल राष्ट्रीय संसाधनों पर निर्भर हो कर प्रति वर्ष एक इस्पात का कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) देश में इस्पात के आयात निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) हमारे देश में इस्पात की मांग कितनी है और इस्पात के निर्यात की संभावनाएं क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां। इस्पात कारखाने स्थापित करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, इस्पात की मांग, देश तथा निर्यात के लिए इस्पात के निर्माण की वर्तमान मांग को ध्यान में रखा जायेगा।

(ख) नीचे दी गई सारणी से यह पता चलेगा कि 1964–65 में आयात में गिरावट आई थी, परन्तु 1967–68 में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई थी। आयात में लगातर वृद्धि हो रही है।

वर्ष	आयात	निर्यात (निर्मित इस्पात के हजार टन)
1964–65	929	76
1965–66	734	140
1966–67	400	301
1967–68	479	600

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस्पात की देश में खपत इस प्रकार है:—

वर्ष	मात्रा (10 लाख टनों–में निर्मित इस्पात)
1965–66	5.20
1966–67	4.59
1967–68	3.89

राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् का अनुमान है कि वर्ष 1970–71 में निर्मित माईल्ड इस्पात की देशी मांग 69.00 लाख टन होगी ।और 1975-76 में 111.3 लाख टन होगी ।

1968–69 में इस्पात के निर्यात का लक्ष्य 945,000 मीटरी टन निश्चित किया गया है।

औद्योगिक विकास

3861. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में औद्योगिक विकास के लिये एक ही मालिक के अन्तर्गत कई उद्योग स्थापित न किये जानेके बारे में कोई नीति विषयक निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इसके पक्ष में है कि उद्योग के कई मालिक होने चाहिएं और यदि हां, तो इसके लिये क्या सिद्धान्त बनाए गये हैं; और

(घ) क्या किन्ही विशिष्ट क्षेत्रों को चुना गया है जिनमें विदेशी सहयोग की अनुमति दी जायेगी और यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): योजना आयोग ने अपने 'एप्रोच टु दि फोर्थ फाइव इयर प्लान' नामक पेपर में आर्थिक शक्ति के जमाव पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करने का सुझाव दिया है:-

"यह सिद्धान्त निर्धारित कर देना आवश्यक है कि औद्योगिक लाइसेंस उसी उद्योग समूह को दिया जायेगा जिसने पिछली लाइसेंस अवधि में अच्छा कार्य कर दिखाया हो। एक दूसरी कार्यवाही यह की जानी चाहिए कि वित्तीय संस्थाओं की ऋण सम्बन्धी नीतियां इस प्रकार बनाई जाय कि बड़े उद्योग समूहों की तुलना में उपलब्ध वित्तीय साधन अधिक अनुपात में न मिलें। बड़े उद्योग समूहों के मामले में यह भी व्यवस्था करना वांछनीय होगा कि किसी परियोजना में लगाई गई पूंजी में उनका अपना अंशदान मध्यम या नये उद्यमियों की तुलना में अधिक हो और गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिये उन्हें धन नहीं उपलब्ध कराया जाना चाहिये।"

ये सुझाव विचाराधीन हैं:—

(घ) सिद्धान्त रूप में यह निर्णय किया गया है कि उन उद्योगों की एक सूची बनाई जाय जिनमें विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है। ऐसी सूची तैयार की जा रही है और उसमें वे उद्योग सम्मिलित नहीं किए जायेंगे जिनमें प्रौद्योगिकीय जानकारी का पर्याप्त विकास किया जा चुका है अथवा जो कम प्राथमिकता के हैं।

प्रशुल्क समिति का प्रतिवेदन

3862. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री पी० डी० कासबेकर की अध्यक्षता में गठित प्रशुल्क समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें तथा सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति ने आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के पुनरीक्षण तथा संबद्ध मामलों पर एक प्रतिवेदन दे दिया है।

(ख) समिति ने 95 निष्कर्ष तथा सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। जो प्रतिवेदन में दिये गये हैं जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में प्राप्य हैं। प्रतिवेदन का सारांश (अंग्रेजी में) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1729/68]**

इतर यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) में ग्रेड 2 के क्लर्कों की पदोन्नति

3863. श्री विश्वनाथ मेनन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इतर (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे, दिल्ली में ग्रेड 2 के ऐसे अर्हता प्राप्त अथवा अनर्ह क्लर्कों के नाम, उनकी पदोन्नति की तारीख तथा इस कार्यालय में उनकी क्रम-संख्या क्या है, जिनकी 1 अक्तूबर, 1962 से 19 नवम्बर, 1963 की अवधि में ग्रेड 1 के क्लर्कों के पद पर पदोन्नति की गई थी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Bridges over railway line near Patna City and Gulzarbagh stations

3864. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a great rush of passengers and other persons while crossing the rails in Meethapur, Patna City in the absence of an over-bridge consequent to which there is sometimes fear of accidents;

(b) whether the passengers have to face much difficulty in the absence of an over-bridge at the Cabin near Gulzarbagh Railway station;

(c) whether the construction of over-bridges on these two places is being demanded since long;

(d) if so, Government's reaction thereto; and

(e) the difficulties in the way of meeting these demands ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes; no case of accident at this level crossing has been reported to the Railway administration recently.

(b) No.

(c) There has been a demand from public for construction of a foot over-bridge in replacement of Meethapur level crossing; but there is no demand so-for far construction of an over-bridge in replacement of Gulzarbagh level crossing.

(d) and (e) Under the extant rules, proposals for construction of road over/under bridges in replacement of busy level crossings are required to be sponsored by the State Government indicating the relevant priority and the year in which they would be able to provide funds towards Road Authority's share of the cost of the work, as required under the extant rules.

There are no firm proposals so far from the Government of Bihar for the construction of road overbridges in replacement of existing level crossings at Meethapur, Patna City and Gulzarbagh Stations.

Demands of Loco Mechanical Staff, Sahibganj

3865. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 148 employees of the Loco Mechanical staff working in Sahibganj Loco shed, Eastern Railway, have submitted a memorandum to the General Manager of the Eastern Railway;

(b) whether a copy thereof was sent to him besides other officers;

(c) if so, the details thereof; and

(d) Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid down on the Table of the Sabha.

Strike by Workers of Diesel Locomotive Workshop, Varanasi

3866. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state;

(a) whether it is a fact that about two thousand Railway workers of the Varanasi Diesel Locomotive Workshop went on 'sit down' strike on the 20th July, 1968 to protest against the ill-treatment of an Officer;

(b) if so, the number of hours for which the strike lasted;

(c) whether any action has been taken against the Officer who mis-behaved;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Workers of Diesel Locomotive Works, Varanasi resorted to an illegal strike following an altercation which occured between a workman and another employee on 18-7-68.

(b) Stoppage of work was during both day-shift from 6.30 A. M. to 15.30 P. M. on 20-7-68 and night-shift from 15.30 P. M. on 20-7-68 to 00.15 A. M. of 21-7-68.

(c) to (e) The incident which occured on 18th July, 1968 is being inquired into.

Industrialisation of area between Patna and Varanasi

3867. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the area between Patna and Varanasi is a backward area because of the absence of any big factory in the said area;

(b) if so, whether Government have any concrete scheme for industrial development of the said area; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhrudian Ali Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य रेलवे के ग्रेड दो के लेखा लिपिकों की दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद स्थित वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य-लेखा अधिकारी के कार्यालय में पदोन्नति

3868. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के ग्रेड दो के वे लेखा क्लर्क, जो अब वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य दक्षिण रेलवे के सिकन्दराबाद स्थित कार्यालय में काम कर रहे हैं, ए० पी० पी० दो परीक्षा के पास करने के 12 वर्ष बाद भी 110 रुपये—180 रुपये के प्रारम्भिक वेतन मान पर ही रूके हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड के पत्र सँख्या 62/डी० एस० डी० ए० दिनांक 6 दिसम्बर 1966 तथा पत्र संख्या ई(ए० डी०) 66 आर० आर० आई/12/इकोनोमी/ई (जी)/पीटी दिनांक 4 अप्रैल 1968 में निहित आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है और उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की गई है जैसा कि अन्य क्षेत्रीय रेलवे विभागों में बिना किसी गतिरोध के किया गया है; और

(ग) बोर्ड के आदेशों को अन्य क्षेत्रीय रेलवे के अनुरूप कार्यान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं तथा कब तक बोर्ड के आदशों को कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) : मध्य-दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलों में "छाया पदों" से सम्बन्धित रेलवे बोर्ड के विनिश्चय को क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाइयां हैं, क्योंकि 1-10-62 को दक्षिण-मध्य रेलवे नहीं बनी थी । इन तीन रेलों मे "छाया पद योजना" को क्रियान्वित करने के लिए कोई सूत्र ढूंढने के विचार से तीनों रेलों के वरिष्ठ अधिकारियों और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की भी एक बैठक हुई है । मामले का शीघ्र निपटारा करने और कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति का लाभ देने के लिए कदम उठाये जायेंगे ।

मध्य रेलवे के कार्यालयों का बंबई स्थानान्तरण

3869. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के पांच डिवीजन अपने कर्मचारियों और फाइलों के साथ अभी तक पहले की भांति सिकन्दराबाद में ही है क्योंकि उनके लिए बम्बई में क्वाटरों की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जबकि दक्षिणी रेलवे के दो डिवीजन के लिए सिकन्दराबाद में क्वाटरों की व्यवस्था की जा चुकी है; और

(ख) क्या निकट भविष्य में मध्य रेलवे के डिवीजनों के कर्मचारियों को बम्बई में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मुरारपुर फ्लेग स्टेशन पर टिकटों का उपलब्ध न होना

3870. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 जुलाई, 1968 के पटना के हिन्दी दैनिक "*आर्यवर्त्त*" में "क्या यह सच है" शीर्षक के अन्तर्गत इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि साहेबगंज लूप लाइन पर "मुरारपुर" नामक फ्लेग स्टेशन पर भागलपुर के लिये तृतीय दर्जे के टिकट उपलब्ध नहीं थे और इस प्रकार 27 मार्च से इन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रियों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में टिकट उपलब्ध करने के लिये समय पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी;

(ग) इस कारण रेलवे को कितनी हानि होने का अनुमान है;

(घ) क्या कुछ समय तक भागलपुर-मंडाहिल शाखा लाइन पर कुछ स्टेशनों के बीच ऐसी ही स्थिति रही थी; यदि हां, तो उससे कितनी हानि हुई; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है तथा क्या इन गलतियों के लिये उत्तरदायी किसी कर्मचारी को दण्ड दिया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) यह सच है कि मुरारपुर से भागलपुर तक वयस्कों के छपे टिकट 26 मार्च, 1968 को समाप्त हो गये थे और टिकटों की आगे सप्लाई 13 जुलाई, 1968 को ही की जा सकी। लेकिन इन स्टेशनों के बीच यात्रियों को बिना टिकट यात्रा नहीं करने दी गयी। उन्हें या तो प्रति वयस्क दो आधे टिकट दिये गये अथवा कोरी टिकट पर्चियां जारी की गयी। टिकटों की सप्लाई में विलम्ब का कारण यह था कि टिकट छापने वाले प्रेस की क्षमता अपर्याप्त थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है।

(ग) राजस्व की कोई हानि नहीं हुई।

(घ) जी नहीं। हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) टिकट छापने वाले प्रेस की क्षमता प्रति दिन 4 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गयी है और रेलवे पर छपे हुए टिकटों की सप्लाई की स्थिति अब सन्तोषजनक है।

समय पर टिकटों की सप्लाई न करने का उत्तरदायित्व निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इस्पात का उत्पादन तथा आयात

3871. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960—1967 की अवधि में वर्षवार प्रत्येक किस्म के इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसका मूल्य कितना-कितना था; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक किस्म के कुल कितने इस्पात का बाहर से आयात किया गया और उसका मूल्य कितना-कितना था ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात

3873. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 से 1967 तक और 1968 के प्रथम पांच महीनों के दौरान कितनी मात्रा और कितने मूल्य का प्रत्येक प्रकार का इंजीनियरी के सामान का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) ; निर्यात के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर ही रखे जाते हैं। एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1730/68**] जिसमें 1965—66 से 1967—68 की अवधि में इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात दिखाया गया है। चालू वर्ष अर्थात 1968—69 के सविस्तार आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है।

इनकी मात्रा बताना संभव नहीं है क्योंकि मात्रा का हिसाब भिन्न-भिन्न इकाइयों में रखा जाता है।

रेलवे लेखा विभाग में ग्रेड एक तथा दो के क्लर्क तथा सब-हेड

3874. **श्री वि० कु० मोडक** : क्या **रेलवे** मन्त्री रेलवे लेखा विभाग में ग्रेड एक तथा दो के क्लर्कों तथा सब-हैडों के बारे में 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10054 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना अभी इकट्ठी की जा रही है और जल्द सभा-पटल पर रख दी जायेगी। इस विलम्ब का कारण यह है कि रेलवे बोर्ड के 4-4-68 के आदेशों को सभी रेलों पर अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। अन्तिम सूचना को शीघ्र इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

Trade with U.S.S.R.

3875. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quantum of trade between India and the U.S.S.R. is maximum;

(b) whether Government anticipate that consequent to the recent trade negotiations between the USSR and Pakistan. USSR may change her trade policy towards India; and

(c) if so, the steps being taken by Government as a precautionary measure to safeguard India's trade interests ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) The quantum of trade between India and U S.S.R. which was of the order of Rs. 216.33 crores both ways during 1967-68 is next in order to our quantum of trade with United States, United Kingdom and Japan. It is our hope that this will increase further.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

मलयेशिया से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

3876. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया के प्रधान मंत्री के साथ हुए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप मलयेशिया से एक प्रतिनिधिमंडल निकट भविष्य में भारत आने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) कोई निश्चित तिथि अभी तक नियत नहीं की गई।

अबुधाबी (अरब की खाड़ी) को निर्यात

3877. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब सागर की एक बन्दरगाह अबुधावी से प्राप्त लाखों रुपये के मूल्य के आयात आर्डरों का माल भारत के निर्यातकर्ताओं ने नहीं भेजा है । यद्यपि यह आर्डर कई महीने पहले दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस महत्वपूर्ण और तेल-समृद्ध देश से, जो कि भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने को बहुत इच्छुक है, भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिये कुछ उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि भारतीय माल के लिए क्रयादेश सीधे निर्यातकों को दिये जाते हैं और उन्हें किसी सरकारी अभिकरण के माध्यम से नहीं देना पड़ता ।

(ख) अबुधावी से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले हमारे प्रयत्नों को विफल करने में अब तक सीधी जहाजी सेवा का अभाव एक मुख्य कारण रहा है । बिल्कुल हाल ही में जहाजरानी निगम ने भारत और अरब की खाड़ी के देशों के बीच नियमित मासिक जहाजी सेवा शुरू की है । ऐसी आशा की जाती है कि इससे अबुधावी तथा अन्य देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

ऊनी हौजरी के निर्यात के लिये राज सहायता

3878. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी हौजरी के निर्यातकों को राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलों में राडार प्रणाली

3879. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं को कम करने के लिये जापान तथा अन्य उन्नत देशों की भांति रेलवे में राडार उपकरण स्थापित करने की सम्भावना पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) क्या रेलवे में ऐसी राडार प्रणाली लागू करने पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जापान या अन्य प्रगतिशील देशों की रेलों में अभी तक राडार उपस्कर का प्रयोग शुरू नहीं किया गया है। भारतीय रेलों में राडार उपस्कर की व्यवस्था करने की व्यावहारिकता पर विचार किया गया है लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसे अपनाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कपड़ा मिलों के मामलों की जांच के लिये समितियों की नियुक्ति

3880. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा अन्य राज्यों में कपड़ा मिलों के मामलों की जांच के लिये कोई समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(घ) क्या इस समिति में भी मजदूरों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) इस समय गुजरात राज्य की एक मिल के मामलों की जांच के लिए सरकार का विचार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत एक जांच समिति नियुक्त करने का है।

(ग) समिति में एक गैर-सरकारी अध्यक्ष तथा समवाय विधि बोर्ड और वस्त्र आयुक्त, बम्बई के कार्यालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(घ) जी, नहीं।

रेलवे में भोजन व्यवस्था में खराबी

3881. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सारी रेलवे की भोजन व्यवस्था में भोजन तथा जल पान की दरें बढ़ा दी गई हैं तथापि उनकी किस्म में गिरावट आ गई है;

(ख) क्या रेलवे में भोजन की किस्म तथा तत्सम्बन्धी सेवा में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) रेलवे द्वारा चलाये जाने वाले रेस्तराओं में अचानक परीक्षण करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सामानों का मूल्य तथा कर्मचारियों पर खर्च बढ़ जाने से होने वाले घाटे से बचने के लिए जब कभी भी अति-आवश्यक समझा गया भोजन तथा जलपान की दरों में वृद्धि की गयी। वास्तविकता यह है कि 1966–67 की तुलना में 1967–68 में रेल खान-पान व्यवस्था द्वारा दिये गये भोजन की किस्म के सम्बन्ध में

शिकायतों में कमी हुई है जिससे यह जाहिर है कि भोजन की किस्म में गिरावट नहीं हुई है। फिर भी, इस मामले में संतुष्टि नहीं बरती जा रही है और निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

(ख) जी हां, रेलवे खान-पान व्यवस्था से सम्बन्धित भोजन की किस्म तथा सेवा के मानक में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(I) अच्छी किस्म के कच्चे माल की खरीद और सप्लाई से सम्बन्धित पर्यवेक्षण के काम को तेज करना, भोजन पकाने के लिए नियमावली बनाना, कुशल रसोइयों की भर्ती तथा विभागीय व्यवस्था वाले इकाइयों में पाक शास्त्र सम्बन्धी केटरिंग कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

(II) सभी केटरिंग स्थापनाओं में निरीक्षण के काम को बढ़ाना।

(ग) केटरिंग स्थापनाओं के साथ ही रेस्टुरेन्टों द्वारा भोजन पकाने तथा सम्बन्धित सेवाओं को अपेक्षित स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए अक्सर जांच और अचानक निरीक्षण किये जाते हैं।

दक्षिण-मध्य रेलवे वर्कशाप में एक माल डिब्बे के 'एक्सिल बक्सों' का तोड़ा जाना

3882. श्री वि० नरसिम्हाराव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 फरवरी, 1968 को दक्षिण मध्य रेलवे में माल डिब्बा संख्या सी० 10266 के जिन चार 'एक्सिल बक्सों' की मरम्मत की गई थी उनको तोड़ा गया था और उनसे तांबे का सामान निकाल लिया गया था और माल डिब्बा अब भी बिना मरम्मत के वहां पड़ा हुआ है;

(ख) क्या मामले की कोई जांच कार्रवाई की गई है और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

रेलवे अधिकारियों द्वारा सैलूनों तथा इन्स्पैक्शन कैरिज का प्रयोग

3883. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सैलूनों तथा इन्स्पैक्शन "कैरिजों" के प्रयोग पर हाल में कोई प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कैरिजों के प्रयोग सम्बन्धी वर्तमान नियम क्या हैं, और हाल में लगाए गये प्रतिबन्धों के बाद के नियम क्या हैं और ऐसे डिब्बों के प्रयोग के विशेषाधिकार के लिये किस-किस श्रेणी के अधिकारी अभी भी हकदार रहेंगे; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन डिब्बों के प्रयोग के विरुद्ध जनता की भावना को दृष्टि में रखते हुए मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा पृथक डिब्बों तथा कैरिजों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा सैलूनों/रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण डिब्बों के उपयोग पर कोई नयी पाबन्दियां नहीं लगायी गयी है ; लेकिन, पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप हाल ही में उन गाड़ियों की सूची में संशोधन किया गया है जिनके साथ सैलून निरीक्षण डिब्बे लगाये जा सकते हैं । ऐसा गाड़ियों के महत्व, अधिकारियों द्वारा की जाने वाली ड्यूटियों की किस्म और अन्य सम्बन्धित तत्वों को ध्यान में रख कर किया गया है । सैलूनों/निरीक्षण डिब्बों का उपयोग करने के हकदार जो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति/रेलवे अधिकारी ड्यूटी पर यात्रा करते हैं, उनकी कोटियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) जी नहीं । रेलवे अधिकारी आवश्यक दैनिक और विस्तृत निरीक्षण करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में ड्यूटी पर यात्रा करते समय निरीक्षण डिब्बों का उपयोग करने के हकदार हैं । निरीक्षण डिब्बों की व्यवस्था रेलवे अधिकारियों को इस योग्य बनाती हैं कि वे बड़े और छोटे स्टेशनों, रेल-पथ के लम्बे टुकड़ों, सिगनल डिपुओं और यार्डों आदि, जो रेलों के संचालन के लिये आवश्यक समझे जाते हैं, का दिन रात निरीक्षण कर सकते हैं । इस कारण रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण डिब्बों का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है ।

महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा सैलून के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का अभी कोई विचार नहीं है । तथापि, आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं कि मंत्री सैलून का कम से कम प्रयोग करें ।

पश्चिम रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या

3884. श्री सत्यनारायण सिंह : क्या रेलवे मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में 1-10-1962 को स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या क्या थी;

(ख) 1 अप्रैल, 1968 को स्वीकृत कर्मचारियों की स्थायी पदों तथा छाया-पदों (शैडो पोस्ट) की अलग-अलग संख्या कितनी थी; और

(ग) दिल्ली स्थित पश्चिमी रेलवे के इत्तर (फारेन) यातायात में फालतू कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और समा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे के लेखा कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता

3885. श्री सत्यनारायण सिंह : क्या रेलवे मंत्री उत्तर रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के लेखा कर्मचारियों को यात्रा-भत्ते के सम्बन्ध में 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कब तक इकट्ठी हो जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) प्रश्न में जो ब्यौरेवार सूचना मांगी गयी है, वह बहुत लम्बी-चौड़ी है और उसे प्रस्तुत करना प्रशासन के लिए व्यावहारिक नहीं है। फिर भी, एक विवरण (अनुबन्ध क से ग तक तीन भागों में) संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1731/68]** जिसमें निम्नलिखित सूचना दी गयी है :—

(क) जनवरी 1965 से मार्च 1968 तक प्रति मास

(क) अजमेर में, और

(ख) दिल्ली में

(i) पश्चिम रेलवे के

और

(ii) दिल्ली में उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालयों के जिन कर्मचारियों ने यात्रा भत्ते की मांग की, उनकी संख्या; और

(ख) कथित अवधि में प्रति मास सम्बन्धित कर्मचारियों को दिया गया यात्रा भत्ता।

Tractor Factories

3886. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of tractor factories set up so far since the delicensing of the industry;

(b) the number of factories likely to be set up by the end of current year;

(c) whether it is a fact that the awareness of the uses of tractors developed in the farmers has exceeded all estimates made by Government and the demand for tractors therefor cannot be met within the next ten years even; and

(d) if so, the steps being taken to overcome the shortage ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) Government have received 9 schemes for the establishment of factories for the manufacture of tractors after the industry has been exempted from the

licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. All these schemes are presently under examination in all their aspects. It cannot be stated at this stage how many of them will materialise and when.

(c) and (d) According to the estimates recently given by the Department of Agriculture, it appears that the demand of tractors from the farmers exceeds their earlier estimates considerably.

The following steps have been taken to increase the availability of tractors :—

(i) Their requirements of imported capital goods for increasing their production as well as indigenous content have been cleared on priority basis and necessary funds have been allocated for their import.

(ii) Foreign exchange allocations are being made to the manufacturing units to meet their full requirements of imported components and raw materials for production upto their licensed capacity in accordance with the approved manufacturing programme.

(iii) Whether feasible, manufacturers are being permitted to import components even to a larger extent than permitted under the approved phased manufacturing programme to enable them to step up the production.

(iv) To cover the gap between the demand and the availability from indigenous production, import of tractors is arranged for to the extent possible.

Singrauly Collieries in U.P.

3887. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government colliery in Singrauly has been closed down since Obra Power Station of Uttar Pradesh is procuring Coal from Bihar and West Bengal;

(b) whether Government except that the Uttar Pradesh Government will have to purchase coal from the Singrauli Collieries after 1969–70 when Railways will not be in a position to transport the coal;

(c) if so, the reasons why a private colliery in West Bengal is earning profit by supplying coal whereas a Government colliery is not in a position to supply it to a neighbouring area at similar rates; and

(d) the action taken by the National Coal Development Corporation to reduce its cost of production and to increase the total production of coal ?

The Deputy Minister of Steel, Mines and Metals (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Ancillary Industries

3888. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the progress made since 1950–51 to-date in the Project which was prepared during the First Plan period for the development of small scale industries around heavy industries and industries which were ancillary to heavy industries, and the contribution made by the said industries in the industrial production ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : Significant efforts towards the development of ancillaries commenced only

after the constitution of a Standing Committee on Ancillary Industries by the Small Scale Industries Board in April, 1960. Later on, towards the end of 1960, a separate Ancillary Division was created in the DCSSIO to provide direction and to energise the growth of ancillary industries in the country. This Division has undertaken the following tasks;

(1) Preparation of list of parts and components that can be conveniently farmed out by the various public sector undertakings to small scale industries in the country in consultation with the concerned authorities in these undertaking.

(2) Classification of various large scale undertakings in private sector in terms of their requirements of parts and components that could be procured by them units in the small scale sector;

(3) Provision of technical assistance and know-how to the existing as well as the intending small scale ancillary units for undertaking manufacture of parts and sub-assemblies that can be supplied to large industrial undertakings both in the private and the public sectors;

(4) Registering small scale industries as the ancillary units wherever an ancillary relationship exists-that is where the small scale units supply parts and components on regular one or more regular and product manufacturers;

(5) Classification of small scale industries with the details of parts and components, etc. the manufacture of which can be undertaken with their existing machinery and know-how.

A two-men Committee was formed to go into the details in regard to development of small scale ancillary units to the public sector undertakings and its recommendations have been accepted by the Government and communicated to the undertakings to follow them up. The important recommendations are :

(i) To appoint a senior officer for the development of ancillary industries by the undertaking to form out items which could be encouraged in an ancillary industrial estate near the undertaking;

(ii) To give technical assistance and drawings etc. by the undertaking wherever possible to the ancillary units;

(iii) To exhibit those items which are being imported and could be developed indigenously by the ancillary units etc.

Progress made in the development of ancillary industries in some of the heavy engineering undertakings are as follows :

(i) **Heavy Engineering Corporation, Ranchi.**

The HEC, Ranchi, with the active cooperation of the State Govt. have set apart land for developing ancillary units near the undertaking. Administrative block of the ancillary industrial estate is nearing completion. 26 entrepreneurs have already taken possession of their plots. Regular orders are being placed on small scale for steel structure items.

(ii) **Hindustan Machine Tools Limited, Bangalore**

The HMT have an industrial estate comprising 50 ancillary manufacturing units which have provided regular employment to about 500 persons and

supply parts and components of the value of over 36.15 lakhs of rupees during 67-68. This public sector undertaking provides facilities to the ancillary units, such as electricity, raw materials, common facility services, training, technical assistance, marketing. etc. These units manufacture and supply parts and components required for manufacture of machine tools.

(iii) **Hindustan Steel Limited, Bhilai.**

There are 15 ancillary small scale units which are presently working as ancillaries to the Hindustan Steel Ltd., Bhilai. These units are catering to the needs of the undertaking.

(iv) **Bharat Electronic Limited, Bangalore.**

There are 11 small scale ancillary units which have been set up in the Ancillary Industrial Estate attached to the undertaking. The ancillary units have supplied to the undertaking, parts and components worth Rs. 10.14 lakhs during 67-68.

(v) **Bharat Heavy Electricals, Trichirappalli.**

About 25 small scale units were recommended for supply of various ancillary items for the production of High Pressure Boilers. 7 small scale units have been placed with orders for the supply of castings, forgings, electrical stores, etc. to the tune of Rs. 9.7 lakhs of rupees.

(vi) **Bharat Heavy Electricals, Hardwar.**

This undertaking has set aside an area of 250 acres for setting up of ancillary industrial ostate. The list of items which offer scope for manufacture in the small scale sector is under review.

(vii) **Heavy Electricals (I) Ltd , Bhopal.**

This undertaking has an ancillary industrial estate attached to it and about 12 ancillary units are regularly supplying parts and components.

Development of Silk Industry

3889. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the development of silk industry annually from the years 1955-56 to 1967-68 and the amount actually spent thereon;

(b) whether in view of the increasing demand of silk Government consider the targets fixed as adequate;

(c) whether the actual expenditure was half of the amount allocated for the purpose; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A statement is attached. **[Placed in the Library. Pl. See. LT 1732-68]**

(b) Yes, Sir.

(c) The actual expenditure was about 57% of the total allocation.

(d) The reasons for low utilisation were :

(i) delay in the execution of constructional programmes by the State P.W.Ds.

(ii) National emergency declared during the second year of the Third Plan and consequently severe cut imposed by the State Governments on Sericultural Developmental programmes, and

(iii) inadequacy of the implementing machinery to cope with the additional work incidental to developmental activity.

गुजरात में कपड़े के मिल

3890. श्री रा० की० अमीन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से राज्य के संकटग्रस्त मिलों की समस्या को हल करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य की इस नीति को देश के सभी संकटग्रस्त कपड़ा मिलों पर लागू करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) संक्षेप में सुझाव इन बातों के सम्बन्ध में थे । उत्पादन शुल्क में संशोधन, कपड़ा मिलों को आवास गिरवी रखने/दृष्टि बंधक रखने के मामले में दी जाने वाली सुविधा से संबंधित मार्जिन में कमी, ऐसी कपड़ा मिलों को जो नवीकरण तथा आधुनिकीकरण करें, उत्पादन कर में छूट और पुनःस्थापन भत्ते के साथ-साथ ब्याज की रियायती दर पर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया से ब्लाक पर ऋण, सुव्यवस्थित कपड़ा मिलों के विस्तार के लिये नये लाइसेंसों की अनुमति, राज्यों के सहायक निगमों द्वारा ली गई मिलों की कार्यकारी पूंजी की मांग में केन्द्रीय सरकार द्वारा 60% अंशदान, कमजोर तथा समाप्तप्रायः मिलों का समृद्ध मिलों में विलय, आयकर आदि के प्रयोजनों के लिये कपड़ा उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषित करना ।

(ग) सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

ब्रिटेन तथा श्रीलंका की मुद्रा के अवमूल्यन से भारतीय चाय निर्यात व्यापार पर प्रभाव

3891. श्री रा० की० अमीन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन तथा श्रीलंका की मुद्रा के अवमूल्यन के बाद हमारे चाय निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1966 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद लगाये गये 2 रुपये प्रति किलोग्राम के शुल्क में कमी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो ब्रिटेन तथा श्रीलंका की मुद्रा के अवमूल्यन के बावजूद ऐसा न करने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि ब्रिटेन के पौंड अथवा श्रीलंका के रुपये के अवमूल्यन के फल-स्वरूप भारतीय चाय के निर्यात पर कुप्रभाव पड़ा है। वस्तुतः 1966 की अपेक्षा 1967 में चाय का निर्यात अधिक हुआ था। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में जनवरी–जून की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विभिन्न किस्मों की चाय का अधिक निर्यात हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नवम्बर, 1966, मई, 1967 तथा फरवरी, 1968 में चाय के निर्यात शुल्क में किये गये समंजन, और जून, 1966 में किये गये भारतीय रुपये के अवमूल्यन से भारत के चाय के निर्यात के स्तर को बनाये रखने में सहायता मिली है।

नमक की चोर बाजारी

3892. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरयाणा, जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में नमक चोर-बाजारी की दरों पर बेचा जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका कारण गुजरात में कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में जमा हुए नमक को वहां ले जाने की परिवहन व्यवस्था न कर सकना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है। फिर भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

विदेशी पूंजी विनियोजन बोर्ड

3893. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के विनियोजन तथा भारत और विदेशी भागीदारों के बीच सहयोग के लिए एक बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी विदेशी पूंजी विनियोजकों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और ये आवेदन-पत्र किन-किन देशों से प्राप्त हुए; और

(ग) इस बोर्ड के कृत्य तथा शक्तियां क्या होंगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उद्योगों में विदेशी साझे के मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए एक विदेशी विनियोजन

बोर्ड की स्थापना करने का निश्चय किया गया है। इस बोर्ड की वास्तव में अभी स्थापना नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विदेशी विनियोजन और सहयोग के सभी मामले इस बोर्ड के क्षेत्राधिकार में होंगे। सारे आवेदन-पत्र पहले बोर्ड में ही लिये जायेंगे और सम्पूर्ण रूप से निरीक्षण का उत्तरदायित्व उसी का होगा। बोर्ड प्रशासनिक मंत्रालयों को पर्याप्त अधिकार देगा जिन पर उनके अपने-अपने क्षेत्र विशेष के अन्तर्गत आने वाले आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होंगे। कतिपय मामलों को बोर्ड स्वयं भी अपने हाथ में ले सकता है।

पश्चिम रेलवे के इतर (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली में क्लर्कों का तबादला

3894. **श्री पी० राममूर्ति :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड द्वारा 20 अगस्त, 1966 के अपने पत्र में दिये गये आश्वासनों के बावजूद दिल्ली में पश्चिम रेलवे के इतर (फारेन) यातायात लेखा कार्यालय के चार क्लर्कों का दिल्ली से बाहर तबादला किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानान्तरण के इन आदेशों को रद्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लघु उद्योगों की स्थापना

3895. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के सचिव ने हाल ही में कहा है कि देश में 10 लाख लघु उद्योगों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये अनुकूल वातावरण बनाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या इस प्रकार के लघु उद्योगों की स्थापना में भाग लेने का सरकार का अपना विचार भी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं। सचिव ने जिस बात पर बल दिया है वह यह है कि लघु उद्योगों का पर्याप्त विस्तार करना देश के हित में होगा।

(ख) लघु उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए कई पग उठाए गए हैं, जैसे :-

1. नि:शुल्क तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सेवाओं का प्रदान किया जाना;
2. सम्मिलित सेवा सुविधाओं की व्यवस्था करना;
3. कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक बस्तियों में बने बनाए कारखाना स्थलों का दिया जाना;
4. उदार ऋण सुविधाएं देना;
5. लघु उद्योगों में काम मिलने की संभावनाओं से जनता को अवगत कराने तथा ऐसे उद्यमियों को पहचानने, जिनके लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता की जा सकती है, के लिए सघन आन्दोलनों का आयोजन करना;
6. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद के आधार पर मशीनों का सम्भरण;
7. केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए 45 वस्तुओं का आरक्षित किया जाना;
8. केन्द्रीय माल खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत 110 वस्तुओं का लघु उद्योग क्षेत्र से खरीद के लिए आरक्षण करना ।

(ग) जी, नहीं ।

Production of Pig Iron in Bailadilla Mines, Madhya Pradesh

3896. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the quantity of pig iron mined from Bailadilla Iron Ore Mines in Madhya Pradesh;

(b) the percentage thereof being exported to Japan; and

(c) whether Government are considering the question of setting up of a Steel Plant there in the near future for the proper utilisation of iron extracted from this mine ?

The Deputy Minister of Steel, Mines and Metals (Chowdhary Ram Sewak) : (a) It is presumed the reference is about the production of iron ore from Bailadilla mine.

The National Mineral Development Corporation Ltd., has Developed a mechanised iron ore mine based on Bailadilla Deposit No. 14 for the production of 4 million tonnes of sized iron ore per annum for export to Japan. The trial runs at the mine commenced in April, 1968. Upto 30-6-68, 8.63 lakh tonnes of iron ore was produced from this mine by float ore mining as well as plant production.

(b) and (c) The entire production from this mine is meant for export to Japan.

न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर

3897. श्री स० मो बनर्जी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा न्यू विक्टोरिया मिल्स कानपुर को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो असाधारण देर होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जांच प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है, और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) मिल की वित्तीय तथा तकनीकी स्थिति ऐसी है कि सरकार को मिल के भविष्य के बारे में किसी भी विनिश्चय पर सावधानी से विचार करना पड़ेगा। राज्य सरकार से परामर्श लेना भी आवश्यक था और वह अभी हो रहा है।

(ग) जांच समिति का प्रतिवेदन 3 मार्च, 1966 को प्रस्तुत किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

उत्तर प्रदेश में टायर का कारखाना

3898. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में टायर के एक कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी; और

(ग) कारखाने में कब से उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) ; यूनिवर्सल टायर्स का इलाहाबाद में टायर निर्माण करने का विचार है।

रेलवे के परिचालक कर्मचारियों की मांगे

3899. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या सरकार फायरमैनों की हड़ताल के पश्चात् ड्राइवरों, फायरमैनों, गार्डों आदि रेलवे के परिचालक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समिति बनायी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या द्विपक्षीय बातचीत द्वारा समझौता करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) : कुछ रेलों पर फायरमैनों द्वारा आंदोलन किये जाने से पहले ही सरकार ने रनिंग कर्मचारियों के रनिंग भत्तों पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति बना दी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी-अभी पेश की है, जिसकी जांच की जा रही है।

रनिंग कर्मचारियों की कुछ अन्य शिकायतों, जैसे अधिकृत वेतनमान का पुनर्समंजन, मंहगाई भत्ता निश्चित करने के लिए रनिंग भत्ते को भी शामिल करना, काम के घंटे आदि, जिनके सम्बन्ध में मजदूर संगठनों ने अभ्यावेदन दिया था, पर भी विचार किया जा रहा है। ये आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं कि लगातार ड्यूटी को 14 घन्टों तक सीमित कर दिया जाये बशर्ते सम्बन्धित रनिंग कर्मचारी 12 घन्टे की ड्यूटी की समाप्ति पर नोटिस दे।

367–अप लालगोला सवारी गाड़ी में डकैती

3900. श्री विश्व नाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 मई, 1968 को 367–अप लालगोला सवारी गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान को, 40 डाकुओं के एक दल ने, जिनके पास छुरे तथा अन्य हथियार थे, पूर्व रेलवे के रानाघाट–लालगोला सैक्शन पर सियालदह से कुछ दूरी पर मुड़ागाचा तथा बेतुआ–दाहाड़ी के बीच के एक स्थान पर, लूट लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) बहरामपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है। अब तक 73 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और लूटा हुआ कुछ सामान बरामद किया गया है। ऐसी घटनाओं की रोक–थाम के लिए प्रभावित खण्डों पर रात के समय सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में पुलिस का पहरा रहता है। घुबुलिया रेलवे स्टेशन पर अस्थायी पुलिस कैम्प भी खोला गया है।

चाय के सम्बन्ध में भारत लंका करार

3901. श्री लोबो प्रभु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–लंका चाय करार की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या करार करने से पहले चाय बागान उद्योग तथा चाय व्यापारियों से भी परामर्श किया गया था; और

(ग) दोनों देशों की सौदा करने की पारस्परिक स्थिति को सुधारने के लिये उपबन्ध न किये जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सम्मिश्रित तथा पैक की गई चाय की बिक्री बढ़ाने के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग की आवश्यकता का अनुभव करते हुए भारत तथा श्री लंका निम्नोंकित बातों पर सहमत हो गये है :–

(1) मूल्यों में गिरावट की प्रवृति को रोकने के विचार से अन्तराष्ट्रीय समस्याओं पर एक सामान्य दृष्टिकोण बनाना;

(2) चुने हुए क्षेत्रों में, यथा संम्भव विदयमानच ायपरिषदों के माध्यम से चाय के संवद्र्धन के और चाय संवद्र्धन के कार्यक्रमों का विस्तार करने की संम्भवना का पता

लगाने और उनमें सुधार को सुकर बनाने के उपायों को तीव्र करना एवं संयुक्त सर्वेक्षण बाजार संगठित करना;

(3) चुने बाजारों में सम्मिश्रित तथा पैक की गई चाय के विपणन के लिये एक संयुक्त संस्था का विधान बनाने, उसके मुख्य उद्देश्य, कार्य तथा प्रशासकीय ढांचा निर्धारित करने तथा कार्यचालन के विस्तार को निर्धारित करने के लिये एक ऐसे कार्यकारी दल की स्थापना करना, जिसमें भारत तथा श्रीलंका के प्रतिनिधि हों;

(4) निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त गवेषणा का आयोजन करना;

(क) चाय का पैकेजिंग तथा संरक्षण ;

(ख) चाय की नई किस्में;

(ग) चाय से रासायनिक निस्सारण तथा सह-उत्पाद तैयार करना ।

(ख) चाय उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों को उस भारतीय प्रतिनिधि मन्डल में शामिल किया गया था, जिसने श्रीलंका के प्रतिनिधि मन्डल के साथ उपर्युक्त करार पर बातचीत की थी।

(ग) जो कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है उससे, यह स्पष्ट हो जायेगा कि दोनों देशों से निर्यात की जाने वाली चाय के लिये बेहतर मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच सामान्य कार्यक्रम तथा सहयोग की व्यवस्था की गई है ।

Introduction of Janta train on Central Railway

3903. **Shri G. C. Dixit.** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to remove inconvenience to passengers travelling on the Central route, another Janata train has been introduced;

(b) if so, whether it is proposed to run this train daily instead of twice a week; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, with effect from 3. 8. 1968, 41Dn/42Up Bombay VT–Howrah Janata Expresses are running twice a week between Bombay VT and Howrah and, in addition, twice a week between Bombay VT and Allahabad.

(b) No.

(c) Lack of traffic justification.

Shed over platform on Khirkiya Station

3904. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that on the Khirkiya a Railway station on the Central Railway (M. P.), a shed has been provided on one side of the platform while on the other side of platform, there is old shed which is not sufficient and causes great inconvenience to passengers particularly during the rainy season; and

(b) if so, the reasons for not providing adequate facilities in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) Two sheds, one measuring 506 sft. on the Up platform and the other measuring 2816 sft. on the down platform have been provided at Khirkiya station. These sheds are in fairly good condition and are considered adequate for the present level of passenger traffic.

(b) Does not arise.

Khirkiya Railway Station ,Central Railway

3905. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that at the Khirkiya Railway Station on the Central Railway, there is a lavatory near the waiting room, which is in a very dilapidated condition and it, being very close to the waiting room is causing great inconvenience to the passengers;

(b) whether it is also a fact that the attention of the management has been drawn towards this many a time; and

(c) when Government propose to shift it from that place from the health piont of view ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) At Khirkiya Station, a lavatory block exists on the down platform about 150, away from the existing waiting room. This lavatory block is in use and not in a dilapidated condition.

(b) only one suggestion has been received by the Railway Administration from the Sarpanch, Gram Panchayat, Khirkiya to replace the existing old style lavatory block with a modern style lavatory block.

(c) The work has already been approved by the. Railway Users Amenities Committee for inclusion in the 1968–69 works programme. Actual execution of the work would be taken in hand shortly.

Attempt to loot Cash Box from Dehra-Dun Express

3906. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an attempt was made to loot the cash box from the Dehara Dun Express in Bomby on the 20th July, 1968; and

(b) if so, the details of the incident ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) Yes

(b) on 20th July, 1968 about 5.00 hours the Dehra Dun Express was passing Palghar Station, when some miscreants managed to enter the brake-van and over-powered the guard. They tied his hands and feet, covered his face with a bed-sheet and pushed him into the adjoining dog box. Later they broke open the Guard's tool box, removed some tools, entered the luggage van and attempted, to extract cash bags from the safes. In this they did not succeed. As the train was reaching Borivli Station, the miscreants jumped out of the train and escaped. At Borivli Station the guard was found struggling in the dog box and was immediately freed by the railway staff. The Guard promptly reported the matter to the station Master, Borivli and a message was sent to the Station Superintendent Bombay Central for taking necessary action.

A Sub Inspector, Government Railway Police Bombay Central attended the train on its arrival at Bombay Central and commenced investigation. The case was subsequently transferred to Government Railway Police Palghar and further investigation is in progress. No arrests have been made so far.

The tempered cash safes were carefully checked in the cash office, Churchgate and the contents were found intact.

गुजरात के पोरबन्दर क्षेत्र में माल डिब्बों की कमी

3907. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा ऐश और सीमेंट की ढुलाई के लिए गुजरात राज्य में पोरबन्दर क्षेत्र में पिछले कई महीनों से माल डिब्बों की बड़ी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार को उद्योगों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) माल डिब्बों की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या, तथा इस प्रकार के गतिरोध की पुनरावृति को रोकने के लिए, जिसका उद्योगों पर बड़ा बुरा असर पड़ा है, क्या दीर्घकालीन उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ग) 1967 के जनवरी से जुलाई तक के महीनों की तुलना में 1968 के इन्हीं महीनों में पोरबन्दर क्षेत्र से सीमेंट और रासायनिक यातायात का अधिक लदान हुआ है । 1967 के इन महीनों में सीमेंट का लदान 10434 माल डिब्बे हुआ था जबकि 1968 के इन्हीं महीनों में 14010 माल के डिब्बे लादे गये अर्थात 34.3 प्रतिशत अधिक लदान हुआ । 1967 में 4093 माल डिब्बों की तुलना में 1968 के इन महीनों में रासायनिक यातायात का लदान 4983 माल डिब्बे अर्थात 21.7 प्रतिशत अधिक हुआ । सीमेंट और रासायनिक यातायात के परिवहन को तरजीही यातायाता की सूची की उच्च अग्रता वालों मदों में क्रमश: मद 'ग' और मद 'घ' के रूप में पहले ही दर्ज कर लिया गया है । प्रत्येक फैक्टरी से सीमेंट यातायात के परिवहन के लिए एक त्रैमासिक कार्यक्रम बनाया जाता है और उसीके अनुसार लदान किया जाता है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने के कर्मचारी

3908. श्री दे० प्रभात : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला इस्पात कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं तथा उनकी प्रतिशतता कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री **(चौधरी राम सेवक) :** (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

Theft of railway goods from trains

3909. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that steel mirrors and seat cloth are stolen from the compartments of the Banda-Kanpur Passenger, Banda-Lucknow Express and the Jhansi-Manikpur Passenger, trains;

(b) whether it is a fact that these articles are stolen from these trains during the period of their halt at Lucknow, Kanpur, Banda, Jhansi, and Manikpur stations; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) **:** The informatoin is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

गाड़ियों में सफाई तथा पानी सप्लाई करने की कुव्यवस्था

3910. श्री जगेश्वर यादव : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बांदा–कानपुर सवारी गाड़ी, बांदा–लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी और झांसी–मानिकपुर सवारी गाड़ी में सफाई तथा पानी सप्लाई की व्यवस्था बहुत खराब है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह सही नहीं है । बांदा–कानपुर सवारी, बांदा–लखनऊ एक्सप्रेस और झांसी–मानिकपुर सवारी गाड़ियों के डिब्बों में सफाई और उनमें पानी की व्यवस्था करने की ओर समुचित ध्यान दिया जाता है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Unemployment due to lack of Industries

3911. Shri Jageshwer Yadav : will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of unemployed persons is increasing rapidly in the Banda, Jhansi, Hamirpur and Jalaun districts as no industry has been established there;

(b) if so, whethetr it is proposed to establish some industries or launch a scheme there to provide employment to the unemployed persons of the area; and

(c) the other steps proposed to be taken by Government in this regard in view of extreme poverty in this forest infested and hilly terrain ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वाडाकाचेरी के निकट मालगाड़ी का पटरी से उत्तर जाना

3912. श्री इ० के० नायनार : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 2 मई, 1968 को वाडाकाचेरी और मुल्लूर कराप रेलवे स्टेशनों के बीच (आतावाम्कट डिविजन) एक माल गाड़ी पटरी से उत्तर गई थी ;

(ख) उस अकेली रेलवे लाइन की मरम्मत में कितना समय लगा; और

(ग) पिछले छः महीनों में उसी एर्नाकुलम शोरानूर लाइन पर कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं तथा कितनी बार रेलगाड़ियां पटरी से उतरी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह दुर्घटना 3-5-1968 को हुई थी।

(ख) पन्द्रह घन्टे।

(ग) पिछले छः महीनों में इस खण्ड पर गाड़ियों के पटरी से उतर जाने की तीन घटनाएं हुई जिनमें एक यह घटना शामिल है। इन मामलों में से एक में पटरी से उतर जाने का कारण यह था कि एक समपार पर वर्कमैन से एक बस टकरा गयी।

उपर्युक्त अवधि में इस खण्ड पर गाड़ी की टक्कर, समपार पर दुर्घटना या गाड़ी में आग लगने का कोई और मामला नहीं हुआ।

माल डिब्बों का निर्यात

3913 **श्री लोबो प्रभु**
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री विश्वनाथ राय
श्री बीरभद्र सिंह
श्री वि० ना० शास्त्री

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रेलवे माल डिब्बों के निर्यात के लिये करार किया गया है तथा किन-किन देशों के साथ; और

(ख) प्रत्येक देश को कितने-कितने आस्थगित भुगतान के आधार पर माल डिब्बे दिये जायेंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वर्ष 1968-69 में रेलवे माल डिब्बों के निर्यात को निम्नलिखित संविदाएं पूरी की जा रही हैं।

कैनिया	247	माल डिब्बे
हंगरी	500	,, ,,
द० कोरिया	1050	,, ,,
वर्मा	14	,, ,,
श्रीलंका	40	,, ,,

(ख) हंगरी को 2.50 करोड़ रु० मूल्य के 500 रेलवे मालडिब्बों का निर्यात 4 वर्ष में आस्थगित भुगतान की शर्तों पर होगा जिसपर 5 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा।

"गोशन" नामक जहाज को क्षति

3914 श्री एस०के० सम्बन्धन : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के "गोशन" नामक जाहज की, जो वर्ष 1964 में श्रीलंका में क्षतिग्रस्त हो गया था, मरम्मत की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई मरम्मत का ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो मरम्मत न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) जहाज के चालकों की स्थिति इस समय क्या है;

(ङ) क्या जहाज के उस समय तक गोदी में खड़े रहने के कारण हुई हानि का अनुमान लगा लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जहाज को क्षतिग्रस्त हालत में ही बेच दिया गया है, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता था।

(घ) जहाज के कर्मी दल को तब तक के लिए मंडपम कारखाने में काम पर लगाया गया है जब तक उन्हें कहीं और समाहित नहीं किया जाता।

(ङ) जी नहीं। जब रेलवे की कोई परिसम्पति रेलवे की अपनी गोदी में पड़ी हुई होती है तब किसी परिकल्पित हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(च) सवाल नहीं उठता।

चीनी उद्योग के लिए प्राथमिकतायें

3915. श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग को जो प्राथमिकता दी गई थी उसका दर्जा कम कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारिख से; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) सम्भवतः कुछ उद्योगों को कच्चे माल के आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख किया गया है। चीनी उद्योग "प्राथमिकता" प्राप्त उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और उसकी प्राथमिकता को कम नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

3916. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये क्या-क्या मूल परिस्थितियां आवश्यक होती हैं;

(ख) क्या ढेनकनाल (उड़ीसा) जिले में तालचेर कोयला पट्टी में सब बातें विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये ये मूल परिस्थितियां आवश्यक होती है:--

(1) रेलवे परिवहन की व्यवस्था के बिना, उसी स्थान पर काफी मात्रा में और एक ही गुणों के उपयुक्त नान-कोकिंग कोयले (अर्थात ऐसा कोयला जिसकी आवश्यकता धातुकार्मिक उद्योगों के लिये नहीं है) की उपलभ्यता;

(2) सस्ती दर पर बिजली की उपलभ्यता और स्थान पर पर्याप्त पानी की उपलभ्यता।

(3) कोयला खान के संलग्न क्षेत्र में फैक्ट्री के स्थान के लिये भूमि की उपलभ्यता :

(4) स्थान पर आवश्यक रेल तथा सड़क परिवहन की सुविधाओं का होना; और

(5) आस-पास के प्रदेश में उर्वरक के लिये बाजार।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार के हाल ही के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए परिसमूह (जिसमें उर्वरक एकक भी सम्मिलित हैं) की स्थापना का सारा प्रश्न जांच के अधीन है।

समवायों द्वारा लाइसेन्सों का वापिस किया जाना

3917 श्री बे० कु० दास चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री 2 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6142 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को स्थापित करने संबंधी लागत में वृद्धि के कारण समवायों द्वारा लाइसेन्सों को लौटाए जाने के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जिन कम्पनियों को लाइसेन्स दिए गए थे उनमें से केवल दो कम्पनियों द्वारा इसलिए लाइसेन्स वापिस कर दिए जाने की सूचना मिली है कि अवमूल्यन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हो गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक एकक

3918. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4600 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में पश्चिमी बंगाल में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एककों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण (परिशिष्ट) में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल०टी० संख्या 1733/68**]।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तालचेर-विमलागढ़ और तालचेर-सम्बलपुर रेलवे लाइन

3919. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह तालचेर-विमलागढ़ और तालचेर-सम्बलपुर रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को आरम्भ करे, जिससे रूरकेला इस्पात कारखाने के निकट एक पत्तन की सुविधा उपलब्ध हो सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शक्यता एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा चुका था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई ऐसा सर्वेक्षण करने का है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए तथा खनिजों तथा वन का उपयोग करने के लिए सरकार चौथी योजना में तालचेर-विमलागढ़ और तालचेर-सम्बलपुर रेलवे लाइनों को शामिल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख)(ग)और(घ): 1946-48 के दौरान किये गये इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षणों से मालूम हुआ कि ये लाइनें लाभप्रद नहीं होंगी। रकम की कमी के कारण, चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये इन लाइनों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

औद्योगिक लाइसेन्सों की मंजूरी

3920. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिये कितने-कितने लाइसेन्स सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में (राज्य वार) दिये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने लाइसेन्सों को अभी तक उपयोग में लाया गया है; और

(ग) अप्रयुक्त, लाइसेन्सों को प्रयुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रमुख उद्योगों की स्थापना करने के लिये 1967 में दिए गए लाइसेन्सों / आशय पत्रों की संख्या नीचे बताई गई है ।

	सरकारी क्षेत्र	गैर–सरकारी क्षेत्र	योग
लाइसेन्सों की संख्या	12	280	292
आशय-पत्रों की संख्या	2	246	248
योग	14	526	540

इन लाइसेन्सों/आशय-पत्रों का राज्यवार वितरण संलग्न सूची में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल०टी० संख्या 1734/68]** ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त में से 4 लाइसेन्स और 26 आशय-पत्र प्रतिसंहृत रद्द कर दिए गए हैं । अन्य लाइसेन्स/आशय-पत्र अभी मान्य हैं । चूंकि लाइसेन्स / आशय-पत्र स्वीकृत किए जाने और उपक्रम की स्थापना करने के समय में अन्तर होता है । इसलिए यह अभी ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता कि 1967 में स्वीकृत लाइसेन्सों में से कितने लाइसेन्सों का उपयोग किया जा रहा है । लाइसेन्सों को कार्यान्वित करने का काम अनेक कारणों से रुक सकता है । जैसे वित्त का अभाव, परियोजना अथवा विदेशी सहयोग, यदि प्राप्त किया जाए, के तकनीकी ब्यौरे का निर्णय करने में विलम्ब होना, साधनों से विदेशी मुद्रा का न मिल पाना या निश्चित आधार पर सरकार को अन्य शर्तों पर ऋण का न मिल पाना आदि । अधिकांश मामलों में विलम्ब इनमें से किसी एक या उससे अधिक कारणों के होने से हो जाता है ।

Token Strike by Railway Employees.

3921. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Executive of the Western Railway Employees' Union has seconded the resolution of the Indian Railway Employees' Union in which a call has been given for a general token strike ;

(b) if so, the resons therefor : and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) :(a) and (b) The resolution passed in May, 68 by the General Council of the All India Railwaymen's Federation to which the Western Railway Employees Union is affiliated, calls upon the affiliated unions to take a concurrent strike ballot not later than 31-7-1968 for a token strike to achieve the demands listed in the resolution, and for a general strike if the token strike did not persuade the Government to concede these demands,

However no information regarding a strike ballot having been taken by this affiliated Union is available.

(c) The matter is engaging the consideration of the Government.

Maintenance of Records in Hindi at Railway Stations

3922. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3833 on the 12th March, 1968 and state :

(a) the reasons for which no decision has been taken to maintain records in Hindi at Railway Stations ; and

(b) the time by which a decision could be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) As a large number of staff posted at various Railway Stations in the country have not yet acquired a working knowledge of Hindi, the persent is not cansidered an opportune time for taking such a decision.

(b) It is not possible to indicate the time by which such a decision could be takeu.

Zonal Railway Users' Consultative Committee

3923. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9901 on the 7th May, 1968 and state :

(a) the suggestions made alongwith the names of the members separately who gave these suggestions in each of the meetings of the Zonal Railway Users' Consultative Committee from March, 1967 to March, 1968 ;

(b) the reasons as to why only 34 suggestions out of 129 made by the members in all the five meetings were implemented or are proposed to be implemented ; and

(c) the main features of the remaining 95 suggestions and the reasons for not accepting them and whether these suggestions were unimportant ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a), (b)and(c) The information will be laid on the table of the Sabha.

Industrial Undertakings in States

3924. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7297 on the 16 April, 1968 regarding industrial undertakings in States and those in Uttar Pradesh and state :

(a) whether the required information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister of Steels, Mines & Metals (Chowdhary Ram Sewak): (a)and(b): Yes, Sir. The requisite information has already been collected (vide annexures I and II attached) and furnished to the Department of Parliamentary Affairs for being laid on the Table of the House. [**Placed in the Library See LT. No. 1735-68**]

(c) Does not arise.

Recruitment of Jawans in Railway Protection Special Force

3925. **Shri Molahu Prasbad :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 150 jawans of Gorakhpur, Basti and Deoria were recruited in the Railway Protection Special Force No. 2 Battalion Rajhi Camp Gorakhpur in February, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that those jawans had been medically examined, their police investigations completed and their X-Rays taken by charging Rs 15/- from each jawan ;

(c) whether recruitment has been cancelled after completing all the above formalities and, if so, the action taken or proposed to be taken against the Railway Officers concerned who wasted the time and money of the jawans ; and

(d) the details regarding the manner and the source through which the recruitment of personnel required for the purpose was made ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 145 persons were selected for recruitment. Most of the individuals selected were from Gorakhpur, Deoria and other Estern Districts of Uttar Pradesh and adjoining districts of Bihar.

(b) The Jawans were medically examined. In some cases police verifications were also completed. As per extant rules no fee is chargeable by Medical Officer for taking their X-Rays.

(c) Selection was made against training posts and recruitment of the selected candidates could not be effected due to surrendering of training posts on account of economy.

(d) The recruitment was made calling candidates through the Employment Exchange and also from the open market for which the Employment Exachange, Gorkhpur and Public Relation Officer, North Eastern Railway were requested to give wide publicity.

Hindi Instructors

3926. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5497 on the 22nd December, 1967 regarding Hindi instructors and state :

(a) the difference between the prescribed qualifications of the Hindi Instructors working in the Ministry of Home Affairs and of those in his Ministry ;

(b) the reasons for which pay-scale of Rs. 250-475 has not been given to the Instructors appointed by his Ministry when the examining body and the syllabus are the same ; and

(c) the manner of appointment and promotion of Hindi Instructors in his Ministry and the details thereof ?

The Minster of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) A Statement is attached. [**Placed in the Library Pl. See. LT. No. 1736/68**]

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha

Contracts on Railways

3927. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1384 on the 23rd April, 1968 and state :

(a) the number of contracts, with the value thereof separately, so far awarded by the Railways, along with the dates when awarded, to M/s S. A. A. S. Engineering Company (P) Ltd., S. A. A. S. Tower (P) Ltd. and S. A. A. S. Engineering Company (P) Ltd., Calcutta ;

(b) the dates on which the said Companies were set up along with the dates when they were approved by the D. G. S. & D. and the Railways;

(c) the extent and type of experience the said companies possess in this field ;

(d) whether they have got contracts in the private sector also ; and

(e) the names of the persons who held the posts of Directors and the Managing Directors of the said companies so far and the term for which they held the said posts ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Only one contract was awarded to M/s S. A. A. S. Engineering Company (P) Ltd., Calcutta, for Rs. 14.28 lakhs and the letter of acceptance was issued on 6-11-1967 and agreement signed on 2-3-1968. No. contract has been awarded by the Railways to M/s S. A. A. S. Tower (P) Ltd.

(b) As per the information given by the Companies the date of incorporation of M/s S. A. A. S. Engineering Company (P) Ltd. is July, 1965 and of M/s S. A. A. S. Tower (P) Ltd. is May, 1967. M/s S. A. A. S. Engineering (P) Ltd. as well as M/s S. A. A. S, Tower (P) Ltd. are not registered with the Director-General of Supplies and Disposals. The railways do not maintain any list of approved contractors for such works.

(c) The firm M/s S. A. A. S. Engineering Company (P) Ltd. has experience in foundation, erection and testing of microwave towers as sub-Contractors for microwave systems of the P & T Department in Calcutta area.

M/s S. A. A. S. Tower (P) Ltd. have already two contracts with P&T, one for erection of microwave tower at Ranchi and the other for erection of similar towers in Jorhat-Tinsukia Section, the contract covering only the Civil Engineering Works and erection of towers, towers being supplied by P&T.

(d) This information is not available with the Railways.

(e) According to the information supplied by the Companies the names of the Directors of M/s S. A. A. S. Engineering Company (P) Ltd. are :-

(i) Shri S. Roychoudhury.

(ii) Shri P. K. Saha.

(iii) Shri A. K. Sarkar.

and of M/s S. A. A. S. Tower (P) Ltd. are :-

(i) Shri B. C. Guha.

(ii) Shri S. Roychoudhury.

(iii) Shri A. K. Sarkar.

(iv) Shri P. K. Saha.

The tenure of the Directors is not known to the Railways.

Strike by Employees of Mughalsarai Railway Loco-shed

3928. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of the Mughalsarai Railway Loco-shed went on st ike in May, 1968;

(b) if so, the reasons therefor and the number of days for which they remained on strike; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There was disruption of normal running of trains due to absenteeism of some 2nd Firemen, and Cleaners in the Mughalsarai Loco Shed and their refusing to officiate in higher grades.

(b) The agitation was resorted with a view to focus the attention of the Railway Administration to their service grievances relating to promotion/confirmation in higher grades etc

It is not possible to give duration because many of the staff reported sick, applied for leave etc.

(c) Action on such of those demands which could be taken within the purview of rules has been taken.

Late Arrival of Trains at Delhi and New Delhi Stations.

3929. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of passenger trains which arrive at and leave New Delhi and Delhi Railway Stations within 24 hours;

(b) whether it is a fact that most of the Passenger trains reaching Delhi and New Delhi Railway Stations on the 17th June, 1968 were late; and

(c) if so, the number of trains which arrived later than their arrival time and the extent of time by which they were late ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 52 and 76 trains, each way, arrive at and leave New Delhi/Delhi Stations respectively.

(b)and(c) The number of trains arriving late on 17th June, 68 and the extent of their late arrival into Delhi/New Delhi Stations is indicated below:--

Stations.	Total No. of trains arrived.	No. of trains arrived right time & upto 15 minutes late.	No. of trains arrived late by more than 15 minutes and less than 30 minutes	No. of trains arrived late by more than 30 minutes and less than 1 hour.	No. of trains arrived late by more than 1 hour.
Delhi	76	45	9	11	11
New Delhi.	52	35	5	5	7

कपास का समर्थन मूल्य

3920. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च-अप्रैल, 1968 के महीनों के कपास के मूल्य की तुलना में मई, 1968 में उसके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या वे मूल्य न केवल चालू फसल के लिये निर्धारित समर्थन मूल्य की तुलना में बल्कि 1966–67 के अधिकतम मूल्य की तुलना में भी अभी भी अधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कपास उत्पादों के इस अनुरोध को मान लिया है कि अगले वर्ष के लिये समर्थन मूल्य बढ़ाये जायें ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां, मई, 1968 से कपास की कुछ किस्मों के मूल्यों में तेजी का रुख दिखाई देता है । यह रुख सामान्य मौसमी तत्वों के फलस्वरूप है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

1968–69 के लिये कपास के मूल्य सम्बन्धी नीति

3931. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1968–69 के लिये कपास के मूल्य सम्बन्धी नीति के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) क्या इस आयोग ने कपास के, जिसे कपास उत्पादक बाजार में बेच रहे हैं, समर्थन मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) कृषि मूल्य आयोग ने कपास के मूल्य के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये अर्जित भूमि

3932. **श्री दे० अमात :**
श्री म० माझी :
श्री गु० च० नायक :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने रूरकेला इस्पात सयंत्र के लिये कुल कितने एकड़ भूमि अर्जित की है;

(ख) उसमें से कितनी एकड़ भूमि काम में लाई जा चुकी है और कितने एकड़ भूमि अभी तक प्रयुक्त पड़ी है और कब से;

(ग) क्या सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन मिला है कि अप्रयुक्त भूमि को अनाधिसूचित किया जाये ताकि वह उसके स्वामियों को पुनः लौटाई जा सके; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि अपनी भूमि वापस लेने के लिये आदिम जातीय लोगों में असन्तोष व्याप्त है, जो उन्होंने अपने आप को हाल ही में गिरफ्तार करा कर प्रदर्शित किया था।

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

मराको को हरी चाय का निर्यात

3933. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरी चाय के निर्यात के लिये भारत ने हाल ही में मराको के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर करार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन अन्य देशों को भारत हरी चाय का निर्यात करता रहा है तथा इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं परन्तु मोरक्को के एक प्रतिनिधि मंडल ने, जो हाल ही में भारत आया था, एक गैर सरकारी पार्टी के साथ 20 मे. टन हरी चाय की खरीद के लिये सविदा की है।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1737/68**] जिसमें वे देश दिखाये गये हैं जिनको वर्ष 1963 से 1967 में भारतीय हरी चाय का निर्यात किया गया और साथ ही प्रत्येक देश को निर्यात की गई चाय की मात्रा तथा मूल्य भी दिये गये हैं।

New Engines, Goods wagons and Coches on Gwalior-Bhind, Gwalior-Sheopuri and Narrow Gauge lines of Central Railway

3934. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state the steps being taken by Government to provide new engines, new goods wagons and new coaches in large number for the trains running on the Gwalior-Bhind, Gwalior Sheopuri and Gwalior-Sheopur-Kalan Narrow-gauge lines of the Central Railway ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : For the present, there is no proposal to procure new engines, goods wagons or coaches for these sections.

Aluminium Factory at Korba

3935. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Steel, Minies and Metals be pleased to st te:

(a) whether it has been decided to construct the aluminium Factory (in public sector) at Korba in Madhya Pradesh;

(b) if so, the work done so far to make this venture a success and the time by which the entire construction work is proposed to be completed.

(c) the arrangements made to get electricity required for this factory and the wattage of electricity that would be required for this factory;

(d) whether any definite agreement has been made with the Madhya Pradesh Electricity Board to get the required supply of electricity; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Steel, Mines and Metals (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) The first phase of the project, viz the alumina plant, has already been sanctioned and work at site has started. Construction of the alumina plant is expected to be completed by early 1972. Negotiations for consultancy arrangements for the remaining parts of the project, viz. smelter (to produce aluminium metal from alumina) and facilities for production of aluminium semis, are in progress with the Soviet Union. A precise time schedule in respect of this portion of the project is not yet available.

(c) to (e) The Madhya Pradesh State Government have agreed to make available necessary power required for the project, viz. about 265 MW, and negotiations for finalising a contract for power supply have reached an advanced stage.

Application of Central Wakf Act to West-Bengal

3936. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to make applicable the Central Wakf Act (Act 29 of 1954) to West Bengal;

(b) whether it is a fact that the Muslim population of the State have protested against the decision of Government; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The matter is still under consideration of the Govt.

(b) Representations from some individuals opposing the enforcement of the Central Wakf Act, 1954, in the State have been received.

(c) The contents of the representations have been noted.

कपड़ा उद्योग में उत्पादन

3937. **श्री घूलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कपड़ा उद्योग में उत्पादन में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कपड़े का निर्यात

3938. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक वर्ष पहले की तुलना में 1967 में विदेशों को कपड़े का निर्यात बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

3939. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न देशों को पटसन की वस्तुओं का हमारा निर्यात कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान निर्यात कितना है; और

(ग) पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) पटसन के माल का निर्यात वर्ष 1966-67 के 734,200 मी० टन के निर्यात से बढ़कर वर्ष 1967-68 में 751,400 मी० टन हो गया।

(ग) निर्यात शुल्कों में उपयुक्त समंजन के अलावा सरकार पटसन उद्योग के उत्पादन में विविधीकरण को प्रोत्साहन दे रही है और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिये, जिनके निर्यात की तत्काल निर्यात संभाव्यताएं विद्यमान हैं, मिलों को 5 करोड़ रुपये की ऋण सहायता

निर्धारित की गई है । पटसन के माल के अभिनव उपयोगों में गवेषणा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

हौजरी उद्योग

3940. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात में भारत के हौजरी उद्योग का क्या अंशदान है;

(ख) क्या विदेश व्यापार में इसके अंश को बढ़ाने की गुंजाइश का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग): वर्ष 1967-68 में लगभग 19 15.67 लाख रुपये के कालीनों सहित ऊनी माल के कुल निर्यात में से हौजरी के माल का निर्यात 409.96 लाख रुपये का था । हौजरी के माल के पंजीकृत निर्यातकों को निर्यातित हौजरी के माल के जहाज पर मूल्य के 50% तक कच्चे माल के आयात के लिये प्रतिपूर्ति दी जाती है । मध्य पूर्व के देशों में एक बाजार सर्वेक्षण करने का विचार है । इसके अतिरिक्त यह मद विभिन्न द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत भारत से निर्यात की जाने वाली मदों की सूची में शामिल की गई है ।

Housing arrangements for Workers of Bailadiia Mines

3941. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Steel Mines and Metals be pleaed to state :

(a) the number of workers employed in the Bailadia Iron-Ore Project at persent ;

(b) the number of house constructed by the authorities for them ;

(c) the time by which all the workers would be provided with accommodation ; and

(d) whether is it a fact that in the absence of housing accomodation many workers have lost their lives because of the attacks by lions at night ?

The Deputy Minister of Steel, Mines and Metals : (Chowdhary Ram Sewak) : (a) There are about 800 employees on regular pay scales and about 500 on work charge establishment in the Bailadila Iron Ore Project (Deposit No. 14).

(b) 635 quarters have been constructed there so far.

(c) In the ultimate set up, the Project is likely to have about 1200-1300 workers. The National Mineral Development Corporation is making efforts to construct more houses. This is also dependent on the subsidy from Labour Welfare Committee and Iron Ore Welfare Committee. It is difficult to indicate the exact time at this stage.

(d) No, Sir.

Goods Trains between Bailadila and Jagdalpur

3942. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only goods trains run between Bailadila and Jagdalpur and, if so, the number of goods trains running daily and the total capacity thereof to carry pig iron in a day ;

(b) whether any steps are proposed to be taken to introduce a passenger train on this line and, if so, when and, if not, the reasons therefor ;

(c) whether some passenger bogies are proposed to be attached to goods trains pending introduction of regular passenger trains ; and

(d) whether wood etc. could be carried on these goods trains ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. At present only two goods trains are running daily between Bailadilla and Jagdalpur with approximately 4500 tonnes of iron ore for export through the Visakhapatnam port. There is no traffic in Pig Iron.

(b) Not at present. The section has not so far been certified fit for passenger services.

This line is still in the construction stage and the sanction of the Additional Commissioner of Railway Safety for opening this line for passenjer traffic has not been applied for as the stability of the line, particularly in the ghat section is still being watched.

(c) No.

(d) No.

आओंला और रेवती-बहाड़ा-खेड़ा स्टेशनों के बीच यात्रियों का लूटा जाना

3943. श्री विश्व नाथ पांडेय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि 24 मई, 1968 को बरेली-अलीगढ़ सेक्शन पर आओंला और रेवती बहाड़ा-खेड़ा स्टेशनों के बीच 356 डाउन बरेली-आगरा यात्री गाड़ी के दूसरे श्रेणी के डिब्बे में बैठे यात्रियों को हथियारों से लैस व्यक्तियों ने बन्दूक का भय दिखा कर लूट लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, लेकिन यह घटना 21-5-68 को निसोई और आंवला स्टेशनों के बीच हुई ।

(ख) बरेली की सरकारी रेलवे पुलिस ने 22-5-68 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394/397 के अधीन अपराध सं० 91 के रूप में एक मामला दर्ज कर लिया है । 2 अपराधी गिरफ्तार किये गये थे और लगभग 400 रुपये की कीमत की एक कलाई घड़ी और एक देशी पिस्तौल बरामद की गयी । तीसरा संदिग्ध अभियुक्त न्यायालय में स्वयं पेश हो गया और चौथा व्यक्ति अभी फरार है । पुलिस इस मामले की आगे जाच कर रही है ।

केरल में मैंगनेटाइट के निक्षेपों का निकाला जाना

3944. **श्री क० कृ० नायर :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में समुद्र तट पर कालिकट के समीप बड़ी मात्रा में मैंगनेटाइट के निक्षेपों का पता चला है ।

(ख) यदि हां, तो उन निक्षेपों से सरकार किस ढंग से अयस्क निकालना चाहती है और उसका किस प्रकार उपयोग करना चाहती है ; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने सूचित किया है कि निक्षेपों के विदोहन तथा अयस्क के उपयोग के प्रश्न का निर्णय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के पश्चात किया जायेगा ।

सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी टेकनीशियन

3945. **श्री क० कृ० नायर :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त विदेशी टैकनीशियनों की संख्या कितनी थी ;

(ख) इन व्यक्तियों को कुल कितना मासिक वेतन तथा भत्ता दिया जाता है ;

(ग) उनमें से कितनों को 36,000 रुपये से अधिक वार्षिक वेतन–भत्ते आदि मिलते हैं ;

(घ) इन स्थानों पर भारतीयों को नियुक्त करने और उनको प्रशिक्षण देने के लिए क्या व्यवस्था की गई हैं ; और

(ङ) इस समय भारत में कार्य कर रहे कितने विदेशी टैकनीशियनों के कार्यकाल में वृद्धि की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जैसा कि 1 जनवरी, 1967 को स्थिति थी उसके अनुसार सरकारी क्षेत्र की गैर सरकारी । सरकारी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा 1,000 रु० और उससे अधिक कुल मासिक वेतन पर अल्प काल के लिए 1,314 विदेशी तकनीशियनों को नियुक्त किया गया था ।

(ख) उन व्यक्तियों को (आंशिक अनुमान पर) कुल 56 लाख रुपये मासिक वेतन के रूप में (47 तकनीशियनों को दिये गये वेतन को छोड़ कर जिनके वेतन आदि के बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है) दिये गए ।

(ग) विदेशी अल्पकालीन तकनीशियनों में से 741 को प्रति वर्ष 36,000 से अधिक वेतन मिला ।

उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण

3946. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री धी ना० देव :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में हाल में कोई भूतत्व मानचित्रण सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके परिणाम स्वरूप सोने जैसे कोई बहुमूल्य निक्षेप पाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने बड़े निक्षेप पाये गये हैं ;

(घ) वे निक्षेप किन-किन स्थानों में पाये गये हैं ; और

(ङ) क्या उन निक्षेपों से धातु निकालने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेक्क) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । कोरापुत जिले में कोलाब तथा इसकी सहायक नदियों और सुन्दरगढ़ जिले में इच्छा नाले की रेत को धोकर सोना मिलने के छोटे-छोटे स्थलों का पता लगाया गया है ।

(ग) कोरापुत का निक्षेप लगभग 100 वर्ग किलो मीटर तक फैला हुआ है और सुन्दरगढ़ के निक्षेप के बारे में अभी पता नहीं है ।

(घ) कोरापुत जिले में दौंसी मान्तपुरी तथा सुन्दरगढ़ जिले में गिरिंगकेला के चारों ओर ।

(ङ) अभी अन्वेषण प्रारम्भिक अवस्था में है और निक्षेपों के उपयोग का प्रश्न अभी नहीं उठता ।

औद्योगिक विकास बैंक

3947. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 जुलाई, 1968 को दिल्ली में हुई छोटे उद्योगों सम्बन्धी समन्वय समिति की बैठक में राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की थी कि औद्योगिक विकास बैंक को लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय वित्तीय अभिकरण के रूप में स्थापित किया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने उस मांग पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जी हां, मामला विचाराधीन है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

3948. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री म० माझी :**
श्री दे० अमात : **श्री गु० च० नायक :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को उड़ीसा के मुख्य मन्त्री से दक्षिण पूर्व रेलवे में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को उड़ीसा राज्य से नियुक्त करने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका मजमून क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) उस पत्र का सारांश यह है कि रेल सेवा में उड़ीसा की जनता को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

उच्चतर पदक्रमों की कुछ कोटियों को छोड़कर तृतीय श्रेणी के सभी पद, जिनका वेतनमान 375 रु० मासिक से अधिक नहीं है और जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, केवल प्रमुख क्षेत्रीय पत्रों में अधिसूचित किये जाते हैं । चतुर्थ श्रेणी की खाली जगहें यूनिटवार भरी जाती हैं । एक मंडल या जिला, बड़ा कारखाना, इंजन शेड, रेल पथ निरीक्षक का क्षेत्र आदि एक यूनिट माना जाता है । खाली जगहों का प्रचार स्थानीय नोटिसों और भर्ती यूनिट को सीमा में स्थित रोजगार कार्यालयों को सूचना देने तक सीमित रहता है । इस प्रकार रेलों में चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों और तृतीय श्रेणी के अधिकतर पदों पर भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया इस प्रकार बनायी गयी है ताकि स्थानीय उम्मीदवार नियुक्ति के लिए आकृष्ट हों । इस सम्बन्ध में कोई विशेष उपाय करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

भारी इन्जीनियरी निगम, रांची

3951. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इन्जीनियर निगम, रांची में 400-950 रुपये के वेतनमान तथा उससे अधिक वेतनमान में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें से प्रत्येक वेतनक्रम में अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इस निगम में 400 रुपये के कम वेतनमान में कुल कितने कर्मचारी हैं और उस निगम में प्रत्येक वेतन क्रम में अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने कर्मचारी हैं;

(ग) इस निगम की केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था में कुल कितने प्रशिक्षु हैं और उनमें अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षु कितने हैं; और

(घ) उनमें छोटानगर क्षेत्र के कुल कितने प्रशिक्षु हैं और उनमें विभिन्न वेतनमानों में अनुसूचित आदिम जातियों के कितने प्रशिक्षु हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

भारी इन्जीनियरी निगम लिमिटेड, रांची

3952. श्री कार्तिक उरांव : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इन्जीनियर निगम लिमिटेड, रांची की परियोजनाओं के सम्बन्ध में, परियोजना-वार आरम्भ से लेकर वर्ष 1967-68 तक की अवधि में कितने विदेशी विशेषज्ञ बुलाये गये और उन पर कुल कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) भारी इन्जीनियर निगम, रांची से अब तक कितने भारतीय इन्जीनियरों को प्रशिक्षण के लिये सहयोगकर्ता देशों में भेजा गया है और उन पर कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ग) महाप्रबन्धकों तथा मुख्य इन्जीनियरों ने अलग-अलग तथा परियोजनावार, कितनी बार विदेशों का दौरा किया और उन पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जहां तक जानकारी उपलब्ध है वह एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

3953. श्री कार्तिक उरांव : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के सभी तीनों कारखानों में वरिष्ठता क्रम में 700-30-1250 रुपये तथा इससे अधिक वेतनमान के सभी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और वे किन राज्यों के हैं, और

(ख) इन तीनों कारखानों में सभी विभागाध्यक्षों का ब्योरा क्या है और वे किन राज्यों के हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारी

3954. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची में परियोजना-वार 400-950 रुपये तथा इससे उपर वाले वेतनमान में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें प्रत्येक वेतनमान में अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं;

(ख) परियोजना-वार 400 रुपये से कम वाले वेतनमान में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) विभिन्न वेतनमानों में अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों सहित छोंटानागपूर क्षेत्र के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

विद्युतचालित करघे

3955. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों को कितने विद्युत-चालित करघे मंजूर किये गये तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके जिलावार नियतन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य राज्यों को विद्युतचालित करघे मन्जूर किये हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितने-कितने विद्युतचालित करघे नियत किये गये हैं; और

(घ) उनमें से कितने विद्युतचालित करघे बिहार और उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों को दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों को आवंटित किये गये विद्युतचालित करघों की संख्या नीचे दी गई है।

उत्तर प्रदेश – 10,300

बिहार – 7,000

राज्य सरकारों द्वारा इन विद्युतचालित करघों के जिलावार वितरण के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1738-68]

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे का जहाजी प्रतिष्ठान

3956. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे का जहाजी प्रतिष्ठान घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी हानि हुई है; और

(ग) न्यूनतम हानि होने पाये, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में जो हानि हुई, वह इस प्रकार है:—

1965–66 : 24,32,700 रुपये
1966–67 : 25,71,200 रुपये
1967–68 : 31,47,700 रुपये

(ग) हानि के कारणों की जांच करने और उसे कम करने के उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गयी है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा स्थापित कोयला धोने का कारखाना

3957. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा चार करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किये गये कोयला साफ करने के कारखाने को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 'सिंकिंग' के लिये तापीय विद्युत केन्द्र तक 'सिंक' ले जाने वाला 'वाहक पट्टा' वहां नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने 'सिंक' के बारे में परामर्श देने के लिये परामर्श-दाता नियुक्त किये जिन पर 30,000 रुपये व्यय हुआ है और सुकु सेन समिति सहित सभी परामर्शदाताओं ने कारखाने में वाहक पट्टी के लगाये जाने का सुझाव दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 'सिंक' को ट्रक में ले जाने पर अब जो धन व्यय किया जा रहा है वह बहुत अधिक है; और

(घ) क्या एक बार (कनवेयर बैल्ट) वाहक–पट्टी की सप्लाई के लिये टेन्डर मांगे गये थे और यदि हां, तो प्रस्ताव को समाप्त कर देने के क्या कारण है और क्या कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की करगली धावनशाला पर, दामोदर घाटी निगम के बोकारो तापीय बिजली घर तक अपने मध्य कोटि के उत्पादों (मिडलिंग्ज) के परिवहन में कठिनाई के कारण, दुष्प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनका हवाई रज्जुपथ ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये दामोदर घाटी निगम ने जब तक हवाई रज्जुपथ ठीक न हो जाये तब तक मध्य कोटि के उत्पादों (मिडलिंग्ज) को सड़क के रास्ते ले जाना स्वीकार कर लिया है।

(घ) जी, नहीं।

ऐथाल रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे क्वार्टरों में बिजली

3958. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लकसर तथा हरिद्वार (उत्तर रेलवे) के बीच ऐथाल रेलवे स्टेशन के समीपवर्ती रेलवे क्वार्टरों में बिजली नहीं लगाई गई है जब कि इस रेलवे स्टेशन पर बिजली आये लगभग दो वर्ष बीत चुके है; और

(ख) इन क्वाटरों में कब तक बिजली सप्लाई करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जब और ज्यों रकम उपलब्ध होगी, इन क्वार्टरों में बिजली लगायी जायेगी।

देशी तकनीकी जानकारी का विकास

3959. श्री कार्तिक उरांव : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से स्थापित किये गये कारखानों में से देशी तकनीकी जानकारी का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुदीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी, हां। विदेशी जानकारी और प्रोद्योगिकीय स्तर पर लगातार निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने की दृष्टि से सरकार देश में अनुसंधान और विकास पर अधिकाधिक बल दे रही है। विदेशी तकनीकी सहयोग के लिए सरकार द्वारा सहमति दी जाने के लिए अब यह शर्त रखी जा रही है कि जहां कहीं सम्भव हो भारतीय कम्पनी को डिजाइन तथा अनुसंधान संगठन की स्थापना करनी चाहिए जिससे सहयोग के लिए सहमति अवधि के अन्दर आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

प्राकृतिक रबड़ का अधिकतम मूल्य

3960. श्री वासुदेवन नायर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड की 59वीं बैठक में की गई इन सिफारिशों पर, कि प्राकृतिक रबड़ के लिये निर्धारित अधिकतम मूल्य समाप्त किया जाये, सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राकृतिक रबड़ के अधिकतम मूल्यों की सीमा को हटाने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

मोटरगाडियों के टायरों के मूल्यों में वृद्धि किये जाने की मांग

3961. श्री वासुदेवन नायर : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटरगाड़ियों के टायरों के निर्माताओं ने टायरों के मूल्य बढ़ाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) मोटरगाड़ियों के टायर निर्माताओं को मूल उपकरण के रूप में दिये जाने के लिये टायरों के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई है जिससे मूल उपकरणों के मूल्य तथा बाजार में बदल कर दिये जाने वाले टायरों के मल्यों के बीच का अन्तर 10 प्रतिशत बना रहे ।

मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड

3962. श्री मधु लिमये : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योजनाओं का अध्ययन करने और ठेके प्राप्त करने के लिये मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा श्री कान्ती देसाई को नौकरी दी गई थी;

(ख) क्या उक्त श्री कान्ती देसाई ने, ठेके, लाइसेंन्स, पर्मिट और कोटे प्राप्त करने के लिये, 1960 के बाद सरकार से पत्रव्यवहार किया था और यह अधिकारियों तथा सरकारी मंत्रियों से मिला था, और

(ग) उसकी इन कार्यवाहियों तथा पत्रव्यवहार का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्री कान्ति देसाई, को डोडशाल (प्राइवेट) लि० द्वारा विक्रय के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था ।

उद्देश्य, जिसके लिये कम्पनी ने उसे नियुक्त किया तथा उसका कार्य-भार एवं उत्तरदायित्व, कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध के विषय है, जिनकी मंत्रालय को कोई सूचना नहीं है ।

(ख) तथा (ग) इस प्रकार की सूचना तैयार करने के लिये, केन्द्रीय संधृत अभिलेखों की अनुपस्थिति में, यह कहना संभव नहीं हैं कि श्री के० एम० देसाई ने सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया था, व अपने कम्पनी द्वारा दिये गये कार्यभार के पालन करने क्रम में अधिकारियों तथा मंत्रियों से मिले थे ।

रूस को जूतों का निर्यात

3963. **श्री मधु लिमये :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रूस को जूतों के निर्यात में पाकिस्तान शीघ्र ही भारत का प्रतियोगी बनने वाला है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान भारत की अपेक्षा सस्ते मूल्यों पर जूते सप्लाई करने की स्थिति में है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय यूनिट लागत में कमी करने के उपाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार की नीति छोटे आर्डर देने की है;

(घ) क्या जूतों के सामान सम्बन्धी उद्योग के मानकीकरण का प्रस्ताव है ताकि निर्यात करने वाले यूनिटों को सस्ते मूल्यों पर सामान उपलब्ध किया जा सके; और

(ङ) क्या जूते बनाने वाले छोटे पैमाने के यूनिटों के प्रबन्धकों को नये तरीकों का प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सोवियत संघ, भारत के अलावा इटली, फ्रांस, ब्रिटेन तथा पाकिस्तान आदि जैसे अन्य कई देशों से भी जूतों का आयात करता रहा है;

(ख) जी, हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) राज्य व्यापार निगम जूतों के कुछ आवश्यक संघटकों तथा सह-साधनों के उत्पादन के मानकीकरण के लिये निर्माताओं को सहायता देता है । लघु निर्माताओं द्वारा मानकीकृत संघटक तयार किये जाने के लिये भी राज्य व्यापार निगम उन्हें नमूने भी उपलब्ध करता है ।

(ङ) राज्य व्यापार निगम अपने जूतों के निरीक्षकों तथा अधिकारियों के लिये कारखाने में प्रशिक्षण देने की अपनी योजना चलाता है, और लघु उद्योग संगठन भी; देश के अन्दर जूता-निर्माण लघु उद्योग के लिये अपेक्षित आपरेटरों, फोर-मैनों तथा प्रबन्धकों को चमड़े के जूते बनाने का प्रशिक्षण देता रहा है । यह संगठन मद्रास तथा आगरा स्थित केन्द्रीय जूता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रम चलाता रहा है ।

दुर्गापुर में मिश्रित (एलाय) इस्पात कारखाना

3964. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी एकाधिकारी उद्योगपतियों ने दुर्गापुर स्थित सरकारी क्षेत्र के मिश्रित इस्पात कारखाने के विस्तार में अवरोध पैदा करने का प्रयत्न किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन प्रयत्नों से प्रभावित हुई है या सरकार अपने विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का विचार रखती है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे की अधीनस्थ लेखा सेवा की कर्मचारी संस्था

3965. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पूर्वोत्तर रेलवे की अधीनस्थ लेखा सेवा की कर्मचारी संस्था की ओर से 25 फरवरी, 1968 को उनके वार्षिक सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प के अनुसार कोई ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) किसी विशेष कार्रवाई की जरूरत नहीं समझी गयी क्योंकि एक स्थायी वार्त्तातंत्र मौजूद है जिसके अन्तर्गत मान्यता- प्राप्त रेलवे यूनियनें सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिनमें लेखा कर्मचारी भी शामिल हैं, स्थानीय रेल प्रशासन के साथ विचार-विमर्श कर सकती है।

जिन मामलों में उच्च स्तर पर निर्णय लेने की जरूरत होती है, उनके सम्बन्ध में दोनों अखिल भारतीय रेल संघ विचार-विमर्श करते हैं, जिन्हें रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत करने की सुविधा प्राप्त है और जिनसे स्थानीय मान्यता-प्राप्त यूनियनें सम्बद्ध हैं।

विद्यार्थियों को रेलवे भाड़े में छूट

3966. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों को रेलवे भाड़े में जो छूट दी जाती है वह केवल विद्यार्थियों के मूल-स्थान पर जाने और वहां से आने के लिये ही दी जाती हैं और क्या यह रियायत पहाड़ी स्थान पर जाने तथा वहां से लौटने के लिये नहीं दी जाती;

(ख) यदि हां, तो पहाड़ी तथा अन्य स्वास्थयवर्धक स्थानों पर जाने और वहां से आने के लिये भाड़े में यह छूट क्यों नहीं दी जाती है, जिससे वे ऐसे स्थानों पर अपनी छुट्टियां अच्छी तरह बिता सकें; और

(ग) एक विद्यार्थी को एक वर्ष में यह छूट कितनी बार दी जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह सच नहीं है। यह रियायत स्कूल या कालेज या प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यार्थी के घर के बीच यात्रा करने के लिए दी जाती है। 'घर' शब्द का अर्थ विद्यार्थी का केवल मूल निवास स्थान ही नहीं, बल्कि वह स्थान भी है जहां विद्यार्थी के माता-पिता अथवा अभिभावक आमतौर से रहते हैं अथवा जहां उसके माता-पिता या अभिभावक उस समय रह रहे हों।

कम से कम 10 की टोली में यात्रा करने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा के लिए रियायत दी जाती है जिसमें पहाड़ी स्थानों की यात्रा भी शामिल है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह सवाल नहीं उठता।

यह भी उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों को निर्दिष्ट रूप से जो रियायत दी जाती है और जिसका उल्लेख भाग (क) के उत्तर में किया गया है, उसके अलावा विद्यार्थी पहाड़ी स्थानों के लिए वापसी टिकट की रियायत भी उन्हीं नियमों और शर्तों के आधार पर पा सकते है जो आम जनता पर लागू होती हैं।

(ग) यह निर्धारित नहीं किया गया है कि एक विद्यार्थी कितनी बार रेल की रियायत ले सकता है।

चाय क्षेत्र सलाहकार अधिकारी

3967. श्री हेमराज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1961 में उत्तरी क्षेत्र के लिये चाय क्षेत्र सलाहकार अधिकारी का एक पद, जिसका मुख्यालय धर्मशाला में होना था, बनाया गया था और वह बहुत उपयोगी कार्य कर रहा था;

(ख) वह पद हाल ही में समाप्त कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस क्षेत्र के चाय उत्पादकों को सलाह देने के लिये वैकल्पिक प्रबंध क्या किया गया हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : इससे पहले वाले पदधारी का हाल ही में स्थानान्तरण किया गया था, चाय बोर्ड के एक अन्य प्रशिक्षित अधिकारी को, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र के चाय उत्पादकों को सलाह देने के लिये धर्मशाला में नियुक्त किया गया है।

मेघदूत नामक नये माडल की एम्बेसेडर कारों का निर्माण

3968. श्री एम० बी० राणा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान मोर्टस लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा मेघदूत नामक नये माडल की अम्बेसेडर कार निर्माण कार्य कब तक हाथ में लिए जाने की सम्भावना है, और

(ख) सरकार द्वारा बिड़ला की इस फर्म को 1958 से एक ही माडल की कारों के निर्माण की अनुमति दिये जाने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता से नये माडल की एम्बसेडर कार का निर्माण करने के बारे में कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस फर्म ने 1958 से हिन्दुस्तान कार के दो नये माडल अर्थात एम्बासेडर ओ० एच० वी० तथा एम्बासेडर मार्क 2 चालू कर दिये हैं ।

फिएट कारों का निर्माण

3969. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या प्रीमियर आटोमोबाल्स से प्रतिवर्ष 12,000 फिएट कारों की वर्तमान क्षमता को बढ़ा कर 25,000 करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में विचार हेतु इस कार के मूल्य में कमी करने की भी पेशकश की गई है; और

(ग) क्या इस मामले में शीघ्र ही कोई निर्णय किये जाने की संभावना हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड के पास से जनवरी, 1967 में उनकी फिएट कारें बनाने की क्षमता तीन चरणों में बढ़ाकर 30,000 प्रति वर्ष कर देने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

(ख) फर्म ने हाल ही में यह बताया है कि उत्पादन का स्तर 25,000 प्रति वर्ष तक पहुँच जाने पर वह फिएट कार के विक्रय मूल्य में संभवतः 500 रु० तक की कमी कर सकेंगे किन्तु यह कटौती वर्तमान विक्रय मूल्य पर लागू न होकर प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार से मूल्य वृद्धि करने की वह जो आशा करते हैं, उस पर विचार करने के पश्चात ही की जा सकेगी ।

(ग) जिस प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है उसे सम्मिलित कर यात्री कार बनाने की क्षमता में बृद्धि संबंधी प्रस्तावों पर यात्री कारों के लिए चौथी योजना में लक्ष्य निर्धारित कर लिये जाने तथा छोटी कार बनाने की परियोजना पर निर्णय कर लिये जाने के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साउथ इंडिया

3971. **श्री नंजा गौडर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साउथ इन्डिया ने सरकार को एक विरोध पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि रबड़ की वस्तुओं के कुछ निर्माताओं द्वारा

कच्चे रबड़ के आयात की अनुमति देने की मांग पर विचार करने के लिये एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है जिसमें उत्पादकों को आमंत्रित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सरकार को संबोधित एक पत्र में यूनाइटिड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ इन्डिया ने 24 जुलाई, 1968 को हुई बैठक में रबड़ उत्पादकों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के बारे में लिखा है ।

(ख) रबड़ के आयात के बारे में, अन्तिम निर्णय केवल रबड़ से संबद्ध विभिन्न पक्षों, जिनमें उत्पादक भी शामिल हैं, पर विचार करने के पश्चात ही लिया जायेगा ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी

3972. श्री नंजा गौडर : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीलगिरी में मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफेक्चरिंग कम्पनी अपने द्वारा निर्मित कच्ची फिल्मों को दक्षिण-पूर्व एशिया तथा मध्य-पूर्व के देशों को निर्यात करने की स्थिति में है;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि श्रीलंका को सिनेमा की पौजिटिव फिल्में निर्यात करने के लिये उस कम्पनी ने एक क्रयादेश पहले ही स्वीकार कर लिया था;

(ग) किन-किन किस्मों की तथा कितनी-कितनी फिल्में उस कम्पनी द्वारा तैयार की गई; और

(घ) उत्पादन का भावी कार्यक्रम क्या है तथा यदि कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) इस समय मुख्य रुप से 35 मिलीमीटर एवं 16 मिली मीटर की सिनेमा की (ब्लैक एण्ड व्हाइट) पाजिटिव फिल्मों, फोटोग्राफी के कागज व चिकित्सा संबंधी एक्स-रे की फिल्मों का ही उत्पादन होता है ।

अप्रैल–जून, 1968 की अवधि में इन वस्तुओं का उत्पादन इस प्रकार हुआ:–

क्रमांक	मास	सिनेमा की पाजिटिव फिल्में (35 मिली मीटर एवं 16 मिली मीटर की)	फोटोग्राफी का कागज	चिकित्सा संबंधी एक्स रे की फिल्म
1.	अप्रैल, 68	77,164 वर्ग मीटर	–	–
2.	मई, 68	47,108 वर्ग मीटर	–	14,666 वर्ग मीटर
3.	जून, 68	33,856 वर्ग मीटर	5,576 वर्ग मीटर	3,034 वर्ग मीटर

किसी विशेष अवधि में इन वस्तुओं का उत्पादन आगामी अवधि में उनकी मांग के रुख पर निर्भर करता है।

(घ) वर्ष 1968-69 के लिए विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कार्यक्रम इस प्रकार है:—

(1) सिनेमा की पाजिटिव फिल्म (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	
(क) 35 मिली मीटर की	1,78,000 रोल (प्रत्येक रोल में 30 मीटर)
(ख) 16 मिली मीटर की	20,000 रोल (प्रत्येक रोल में 305 मीटर)
(2) चिकित्सा संबंधी एक्स-रे फिल्म	4,00,000 वर्ग मीटर
(3) रोल फिल्म	30,65,000 गोले
(4) पोट्रेट फिल्म	50,000 वर्ग मीटर
(5) ब्रोमाइड पेपर	9,00,000 वर्ग मीटर
(6) सिने फिल्म साउण्ड	9,400 रोल
(7) दस्तावेजों की नकल लेने का कागज	1,00,000 वर्ग मीटर

ट्रावनकोर सीमेंट्स लिमिटेड, नट्टकोम (कोट्टयम)

3973. **श्री अब्राहम :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रावनकोर सीमेंट्स लिमिटेड, नट्टकोम, कोट्टयम से 1961 में सीमेंट का मूल्य 113 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बजाय जैसे कि प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की थी 95 रुपये प्रति मीट्रीक टन की दर से निर्धारित करने वाले सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) बाद में जिन बढ़े हुए दरों की अनुमति दी गई थी वे क्या हैं और त्रावनकोर सीमेंट्स लिमिटेड को 1 जून, 1963 से 2.75 रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि से वंचित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह कम्पनी बन्द होने वाली है क्या सरकार का विचार इसकी स्थिति पर पुनर्विचार करने तथा त्रावनकोर सीमेंट्स लिमिटेड को भी 1963 की मूल्य वृद्धि की अनुमति देने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सीमेंट उद्योग को मूल्यों में निम्नलिखित वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी—

रु० 2.75 प्रति मी० टन	1-6-63 से
रु० 1.25 ,, ,,	1-7-64 से
रु० 4.00 ,, ,,	1-7-65 से
रु० 13.00 ,, ,,	1-1-66 से

1-6-1963 से 2.75 रु० प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि मेसर्स ट्रावनकोर सीमेंट्स लि० के लिये नहीं दी गई थी, क्योंकि इस एकक को उस समय 95 रुपये प्रति मी० टन का अधिकतम धारण मूल्य मिल रहा था तथा इसे अधिकांश उत्पादकों को मिल रहे 69.50 रुपये प्रति मी० टन के समान मूल्य से 25 50 रुपये प्रति मी० टन की वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त इस एकक की लाभ की सीमा अन्य एककों से अधिक थी।

उत्पादन लागत बढ़ जाने के फलस्वरूप सभी उत्पादकों को धारण मूल्य में वृद्धि करने के एक सामान्य अभ्यावेदन पर अलग से विचार किया जा रहा है। दूसरों के साथ-साथ इस एकक के दावे पर भी गुणावगुण की दृष्टि से विचार किया जायेगा। 1963 में दी गई मूल्य वद्धि को अब दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रुरकेला में अधिक शक्तिवाले विस्फोटक पदार्थ बनाने वाला कारखाना स्थापित करना

3974. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरेकेला में अधिक शक्ति वाले विस्फोटक पदार्थ बनाने वाला कारखाना स्थापित करने के लिये एक गैर-सरकारी फर्म को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो उस फर्म तथा उसके अध्यक्ष का नाम क्या है, और

(ग) राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ यह आवेदन-पत्र उनके मंत्रालय में कब पहुंचा था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : मेसर्स इण्डियन डेटोनेटर्स लिमिटेड, हैदराबाद को अधिक शक्ति वाले विस्फोटक पदार्थों का एक कारखाना स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। इस फर्म द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किये गए आवेदन में, जो फरवरी, 1965 में प्राप्त हुआ था, कारखाना लगाने के स्थानों में से राउरकेला भी एक स्थान बताया गया था। इस कारखाने को राउरकेला में लगाने के बारे में उड़ीसा राज्य सरकार की सिफारिश अप्रैल, 1965 में प्राप्त हुई थी। मेसर्स इण्डियन डेटोनेटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष श्री सी० सी० देसाई हैं।

अम्बाला नगर स्टेशन पर ऊपरी पुल

3975. **श्री सूरज भान** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल, तथा उक्त स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 पर एक दूसरे शेड का निर्माण करने के बारे में डी० ए० वी० कालेज, अम्बाला नगर (हरियाणा) के प्रिंसीपल से इन्हें हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा : (क) और (ख) : जी नहीं। अम्बाला शहर स्टेशन पर प्लेटफार्म नं० 1,2 और 3 को मिलाने वाला एक ऊपरी पैदल पुल पहले से है। इस स्टेशन

के प्लेटफार्म नं० 2 और 3 पर 100×40 फुट का एक यात्री शेड भी पहले से है। इसे देखते हुए अम्बाला शहर स्टेशन पर यात्री शेड का विस्तार करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

चिली से सोडियम नाइट्रेट का आयात

3976. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के दौरान चिली से सोडियम नाइट्रेट के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और उस देश को पटसन के बोरों का निर्यात बन्द करने के क्या कारण थे;

(ख) 1968-69 में सोडियम नाइट्रेट के आयात को पुनः आरम्भ करने के क्या कारण हैं;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित सोडियम नाइट्रेट के मूल्य निगम के गोदाम पर 1370 रुपये प्रति टन निर्धारित करने और इस प्रकार छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों के लिये कठिनाइयां पैदा करने के क्या कारण हैं, जबकि यह मूल्य 1965-66 में 339 रुपये प्रति टन और 1966-67 में 498 रुपये प्रति टन थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अप्रैल, 1967-मार्च, 1968 की अवधि में सोडियम नाइट्रेट के आयात पर रोक लगी हुई थी क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि उस अवधि में इस वस्तु के आयात की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस अवधि में सभी अनुमय गन्तव्यों को, जिनमें चिली भी एक है, पटसन की बोरियों का निर्यात निर्बाध रूप से करने दिया गया।

(ख) चालू लाइसेंस वर्ष के लिये सोडियम नाइट्रेट के आयात की अनुमति दी गई है क्योंकि उपभोक्ता उद्योगों द्वारा इसकी आवश्यकता अनुभव की गई थी।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने विक्रय मूल्य 1295 रुपये प्रति मी० टन नियत किया है, 1370 रुपये नहीं। वर्ष 1968-69 में गत वर्षों की अपेक्षा अधिक दर नियत करने के आधार निम्नलिखित हैं :—

(1) वर्तमान आयात तकनीकी वर्ग के हैं जबकि चिली से किये गये आयात उर्वरक वर्ग के थे।

(2) वर्ष 1968 में क्रयमूल्य गत वर्षों की अपेक्षा अधिक है।

(3) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 के आयातों पर कोई आयात शुल्क नहीं था, जबकि इस समय आयातों पर मूल्यानुसार 60% शुल्क लिया जाता है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये कच्चे माल का मूल्य

3977. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा लघु तथा कुटीर उद्योगों को दिये जाने वाले अधिकांश कच्चे माल के निर्धारित किये गये मूल्य बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो उद्योगों और उपभोक्ताओं को उनका सीधे आयात करने की अनुमति नहीं देने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य व्यापार निगम को सोडियम नाइट्रेट मरकरी, अन्य अलौह धातुओं तथा अन्य विभिन्न चीजों के आयात का एकाधिकार देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं। विशिष्ट मामलों में, जैसे खोपरा, ताड़ का तेल तथा चर्बी के मूल्य, अन्य बातों के साथ-साथ देशी समकक्ष वस्तुओं अथवा स्थानापन्न पदार्थों के मूल्यों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुऐ निर्धारित किये जाते है।

(ख) तथा (ग) बड़े पैमाने पर की गई खरीददारियों, विशेषतया कमी वाले कच्चे माल की बड़े पैमाने पर खरीदारी करने में कुछ लाभ हैं। यदि व्यक्तिगत रूप से छोटे लाइसेंसधारी मंहगे बाजारों में कार्य करेंगे, तो मूल्यों में और भी अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति पैदा हो जायेगी। राज्य व्यापार निगम को बड़े पैमाने पर खरीदारियों का प्राधिकार देने से पूर्व, सरकार सभी पहलुओं पर विचार करती है और केवल उसका समाधान हो जाने पर कि बड़े पैमाने पर ऐसी खरीदारी आवश्यक है तभी यह कार्य इस निगम को सौंपा जाता हैं। बड़े पैमाने पर ऐसी खरीदारियां काफी लाभप्रद रही है, विशेषतया पारा, गंधक आदि वस्तुओं में काफी लाभ मिला। अलौह धातुओं का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा नहीं किया जाता, अपितु खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है।

Puling of Chains in Mhow-Ujjain Train

3978. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mhow-Ujjain train is stopped by the passengers several times on Mhow Section by pulling the chain and the ticketless travellers slip away;

(b) whether it is also a fact that on the 25th July, 1968 about 1,000 students stopped this train by pulling the chain and tried their best to set fire to one compartment by spraying petrol over it;

(c) whether it is also a fact that had a Military Officer not threatened to open fire, the railway compartment would have been set on fire; and

(d) if so, for how long such incidents are taking place and the action taken so far or proposed to be taken by Government to prevent them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) On the 25th July, 1968 about 50 students stopped 96 Dn. Mhow-Ujjain fast passenger train when it was approaching Indore, by squatting on the track. After getting the rear compartment of the train vacated by passengers, they started sprinkling petrol on it apparently with the intention to set fire to the compartment.

(c) Timely intervention by Military personnel travelling in the same train saved the situation and the students took to their heels.

(d) This was the first incident of its type on the Mhow-Ujjain Section, although there have been cases of unauthorised pulling of alarm chains previously. To prevent such incidents, arrangements of Police escorts on trains on this Section have been made. Surprise checks are also carried out by the Ticket Checking staff with the help of Railway Protection Force.

रेलवे बोर्ड आशुलिपिकों का अभ्यावेदन

3979. श्री जि० मो० विस्वास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीधे भर्ती किये गये आशुलिपिकों तथा विभागीय पदोन्नति से आशुलिपिक बने लोगों की वरिष्ठता के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से रेलवे बोर्ड की सेवाओं के लिये भर्ती किये गये आशुलिपिकों, ने पिछले दो-तीन वर्षों में उनको, रेलवे बोर्ड तथा स्टाफ कौंसिल को अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो अपने अभ्यावेदनों में उन्होंने वास्तव में क्या मांग की है;

(ग) इन अभ्यावेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में सरकार की नीति को दृष्टि में रखते हुए उनकी वरिष्ठता किस प्रकार निर्धारित करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । इस विषय पर आशुलिपिकों से कुछ आभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) ये आभ्यावेदन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आशुलिपिकों की ली गयी परीक्षा के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये आशुलिपिकों की पारस्परिक वरिष्ठता के नियतन से सम्बन्धित हैं ।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है ।

उत्तर रेलवे में काम करने वाले आशुलिपिकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षायें

3980. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलवे सेवा आयोगों द्वारा 130–300 रुपये वाले वेतनक्रम में काम कर रहे आशुलिपिकों के लिये प्रति वर्ष, 100 और 120 शब्द प्रति मिनट के आधार पर प्रोत्साहन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1965 से भर्ती के समय आशुलिपिकों की परीक्षा 80,100 और 120 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से ली जाती रही है और उसके अनुसार ही उनके वेतन निर्धारित किये जाते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1965–66 में उत्तर रेलवे में भर्ती किये गये आशुलिपिकों की परीक्षा 100 और 120 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से नहीं ली गई थी, हालांकि इसके लिये रेलवे सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा आशुलिपिकों की भर्ती के लिये दिये गये विज्ञापन में ऐसा कहा गया था, और उत्तर रेलवे के प्रशासन द्वारा किये गये जबरदस्त पक्षपात के कारण इस श्रेणी के कर्मचारियों में बड़ी निराशा और अशान्ति फैली हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा 1965–66 में ली गई परीक्षा में हुई अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे के मुख्यालय में आशुलिपिक

3981. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के मुख्यालय की कई शाखाओं में 210–425 रुपये वाले वेतनमान आशुलिपिक रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे जनरल मैनेजर के आदेशों का उल्लंघन करके पत्राचार कार्य पर लगा रखे हैं, जिसके फलस्वरूप सरकारी धन की बड़ी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उन आदेशों का उल्लंघन करने वाली शाखाओं के नाम क्या है; और

(ग) नियुक्तियों को नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इस गलती को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) स्टेनोग्राफरों के पदों पर नियुक्त कुछ व्यक्तियों से आंशिक या पूर्ण रूप से गोपनीय पत्र-व्यवहार का काम लिया जाता है, लेकिन इससे किसी वर्तमान आदेश का न तो उल्लंघन होता है और न सार्वजनिक धन की हानि होती है ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे के सेवा में लगे हुए स्टेनोग्राफरों के लिये प्रोत्साहन परीक्षायें

3982. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के 130–300 रु० वेतनक्रम में सेवा में लगे हुए स्टेनोग्राफरों के लिये प्रोत्साहन परीक्षायें गत एक वर्ष से अधिक समय से नहीं हुई हैं जो कि रेलवे बोर्ड के स्थायी आदेशों का उल्लंघन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परीक्षाएं कराने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रत्नगिरि में कोयना एल्यूमीनियम परियोजना

3983. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नगिरि जिले में कोयना एल्यूमिनियम परियोजना को आरम्भ करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र में उत्पादन के कब तक शुरु हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या परियोजना के प्रारम्भिक कार्य के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो धन कब तक उपलब्ध कर दिया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) कोयना (महाराष्ट्र) एल्यूमिनियम प्रायोजना को चालू किये जाने के लिये ठीक-ठीक समयावलि, प्रायोजना सम्बन्धी तकनीकी परामर्शदाता-प्रबन्धों को, जिनके लिये बातचीत प्रगति पर है, अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात ही, बनायी जा सकती है ।

(ग) से (ङ) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, के लिये, 1968–69 के बजट अनुमानों में, कोयना एल्यूमिनियम प्रायोजना के लिये 100 लाख रुपये की राशि सहित, 550 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । कोयना एल्यूमिनियम प्रायोजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यों के लिये वास्तविक रूप में धन-बंटन का प्रश्न परामर्शदाता-प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे दिये जाने के पश्चात् उठेगा ।

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के लिए अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों का आरक्षण

3984. **श्री सूरजभान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में जुलाई, 1967 में अपर डिवीजन क्लर्कों के कितने पदों के लिये विभागीय परीक्षा ली गई थी;

(ख) उन पदों में से अनुसूचित जातियों के लिये अपर डिवीजन क्लर्कों के कितने पद आरक्षित थे;

(ग) पिछले वर्ष से कितने आरक्षित पद आगे लाये गये;

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने उम्मीदवार उस परीक्षा में बैठे;

(ङ) जुलाई, 1967 में हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप कितने आरक्षित पद भरे नहीं जा सके हैं; और

(च) अनुसूचित जातियों के लोगों का अपर डिवीजन क्लर्कों की श्रेणी में उनका उचित भाग देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (च) उत्तर रेलवे द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना इकट्ठी की जा रही है । रेलवे से सूचना मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे संगचल कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

3985. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में संगचल कर्मचारियों का कार्य समय को ध्यान में रख कर निश्चित किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे कर्मचारियों के प्रति-दिन कार्य करने के घंटे निश्चित होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें उस दिन समयोपरि वेतन दिया जाता है जिस दिन वे निश्चित समय से अधिक घंटे कार्य करते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके समयोपरि भत्ते के भुगतान की प्रथा को समाप्त करने का है जिससे बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिलेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) गाड़ी संचालन की परिवर्ती स्थितियों, काम के घंटों से सम्बन्धित विनियमों के उपबन्धों आदि को ध्यान में रख कर बनायी गयी ड्यूटी लिंक/अनुसूचियों के अनुसार रनिंग कर्मचारी काम करते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) रनिंग कर्मचारी जब एक पखवाड़े में निर्धारित घंटों से अधिक काम करते हैं, तो उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जाता है ।

(घ) रनिंग कर्मचारियों को दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते को यथासम्भव कम करने के लिए आवश्यक उपाय किये गये हैं ।

रेलवे ब्रेकसमैन

3986. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे (विभाग) के कर्मचारियों का एक वर्ग ब्रेक्समैन कहलाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके लिये सेवा निवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश में बढ़ती हुई बेकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति में परिवर्तन करेगी और इन ब्रेक्समैनों के लिये सेवा निवृत्ति की आयु निश्चित करने पर विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी नहीं, सिवाय मध्य रेलवे के उन ब्रेकमैनों के मामले में जो 31-7-1940 को भूतपूर्व जी० आई० पी० रेलवे की स्थायी सेवा में थे और जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी में बने रहना स्वीकार किया है ।

उत्तर रेलवे सिगनल वर्कशाप गाजियाबाद

3987. श्री सूरजभान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार गाजियाबाद स्थित उत्तर रेलवे सिगनल वर्कशाप के निर्माण एकक को बन्द करके इससे सम्बन्धित कार्य को गैर-सरकारी कम्पनियों से ठेके पर कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) गाजियाबाद स्थित उत्तर रेलवे के सिगनल कारखाने को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

वाराणसी से गोरखपुर तक बडी रेल लाइन

3988. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बरास्ता भटनी जंकशन वाराणसी से गोरखपुर रेलवे स्टेशन तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस निर्माण कार्य पर कुल कितना धन खर्च होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) वाराणसी से भटनी होकर गोरखपुर तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने या न बदलने का औचित्य निश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे इस समय प्रारम्भिक इन्जीनियरी और यातायात सर्वेक्षण कर रही है । मीटर गेज लाइन के वास्तविक परिवर्तन और यह काम किस समय शुरू किया जायेगा तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी आयेगी, इन सब बातों का निर्णय सर्वेक्षणों के परिणामों की जांच के बाद ही किया जा सकता है ।

मनीपुर का खनिज सर्वेक्षण

3989. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में सरकार द्वारा पहला खनिज सर्वेक्षण कब आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण के बाद खुदाई के लिये संसाधनों का सुव्यवस्थित मानचित्र तैयार किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मनीपुर में संसाधनों का सुव्यवस्थित मानचित्र तैयार करने के लिये और सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) मनीपुर में पहला खनिज तथा भू-सर्वेक्षण भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा 1882 में किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Industrial Development of U. P.

3990. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no useful industry has been developed in the sourthern part of the Yamna river in Uttar Pradesh with a view to providing employment to the people of the hilly areas;

(b) the action proposed to be taken by Government for the development of this part of Uttar Pradesh; and

(c) the further steps Government propose to take to remove unemployment in the Jhansi Division as also the action taken so far ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Hindi Translators in Divisional Offices of Western Railway

3991. **Dr. Govind Das** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that five posts of the Hindi Translators have been sanctioned in each Divisional Office of the Central Railway;

(b) if so, the reasons for posting only one translator in each of the Divisional Offices of the Western Railway; and

(c) whether any steps are proposed to be taken to increase the number of posts of Hindi Translators in the Divisional Offices of the Western Railway ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Contributions Given by Companies to Political Parties

3992. **Shri Onkar Lal Bohra** ; Will the Minister of **Industrial Development & Company Affairs** be pleased to state:

(a) the amount given by the various Companies as contribution to the various political parties last year during the Fourth General Elections and the details in this regard;

(b) the percentage of profit allowed by Government to these companies to be given as contribution and the amount of income-tax that could have been realised on the contributions given by these companies; and

(c) the amount invested by Central and State Governments in the said companies and the details in this regard ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Section 293 A of the Companies Act, 1956 which provides for certain disclosure in respect of contribution by companies to political parties or to individuals for political purposes, does not require the disclosure of the date on which or the purpose for which the contributions were made. However, a statement indicating the contributions made by companies reported to Registrars during the period 1st March, 1966 to 29th February, 1968 is enclosed, **[Placed in the Library Pl. See L. T. No. 1739/68]**

(b) The Companies Act, 1956 permits political contributions by a company in any financial year not exceeding Rs. 25,000 or 5 (per-cent) of its average net profits during the three financial years immediately preceding, whichever is greater. Such donations by companies are ordinarily added back to profits in calculating income tax payable by companies.

(c) In the absence of the names of companies which have given donations specifically for the Fourth General Election it is not possible to indicate the particulars of amounts invested by the Central and State Governments in the companies which have donated fuads to political parties or to individuals for political purposes.

मैसर्स नेपको बीवल गियर आफ इण्डिया लिमिटेड, बल्लभगढ़

3993. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स नेपको बीवल गियर आफ इण्डिया लिमिटेड, बल्लभगढ़ जो भारत और अमरीकी सहयोग से चल रही थी, पिछले एक वर्ष से बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि अमरीकी सहयोग कर्ताओं द्वारा दी गई करोड़ों रुपये की मूल्य की मशीनें बिल्कुल रद्दी और बेकार थी;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी आवश्यक कार्यवाही करने का है, जिससे कि उस कम्पनी द्वारा ब्याज पर जनता से उधार लिया गया धन सुरक्षित रहे तथा इस कम्पनी के समाप्त हो जाने की अवस्था से उस राशि को लौटाने की व्यवस्था की जा सके; और

(च) इस फर्म द्वारा अपना काम आरम्भ किया जाये, इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि भारतीय फर्म अमरीकी सहायता अधिकारियों को समय पर भुगतान नहीं कर सकी, इसलिए पंजाब सरकार ने फर्म द्वारा किए गए इकरार नामे के अनुसार 9-4-1967 को फर्म की सभी परिसम्पत्तियों पर अधिकार कर लिया था। फिर भी पंजाब सरकार कारखाने को चालू करने के लिए और आगे कोई कदम नहीं उठा सकी क्योंकि कुछ पार्टियां इस मामले को अदालत में ले गई ।

(ग) तथा (घ) ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अमरीकी सहयोगियों द्वारा दी गई मशीने बहुत पुरानी तथा असन्तोषजनक इत्यादि थीं । इन शिकायतों की ध्यानपूर्वक जांच करने पर सरकार ने विदेशी सहयोग को स्वीकृति देने में यह शर्त लगा दी थी कि अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि भारत में मशीनों के पहुंचते ही इनका अन्तिम निरीक्षण सरकार करेगी और यदि किसी मशीन में खराबी पाई गई तो उसे विदेशी फर्म अपने खर्च पर बदलेगी । यह निरीक्षण हो भी नहीं पाया था, क्योंकि इसी बीच मामले को अदालत में ले जाया गया था ।

(ङ) तथा (च) चूंकि कई ऐसे मामले अदालतों में विचाराधीन है जो कारखाने को चलाने से सम्बन्धित हैं, अत: कारखाने को पुन: चलाने के लिए इन मामलों के निबटायें जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों से रेलगाड़ियों का देर से रवाना होना

3994. श्री सूरजभान :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों से रेल गाड़ियों के सामान्यतया देरी से रवाना होने के कारण 26 जुलाई, 1968 को मध्याह्नपूर्व में यात्रियों द्वारा दिल्ली और गाजियाबाद के बीच कुछ रेल गाड़ियां चार घंटे तक रोक ली गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रातः काल रोकी गई गाड़ियों में से एक गाड़ी के साथ लगे हुए सैलून/स्पेशल कोच में एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी यात्रा कर रहा था और जब उस रेलवे अधिकारी ने उनकी शिकायतों को सुनने या सैलून/स्पेशल कोच से बाहर आने से भी इन्कार किया तो यात्री क्रुद्ध हो गये;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसी दिन दोपहर बाद रेलवे पुलिस ने विद्यार्थियों समेत कुछ यात्रियों को पकड़ कर उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटा और कुछ निर्दोष यात्रियों के विरुद्ध कुछ झूंठे मामले भी बनाये ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस समूचे मामले की जांच करायेगी; और

(ङ) दिल्ली/नई दिल्ली से रेलगाड़ियों को समय पर चलाने के लिए क्या प्रभावशाली कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 33 अप दिल्ली–अमृतसर सवारी रेल गाड़ी के देरी से चलने के बारे में विरोध प्रकट करते हुए 26-7-68 को साहिबाबाद और गाजियाबाद के बीच विद्यार्थियों द्वारा इस रेल गाड़ी की खतरे की जंजीर लगातार खींचे जाने के फलस्वरूप अनेक रेल गाड़ियों को 1 घंटा 14 मिनट से लेकर 4 घंटे 38 मिनट तक रुकना पड़ा था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) गाजियाबाद की सरकारी रेलवे पुलिस के अनुसार 26-7-68 को न तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और न ही किसी यात्री / विद्यार्थियों को मारा गया था । पुलिस द्वारा कोई ऐसा मामला भी नहीं बनाया गया था ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) रेल गाड़ियों को समयानुसार चलाने के लिए, जिसमें दिल्ली/नई दिल्ली से रेल गाड़ियों के समयनुसार चलना भी शामिल है, सभी रोकी गई गाड़ियों के सम्बन्ध में की पूरी जांच पड़ताल की गई है और स्थिति को सुधारने तथा दण्ड देने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की गई है ।

Late Departure of Delhi Janta Express From Jhansi

3995. Shri Jageshwar Yaday : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Janta Express train which should leave Jhansi at 7 A. M. daily leaves the said Station as late as at about 10.30 A. M. or 11 00 A M.;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any action is proposed to be taken to ensure that the train runs in time ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Owing to a variety of factors like alarm chain pulling, detentions on account of loading unloading of perishables etc , 17 Dn. Madras Delhi Janata Express (which is scheduled to leave Jhansi at 09-00 hours) has, of late, been leaving Jhansi later than its scheduled departure.

(c) Yes, every effort is being made to ensure punctual running of this train.

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

3996. श्री चित्तरंजन राय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में काम कर रहे तीसरी श्रेणी के बहुत से कर्मचारियों का ओपन लाइन रेलों में तबादला किये जाने पर उनकी पदोवन्नति किए जाने की आशंका है;

(ख) क्या सरकार का विचार एक नीति बनाने का है ताकि रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में की गई पदोन्नतियों को ओपन लाइन रेलों द्वारा मान्यता दी जाये; और

(ग) रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में काम कर रहे तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों का ओपन लाइन रेलों में तबादला किये जाने पर उनकी संभावित पदोवन्नति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) रेल बिजली योजना में तीसरे दर्जे के ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो विभिन्न रेलों से लिये गये हैं। उनमें से कुछ कर्मचारी पदोन्नति पर आये होंगे और कुछ को रेल बिजली योजना में आने के बाद पदोन्नति मिली होगी। रेल बिजली योजना में इन कर्मचारियों को जो पदोन्नति मिली है, वह बिल्कुल अस्थायी मानी जाती है और तभी तक है जब तक वे उस संगठन में काम कर रहे हैं।

जहां तक मूल रेलवे में उनकी स्थिति का सम्बन्ध है, रेल बिजली योजना से परावर्तित होने पर इन कर्मचारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा जिन पर रेल बिजली योजना में स्थानान्तरित न होने की दशा में उन्हें रखा जाता। लेकिन मूल रेलवे में परावर्तित होने पर यदि कर्मचारियों को कोई रियायत दी गयी तो ऐसा करने से उन कर्मचारियों में असन्तोष पैदा हो जायेगा, जो मूल संवर्गों में पहले से काम कर रहे है। उत्तरोक्त कर्मचारियों की यह शिकायत उचित होगी कि पूर्वोक्त कर्मचारियों को मूल संवर्ग से बाहर पहले ही लाभ मिल चुका है और प्रशासन उत्तरोक्त कर्मचारियों की कीमत पर इस लाभ को चिरस्थायी बना रहा है। कर्मचारियों के दोनों वर्गों के दावों पर एक साथ विचार करने पर सरकार यह समझती है कि जो कर्मचारी रेल बिजली योजना में स्थानान्तरित किये गये थे और जिनकी वहां पदोन्नति हुई है, उन्हें, मूल संवर्गों में काम करने वाले उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक लाभदायक स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिये।

जहां तक रेल बिजली योजना में किए गए प्रवरणों को मान्यता देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि किसी नियमित रेलवे की अपेक्षा किसी परियोजना में होने वाले प्रवरण का क्षेत्र वस्तुत: भिन्न होगा। किसी परियोजना में प्रवरण का स्तर कुछ उदार हो सकता है, क्योंकि ये प्रवरण परियोजना में केवल ऐसे अस्थायी पदों को भरने के उद्देश्य से किये जाते हैं जो कुछ अवधि के बाद समाप्त हो जायेंगे। लेकिन रेलवे में होने वाले प्रवरण कठोर होंगे, क्योंकि चुने गये कर्मचारी इस पदक्रम में न केवल स्थायी हो जायेंगे, बल्कि सेवा के दौरान आगे पदोन्नति की प्रत्याशा रखेंगे। इस सम्बन्ध ने पहले से ही स्थायी आदेश मौजूद हैं कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से स्थानान्तरित होने की अवधि में किसी दूसरी रेलवे या संगठन में पदोन्नति प्राप्त करते हैं, उन्हें मूल रेलवे में उच्चतर पदक्रमों में पदोन्नति के लिए स्वत: किसी तरह की तरजीह नहीं दी जानी जाहिये और मूल संवर्गों में पदों को भरने के लिए सामान्य नियम अपनाये जाने चाहिए। लेकिन जब ऐसे कर्मचारियों के मूल संवर्ग में कोई प्रवरण किया जाता है, तो अन्य बातों के साथ-साथ उधार लेने वाले कार्यालयों में उच्चतर पदक्रमों में उसके काम की रिपोर्ट का भी ध्यान रखा जायेगा। केवल रेल बिजली योजना में नियुक्त कर्मचारियों के मामले में सामान्य आदेशों से विचलित होने का औचित्य नहीं है।

भवानी मण्डी में फ्रंटियर मेल का रुकना

3997. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रंटियर मेल गाड़ी इस बात के बावजूद कि वहां यातायात बहुत कम अथवा बिलकुल नहीं है, शामगढ़ स्टेशन पर रुकती है;

(ख) शामगढ़ से दिल्ली की ओर तथा बम्बई की ओर यात्रा करने के लिये कितने टिकट बिकते हैं;

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि शामगढ़ की तुलना में भवानी मण्डी से, जो एक महत्वपूर्ण मंडी और व्यापार केन्द्र है और जो निकट है, कम यातायात होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो शामगढ़ स्टेशन पर गाड़ी रोकने और इसकी बजाये भवानी मण्डी में गाड़ी न रोकने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी हां। शामगढ़ स्टेशन पर प्रतिदिन लम्बी दूरी का यातायात पहले दर्जे का 1, दूसरे दर्जे का 2 और तीसरे दर्जे का 50 है, जो अपर्याप्त नहीं है।

(ग) और (घ) शामगढ़ स्टेशन पर फ्रंटियर डाक गाड़ी का रुकना इसलिये आवश्यक है, ताकि यात्रियों को भोजन यान में चढ़ने या उससे उतरने में सुविधा हो।

सवाई माधोपुर और भरतपुर जंकशनों पर डी-लक्स और वेस्टर्न एक्सप्रेस गाड़ियों का रूकना

3998. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर और भरतपुर रेलवे जंक्शनों पर डी-लक्स और वैस्टर्न एक्सप्रेस गाड़ियों के रोकने के लिए जनता की जोरदार मांग है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय ये गाड़ियां गंगापुर के स्थान पर रुकती हैं जो कि यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान नहीं है;

(ग) किन कारणों से सरकार उपरोक्त दो स्टेशनों पर इन गाड़ियों को रोकने की जनता की मांग पूरी नहीं कर सकती और कम महत्व के स्टेशन पर गाड़ी का रुकना बन्द नहीं कर सकती; और

(घ) क्या सरकार का विचार जनता की अधिक अच्छी प्रकार से सेवा करने के लिये और अधिक आय कमाने के लिये गाड़ियों को सवाई माधोपुर और भरतपुर में रोकने की व्यवस्था करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) 25 डाउन 26 अप वातानुकूल डी-लक्स वेस्टर्न एक्सप्रेस गाड़ियों का गंगापुर सीटी स्टेशन पर रोका जाना परिचालन सम्बन्धी कारणों अर्थात इंजन बदलने के लिए अनिवार्य है। ये गाड़ियां दिल्ली और बम्बई के बीच सीधे जाने वाले यात्रियों के लिए तेज सेवा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से चलाई गई थीं और इन्हें कुछ ही स्टेशनों पर मुख्यतः परिचालन सम्बन्धी कारणों से रोका जाता है। सवाई माधोपुर, भरतपुर और यातायात की दृष्टि से ऐसे ही कुछ अन्य स्टेशनों पर इन गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करने से इन तेज़ सेवाओं की गति बहुत धीमी हो जायगी जिससे इनके लम्बी दूरी वाले यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या को असुविधा होगी।

कोटा डिवीजन में सीमेंट तथा खाद्यान्नों की ढुलाई के लिये माल डिब्बे

3999. श्री बृजराज सिंह फोटा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे द्वारा कोटा डिवीजन में खाद्यान्न की ढुलाई के लिये माल डिब्बों की संख्या कम करके सीमेंट की ढुलाई के लिये माल डिब्बे दिये गये थे;

(ख) सीमेन्ट तथा खाद्यान्नों के लदान के तुलनात्मक आंकड़े क्या क्या है तथा मार्च तथा उसके बाद इनके लदान के लिये कितने कितने डिब्बों की मांग पूरी नहीं की गई;

(ग) क्या अनाज के लदान के लिए माल डिब्बों की सप्लाई का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ताकि खाद्यान्नों की ढुलाई अबाध रूप से चलती रहे; और

(घ) क्या इस मामले में कोई निश्चित नीति अपनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। सीमेन्ट और अनाज की ढुलाई उनकी अपनी अपनी अग्रता के अनुसार की गई है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 1740/68] ।

(ग) कोटा मण्डल से व्यापारियों के अनाज की ढुलाई के लिये 30 माल डिब्बों का दैनिक पण्य कोटा निर्धारित किया गया है, लेकिन लदान के लिए माल डिब्बों की सप्लाई बुकिंग पर लागू प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए समान अग्रता वाली अन्य पण्य वस्तुओं के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन की बारी के अनुसार करनी पड़ती है.

(घ) जी हां। लदान के लिए माल डिब्बों की सप्लाई यातायात की अग्रता और रजिस्ट्रेशन की बारी के आधार पर की जाती है। सीमेंट की ढुलाई तरजीही यातायात अनुसूची की अग्रता 'सी' के अन्तर्गत और प्रायोजित अनाज की ढुलाई तरजीही यातायात अनुसूची की अग्रता 'बी' के अन्तर्गत की जाती है, जबकि व्यापारियों के अनाज की ढुलाई आमतौर पर तरजीही यातायात अनुसूची की अग्रता 'ई' के अन्तर्गत की जाती है। लदान के लिये अग्रता क्रम के आधार पर माल डिब्बों की सप्लाई करने का प्रयास किया जाता है।

मिश्रित धातुओं तथा विशेष इस्पात का निर्यात करने के बारे में समिति

4000. श्री वीरभद्र सिंह :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अब देश में तैयार की जा रही मिश्रित धातुओं तथा विशेष इस्पात के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा इनके निर्यात को बढ़ावा देन के लिये उपाय सुझाने के लिए कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत कर देगी ?

इस्पात खान, तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीका के साथ व्यापार

4001. श्री जुगल मंडल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अमरीका को कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा अमरीका से कितनी मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय भारत से अमरीका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य अमरीका से आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से अधिक है ;

(ग) क्या निर्यात किये गये सामान के मूल्य के भुगतान के बारे में अमरीका से कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क)

आंकड़े दस लाख में

	1965-66	1966-67	1967-68
निर्यात (जहाज पर मूल्य)	1477.7 रु०	2199.8 रु०	2074.4 रु०
	310.3 डालर	293.3 डालर	276.6 डालर
आयात (लागत, बीमा, भाड़ा)	5253.4 रु०	7829.1 रु०	7715.0 रु०
	1103.2 डालर	1043.9 डालर	1028.7 डालर

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक–महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC-IMPORTANCE

नई दिल्ली नगरपालिका के लिए वित्त सदस्य के नाम निर्देशन पर केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच प्रशासनिक विवाद का समाचार

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : I beg to call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and to request him to make a statement thereon:-

"Reported administrative dispute between the Central Government and the Delhi Administration over nomination of Finance Member to N. D. M. C."

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Under the Notification issued under Section 27 (3) of Delhi Administration Act, 1966, Administrator is the sole authority for nominating members to N. D. M. C. It was after I st April, 1968 that Delhi Administraton appointed its separate Finance Secretary. The question of appointing a fulltime Finance Member to N. D. M. C. was under consideration of the Lt. Governor of Delhi as well as in the Ministry. In the meantime the Lt- Governor of Delhi notified the appointment of the Finance Secretary of the Delhi Administration as Finance Member of N.D.M.C, in place of the Deputy Secretary of Delhi State Division of the Ministry of Finance. It was therefore considered necessary to tell the Lt- Governor that his own proposal being under consideration of the Ministry it would be better to withhold the appointment of Finance Member.

Shri Yashpal Singh : Whatever the Lt- Governor did he did after obtaining the approval of Government or did he act of his own accord ?

Shri Vidya Charan Shukla : While issuing the said Notification our approval was not sought.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is a very serious matter. In the Centre there is Congress Government and Delhi administration is in the hands of Bharatiya Jan Sangh The Ministry of Home Affairs are conducting all such affairs in such a manner as to bring the Jan Sangh administration to disrepute. On 24 th May the Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs, Shri Parija, wrote a letter to the Joint Secretary in the Ministry of Finance, Shri Madan, in which he wrote that Administrator of Delhi was the competent authority under the Punjab Municipal Act, 1911 and that According to Section 27 (1) of the Delhi Administration Act, 1966 every decision taken by the Executive Council in respect of New Delhi shall be subject to the concurrence of the Administrator. He further wrote that in this particular case, however, the Administrator and the Executive Councillor seem to be in complete agreement on having the Finance Secretary as a member of the N. D. M. C. in place of the Deputy Secretary, Delhi Special Division.

In reply to that letter of Shri Parija Shri Madan wrote to the Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, Shri Yardi, on 11 th June regarding the nomination of Finance representative as a member of the N. D. M. C. they had put up the case to the Deputy Prime Minister and he was of the view that it should be preferable to appoint Deputy Secretary, Delhi State Division, Ministry of Finance, as a member of N. D. M. C. and that if the Lt. Governor did not agree to that, let him nominate anyone he liked.

It is clear from the above letter that after consulting the Deputy Prime Minister Delhi Administration was intimated that it could nominate any person it liked and Central Government would have no objection to that. But on 31 st July the same Shri Yardi wrote a letter to Lt. Governor that it had been decided that it would be better if effect was not given to that Notification and the matter was considered afresh when the Committee was reconstituted in October.

I have to ask two questions in this connection. Firstly, when previously Central Government had no objection if the Finance Secretary of Delhi Administration was appointed as Finance Member of N. D. M. C. why objection was raised afterwards, particularly when his name had already been notified in the Gazette. Is it a fact that there is a difference of opinion between the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance on this issue ? Is it a fact that there is difference of opinion between the Minister of Home Affairs and the Deputy Prime Minister ? Was it all done to malign Jan Sangh administration ?

Shri Vidya Charan Shukla : Neither the Central Government wanted to malign Jan-Sangh administration nor was there any difference of opinion between the Ministries. Previously the Deputy Secretary in the Ministry of Finance use to be Finance secretary of Delhi Administration. Then it was decided to keep these two posts separate. The question of nominating Finance Member to N. D. M. C. was thus under consideration of the Ministry. It was the view of the Deputy Prime Minister that it would be better, if the Deputy Secretary in the Ministry of Finance was appointed as Finance Member of N. D. M. C. and if Lt. Governor was not agreeable to that let him do as he thought proper. When this issue was under consideration we saw this Gazette Notification and naturally it was a surprise to us. I want to explain legal positon also. Previously nomination of Member to N. D. M. C. used to be accepted if the Executive Councillor and the Lt. Governor agreed on that. Then in June a memorandum was issued in which it was contemplated that position in this regard should be made clear. In order to clarify position Notification was issued in which it was made a reserved subject in public interest .... (**Interruptions**)

Shri Atal Bihari Varpayee : I want to raise a point of order. Shri Shukla has been maligning Delhi Administration by becoming a Congress stooge. The Minister of Home Affairs may be asked to reply to questions.

अध्यक्ष महोदय : गृह कार्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं है । यदि राज्य मंत्री के उत्तर से आप सन्तुष्ट नहीं होते तो आपके पास अन्य उपाय हैं । वह आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं ।

Shri Vidya Charan Shukla ; So I was saying that by issuing a notification this was made a reserved subject and for nominating a member to N. D. M. C. our concurrence would be obligatory. When we were not consulted and when we had made it clear that this matter would be decided upon when the new Committee is formed, then obviously no action can be taken in accordance with any notification issued without our concurrence.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Why was a letter written by the Deputy Secretary that Government would have no objection if nomination is made, when this matter was under consideration ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have no information as to what did the Deputy Secretary write and when did he write.

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi-Sadar) : Central Government is creating obstacles in the way of proper functioning of Jan Sangh administration. It is all happening because of a conspiracy between Congress workers of Delhi and Shri Vidya Charan Shukla. For instance, when there was no difference of opinion between Metropolitan Council and the Lt. Governor and when both wanted the Finance Secretary of Delhi to be appointed, how did the Central Government happen to intervene in the matter. Secondly, he said that from June this was declared a transferred subject. This was the outcome of that very conspiracy and an attempt to gradually take away the powers from the Jan Sangh administration. Thirdly, when a meeting was going to be held in which the member was to take oath of office that was postponed by Shri Chabbra and Shri Shukla. Thereafter a direction was issued to stop further action, After that the Lt. Governor wrote a letter that as long as an independent Finance Member was not nominated to the N. D. M. C. the Delhi administration had no means of knowing as to whether or not the funds of N. D. M. C. were being utilised properly.

Firstly, I want to know the reasons due to which this was declared a reserved subject; secondly, why that meeting was postponed, thirdly, during the period of four months when there was no Finance Member how could Delhi Administration exercise independent control over financial exchequer of N. D. M. C. ?

Shri Vidya Charan Shukla : Hon. Members would be able to appreciate what I say only when the shake off this impression of conspiracy from their minds. We have delcared it as a reserved subject simply because we considered it proper and in public interest..... **(Interruptions)**

Shri Atal Bihari Vajpayee : You have thought it in public interest only when there is Jan Sangh Administration in Delhi.

Shri Vidya Charan Shukla : So far as the question of postponement of the meeting is concerned, we have nothing to do with it. Regarding independent financial advisor, we will have to think over it.

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : It is clear now that whatever the Government has done is a conspiracy. The fact is that there are a number of charges of corruption against the NDMC President Shri Chabbra which he wants to remain under cover. Firstly, I want to know why did he thought of public interest not visit his mind during the past 20 years; secondly; why did Government refuse to agree to the appointment made with the concurrence of Lt. Governor; thirdly, when a separate finance department has been created how could the administration get facilities for us ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जिस तरह के प्रश्न पूछे गये हैं उनसे पता चलता है कि माननीय सदस्यों ने तथ्यों से अपना दिमाग बिलकुल बन्द कर लिया है। वे केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम केवल 2 या 2॥ वर्ष पहले लागू हुआ था। ये सब कार्यवाईयां उसी के अन्तर्गत की जा रही हैं। उन्होंने एक अधिकारी पर आरोप लगाये...

श्री मनोहर लाल सोंधी : (नई दिल्ली) वे आरोप बिलकुल सही हैं। हम उन्हें साबित करेंगे। नई दिल्ली नगरपालिका को तीन फियट कारें किसने भेंट की ? प्रेम नाथ मोटर्स को गैर-कानूनी ढंग से भवन का निर्माण करने की इजाजत किसने दी ? **(अन्तर्बाधायें)**

श्री विद्या चरण शुक्ल : अधिकारियों के नाम लेकर उन्हें इस झगड़े में लाना अनुचित एवं दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मै समझता हूं नई दिल्ली नगरपालिका का अध्यक्ष अच्छा काम करता रहा है।

श्री मनोहर लाल सोंधी : आप उनसे मिले हुए हैं **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri O. P. Tyagi : My Questions have not been answered.

Shri Vidya Charan Shukla : So far as budget is concerned, the whole budget of Delhi administration is included in the Budget Demands of Ministry of Home Affairs.

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : I want to know the reasons due to which the transferred powers are going to be taken back; secondly, was the Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs empowered to write such a letter, if not what disciplinary action would be taken against him; thirdly, when would the Central Government stop interfering in the affairs of Delhi administration ?

Shri Vidya Charan Shukla : It has been declared as a reserved subject in view of public interest. Regarding the letter written by the Deputy Secretary, my present information is that it was written before the Notification had been issued. If it was not so then it was a wrong thing. Thirdly, about our interference, it may be made clear that we interfere only when there is the question of public interest and with a view to political motives.

चण्डीगढ़ स्थित इन्डो-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 12-8-1968 को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर प्रश्न

Questions on Statement laid on the Table on 12. 8. 1968 by the Minister of State for Education regarding Indo-Swiss Training Centre at Chandigarh

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना को सी.एस. आई.ओ. के अन्तर्गत रखने में स्विस फाउंडेशन की क्या मुख्य आपत्तियां हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : (भागलपुर) फाउंडेशन ने इसके कोई कारण नहीं बताये हैं। हम तो महसूस करते है कि इसे आरम्भ से ही संगठन का एक अंग होना चाहिए था।

श्री सु० कु० तापड़िया : (पाली) क्या 1961 के करार में सी. एस. आई. ओ. का कोई उल्लेख नहीं किया गया था और क्या उस करार के अनुसार सी. एस. आई. ओ. के प्रशासनिक अध्यक्ष का हस्तक्षेप करार का उल्लघन था या नहीं और क्या सरकार करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार है ?

श्री भागवत झा आजाद : सी. एस. आई. ओ. चूंकि सी. एस. आई. आर. का अधीनस्थ निकाय है। अतः उसका उल्लेख करने का प्रश्न ही नहीं उठता। साफसी बात तो यह है कि 7½ वर्षों के पश्चात हम समझते हैं कि हम इस कार्य को सहकारिता के बिना क्षमता से कर सकते हैं। करार की प्रति पुस्तकालय में उपलब्ध है। मैं इसे सभा-पटल पर भी रख दूंगा।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria): When the President of Swiss Foundation visited India in March, he had discussions with Dr. Atma Ram. He had suggested that some Indian should be given training and then he ought to be appointed Principle. But upto this time no Indian has been appointed either as Principle or as Vice-Principle. Further more, Gupta Commission gave its report without having discussions with the Principle of the Centre. I would like to know reasons for that. I would also like to know whether the Ministry of External Affairs has advised not to terminate this Agreement yet; Mr. Speaker, Sir, I request you to ask the hon. Minister to lay on the Table the report of the Commission, the advice given by the Ministry as well as the memorandum submitted by students to the Prime Minister.

Shri Bhagwat Jha Azad: This Committee held discussions with trainees and others in Chandigarh. They had asked even the Principle to have talks. There was no question of personal feelings in the matter. The fact is that after gaining experience for seven and a half years the Indians are fully capable of conducting the work and collaboration is no more needed. The Agreement has been terminate with a view to this very fact.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

संसद-कार्य तथा संचार विभागों में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : मैं भारतीय तारयन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयन्त्र (सातवां संशोधन) नियम 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में जी० एस० आर० 1290 (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी० एस० आर० 1291 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी 1711-68]**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियां तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जिला परिषदें (कार्यवाहियों का संचालन) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 8 जनवरी, 1968 के उत्तर प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7542–बी XXXIII–II-25-आर–65 में प्रकाशित हुए थे। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा–पटल पर रखने में हुए बिलम्ब का कारण बताने वाला विवरण।

(2) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 133 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां (कठिनाइयां दूर करना) आदेश 1968 की एक प्रति जो दिनांक 5 फरवरी, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 68–सी/XII–सी ए–25 (1)–68 में प्रकाशित हुआ था। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1712-68**]

(3) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित पश्चिमी बंगाल जिला परिषदें अधिनियम, 1963 की धारा 112 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल अधिसूचना संख्या 7200/ए जेड पी०/3टी-12/65 (भाग 1) की एक प्रति जो दिनांक 7 जुलाई, 1967 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल जिला परिषदें (निर्वाचन गठन तथा प्रशासन) नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये।

(4) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित पश्चिमी बंगाल पंचायत अधिनियम, 1957 की धारा 120 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः—

(एक) अधिसूचना संख्या 9440/पंच/3-आर-2/66 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1967 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा पश्चिमी बंगाल पंचायत नियम, 1958 में कतिपय संशोधन किये गये।

(दो) अधिसूचना संख्या 12088/पंच/3आर-3/66 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1967 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल पंचायत नियम, 1958 में कतिपय संशोधन किये गये।

(5) ऊपर की मद (4) तथा (5) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण था। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी 1648/68]**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ड़ी० एरिंग) श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे की ओर से मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1452 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। जो दिनांक 31 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1713/68]**

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं उद्योग, (विकास तथा) विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत माडल मिल्स नागपुर की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2607 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। जो दिनांक 16 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1714/68]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

पैंतीसवां प्रतिवेदन
Thirty Fifth Report

श्री र० के० खाडिलकर : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 35वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक
GOLD CONTROL BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री बाकर अली मिर्ज़ा (सिकंदराबाद) : मैं मानव समाज के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने, सोने के आभूषणों तथा सोने की बनी अन्य वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, सप्लाई,

वितरण, प्रयोग तथा इन्हें रखने तथा इनके व्यापार पर नियंत्रण के लिए तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1965–66
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS) 1965-66

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं वर्ष 1965–66 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे) 1968–69
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1968-69

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं वर्ष 1968--69 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

भारतीय पेटेंट तथा डिज़ाइन (संशोधन) अध्यादेश-अस्वीकृत भारतीय पेटेंट तथा डिज़ाइन (संशोधन) विधेयक और पेटेंट विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प–जारी
STATUTORY RESOLUTION RE. INDIAN PATENTS AND DESIGNS (AMENDMENT) ORDINANCE-NEGATIVED. INDIAN PATENTS AND DESIGNS (AMENDMENT) BILL AND PATENTS BILL.

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं माननीय सदस्य श्री नारायण राव को बताना चाहूंगा कि यह अध्यादेश संसद् द्वारा विधेयक पास किये जाने तक इन याचिकाओं को लम्बित रखने के लिए ही प्रख्यापित किया गया था । यदि अवधि न बढ़ाई गई तो सभी लम्बित आवेदन व्ययगत हो जायंगे और वे आवेदक इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रह जायेंगे । संशोधी विधेयक इसी उद्देश्य से पेश किया गया है । इस विधेयक का एक उद्देश्य यह भी है कि आवेदकों को वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत कतिपय ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार न मिलें जो देश के उद्योगों के विकास से मेल नहीं खाते । इस प्रकार इस विधेयक से एक तो आवेदन व्ययगत नहीं होंगे और दूसरे उनको नये विधान के अनुसार निबटाया जायगा । अध्यादेश और विधेयक के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा ।

मुख्य विधेयक के बारे में यह कहा गया है कि सरकार इसे पास करने में बिलम्ब करना चाहती है। वास्तविकता यह है कि सरकार इसे प्रवर समिति को सौंपने की जरुरत नहीं समझती और इसे शीघ्र पास करना चाहती है। मंत्रणा समिति के सदस्यों की इच्छा के अनुसार इसे प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है। मुझे आशा है कि प्रवर समिति उन्हीं साक्ष्यों की जांच करके इसमें जो संशोधन उचित समझेगी कर देगी और इस विधेयक के मामले में अधिक समय नहीं लेगी।

श्री दीवान चन्द शर्मा ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए इसे एक अपशकुन करार दिया। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था। उसके पश्चात् संसद के समक्ष विचार तथा पास करने के लिए लाया गया था। परन्तु इस पर विचार न हो सका और विधेयक व्ययगत हो गया। इसलिए इसे नयी संसद में फिर से पेश करना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।

कुछ सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक पास नहीं किया जाना चाहिए चूंकि यह देश के लिए हितकर नहीं है और इससे अनुसन्धान तथा ईजाद के कार्यों में बाधा पड़ेगी। परन्तु यह सोचना गलत है। इस विधेयक का उद्देश्य अनुसन्धान आदि के कार्यों में बाधा डालना नहीं बल्कि यह है कि जिस प्रकार का भी अनुसन्धान हो चाहे जैसा भी ईजाद हों, परन्तु वे देश के लिए अहितकर नहीं होनी चाहिए। पेटेंट का उद्देश्य देश के भूखे लोगों की जरुरतें पूरी करने के उद्देश्य की अपेक्षा गौण होना चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि पेटेंट एकाधिकार का अथवा आयात के अधिकार का माध्यम बन जाय और कुछ ही लोगों के कारण जरुरतमन्द लोग नुक्सान उठायें।

हमारे देश में इस समय यह हो रहा है कि 90 प्रतिशत पेटेंट विदेशियों द्वारा लिये जाते हैं और हमारे देश में उन्हीं के द्वारा निर्यात सवर्धन होता है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteenth of the clock

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक-सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** . }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इन पेटेंटों का हमारे देश में क्या दुष्परिणाम हो रहा है इसका अमरीका में व्यक्त किये गये विचार से पता चलेगा। अमरीका में न्यास तथा एकाधिकार-विरोधी सम्बन्धी उप-समिति नियुक्त की गई, जिसने इस समूचे विषय का अध्ययन किया। उसकी रिपोर्ट

का तीसरा भाग दवाईयों के पेटेंट तथा अनुसन्धान के विषय में है। भारत की स्थिति के बारे में समिति ने विचार व्यक्त किया है कि भारत में भेषज उत्पादों के पेटेंट दिये जाते हैं जिस कारण इन उत्पादों की कीमतें संसार में सब से अधिक हैं। हमारी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये एक साक्ष्य का उसकी रिपोर्ट में उद्धरण दिया गया है कि कुछ समय पूर्व एक स्विस फर्म लाय-बेरियम 5555 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आयात करती थी और वही चीज़ दिल्ली की एक फर्म ने लगभग 312 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आयात की। इसी तरह भारत की एक फर्म ने विटामिन बी 12 के लिए 320 रुपये प्रति ग्राम लिये जबकि इसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 90 से 100 रुपये थी। इन उदाहरणों से पता चलता है कि पेटेंटों का कितना बुरा परिणाम निकल रहा है। अतः यह कहना गलत है कि सरकार इस कानून द्वारा अनुसन्धान और विकास को रोकना चाहती है।

हमारे देश में एक राय यह है कि पेटेंट होने ही नहीं चाहिए। परन्तु यह देखते हुए कि औद्योगिक दृष्टि से हमारा देश उन्नत नहीं है और हमारे देश में अनुसन्धान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है हमने एक मध्यम मार्ग अपनाया है। वह यह है कि पेटेंट दिये जायें परन्तु उनसे जनहित को हानि नहीं होनी चाहिए। इस विधेयक का यही उद्देश्य है।

यदि सदस्यों ने इस विधेयक के उपबन्धों का अध्ययन किया होता तो वे सरकार पर यह आरोप नहीं लगाते कि सरकार यही नहीं जानती कि वह क्या करना चाहती है। हमारे देश में विद्यमान बहुत सी बुराइयों के उपयोगी उपाय इस विधेयक में सुझाये गये हैं।

यह भी कहा गया कि इस विधेयक के कारण देश में अनुसन्धान कार्य के विकास में बाधा पड़ेगी। परन्तु यह बात सही नहीं है। हम खुले तौर से पेटेंट देते रहे हैं और मैंने देखा है कि तीन या चार उत्पादों के अलावा हमारी किसी ईजाद का या उत्पाद का किसी अन्य देश में पेटेंट नहीं लिया गया है। हमारे जैसे अल्प-विकसित देश में ऐसे एकाधिकार बनाने का कोई औचित्य नहीं है जिनसे जनहित को हानि हो।

पेटेंटों के अर्जन सम्बन्धी उपबन्धों की आवश्यकता पर एक अन्य घोर आपत्ति की गई है। खंड 48 के अन्तर्गत सरकार ने अनुसंधान के लिए और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों से, उदाहरणार्थ, महामारी की स्थिति में, किसी मुआवजे की व्यवस्था नहीं की है। परन्तु जहां वाणिज्यिक प्रयोजनों से पेटेंट अर्जित किये जायेंगे वहां मुआवजे की व्यवस्था है। यही कारण है कि अर्जन के प्रश्न पर विचार किया गया है और इस की व्यवस्था दो अलग श्रेणियों में की गई है।

यह भी कहा गया है कि रायलटी के मामले में सरकार ने शक्तिविहीन होना क्यों उचित समझा है। यह अजीब बात है कि जब हम भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास करते हैं तब भी हमारी आलोचना की जाती है। हमने 4 या 5 प्रतिशत रायलटी की व्यवस्था की। सरकार इसमें कमी तो कर सकती है परन्तु इसकी एक सीमा निर्धारित कर दी गई है।

खाद्य पदार्थों, औषधियों आदि के पेटेंट की अवधि हम ने 16 से 10 वर्ष कर दी है : कुछ लोग कहते हैं कि यह अवधि बहुत ज्यादा है और दूसरे लोग कहते हैं कि यह कम है।

हम ने यह अवधि इसलिए रखी है कि किसी ईजाद करने वाले को अनुचित लाभ न मिले। युनाइटेड किंगडम जैसे देश में भी यह अवधि कम करने की बात चल रही है। यदि इतने विकसित देश में इसकी अवधि कम की जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो हमारे देश में तो यह कम जरुर होनी चाहिए। संयुक्त समिति भी इस विषय पर विचार करेगी और जो अवधि उचित समझेगी उसका सुझाव देगी।

एक आपत्ति इस पर की गई कि उत्पादों का पेटेंट क्यों न किया जाय। पेटेंट वास्तव में प्रक्रियाओं का होना चाहिए न कि उत्पादों का। मैं 16 या 17 देशों की सूची दे सकता हूं जिनमें प्रक्रियाओं का पेटेंट किया जाता है उत्पादों का नहीं।

इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं। यह विधेयक संयुक्त समिति के समक्ष जा रहा है और जो साक्ष्य लिये गये हैं और जो सामग्री हमारे पास अब है उसी के आधार पर संयुक्त समिति में विचार किया जायगा और मुझे बिश्वास है कि इसी वर्ष इस विधेयक को पास कर दिया जायगा।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : माननीय मन्त्री ने अध्यादेश जारी करने के पक्ष में जो कुछ कहा उससे यह आरोप मान लिया गया है कि भारत प्रतिरक्षा नियम का दुरुपयोग किया गया। यह विशेष विषय नियम 47 से सम्बन्धित है। भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा या आपातकाल में जनसमुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सप्लाई और सेवाओं का बनाये रखना। इसलिए नये पेटेंटों के लिए आवेदनों को इतने वर्षों तक रोक रखने के लिए जो दलील दी गई वह पूर्णतः गलत है।

दूसरे, मन्त्री महोदय ने वास्तव में इस बात को मान लिया है कि यह शक्ति का दुरुपयोग है। क्योंकि उन्होंने कहा कि यह सही है कि 1964 या 1963 से इन आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वह नया पेटेंट विधायक पास करना चाहते थे। सरकार को आशा थी कि यह विधेयक गत संसद द्वारा पास कर दिया जायगा। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह विलम्ब जान बूझ कर किया और भारत प्रतिरक्षा अधिनियम तथा नियमों का दुरुपयोग है।

तीसरे, जब तक यह नया पेटेंट विधेयक कानून नहीं बन जाता तब तक वह विलम्ब करना चाहते हैं, अर्थात् पेटेंटों के लिए 5,800 या 6000 आवेदनों को रोक रखना चाहते हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद वह इन पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते क्योंकि अब नया विधेयक पास होगा। यह कोई नहीं कह सकता कि इसमें कितना समय लगे। मैं मन्त्री महोदय की इस इच्छा की प्रशंसा करता हूं कि यह नया विधेयक आगामी सत्र में पास हो जाना चाहिए; परन्तु मुझे इसमें सन्देह है क्योंकि यह मामला बहुत गहरा है। इसलिए मैं अपने इस प्रस्ताव पर आग्रह करता हू कि अध्यादेश का निरनुमोदन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री दाण्डेकर का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Mr. Dandekar's motion was put and Negattived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री शिवचन्द्र झा का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारतीय पेटेंट तथा डिजाईन अधिनियम, 1911 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन (संशोधन) विधेयक

INDIAN PATENT AND DESIGN (AMENDMET) BILL

खण्डों पर विचार

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार विचार आरम्भ होता है ।

खण्ड 2

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ 2, पंक्ति 9, में (By order prohibit or restrict) आदेश द्वारा निषेध अथवा अवरोध (By order prohibit or restrict) के स्थान पर "निषिद्ध अथवा अवरूद्ध करने के लिये निदेश जारी करेगा" (issue directions prohibiting or restricting) रखा जाये ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : द्वारा संशोधन संख्या 2 से 6, श्री लोबो प्रभु द्वारा संशोधन संख्या 7 से 9 और श्री नारायण दांडेकर द्वारा संशोधन संख्या 12 से 14 पेश किए गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधनों के लिये मैं किसी सदस्य को पांच मिनट से अधिक नहीं दे सकता ।

श्री लोबो प्रभु : यह पांच मिनट का समय कम है । यदि आप किसी सदस्य को किसी बात को दोहराते पायें तो उसे रोक सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं दे सकता ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : खण्ड 78 ख में, मैं चाहता हूं कि 'आदेश द्वारा निषिद्ध अथवा अवरुद्ध' के स्थान पर 'निषेध अथवा अवरोध के लिये निदेश जारी करे' रखा जाये । यह संशोधन इसलिये आवश्यक है कि शब्द 'निदेश' कहीं भी नहीं दिया गया है और यह भाषा की गलती है, अतः संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये ।

संशोधन 6 के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि नियंत्रक को जो यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह आवेदन के प्रकाशन को छः महीने तक रोक सकता है और फिर सरकार को भेजेगा और फिर इसे दोहरा सकता है, और इस तरीके से उसे 20 वर्ष तक लटका सकता है, बिल्कुल गलत है। मेरा विचार यह कि कोई भी अविष्कार सरकार के लिये लाभदायक हो सकता है और सरकार या तो स्वयं ले लेना चाहिए अथवा इसके पेटेन्ट की स्वीकृति दे देनी चाहिये। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नियन्त्रक को असीम अधिकार नहीं मिलने चाहिये।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद (बारपेटा) : संशोधन संख्या 1 से मैं सहमत हूं, परन्तु अन्य संशोधनों का मैं विरोध करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं सशोधी विधेयक के लिये चार परीक्षण पेश करता हूं : क्या इस विधान से आविष्कार को प्रोत्साहन मिलेगा ? यदि आविष्कार के पेटेन्ट किये जाने में विलम्ब होगा तो इससे राष्ट्र की हानि होगी। किसी आविष्कार की क्या दशा होगी यदि सात वर्ष तक यह किसी अधिकारी की दया पर निर्भर रहा अथवा यदि इसका प्रचार किया गया और किसी अन्य व्यक्ति ने इसकी नकल कर ली ? सरकार आविष्कारक के प्रति इतनी उदासीन क्यों है ? दूसरा परीक्षण यह है कि यदि इस देश में जो लाया जाता है उसको आप सम्पत्ति के अधिकार नहीं देते तो आप औद्योगिकीकरण को कैसे प्रोत्साहन देंगे। यदि विदेशी आविष्कारकों पर आप बहुत अधिक प्रतिबन्ध लगायेंगे तो इस देश में आविष्कार नहीं आयेंगे। क्या आपको पता है कि उद्योगिकीकरण से कितने लोगों को रोजगार मिला है और देश को कितना लाभ हुआ है ? बिना आविष्कारों के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि देश में मुनाफाखोरी है और मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो यह सब सरकार की लाइसेन्स देने की नीति के कारण है। जिस उपबन्ध के विरुद्ध मुझे आपत्ति है वह यह कि सरकारी अधिकारियों को अधिकार देना कि वह किसी कार्य में विलम्ब करें अथवा उसको न करें। यदि प्रतिरक्षा के बारे में किसी आविष्कार की आप जांच करवाना चाहते हैं, तो इसके लिये धारा 67 मौजूद है जिसके अधिन कोई अधिकारी मामले को सरकार को भेज सकता है।

अनाज के बारे में दूसरे संशोधन के बारे में मेरा यह कहना है कि जो उपबन्ध बनाया गया है वह कानून के खिलाफ है। इस विधेयक द्वारा न तो आप अपने देश के हित में कुछ कर रहे हैं और न हीं आविष्कारक के हित में। आपकी अपनी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ है।

श्री नारायण दांडेकर : मैं धारा 78 ख और 78 ग के बारे में कहना चाहता हूं। धारा 78 ख प्रतिरक्षा के बारे में है और इससे मेरा कोई विरोध नहीं। धारा 78 ग खाद्य, दवाइयों के लिये पेटेन्ट के बारे में है। इस धारा के खण्ड 1 में सरकारी अधिकारियों को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह ऐसे आवेदकों के सम्बन्ध में जितना चाहे विलम्ब कर सकते हैं। यह बहुत ही विचित्र बात है कि सरकार अपने अधिकारियों को कह रही है कि वह अपने कर्तव्य का पालन न करें। अतः मेरा यह सुझाव है कि धारा 78 ग को पूर्णतया हटा दिया जाये।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : 5,000 से अधिक आवेदन लम्बित हैं और यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया गया तो लगभग 4000 आवेदन काल-बाधित हो जायेंगे।

श्री नारायण दांडेकर : इसके लिये आवेदक उत्तरदायी नहीं हैं ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम नये अधिनियम के अन्तर्गत इन आवेदनों पर विचार करना चाहते हैं अन्यथा वह काल बाधित हो जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने संशोधन सख्या 1 को स्वीकार कर लिया है अतः मैं संशोधन संख्या 2 से 14 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं :

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या 2 से 14 सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

Amendments No. 2 to 14 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 में, 'आदेश द्वारा निषेध अथवा अवरोध' (By order prohibit or restrict) के स्थान पर 'निषिद्ध अथवा अवरूद्ध करने के लिये निदेश जारी करेगा' (issue directions prohibiting or restricting) रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"संशोधित रूप में खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संशोधित रूप में खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 as Amendemed was added to the Bill

खण्ड 3, खन्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिये गये ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये" ।

श्री लोबो प्रभु : मैं प्रतिरक्षा और खाद्य पेटेन्टों पर ही बोलना चाहता हूँ । वर्तमान अधिनियम की धारा 67 प्रतिरक्षा पेटेन्टों के बारे में हैं । गोपनीय पेटेन्ट अधिनियम द्वारा भी

सरकार गोपनीय पेटेन्टों को जितनी देर चाहे रोक सकती है । तो क्या इस सम्बन्ध में भारत प्रतिरक्षा अधिनियम का आश्रय लेन ठीक था ? छः वर्षों तक इन पेटेन्टों को लम्बित रखा गया हैं । यह जो आवेदनों का व्ययगत हो जाना एक बहाना माना है । सरकार यदि चाहती तो विशेष परिस्थितियों में 31 महीने बीत जाने पर भी आवेदन व्ययगत नहीं होंगे ।

खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में यह कहना बहुत ही असंगत है कि बच्चों का दूध सेना के लिये आवश्यक हैं । इन पेटेन्टों के दुरुपयोग को रोकने के लिये इन्हें छः वर्ष से अधिक समय के लिये लम्बित रखा गया है । मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस विधेयक को तुरन्त वापस लिया जाये ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि जबकि वर्तमान अधिनियम में पर्याप्त व्यवस्था है तो यह विधेयक क्यों लाया जा रहा ? उनकी आपत्ति बिल्कुल निर्मूल है क्योंकि हम उसी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहते हैं ।

किसी भी सदस्य ने विधेयक का विरोध नहीं किया है । उन्होंने कतिपय खण्डों पर अपनी राय दी है । सभी ने इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

पेटेन्ट विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव
Patents bill Motion to reffer to joint-committee

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पेटेन्टों से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिसमें इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात् श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ, श्री सी० सी० देसाई, श्री बी० डी० देशमुख, श्री कंवरलाल गुप्त श्री हरि कृष्ण, श्री अमीय कुमार किस्कू, श्री मधु लिमये, श्री मी० रु० मसानी, श्री जी० एस० मिश्र, श्री श्रीनिवास मिश्र, श्री जुगल मण्डल, श्री के० आनन्द नम्बियार, डा० सुशीला नायर श्री सरजू पाण्डेय, श्री पी० पार्थसारथी, श्री टी० राम, श्री ईरा सेझियान, श्री दीवानचन्द शर्मा श्री मद्दी सुदर्शनम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री रमेश चन्द्र व्यास, श्री फखरूद्दीन अली अहमद, और राज्य सभा के 11 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे ; और

कि यह सभा-राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

विदेश विवाह विधेयक
FOREIGN MARRIAGE BILL

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव

विधि मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री यूनस सलीम) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 13 मई, 1968 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 15 मई, 1968 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा भारत से बाहर भारत के नागरिकों के विवाहों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति के कार्य करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नामानिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात—

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं ।

श्री पु० यू० सलीम : मैं दो संशोधन करना चाहता हूँ । क्रमांक संख्या 1 में श्री सी० एम० कृष्णा के स्थान पर जहानुद्दीन अहमद का नाम रखा जाये । क्रमांक संख्या 19 में, श्री लखन लाल कपूर के स्थान पर श्री जी० एस० मिश्र का नाम रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश विवाह विधेयक के बारे में सहमति के लिये प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

'कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 13 मई, 1968 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 15 मई, 1968 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा भारत से बाहर भारत के नागरिकों के विवाहों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि

उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात श्री सी० एम० कृष्णा, श्री रामचन्द्र जे० अमीन, श्री ए० ई० टी० बैरो, श्री ब० एन० भार्गव, श्री ज्योतिर्मय बसु, श्रीमती इला पाल चौधरी, श्री बी०के० दास चौधरी, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री श्रीचन्द गोयल, श्री वी० एन० जाधव, श्री शिव चन्द्र झा श्री जेड० एम० काहनडोल, श्री धीरेश्वर कलिता, श्री लीलाधर कटकी, श्री वी० कृष्णमूर्ति, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई, श्री विक्रम चन्द महाजन, डा० एम० सन्तोषम, श्री लषण लाल कपूर, श्रीमती शकुन्तला नायर श्री विश्वनाथ पाण्डेय, श्री एस० बी० पाटिल, श्री भोला राउत, श्री मुहम्मद यूनस सलीम श्री पी० ए० सामीनाथन, श्री शिव कुमार शास्त्री, श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे, श्री सन्त बख्श सिंह, श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव, श्री पनमपिल्लि गोविन्द मेनन ।

प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

The Motion was put and adopted

बीमा (संशोधन) विधेयक के बारे में नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव

MOTION UNDER RULE 388, RE: INSURANCE (AMENDMANT) BILL

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

'कि सामान्य बीमा व्यापार करने वाले बीमाकर्ताओं पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तारण तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के हेतु उपबन्ध करने के लिये बीमा अधिनियम, 1938 में आगे संशोधन करने वाले तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के पहले परन्तुक को यह सभा निलम्बित करती है ।'

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस प्रस्ताव द्वारा सभा प्रक्रिया नियमों के नियम 74 के पहले परन्तुक को निलम्बित करना चाहती है । मन्त्री महोदय ने ऐसा प्रस्ताव पेश कर यह मान लिया है कि यह विधेयक अनुच्छेद 110, खण्ड 1 के उप-खण्ड (क) से (च) के अन्तर्गत आता है । अब, अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि :

"राज्य सभा में धन विधेयक पुर: स्थापित नहीं किया जायेगा :"

परन्तु यह यहां पेश किया गया है । यह प्रश्न इस सभा के विशेषाधिकार का है । एक बार पहले भी सभा में इस पर विचार हुआ था और उस समय के अध्यक्ष, श्री मावलंकर ने भारतीय आयकर संशोधन विधेयक, 1951 के बारे में यह भी निर्णय दिया था कि चूंकि यह धन विधेयक है, अत: इसे संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता । अत: नियम 388 के अन्तर्गत नियम 74 के पहले परन्तुक के निलम्बन के लिये प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता । इस

सभा के अध्यक्ष द्व रा यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष इन मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं । केवल एक बार पहले नियम 74 के पहले परन्तुक को निलम्बन किया गया था और वह राज्य पुनर्गठन विधेयक था । परन्तु इस विधेयक का मुख्य कार्य राज्यों का पुनर्गठन था; अतः यह मामला यहां लागू नहीं होता । अतः यह संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता और यह सभा संकल्प को पास नहीं कर सकती ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह बात तो स्पष्ट है कि यह विधेयक धन विधेयक नहीं है । इस संकल्प का आशय यह है कि राज्य-सभा के सदस्य भी इसमें भाग ले सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का निर्णय अध्यक्ष को करना है कि यह विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं ? यदि मैं संतुष्ट हो जाता कि यह धन विधेयक है तो मैं आपकी आपत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार करता । परन्तु आपकी अपनी बातों से भी पता चलता है कि आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह धन विधेयक है । अतः आपकी आपत्ति मान्य नहीं है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : सरकार इस संकल्प को इसी धारणा पर ला रही है कि यह धन विधेयक है । यदि उनको विश्वास है कि यह धन विधेयक नहीं है तो उन्हें प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिए । यह प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता । मेरा व्यवस्था का प्रश्न संकल्प के बारे में ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बातों को दोहरा रहे हैं ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Mr. Deputy Speaker, please give your ruling on the first question that if it is not a money bill they why this resolution is being brought

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन विधेयक का हवाला दिया है । उस समय इस नियम का निलम्बन किया गया था क्योंकि कुछ वित्तीय आशय अन्तर्गस्त थे । यह बिल्कुल धन विधेयक नहीं है परन्तु कुछ वित्तीय आशय अन्तर्गस्त हैं । अतः इस नियम का निलम्बन किया जा रहा है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : अब मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा कि क्या यह धन विधेयक है अथवा नहीं । उनके मतानुसार यह संकल्प अनुच्छेद 110 (क) से (च) के अन्तर्गत आता है; संकल्प इस प्रकार है :

"कि यह सभा प्रक्रिया नियमों के नियम 74 के पहले परन्तुक का निलम्बन करे....।"

यदि यह धन विधेयक नहीं है तो नियम 74 के पहले परन्तुक का निलम्बन क्यों किया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने पहले कहा अनुच्छेद 110 (ख) के दो भाग हैं, पहला भाग धन सम्बन्धी विषयों के बारे में है और दूसरा भाग वित्तीय विषयों के बारे में है । यदि अध्यक्ष ने यह विनिर्णय दे दिया है कि यह धन विधेयक नहीं है तो भी अनुच्छेद 110 (ख) के अन्तर्गत दूसरा परन्तुक है :

"अथवा भारत सरकार द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि का संशोधन।"

यद्यपि यह धन विधेयक नहीं है तथापि वित्तीय आशय अन्तर्गस्त है। इसीलिये इस निलम्बन की आवश्यकता पड़ी है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : सर्व प्रथम तो मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि यह विधेयक अनुच्छेद 110 के अन्तर्गत किस प्रकार आता है। जब तक वह यह स्पष्ट नहीं करते तो यह कहना कि शायद यह धन विधेयक है और शायद नहीं है, इन सब बातों का कोई लाभ नहीं। और जब तक वह स्पष्ट नहीं करते, आपत्तियां उठाई जायेंगी और सरकार को उनका उत्तर देना पड़ेगा। आपत्तियों का उत्तर न केवल अध्यक्ष के विनिर्णय द्वारा दिया जायेगा बल्कि मन्त्री महोदय को उचित तर्क द्वारा देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की आपत्ति उचित है, अतः मन्त्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि आपने बताया धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बीच अन्तर बिल्कुल स्पष्ट है, परन्तु इसे समझने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 110 (1) इस प्रकार है :

"इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन विधेयक समझा जायेगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तर्विष्ट हैं अर्थात - यदि कोई विधेयक इस अनुच्छेद के उप-खण्डों (क) से (च) से सम्बन्धित है तो यह धन विधेयक है और यदि इस विधेयक में ऐसा व्यय अन्तग्रस्त है जो उप खण्ड (क) से (च) के अन्तर्गत आता हो तो यह वित्तीय विधेयक है। अतः यह धन विधेयक नहीं है और जब तक यह प्रस्ताव पास नहीं किया जाता इसे दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने परन्तुक के निलम्बन के प्रस्ताव को लाने के कारण बताने वाला वक्तव्य नहीं दिया। उनके द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर मैं निर्णय नहीं दे सकता। अतः मन्त्री महोदय को चाहिये की स्थिति को और स्पष्ट करें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या जो कुछ मैंने कहा था उसमें स्पष्टता की कमी थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हमें नियम का निलम्बन करना है तो उन्हें सभा का समाधान करना चाहिये।

श्री नारायण राव (बोब्बिली) : यदि कोई सन्तुष्ट न होना चाहे तो उसे कैसे संतुष्ट किया जा सकता है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : उन्हें इस सम्बन्ध में कल एक वक्तव्य देना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : साधारण बात यह है कि यदि यह केवल वित्तीय विधेयक है तो क्या अनुच्छेद 110 लागू होता है और यदि होता है तो क्या नियम 74 लागू होता है ? और हम संयुक्त समिति को सौंपना चाहते हैं तो क्या यह प्रस्ताव लाना आवश्यक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही गम्भीर विषय है; यदि किसी नियम का निलम्बन करना है तो इस सम्बन्ध में आपको वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसका अर्थ यह हुआ कि जब कभी निलम्बन के लिये प्रस्ताव आये तो उसके साथ स्पष्टीकरण भी होना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वह अध्यक्ष की अवहेलना कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं अध्यक्ष की अवहेलना नहीं करना चाहता । यदि मुझे पता होता कि स्पष्टीकरण आवश्यक है तो मैं सभा में स्पष्टीकरण के साथ आता । यदि अब भी आप निर्णय देते हैं कि सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिये तो निश्चय ही हम देंगे और आपके विनिर्णय का सम्मान करेंगे ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : विधेयक पर चर्चा स्थगित की जानी चाहिये और जब वह स्पष्टीकरण ले आयें तो चर्चा होनी चाहिये ।

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : यदि यह धन विधेयक है तो अनुच्छेद 110 के उपबन्ध इस पर लागू होते हैं और यदि यह धन विधेयक नहीं है तो नियम के निलम्बन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम के निलम्बन की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि कतिपय वित्तीय आशय अन्तग्रस्त हैं । सरल प्रश्न यह है कि क्या मौखिक स्पष्टीकरण से सभा का समाधान हो गया है ?

श्री सु० कु० तापड़िया : आपके विनिर्णय को देखते हुए मन्त्री महोदय को कल वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभा का समाधान करना मेरा कर्तव्य है । परन्तु ऐसे जटिल मामलों में जहां संविधान और नियमों की विवेचना करनी होती है वहां आपको सभा के बहुमत पर निर्भर नहीं रहना चाहिये बल्कि अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर निर्णय देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने विनिर्णय पर स्थिर हूं कि वक्तव्य दिया जाना चाहिये ।

श्री नारायण राव : अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया है कि यह धन विधेयक नहीं है, अतः बाकी सब बातें समाप्त हो जाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मैंने विनिर्णय दे दिया है कि यह धन विधेयक नहीं है । परन्तु अब सवाल यह उठाया गया है कि अगर किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव पेश किया जाता है तो क्या इसके साथ स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिये ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : मुझे आशा है कि यदि वित्तीय राज्य मन्त्री आज सभा का समाधान नहीं कर सकते तो कल वक्तव्य के साथ तैयार हो कर आयेंगे। अध्यक्ष महोदय ने बिल्कुल ठीक वक्तव्य दिया है कि सभा का समाधान किया जाना चाहिये कि किसी नियम का क्यों निलम्बन किया जा रहा है। मैं उनके इस तर्क को नहीं समझा कि अनुच्छेद 110 (1) (ग) इस विधेयक पर लागू होता है इसीलिये वह इस विधेयक के निलम्बन की मांग कर रहे हैं। परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि अनुच्छेद 110 (1) (ग) किस प्रकार लागू होता है। आपने विनिर्णय दिया है कि यह धन विधेयक नहीं है, अतः इस नियम के निलम्बन का सवाल ही कहां उत्पन्न होता है : यदि वह निलम्बन करना चाहते हों तो इसका स्पष्टीकरण कल भी दे सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मन्त्री महोदय का विचार है कि धन विधेयक नहीं है। इस लिये यह जानना और भी आवश्यक हो गया है कि परन्तुक का निलम्बन क्यों किया जा रहा है ? उन्हें लिखित वक्तव्य देना चाहिये।

श्री महम्मद यूनुस सलीम : यह प्रस्ताव नियम 388 के अन्तर्गत पेश किया गया है।सभा में प्रस्ताव पेश किये जाने के बारे में एक अलग अध्याय चौदह है। अध्याय चौदह में ऐसा कोई नियम नहीं जिसमें प्रस्ताव पेश करने वाले पर यह शर्त लगाई गई हो कि वह प्रस्ताव के साथ स्पष्टीकरण करने वाला टिप्पण संलग्न करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मामला सुलझ गया है। विधेयक के साथ सलंग्न वित्तीय ज्ञापन में बहुत स्पष्ट कारण दिये गये हैं कि इस नियम के निलम्बन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अतः मेरे विचार में वित्तीय ज्ञापन पर्याप्त है।

श्री दत्तात्रय कुण्टे : अपना विनिर्णय देते समय आप ने कहा था कि यह वित्तीय विधेयक है। यह राज्य सभा में पेश किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य सभा में पेश नहीं हुआ। जब हम प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो यह राज्य सभा में जा सकता है।

अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का सामान्य बीमा व्यापार करने वाले बीमा कर्ताओं पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तारण तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के हेतु उपबन्ध करने के लिये बीमा अधिनियम, 1938 में आगे संशोधन करने वाले तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बत करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

बीमा (संशोधन) विधेयक
INSURANCE (AMENDMENT) BILL

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं संयुक्त समिति के सदस्यों के नामों में कुछ परिवर्तन करना चाहूँगा। क्रम संख्या (1) में श्री बी० डी० देशमुख के स्थान पर श्री के० सूर्यनारायण रखिए क्रम संख्या 6 में श्री धीरेश्वर कलिता के स्थान पर श्री रामावतार शास्त्री रखिये। यह श्री वासुदेवन नायर द्वारा पेश किया गया संशोधन है जो हमने स्वीकार कर लिया है। क्रम संख्या (9) में डा० महादेव प्रसाद के स्थान पर श्री ब्रह्म प्रकाश रखिये।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सामान्य बीमा व्यापार करने वाले बीमाकर्ताओं पर सामाजिक नियन्त्रण के विस्तारण तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के हेतु उपबन्ध करने के लिये बीमा अधिनियम, 1938 में आगे संशोधन करने वाले तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात : श्री के० सूर्यनारायण, श्री शिवाजीराव एस० देशमुख, श्री जार्ज फरनेंडीज, श्री विमल कांति घोष, श्री हुमायून कबिर, श्री रामावतार शास्त्री श्री सी० एम० केदरिया, श्री एस० एस० कोठारी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्री जनन्नाथ पहाड़िया, श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, श्री मृत्युंजय प्रसाद, श्री के० राजाराम, श्री राम चरण, श्री पी० राममूर्ति श्री वी० नरसिम्हा राव, श्री आर० दशरथ राम रेड्डी, श्री वेणी शंकर शर्मा, श्री एन० के० सोमानी, पण्डित द्वारका नाथ तिवारी, श्री बालगोविन्द वर्मा, श्री मोरारजी देसाई, और राज्य सभा के 11 सदस्य हों :

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी :

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): Please allow me to move my motion for circulation of the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिये अनुमति दे देता परन्तु इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति में फैसला हो चुका है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कार्य मंत्रणा समिति ने विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रश्न पर ही विचार किया था। यह विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : समिति का मुख्य निर्णय यह था कि इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री दार सही कहते हैं। वह परिचालित करने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। फैसला केवल यह हुआ है कि चर्चा न की जाये और सभा के मतदान के लिए रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मुझे उन्हें प्रस्ताव पेश करने और संक्षिप्त भाषण देने की अनुमति देनी होगी।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad): My point of order is that you have just now put the motion, are you going to reopen it ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अभी परिणाम की घोषणा नहीं की है।

Shri Abdul Ghani Dar : I want this Bill to be circulated because this is a matter concerning whole of the country. I do not think that this Bill has been brought forth after giving it due consideration. There are two opinions about insurance at present. Some people feel that the whole insurance business ought to be nationalised while others feel that competition should be allowed to remain in this field. We have nationalised life insurance business and we see that lapse ratio has increased. Funds are reaching the hands of speculators. Therefore, I think that the Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon.

To-day even the relatives of Central Ministers are working there as agents. The practice of recommendations is prevalent. This Bill therefore needs changes. It is not the result of well thought out process. In almost all the Corporations' officers have been given employment on huge salaries through back door and U. P. S. C. is never consulted. Hence I feel that this is a complicated matter on which public opinion should be sought.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 2 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मूल प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि सामान्य बीमा व्यापार करने वाले बीमा कर्ताओं पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तारण तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के हेतु उपबन्ध करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में आगे संशोधन करने वाले तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात्--

श्री के० सूर्यनारायण, श्री शिवाजीराव एस० देशमुख, श्री जार्ज फरनेन्डीज, श्री विमल कांति घोष, श्री हुमायून कबिर, श्री रामावतार शास्त्री, श्री सी० एम० केदरिया, श्री एस० एस० कोठारी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, श्री मृत्युंजय प्रसाद, श्री के० राजाराम, श्री राम चरण, श्री पी० राममूर्ति, श्री वी० नरसिम्हा राव, श्री आर० दशरथ राम रेड्डी, श्री वेणी शंकर शर्मा, श्री एन० के० सोमानी, पण्डित द्वारका नाथ तिवारी, श्री बालगोविन्द वर्मा, श्री मोरारजी देसाई, और राज्य सभा के 11 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त सयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Abdul Ghani Dar : I want to move my amendment No. 8 to this motion.

उपाध्यक्ष महोदय : आपका परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया है ।

Shri Abdul Ghani Dar : This amendment of mine is concerning procedure in the Committee.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अवसर दे दिया है । कृपया बैठ जाइये ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : श्री दार ने जो संशोधन पेश करना है वह पेश करने की अनुमति उन्हें दी जानी चाहिये । हो सकता है कि जो अधिकारी आपकी सहायता करते हैं उन्होंने पूरी जानकारी इस बारे में आपको न दी हो । परन्तु क्या हम सभा की कार्रवाई को इसी तरह से चलायेंगे ? कार्य मन्त्रणा समिति में सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं है । माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव की सूचना दी है तो इस मामले में जल्दबाजी क्यों की जाय ? यह जनता के साथ अन्याय होगा । हमें अधिक युक्तियुक्त ढंग से कार्य करना चाहिये ।

श्री अब्दुल गनी दार : मेरा संशोधन प्रतिवेदन देने के विषय में है ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : इस सभा में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि चर्चा होने से पहले ही हम यह सोच लेते हैं कि अमुक सदस्य के पक्ष में इतने सदस्य हैं, और अमुक सदस्य का पक्ष लेने वाले सदस्य इतने हैं । मेरा यह कहना है कि माननीय सदस्य का संशोधन इस सभा के समक्ष आना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल इतना है कि मुझे घोषणा करनी चाहिये थी कि यह नियम बाह्य है । माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि किसी पक्ष की अवहेलना की जाती है । अध्यक्ष पीठ के लिए सभी पक्ष बराबर हैं । यह संशोधन नियम-बाह्य है ।

न्यायाधीश (जांच) विधेयक
JUDGES (INQUIRY) BILL

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और सबूत की और संसद द्वारा राष्ट्रपति को समावेदन उपस्थापित किए जाने की प्रक्रिया का विनियमन करने तथा तत्संसक्त विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाय ।"

हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 (4) में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए उपबन्ध किया गया है । इस अनुच्छेद में निर्धारित है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, या अनुच्छेद 217 के अधीन किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, दो कारणों से हटाया जा सकता है । एक सिद्ध हुए कदाचार के आधार पर और दूसरे अक्षमता के आधार पर । वर्तमान विधेयक द्वारा वही किया जा रहा है जो संसद के लिए अनुच्छेद 124 के 34 खन्ड (5) के अनुसार करना अपेक्षित है ।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

मैं इस विधेयक का संक्षिप्त इतिहास देना चाहूंगा । इसका मसविदा 1964 में तैयार किया गया और तीसरी संसद में पेश किया गया, और फिर इसे संयुक्त समिति को सौंपा गया । संयुक्त समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर सावधानी से विचार करने के पश्चात प्रतिवेदन दिया परन्तु संसद का कार्य काल समाप्त हो जाने पर यह विधेयक व्ययगत हो गया। इसीलिए 1966 की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के आधार पर यह विधेयक पुनः संसद में पेश किया गया है ।

संयुक्त समिति ने बहुत अच्छा काम किया । जो विधेयक पहले पेश किया गया था उसकी योजना यह थी कि कार्यपालिका किसी न्यायाधीश के आचारण या क्षमता की जांच करने के

लिए एक विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त कर सकेगी और किसी अस्थायी निर्णय के पश्चात संसद के समक्ष वह मामला आयेगा। परन्तु संयुक्त समिति ने यह सम्पूर्ण ढांचा बदल दिया। उसने कार्यपालिका को जांच प्रक्रिया से पूर्णतः अलग कर दिया। उसने कहा कि आरम्भ से अन्त तक संसद, यदि वह चाहे तो, इस जांच और इस समावेदन की प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। इसलिये वर्तमान विधेयक में उपबन्ध है कि इस बारे में प्रस्ताव कम से कम सौ लोक-सभा के सदस्यों या राज्य सभा के 50 सदस्यों द्वारा पेश किया जायेगा। केवल इतना ही नहीं है। अध्यक्ष अथवा पीठासीन अधिकारी को इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। अध्यक्ष सभापति वैसे ही इस आशय के प्रस्ताव को गृहति नहीं कर लेगा। अध्यक्ष सभापति को यकीन हो जाना आवश्यक है कि प्रत्यक्षतः ऐसा मामला है। वह चाहे तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राय भी ले सकेगा। यह सावधानी बरती गई है। फिर यदि प्रस्ताव गृहति कर लिया जाता है तो इस पर विचार होगा। प्रस्ताव गृहित कर लेने के पश्चात अध्यक्ष सभा से जांच समिति गठित करने के लिए कह सकता है। ऐसी जांच समिति में (1) उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का वर्तमान कोई न्यायाधीश, (2) उच्चतम न्यायालयों, के वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों में से कोई एक, और (3) कोई एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता होंगे, जिनका चयन अध्यक्ष या सभापति करेगा। इसके पश्चात जांच समिति मामले पर विचार करेगी।

जांच की प्रक्रिया क्या होगी ? इस समिति की प्रक्रिया के लिए अधिनियम के अधीन कतिपय नियम बनाने होंगे। नियम बनाने के लिए सभा एक संयुक्त समिति नियुक्त करेगी। यदि जांच समिति प्रतिवेदन देती है कि मामला है तो उस पर चर्चा होगी और फिर राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन उपस्थापित किया जायगा और वह उस पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया है। पिछले 17-18 वर्षों तक जो कार्य करना आवश्यक था वह अब किया जा रहा है। चूंकि संयुक्त समिति ने इस विधेयक के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है, अतः मैं कह सकता हूं कि यह त्रुटिहीन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ ;

"कि उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और सबूत की और संसद द्वारा राष्ट्रपति को समावेदन उपस्थापित किये जाने की प्रक्रिया का विनियमन करने तथा तत्संसत विषयों के लिये विधेयक पर विचार किया जाय।"

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balram Pur) : It is not clear to us how necessity has arisen to pass such a Bill at this stage.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उच्चतम न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश का और कुछ न्यायाधीशों का यही विचार है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह हमारा विचार है कि ऐसा कानून बनाना आवश्यक है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : प्रस्तुत विधेयक पिछली संसद् की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर आधारित है। मैं समिति द्वारा निर्धारित योजना से बहुत संतुष्ट हूं। मंत्री महोदय ने कहा

है कि संयुक्त समिति को इस ओर ध्यान देने की ठीक ही सलाह दी गई है कि जहां तक सम्भव हो कार्यपालिका को न्यायाधीशों के चरित्र और आचरण पर विचार करने से अलग रखा जाये यद्यपि हम कार्यपालिका का सम्मान करते हैं, पर सदस्यों की भांति ही हमारे यहां कार्यपालिका भी कई प्रकार की है और हमें समय समय पर कार्यपालिका से निपटना होता है। इसीलिए हमने सावधानी बरती है कि जहां तक न्यायाधीशों की कार्याविधि, चरित्र आदि का सम्बन्ध है, कार्यपालिका का इस मामले पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

आगे यह भी कहा गया है कि संसदीय प्रणाली के अधीन कार्यपालिका को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। अतः वह किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध किसी तरह का आरोप भी लगा सकती है। हम अध्यक्ष और सभा को बीच में इसलिए ले आये हैं ताकि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो। बीच में तीन व्यक्तियों का एक न्यायाधिकरण भी है और उन सभी को कार्यपालिका के या उसके नियंत्रण से अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को निभाने की इससे अच्छी और कोई योजना नहीं हो सकती है क्योंकि हम यह नहीं चाहते है कि उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश पर संसद् में आरोप लगाया जाये। यदि ऐसी स्थिति उत्पन होती है तो अध्यक्ष और संसद् को तथा सत्ताधारी दल और अन्य दलों को जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसे निभाने में इन सभी सरक्षणों का उपयोग किया जायेगा :

श्री नारायण राव (बोब्बिली) : जिस ढग से कार्यपालिका को पहल करने से वंचित रखा गया है वह एक विचारणीय मामला है। लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका के सम्बन्ध में सभा को इन उपबन्धों का स्वागत करना चाहिए।

विधेयक में दुर्व्यवहार और अक्षमता को एक ही स्तर पर रखा गया है। किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार और अक्षमता के अर्थ बिल्कुल भिन्न हैं। जहां तक अक्षमता का सम्बन्ध है समिति का परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि एकमात्र अक्षमता के बारे में ही आपत्ति उठाई जाये, तो इस सम्बन्ध में सक्षम विशेषज्ञ या सक्षम मैडिकल बोर्ड की राय लेना होगा। हमें सक्षमता का प्रश्न प्रस्तावित जांच समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना चाहिए।

क्या कोई न्यायाधीश अपने विरुद्ध चल रही जांच के समय न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकेगा या नहीं--इस बारे मे संविधान में तथा इस विधेयक में कुछ भी नहीं कहा गया है। जब एक बार किसी न्यायाधीश पर आरोप लगाया जाता है तो यह उचित नहीं है कि वह न्यायाधीश अपने पद पर कार्य करता रहे। हमें इस तरह का उपबन्ध अवश्य करना चाहिये कि जब तक जांच चले तब तक संबन्धित न्यायाधीश अपने पद पर रहकर कार्य न करे। गृह मंत्री को इस पर विचार करके कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly): According the Minister the Bill has been brought forward on the insistence of the Chief Justice of India with a view to lay down the procedure for the removal of a judge. The Government is, therefore, responsible for the delay in laying down this procedure.

Judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed not on this basis of ability alone. In this connection other considerations are also weighed with the Government. Since the suitable persons are not appointed as judges, it became necessary to bring forward this Bill.

The reputation of our judiciary has also gone down. They have begun to favour certain junior lawyers and hence the question of misbehaviour has arisen.

If a judge finds that he is not capable of performin his duties, he should himself step down. It would be better to establish such a tradition, Our Ministers should have set such noble traditions for others to follow, but they have not done so because they stick to power even if they are incapable to perform their duties. The Bill contains good provisions. We should therefore, welcome it.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : यह विधेयक संसद् के दोनों सदनों की प्रभुसता के सिद्धान्त के विरुद्ध है । इस विधेयक के अनुसार संसद् की किसी भी सभा में आरोप लगाये जाने के बाद मामला जांच समिति को सौंप देना होगा ।

महाभियोग के प्रश्न की जांच और उसका फैसला संविधान के अनुसार दोनों सभाओं के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को करना चाहिए । इसलिए यह मामले किसी जांच समिति को सौपने के बारे में रखा गया उपबन्ध संसद की प्रभुसत्ता के विरुद्ध है ।

यह विधेयक उस न्यायाधीश के भी प्रतिकूल है जिस पर महाभियोग चलाया जाये । सम्बन्धित न्यायाधीश को जांच समिति के सामने उपस्थित होना पड़ेगा । समिति के प्रतिवेदन पर इस सभा में विचार विमर्श किया जायेगा । इसलिए जिस न्यायाधीश पर अभियोग चलाया जायेगा उसे दो बार यातना भुगतनी पड़ेगी । हमारे संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए । इसलिए न्यायाधीश को एक ही अपराध के लिए दो बार जांच का सामना करने के लिए क्यों कहा जाये ?

जांच समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । यदि सभा उस पर वाद-विवाद करने के पश्चात समिति के निर्णय से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचे तो उस स्थिथि में क्या होगा । पर इस कारण से काई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि सभा को इस प्रतिवेदन पर विचार करने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पहले से ही कोई बात मानकर तर्क न दिये जायें । आपको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि यह जांच समिति भी तभी कार्य करेगी जब अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायेगा । प्रतिवेदन पेश हो जाने के बाद ही सभा में प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : मुझे यह बात मालूम है और स्थिति को अच्छी तरह समझ रहा हूँ । पर यदि सभा की राय उस प्रतिवेदन से भिन्न हुई तो क्या होगा ? अतः इस बारे में भी उपबन्ध होना चाहिए ।

खण्ड 3, उप-खण्ड (7) के अनुसार यदि न्यायाधीश डाक्टरी जांच कराने से इन्कार कर देता है तो बोर्ड समिति को एक प्रतिवेदन पेश करेगा जिसमें यह बतायेगा कि न्यायाधीश ने जांच कराने से इन्कार कर दिया है और समिति ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर यह मान सकती है कि न्यायाधीश में कोई शारीरिक या मानसिक अक्षमता हैं । उसके इन्कार करने का केवल एक

ही कारण नहीं हो सकता है। बल्कि कई कारणों से वह इन्कार कर सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में परिकल्पना की जायेगी कि यह न्यायिक सिद्धान्त के विरुद्ध है। जब तक अभियुक्त दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। अभियुक्त को दोषी सिद्ध करना अभियोग चलाने वाले का कर्तव्य है। तब तक अभियुक्त को निरपराधी समझा जाता है।

हमें इस बात से मुकर नहीं जाना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण यह परिकल्पना बदल गई है कि न्यायाधीश निष्पक्ष या सच्चरित्र होते हैं। यदि कोई विशिष्ट मामला हो तो अभियोग की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : यह विधेयक अवांछनीय असामयिक तथा अनावश्यक है। मंत्री महोदय ने कहा कि संसद को संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के अधीन इस बारे में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इस शक्ति को उस समय प्रयोग में लाना है जब उसके प्रयोग की आवश्यकता हो। पर यदि हम इस शक्ति का प्रयोग केवल इसलिए करें कि संविधान द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई है, तो यह उसका दुरुपयोग ही होगा।

न्यायपालिका को पहले ही काफी कठिनाई हो रही है क्योंकि यह कुछ बातों के लिए कार्य-पालिका पर निर्भर है। इस विधेयक से कार्यपालिका की शक्ति बढ़ा दी गई हैं।

संविधान में किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया विनियमित करने की दृष्टि से यह उपबन्ध बहुत ही असाधारण है और उसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। क्या मन्त्री महोदय यह बता सकते हैं कि ऐसी कौनसी असाधारण परिस्थितियां हैं जिनके कारण इस विधेयक को पेश करना आवश्यक हो गया है।

किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में उपबन्ध मौजूद है, पर इसके लिए संसद को इस आशय का प्रस्ताव पास करना होता है। अतः इस विधेयक की क्या आवश्यकता हैं ? इस विधेयक से न्यायपालिका की स्वाधीनता समाप्त हो जायेगी।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : In our country legislators are chosen by the people, but the persons who interpret various laws passed by legislatures are independent of the people, since they are not elected by the people. It has been provided in the persent Bill that a judge can be removd by the elected representatives of the people. It is, therefore. a step forward on the Path of functioning of democracy in our country.

The Bill provids that notice of a motion for presenting an address to the President for the removal of a judge has to be signed by not less than 100 members in case of a notice given in the House of the people This number should be reduced from 100 to 50.

It would be embarrassing for a judge of the Supreme Court or Chief Justice to enquire into the grounds for the removel of his fellow judge of the Supreme Court of a High Court. It will also be difficult for him to give an impartial judgement. The proposed Committee of Inquiry for the purpose of making an investigation into the grounds on which the removal of a judge is prayed for, should consist of jurist Members of Parliament. The people will have faith in the impartiality of such a Committee.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इस विधेयक का स्वागत है। इस विधेयक से पहले किसी न्यायाधीश को हटाने के सम्बन्ध में कार्यपालिका के पास व्यापक शक्तियां थी पर इस विधेयक में किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक विशिष्ठ प्रक्रिया का उपबन्ध कर दिया गया है। हटाने के कारणों की जांच करने के लिए जो व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है वह कार्यपालिका से अलग होगी।

इस विधेयक द्वारा न्यायाधीश से अपने बचाव का अधिकार नहीं छीना जा रहा है। इसके द्वारा न्यायाधीश को निष्पक्ष जांच समिति के सामने अपनी सफाई देने का मूलभूत अधिकार दिया जा रहा है। विधेयक में यह उपलब्ध है कि जांच समिति के सदस्य न्यायाधीश होंगे। पर अच्छा यह होगा कि इस जांच समिति में निष्पक्ष विधेयक शामिल किये जायें क्योंकि यह समिति न्यायाधीश के विरुद्ध लगाये गये अभियोगों की जांच करेगी।

हो सकता है कि प्रस्तावित जांच समिति को सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के मामले की जांच करनी पड़ जाये। अतः किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस समिति का सदस्य नियुक्त करना उचित नहीं रहेगा। उसके स्थान पर अखिल भारतीय बार कौंसिल के अध्यक्ष को इस जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए।

जहां तक इस विधेयक के खण्ड 3 (2) (ग) में किये जा रहे उपबन्ध का सम्बन्ध है, इस सभा के एक न्यायिक सदस्य को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए। खण्ड 3 (7) में जो उपबन्ध किया जा रहा है वह बिल्कुल न्यायसंगत है। यदि न्यायाधीश डाक्टरी जांच कराने से इन्कार कर देता है तो यह परिकल्पना करनी पड़ेगी कि वह अक्षम है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में
DISCUSSION RE: HINDUSTAN STEEL LIMITED

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : सरकारी क्षेत्र की यह परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र में लगे कुल धन का 36 प्रतिशत भाग अर्थात 1,000 करोड़ रुपया इस परियोजना में लगा हुआ है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रण भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इन तीन कारखानों में रूस, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी ये तीन महत्वपूर्ण देश तकनीकी तथा आर्थिक सहायता दे रहे हैं। पिछले बारह वर्षों में इन तीनों इस्पात कारखानों में 120 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। अभी भी स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि 1968–69 के अन्त तक 20 करोड़ रुपये का और घाटा हो सकता है। यद्यपि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पर इस सभा में कई बार चर्चा हुई है पर वह केवल प्रश्नों के दौरान ही हुई है।

आठ वर्ष बीत गये हैं और वह अभी कहते हैं कि यह निर्माण काल है। हमारे इस्पात मन्त्रालय द्वारा बनाये गये सिद्धान्त के अनुसार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से घाटा ही होगा। निर्माण काल में पहले वर्ष सबसे अधिक घाटा होना चाहिये परन्तु बाद के वर्षों में यह कम

होता जायेगा। इसके विपरीत यह घाटा बढ़ता गया। यदि निर्माण-काल सिद्धान्त सत्य है तो अब इन संयंत्रों को लाभ दिखाना चाहिए था। जब कभी हम सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की कमियों के बारे में बताते हैं तो वह गैर-सरकारी क्षेत्र की कमजोरियों का बखान करने लगते हैं। इस प्रकार न तो वह अपने घाटे को लाभ में बदल सकते हैं और न ही गैर–सरकारी क्षेत्र के लाभ को हानि में बदल सकते हैं।

सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में जनशक्ति अत्यधिक है और इस बात को मानने के बावजूद उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। यह भी समझ में नहीं आता कि अत्यधिक जनशक्ति के बावजूद इतना समयोपरि भत्ता क्यों दिया जा रहा है। महताब समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि अत्यधिक जनशक्ति के कारण हमारे इस्पात कारखानों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। भिलाई में प्रतिटन 3 रु० से 4 रु०, रूरकेला में प्रति टन 5 रु० से 6 रु० और दुर्गापुर में प्रति टन 10 रु० से 11 रु० 1 अत्यधिक जनशक्ति के बावजूद हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के 50 प्रतिशत से अधिक कार्य ठेके पर करवाये जा रहे हैं। हमारी प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादिता संसार में सबसे कम है। चेकोस्लावाकिया में यह 104 मीटरी टन है, रुस में 135 मीटरी टन, अमरीका में 150 मीटरी टन और भारत में 187 मीटरी टन प्रति वर्ष है।

हम शुरू से ही दोषपूर्ण मूल्य सम्बन्धी और वित्तीय नीतियों का पालन करते रहे हैं और उनके फलस्वरूप हमारे सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में अकुशलता आ गई है। 1955 और 1965 के बीच भारत में संसार में सबसे अधिक मूल्य वृद्धि हुई है। इसी कारण आज भारतीय इस्पात सबसे मंहगा है।

हाल ही में इस्पात मन्त्रालय ने प्रति टन 50 रुपये की मूल्य मे वृद्धि की घोषणा की थी। इस वृद्धि के कारण इंजीनियरिंग उद्योगों को भी अपने मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी और उनके निर्यात पर उल्टा असर हुआ। सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिये था जिससे इस्पात कारखानों को उनके घाटे की प्रतिपूर्ति हो जाती और इंजीनियरिंग उद्योगों को भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। यह ऐसा मामला है जहां सरकार को उत्पादन शुल्क और अन्य कर कम कर देना चाहिए था। यहां तक कि सरकार को भी अपने लक्ष्य में संशोधन करना पड़ा। आपने इस्पात इतना मंहगा कर दिया है कि इसकी खपत कम हो गई है और इंजीनियरिंग उद्योग अपना विस्तार नहीं कर सकते।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को ग्राहक के साथ व्यवहार करने का भी तरीका नहीं आता। यदि पैकिंग के बारे में कोई शिकायत आती है तो उसके निवारण के बजाये वह ग्राहक को माल भेजना बन्द कर देते हैं। यदि विदेशों में आप खराब माल का क्लेम भेजे तो उसका तुरन्त भुगतान हो जाता है, परन्तु हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मामले में वर्षों तक क्लेम का भुगतान नहीं होता। उनकी बेचने की शर्तें इतनी जटिल हैं कि कोई भी ग्राहक उनसे खरीदना पसन्द नहीं करेगा।

हिन्दुस्तान स्टील के उत्पादन में कई प्रकार से हानि हो रही है। कई समितियों ने इसकी आलोचना की है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। भारत में घमन–भट्टी की प्रति घन मीटर भट्टी उत्पादकता बहुत कम है। फिर गरम धातु प्रति टन

कोयले की खपत बहुत ज्यादा है। उत्पाद मिलावट के सब ध में कल्पना शक्ति की भी भारी कमी है। उत्पादन के बारे में 12 महीने या दो वर्ष पहले योजना बनाई जाती है। यह नहीं देखा जाता कि विभिन्न उत्पादों की मांग की क्या स्थिति होगी। मांग की परवाह किये बिना वे योजना के अनुसार सामान तैयार करते चले जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जिस चीज की सबसे अधिक मांग होती है और जिससे सबसे अधिक फायदा होता है उसका उत्पादन नहीं होता और जिस चीज की मांग नहीं होती उसका उत्पादन बढ़ जाता है और घाटा होता है। हमें मांग और लाभ में सन्तुलन रखना चाहिए। यदि इन बातों पर ध्यान दिया गया तो मुझे आशा है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 2 वर्षों के भीतर फायदा होगा। महा प्रबन्धकों, निदेशकों को नियुक्त करने का वर्तमान तरीका असफल रहा है। कई बार सुझाव दिया गया है कि प्रबन्धकों की नियुक्ति के लिये कोई स्वतन्त्र अधिकार स्थापित किया जाना चाहिए। पिछले दस वर्षों में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में 100 व्यक्ति बदले गये हैं और कई सभापति बदले गये हैं।

जहां तक उपलब्ध क्षमता के भीतर निर्यात बढ़ाने का सम्बन्ध है मैं इससे सहमत हूं परन्तु निर्यात करने के लिये इस्पात कारखानों में विस्तार करने से मैं सहमत नहीं हूँ। हाल ही में श्रीलंका को 60,000 टन बिल्लट निर्यात किये गये; इनका निर्यात क्यों किया गया जबकि देश में इनकी कमी है। मैं इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हूँ कि हम ऐसा सामान का निर्यात करें जिससे हमारे उद्योग को हानि पहुंचे और उसके फलस्वरूप निर्यात को हानि पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा प्रत्येक सदस्य से अनुरोध है कि वह पांच मिनट से अधिक समय न लें चूंकि मैं चर्चा 6.00 बजे समाप्त करना चाहता हूं।

श्री दामानी (शोलापुर) : यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील का कार्य संतोषप्रद नहीं है। किसी भी उद्योग की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि प्रबन्धकों और कर्मचारियों में सहयोग हो। विदेशों को उद्योग की सफलता का यही रहस्य है कि वहां कर्मचारियों और प्रबन्धकों में सहयोग हो। यही बात हमारे देश पर लागू होती है। यदि ट्रेड यूनियनों के नेता कर्मचारियों का ठीक पथ प्रदर्शन करें तो कारखानों के कार्य में सुधार हो सकता है।

अधिक कर्मचारियों के कारण हड़तालें अधिक होती हैं और कोई भी प्रबन्धक उत्पादन में सुधार नहीं कर सकता जब तक कि कर्मचारियों से उसे सहयोग नहीं मिलता। मैं उन सदस्यों को जो इस्पात कारखानों के कार्य की आलोचना कर रहे हैं यह बताना चाहता हूँ कि इस स्थिति के लिये हम स्वयं जिम्मेवार हैं। दुर्गापुर में जिन लोगों को निर्माण कार्य पर लगाया गया था अब छंटनी की जा रही है, अब इसका विरोध कर रहे हैं। यदि इस्पात कारखानों को फालतू मजदूरों को भी रखना पड़ेगा तो कार्यकुशलता कैसे आयेगी ? मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय सभा को बतायेंगे कि हड़तालों, फालतू मजदूरों और असहयोग से हिन्दुस्तान स्टील को कितनी हानि हुई ? मुझे आशा है कि यदि इन सब बातों को ध्यान में रखा गया तो परिणाम निरुत्साहित नहीं होंगे। विक्रय नीति के बारे में श्री पाण्डेय और प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदनों को कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) : The loss of Rs. 120 crores suffered by these stee plants during the past 10 years has disappointed us very much. If the loss had been in the initial stages, it could have been inferred that it is due to inexperience that the loss of Rs. 40 crores suffered during 1967-68 shows that something is wrong with the management. And unless and until the management is efficient no undertaking, whether in private or public sector can run efficiently. As far as the manage en of these st e l plants are concerned the directors are rarely present in the meeting of the board of directors and moreover these meeting are not held in the plant but at the resident of the directors i. e. in Delhi, Calcutta etc.

Because of the wide powers enjoyed by the General Managers, they are appointing whomsoever they like with the result that the plants are over staffed and the cost of production has gone very high. The surplus staff should be immediately retrenched and absorbed in other undertakings.

In this connection I would suggest that two enquiry committees should be appointed to ensure that the production is according to the demand. Secondly, there should be a common pool for all the three plants so that the experience of a person could be utilised at a proper place. If Government does not take any measures to remedy the ills of the plants, a day would come when people would lose faith in the public sector.

श्री कंडप्पन (मेत्तूर) : सरकार ने इन इस्पात कारखानों के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई है। एक मंत्री महोदय ने इन इस्पात कारखानों का विकेन्द्रीयकरण किया तो दूसरे मंत्री ने उनका केन्द्रीयकरण किया।

आज भी कई ऐसी वस्तुएं आयात की जा रही हैं जिनका निर्माण इन इस्पात कारखानों में हो सकता है। इनका निर्माण यहीं किया जाना चाहिए।

श्रमिकों द्वारा धीरे धीरे काम करने तथा उनके द्वारा हड़ताल करने के कारण भी उत्पादन का मूल्य बहुत अधिक हो गया है। इस सब के लिये सरकार दोषी है। उसने अपने कारखानों में श्रमिकों के कल्याण हेतु क्या किया है ? जब तक आप कर्मचारियों में ऐसी भावना नहीं लाते कि वह अपने कारखानें को अभिमान की दृष्टि से देखें तब तक आप सफल नहीं हो सकते। कानून पास कर आप कर्मचारियों को काम करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। इन इस्पात कारखानों में मैंने पाया है कि श्रमिकों को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और जब तक आप श्रमिकों पर विश्वास नहीं करेंगे और उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखेंगे तब तक आपके कारखाने सफल नहीं हो सकते। जब तक सरकार कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करती तब तक वह सफल नहीं हो सकती।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : It was mentioned in the project report of the Hindustan Steel Limited that it would suffer loss upto certain period. These steel plants are changing the face of India. Because of the shortcomings and failures of public undertakings are should not think of abolishing the public sector. It would be throwing the country to the mercy of capitalists. Sometimes back even needless were being imported but now we are manufacturing heavy machinery. This loss of Rs. 120 crores is not a big loss. Even Tatas have suffered loss. The management of the plants should be improved. People on deputation cannot taken any interest. I, therefore, suggest that lieu of the employees with Central Government should be severed.

For the efficieut working of the steel plants it is essential that a proper account of production purchase, sale and production should be maintained. The hon. Minister should pay special attention to the contract system which is resulting in huge loss to the plants.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इन इस्पात कारखानों की काफी आलोचना की गई है। एक तरफ जहां सरकारी कारखानों में अकार्यकुशलता है वहां दूसरी तरफ गैर-सरकारी कारखानों में बेईमानी है। अकार्यकुशलता तो कार्यकुशलता में बदली जा सकती है परन्तु बेईमानी ईमानदारी में नहीं बदली जा सकती। अतः हमें सरकारी कारखानों में ही कार्य-कुशलता लानी चाहिए।

इस बात से मैं सहमत हूं कि जहां अत्यधिक कर्मचारी भर्ती किये गये हों वहां समपोपरी भत्ता नहीं होना चाहिए परन्तु मुझे भी आयुध कारखानों में 20 वर्ष का अनुभव है; कई बार ऐसा होता कि किसी विशेष अनुभाग को दूसरे अनुभाग की आवश्यकता पूर्ती हेतु समयोपरी कार्य करना पड़ता है।

जहां तक श्रमिकों के साथ सम्बन्ध का सवाल है, डा० चन्ना रेड्डी ने सुझाव दिया था कि एक कारखाने के लिये एक ही युनियन होनी चाहिये और उसे मान्यता दी जानी चाहिए। और आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से मैं घोषणा करता हूं कि मतदान द्वारा जिस यूनियन को 60 प्रतिशत मत मिलें उसे दो वर्ष के लिये प्रतिनिधि यूनियन माना जाये। जब तक यह नहीं किया जायेगा तब तक श्रमिकों के साथ सम्बन्धों में सुधार नहीं होगा।

मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं रखते जो श्रमिकों की समस्याओं से परिचित हो। हमने इन स्थानों पर गलत व्यक्तियों को रखा हुआ है। हाल ही में एक परामर्शदाता को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का उप सभापति बनाया गया और यह भी कहा गया कि उसे सभापति बनाया जायेगा, परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को सभापति बनाया गया। क्या मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालेगे ? एक दिन ऐसा आयेगा जब सरकारी क्षेत्र तरक्की करेगा, परन्तु इसकी कार्यकुशलता में सुधार अवश्य होना चाहिए।

श्री नाम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : राष्ट्र के निर्माण में इस्पात एक महत्वपूर्ण उद्योग होता है। सरकारी क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने का हमारा यह उद्योग है कि इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूर सम्बन्धों के बारे में पुनर्विचार करना जरूरी है। मजदूरों के प्रति नौकरशाही रवैया अच्छा नहीं है। नौकरशाही दृष्टिकोण बदला जाना चाहिए। हमें मजदूरों की सहकारी समितियां बनानी चाहिए।

हालांकि गैर-सरकारी क्षेत्र कुछ बातों में सुव्यवस्थित दिखाई पड़ सकता है। फिर भी हम अपने देश में गैर-सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार नहीं चाहते। सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना ही होगा।

Shri Sheo Narain (Basti) : Our steel plants have suffered a loss of Rs. 57 crores during the last two years. The Minister should control the bureaucrats and try to remove the shortcomings in our plants.

We should allow workers to do their work peacefully. There should be no interference by political leaders or parties. We should all work unitedly to increase the wealth of the country.

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) ; The present Chairman of the Hindustan Steel Ltd. is not an expert in steel technology. There should, therefore, be no surprise over the loss suffered by the steel plants. A technically qualified person should hold that post. Officers belonging to I. A. S. are nor fit for management of Steel plants or other factories in the public sector.

Whenever there is a strike in HSL, or it suffers a loss, the entire blame is put on political parties, although the management may be responsible for that. In the memorandum.submitted by HSL to the National Labour Commission it has been stated that the influence of political parties on trade unions is a major cause of industrial unrest in the public sector steel projects.

Pande Cemmittee has pointed out that HSL has top heavy management. The Government should pay attention to over staffing, to which reference has also been made in Public Accounts Committee reports. Shortcomings in the working of the steel plants should be removed. If it is necessary, we should change the entire management and even the Minister.

Shri Shinkre (Pa jim) : Leftist parties always plead for nationalisation, but they stand in the way of successful functioning of public undertakings. The public undertakings would not have suffered loss if the leftist parties had agreed not to disturb industrial peace in these public undertakings. These parties should ensure industrial peace for the efficient functioning of public undertakings.

Management of public undertakings should be entrusted only to those persons who have faith in the public sector. otherwise public undertakings will not run efficiently.

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : चूंकि हिन्दुस्तान स्टील लि० में देश के मूल्यवान संसाधन लगे हुए हैं, इसलिए संसद सदस्यों, प्रेस तथा देश के अन्य व्यक्तियों द्वारा इस उपक्रम के प्रति अपनी रुचि तथा चिन्ता दिखाना उचित ही है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और कमियां बताई हैं, इस दृष्टि से मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasu devan Nair *in the Chair*]

मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे इस मामले में व्यापक दृष्टि से विचार करें। अतः मैं इस उपक्रम की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सम्पूर्ण मूल्य ढांचे पर 1962 में प्रशुल्क आयोग ने विचार किया था। आयोग ने मानक लागत के बारे में निर्णय करने के बजाय मानक इस्पात कारखाने के बारे में विचार किया था। उसने टाटा इस्पात कारखानों को चुना और यह व्यवस्था की कि इस्पात का मूल्य 1300 रुपये प्रति टन के ग्रास ब्लाक के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान स्टील के लिए यह बड़ी ही कठोर व्यवस्था है। यह सर्वविदित है कि इन्डियन आयरन एण्ड स्टील के सम्बन्ध में 950 रुपये के ब्लाक और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के सम्बन्ध में 1250 रुपये के

ग्रास ब्लाक की तुलना में हिन्दुस्तान स्टील का ग्रास ब्लाक 2500 रुपये प्रति टन है। यदि प्रत्येक इस्पात कारखाने को अलग से धारण मूल्य दिया जाता और हिन्दुस्तान स्टील के लिए 2000 रुपये का ब्लाक स्वीकार किया गया होता तो यह अच्छी तरह से चलता और स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि आज मूल्य का ढांचा हिन्दुस्तान स्टील की तुलना में गैर-सरकारी-कारखानों के अधिक अनुकूल है।

हाल ही में बने कानून के अनुसार उद्योगों द्वारा मूल्य-ह्रास की जो व्यवस्था की गई है वह 5 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई है। यह 7 प्रतिशत का लाभ उद्योग को इसलिए दिया गया है कि वे आयकर में बचत कर सकें। लेकिन जहां तक हिन्दुस्तान स्टील का सम्बन्ध है, हमारी इस समय कोई बचत नहीं होती और इसलिए 7 प्रतिशत के मूल्यह्रास से हमें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है। मूल्यह्रास में वृद्धि के कारण हमें वर्ष 1964-65 में 8 करोड़, रुपये, 1965-66 में 9 करोड़ रुपये और 1966-67 में 11.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि केवल मूल्यह्रास में ही 2 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हिन्दुस्तान स्टील के खर्च में 25 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

इस्पात कारखानों के लिए मूल्यह्रास का सीधी पंक्ति का तरीका अपनाया जा सकता है और दर 5 प्रतिशत निर्धारित की जा सकती है। हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। 1962 से 1967 तक हिन्दुस्तान स्टील ने 44 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया। यदि मूल्य के लिए 2000 रुपये का ग्रास ब्लाक स्वीकार कर लिया जाता तो 44 करोड़ रुपये घाटे के बजाय हम 77 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखा सकते थे। यह बहुत बड़ा अन्तर है।

दुर्गापुर में हमारा मिश्रित इस्पात संयंत्र हैं यह अभी भी निर्माण-काल में है और इसमें अभी तक 7 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया हैं। इसके अलावा रूरकेला में हमारा उर्वरक संयंत्र है और इसमें भी कठिनाई पैदा हो गई है, इस पर हमें अभी तक 9 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

हमने इन सभी इस्पात संयंत्रों में कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था करने और बस्ती आदि बसाने पर लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च किये हैं इन सभी बस्तियों में इन सुविधाओं के कारण घाटा हो रहा है, बस्ती संबधी खाते में 1965-66 में 5 2 करोड़ रुपये तथा 1966-67 में 5.6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यह भी इन इस्पात कारखानों पर एक अतिरिक्त बोझ है हमें अभी 25 या 30 प्रतिशत मजदूरों के लिये मकानों की व्यवस्था करनी हैं। यह एक विचारणीय विषय है कि जहां तक हिसाब किताब का संबंध है क्या इन बस्ती संबंधी खातो को अलग रखा जाये और इस्पात कारखानों पर बोझ न डाला जाये।

उत्पाद मिश्रण का प्रश्न अवश्य ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने सरकार मांग से बंधे हुये है क्योंकि उनसे नियोजित अर्थ व्यवस्था तथा देश के विकास के अनुसार उत्पादन करने की आशा की जाती है। उदाहरण के तौर पर भिलाई इस्पात कारखाना अब 5 लाख टन पटरियों का उत्पादन कर सकता है लेकिन योजना को रोक देने, मन्दी तथा अन्य कई बातों के कारण रेलवे की मांग कम हो गई है।

इन संयंत्रों में विविधता के लिये बहुत कम गुंजाइश है लेकिन जहां गुजाइश हैं वहा हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं।

गैर सरकारी इस्पात कारखाने बहुत पहले बनाये गये थे और वे काफी पहले बाजार में आये थे इसलिये उनका बिक्री संगठन अपेक्षाकृत अधिक अच्छा है। वे बाजार की मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। उस हद तक वे अवश्य ही हिन्दस्तान स्टील लिमिटेड की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है फिर भी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में बिक्री संगठन को सुधारा जा रहा है।

यह सही है कि दुर्गापुर में मजदूरों सम्बन्धी स्थिति से हमें चिन्ता हो रही है। राउरकेला में हाल में इस मामले में सुधार हुआ है और भिलाई में स्थिति बहुत अच्छी है। दुर्गापुर में 1967 में 95 घेराव, 5 हड़तालें, 41 प्रदर्शन, 57 दिन काम रोको की घटनाएं हुई और 167 दिन 'धीरे काम' के तरीके अपनाये गये।

जहां तक मजदूर संघों में आपसी प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध है, किसी विशेष संघ की मान्यता की सिफारिश करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है क्योंकि राज्य सरकार का श्रम विभाग सदस्यों की संख्या की जांच करता है। यदि ऐसा कोई निष्पक्ष अधिकरण, जो सदस्य संख्या तथा मान्यता की समस्या की न्यायसंगत ढग से जांच कर सके, बनाने की कोई सम्भावना हो तो हम उस दृष्टिकोण को स्वीकार करेंगे। लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि कुछ संघ गुप्त मतदान के लिए आग्रह कर रहे हैं जबकि दूसरे संघ गुप्त मतदान के लिये तैयार नहीं हैं।

यह सही है कि हमारे देश में अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान की तुलना में उत्पादन-क्षमता कम है। लेकिन यह इतनी कम है कि जितनी प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य ने बताई है। उन्होंने 1959 का एक आंकड़ा दिया है। राउरकेला, दुर्गापुर तथा भिलाई के विस्तारित कार्यक्रम में हमारी उत्पादन क्षमता 75 से 89 के बीच कहीं पहुंच जायेगी। लेकिन इस समय यह 60 से 65 के बीच हैं। इसमें अवश्य ही सुधार की गुंजाइश है।

हमने हाल ही में बोकारों में मजदूरों की संख्या के सम्बन्ध में अध्ययन कराया है। यह मालूम हुआ है कि कारखानों में मजदूरों की संख्या अधिक है। लेकिन इन लोगों की छंटनी करने का हमारा विचार नहीं है। इसलिए हमारा मत यह है कि जब कभी विस्तार हो तो जो अतिरिक्त क्षमता पैदा होगी उसमें हम इन फालतू मजदूरों को लगाने के लिए राजी हैं। लेकिन कुछ संघ अब मांग कर रहे हैं कि हम उनके द्वारा बताई गई मजदूरों की संख्या स्वीकार नहीं करते। यह स्थिति स्वीकार करना कठिन है।

हम केवल निर्यात के उद्देश्य से कारखाना बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातों में संतुलन कायम करने के लिए हम बोकारो का निर्माण आरम्भ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास चादरों तथा प्लेटों की कमी है। यदि हम बोकारो का निर्माण नहीं करेंगे तो हमें 90 करोड़ रुपये मूल्य की चादरों तथा प्लेटों का आयात करना पड़ेगा। हिन्दुस्तान स्टील का काम काफी अच्छा रहा है। 1965-66 में इस कम्पनी ने केवल 2.5 करोड़ रुपये मूल्य के

सामान का निर्यात किया लेकिन 1966-67 में 9 करोड़ रुपये और 1967-68 में 30 करोड़ रुपये मूल्य के सामान का निर्यात किया । इस तरह हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्यात में वृद्धि हुई है । लेकिन कुछ त्रिटियां हैं जिनकी छानबीन करनी होगी । उदाहरणार्थ पाण्डे समिति ने दोषपूर्ण रखरखाव की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । इस दिशा में इस्पात कारखानों में सुधार करना होगा । विभिन्न जांचों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि हम री मांग सूची अपेक्षाकृत बड़ी है । इसकी जांच के लिए हमने एक समिति नियुक्त की हैं और अब हम कुछ सिद्धान्त तथा अनुमान निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके आधार पर हम उस सूची को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

हमारे यां धमन भट्ठियों में कोकिंग कोयले की खपत के बारे में कुछ बातें कही गई हैं । यह सही हैं कि जापान की तुलना में इसकी खपत अधिक है । लेकिन जापान में ऐसे कोकिंग कोयले का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें 6-7 प्रतिशत राख होती है, जबकि हम ऐसा कोकिंग कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें 25 और 28 प्रतिशत के बीच राख होती है । हमें अपने कोयला धुलाई कारखानों में कोयले की धुलाई करानी पड़ती है और उसके बावजूद भी 16-17 प्रतिशत तक राख रह जाती है । इसलिए हमारे कोक की खपत अवश्य ही अधिक है । लेकिन कुछ तकनीकी सुधारों की ओर हमारा ध्यान गया है । उदाहरणार्थ सिन्टर का प्रयोग करने से कोक दर में 100 की कमी हो जायेगी । अब हम और अधिक सिन्टरों का प्रयोग शुरू करने का प्रयास कर रहे है । कुछ अन्य बातों की ओर भी हमारा ध्यान गया है जिनसे हम अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं और बरबादी की दर कम कर सकते हैं ।

हमने अपने देश में काफी तकनीकी कर्मचारी तैयार किये हैं लेकिन जहां तक प्रबन्ध क्षमता का सम्बन्ध है, ऐसे बड़े इस्पात कारखानों का प्रबन्ध करने के लिए हमारे पास अनुभवी प्रबन्धक नहीं है । यह हमारी एक त्रुटि रही हैं । इसलिए हमें विभिन्न स्रोतों से प्रशासनिक योग्यता वाले व्यक्ति लेने पड़ते है ।

निदेशक मंडल के ढांचे का उल्लेख किया गया है । यह सही है कि तत्कालीन मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम् ने 1963 में कार्यशील निदेशकों को हटा दिया था । प्रशासनिक सुधार आयोग तथा पाण्डे समिति ने भी इस मामले का उल्लेख किया है । कहा गया है कि निदेशक की मंडल बैठकों में बहुत कम उपस्थिति होती है और कभी कभी निदेशक ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते । इसलिए प्रबन्ध व्यवस्था को फिर बदलना उचित समझा गया । हमने फिर घोषणा की कि हम प्रबन्ध मण्डल में पुनः कार्यशील निदेशक नियुक्त करेंगे । दो उपाध्यक्ष होंगे और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा । जहां तक कारखाने और प्रबन्धकों के बीच शक्तियों के विभाजन का सम्बन्ध हैं, हम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष के परामर्श से इस पहलू की जांच करेंगे और इन बातों में सुधार करने का प्रयास करेंगे ।

पूछा गया है कि निर्माण के लिए फालतू श्रमिकों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता । यदि फालतू श्रमिक संयंत्र के पास हैं तो इसका निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग करना कठिन है । भिलाई में हमें बड़ा ही दुःखद अनुभव हुआ है । वहां पर हमने अलग-अलग विभागों द्वारा निर्माण कार्य कराया । अब चूंकि काम खत्म होने वाला है इसलिए इन लोगों की छंटनी

करने में हमें अब कठिनाई हो रही है। बड़े इस्पात कारखानों में इन श्रमिकों रख लेने के लिए सभी ओर से दबाव डाला जा रहा है लेकिन ऐसा करना कठिन है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि हिन्दुस्तान स्टील के प्रबन्धकों द्वारा राष्ट्रीय श्रम आयोग को कोई ज्ञापन भेजा गया है। हमने यह ज्ञापन नहीं देखा है। हम इसमें किसी राजनीतिक दल को घसीटना नहीं चाहते। लेकिन यह सभी जानते है कि इस्पात कारखानों में मजदूर संघों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक संकट हैं।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 14 अगस्त, 1968/23 श्रावण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 14, 1968/ Sravana 23, 1890 (Saka).